सत्यमेव जयते
Goverment Of India

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

NATIONAL MEDICAL COMMISSION ANNUAL REPORT (2023-2024)

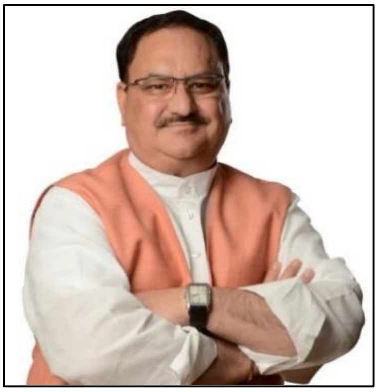

श्री जगत प्रकाश नड्डा
माननीय केंद्रीय मंत्री
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती अनुप्रिया पटेल
माननीय राज्य मंत्री
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
माननीय राज्य मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

विषय-सूची

1. परिचय 4

1.1 एनएमसी के बारे में........4

1.2 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सदस्य........4

1.3 आयोग का उद्देश्य........5

1.4 आयोग के कार्य........6

1.5 चिकित्सा सलाहकार परिषद्........7

1.6 चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कार्य........7

1.7 स्वायत्त बोर्डों का गठन........11

1.8 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की बैठकें........13

1.9 एनएमसी की चिकित्सा सलाहकार परिषद् (एमएसी) की बैठकें........17

2. विभिन्न बोर्डों की गतिविधियाँ........17

2.1 स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी) 17

2.2 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी) 24

2.3 नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) 28

2.4 चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) 32

3. चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनएमसी द्वारा की गई पहल........33

4. आईटी........36

5. कानूनी मामले........38

6. सतर्कता........41

7. सूचना का अधिकार (आरटीआई) 43

8. सामान्य प्रशासन (जीए) 44

9. समन्वय प्रभाग........44

10. परिशिष्ट........46

10.1 **बैठक का कार्यवृत........46**

10.2 **वार्षिक लेखा........177**

1. परिचय

1.1 एनएमसी के बारे में

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के नाम से जाना जाता है। यह 25.9.2020 को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24.9.2020 द्वारा प्रवत्त हुआ। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3क के तहत गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी मंडल भंग हो गया।

चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए एक अधिनियम जो गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करता है, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर की उपलब्धता सुनिश्चित करता है; जो न्यायसंगत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और सभी नागरिकों के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर की सेवाओं को सुलभ बनाता है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है; जो मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपने काम में नवीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है; जिसमें चिकित्सा संस्थानों का एक उद्देश्य, आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन है और भारत के लिए एक चिकित्सा रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है; जो बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए लचीला है और इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए, इसमें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है।

1.2 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के सदस्य

क्र.सं.	नाम	पद
1	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
2	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर	अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा बोर्ड
3	डॉ. विजय ओझा	अध्यक्ष, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड
4	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड
5	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड
6	प्रो. (डॉ.) अतुल गोयल (डीजीएचएस, एमओएचएफडब्ल्यू)	सदस्य (पदेन)
7	डॉ. राजीव बहल (डीजी, आईसीएमआर)	सदस्य (पदेन)

8	सुश्री वी. हेकाली झिमोमी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
9	प्रो. (डॉ.) विवेक लाल (निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़)	सदस्य (पदेन)
10	डॉ. राजेंद्र ए बडवे, (निदेशक, टीएमएच, मुंबई)	सदस्य (पदेन)
11	डॉ. स्मिता कोल्हे (बैरागढ़)	सदस्य (अंशकालिक)
12	श्री संतोष कुमार क्रलेटी (हैदराबाद)	सदस्य (अंशकालिक)
13	प्रो. (डॉ.) ध्रुबा ज्योति बोरा, (कुलपति, श्रीमंत शंकरदेव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, असम)	सदस्य
14	प्रो. (डॉ.) साकेत कुशवाहा (कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश)	सदस्य
15	प्रो. श्री. एस.के.मेहता, (कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय)	सदस्य
16	डॉ. करुणाकर रेड्डी, (कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)	सदस्य
17	डॉ. एम.के. रमेश, (कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)	सदस्य
18	डॉ. मोहनन कुन्नुमल, (कुलपति केरल स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर केरल)	सदस्य
19	डॉ. महेश बाबूलाल पटेल (गुजरात चिकित्सा परिषद्)	सदस्य
20	डॉ. दीपक शर्मा (राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद्)	सदस्य
21	डॉ. विजय कुमार (पंजाब आयुर्विज्ञान परिषद्)	सदस्य
22	डॉ. राजीव सूद (दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद्)	सदस्य
23	डॉ. विनोद कश्यप (हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्)	सदस्य
24	प्रो. दत्तेश्वर होता (ओडिशा आयुर्विज्ञान परिषद्)	सदस्य
25	डॉ. पद्मनाभ वामन रतबोली (गोवा आयुर्विज्ञान परिषद्)	सदस्य
26	डॉ. आर. के. अनेजा (हरियाणा आयुर्विज्ञान परिषद्)	सदस्य
27	डॉ. बुचिपुड़ी संबाशिवा रेड्डी (आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्)	सदस्य

1.3 आयोग का उद्देश्य

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का उद्देश्य एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली उपलब्ध करवाना है जो गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करे, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर की उपलब्धता सुनिश्चित करता है; जो न्यायसंगत और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और सभी नागरिकों के लिए मेडिकल

प्रैक्टिशनर की सेवा को सुलभ बनाता है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है; जो मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है; जिसमें चिकित्सा संस्थानों का एक उद्‌देश्य, आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन है और भारत के लिए एक आयुर्विज्ञान रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है; जो बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए लचीला है और इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए, इसमें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है।

1.4 आयोग के कार्य

आयोग के कार्य इस प्रकार हैं:

क) चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां निर्धारित करना और इस संबंध में आवश्यक नियम बनाना;

ख) चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधान और मेडिकल प्रैक्टिशनर को विनियमित करने के लिए नीतियां निर्धारित करना और इस संबंध में आवश्यक नियम बनाना;

ग) स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए मानव संसाधन सहित स्वास्थ्य देखभाल में आवश्यकताओं का आकलन करना और ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना;

घ) आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक विनियम बनाकर दिशा-निर्देश तैयार करना, समन्वय करना और तैयार करना तथा नीतियां निर्धारित करना;

ङ) स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना;

च) इस अधिनियम के अधीन उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए दिशा-निर्देशों और विनियमों का राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्‌वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथावश्यक उपाय करना;

छ) स्वायत्त बोर्डों के निर्णयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना;

ज) चिकित्सा पेशे में पेशेवर नैतिकता के पालन को सुनिश्चित करने और चिकित्सकों द्‌वारा देखभाल के प्रावधान के दौरान नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और संहिताएं निर्धारित करना;

झ) इस अधिनियम के उपबंधों के तहत अभिशासित निजी चिकित्सा संस्थाओं और सम-विश्वविद्‌यालयों में 50 प्रतिशत सीटों के संबंध में शुल्क और अन्य सभी प्रभारों के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना;

ञ) निर्धारित किए जा सकने वाले ऐसे अन्य कार्य करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

1.5 चिकित्सा सलाहकार परिषद्

चिकित्सा सलाहकार परिषद्, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अनुच्छेद 11 से 13 के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक-एक सदस्य शामिल है।

चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कार्य इस प्रकार हैं::

- परिषद् एक प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, आयोग के समक्ष अपने मंतव्य और समस्याएं रख सकते हैं और चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को आकार देने में मदद कर सकते हैं।
- परिषद्, आयोग को चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी मामलों में न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने और उनके रखरखाव के समन्वय के उपायों पर सलाह देगी।
- परिषद् चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुंच बढ़ाने के उपायों पर आयोग को सलाह देगी।

परिषद् वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए और यदि या किसी कारण से अध्यक्ष परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। एनएमसी की चिकित्सा सलाहकार परिषद् (एमएसी) की पहली बैठक वस्तुतः 18 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई थी।

1.6 चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कार्य

चिकित्सा सलाहकार परिषद् के कार्य इस प्रकार हैं:

- परिषद्, एक प्राथमिक मंच होगा जिसके माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आयोग के समक्ष अपने मंतव्य और समस्याएं रख सकते हैं और चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को आकार देने में मदद कर सकते हैं।
- परिषद्, आयोग को चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी मामलों में न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने और रखरखाव के समन्वय के उपायों पर सलाह देगी।
- परिषद्, चिकित्सा शिक्षा तक समान पहुंच बढ़ाने के उपायों पर आयोग को सलाह देगी।

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् के सदस्य इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	सदस्य का प्रकार	नाम	पदनाम
1.	अध्यक्ष	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), एनएमसी
2.	पदेन-12	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर	अध्यक्ष, यूजीएमईबी, एनएमसी
3.		डॉ. विजय ओझा	अध्यक्ष, पीजीएमईबी, एनएमसी
4.		डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष, एमएआरबी, एनएमसी
5.		डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार), ईएमआरबी, एनएमसी
6.		डॉ. अतुल गोयल	महानिदेशक, डीजीएचएस
7.		डॉ राजीव बहल	महानिदेशक, आईसीएमआर
8.		प्रो. ममीडाला जगदेश कुमार	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
9.		प्रो. एस. सी. शर्मा	निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्
10.		डॉ. सुरेखा किशोर, ईडी, गोरखपुर एम्स	एम्स में से किसी के निदेशक
11.		सुश्री वी. हेकाली झिमोमी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्रतिनिधि
12.		डॉ. विवेक लाल, निदेशक, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	निम्नलिखित के निदेशकों में से व्यक्ति: 1. पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़; 2. जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी; 3. टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई; 4. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान, शिलांग; 5. अखिल भारतीय स्वच्छता और जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता
13.		डॉ. राजेंद्र ए बडवे, निदेशक, टीएमएच, मुंबई	
14.	मनोनीत 79	प्रो. अभय करंदीकर, निदेशक, आईआईटी कानपुर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थान में निदेशक के पद धारित व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है
15.		प्रो.प्रमोद कुमार जैन, निदेशक, आईआईटी-बीएचयू वाराणसी	
16.		प्रो शैलेंद्र सिंह, निदेशक, आईआईएम रांची	
17.		प्रो. ऋषिकेश टी कृष्णन, निदेशक, आईआईएम, बेंगलुरु	

18.		डॉ. स्मिता कोल्हे, बैरागढ़, मेलाघाट, महाराष्ट्र	क्षमता, अखंडता और ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, जिन्हे प्रबंधन, कानून, आयुर्विज्ञान नैतिकता, स्वास्थ्य अनुसंधान, उपभोक्ता या रोगी अधिकारों की वकालत, विज्ञान और टेक और पर्यावरण सहित ऐसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यवसायी अनुभव है।
19.		श्री संतोष कुमार क्रालेटी, सीईओ, फुट सोल्जर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	
20.		रिक्त	
21.		प्रो. (डॉ.) साकेत कुशवाहा, (कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश)	राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, संबंधित राज्य द्वारा नामित किए जाएंगे
22.		प्रो. ध्रुबा ज्योति बोरा (कुलपति, एसएस आयुर्विज्ञान विज्ञान विश्वविद्यालय, असम)	सरकार/गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् में
23.		डॉ. एम. के. रमेश, (कुलपति, आरजीयूएचएस, कर्नाटक)	
24.		लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. माधुरी राजीव कानितकर, (कुलपति, एमयूएचएस, महाराष्ट्र)	
25.		प्रो. पी.एस. शुक्ला, (कुलपति, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय) प्रो. पी.एस. शुक्ला (कुलपति, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय)	
26.		प्रो. संजीव मित्तल, (कुलपति, संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा)	
27.		लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) राजन सिंह ग्रेवाल, (कुलपति, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, सिक्किम)	
28.		डॉ. करुणाकर रेड्डी, (कुलपति, केएनआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना)	
29.		प्रो. (डॉ.) सुहृता पॉल, (कुलपति, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)	
30.		प्रो. डॉ. गुरमीत सिंह, (कुलपति, पुडुचेरी	

		विश्वविद्यालय)	
31.		प्रो. हेम चंद्र (कुलपति हेमवती नंदन बहुगुणा आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, देहरादून)	
32.		प्रो. श्री एस. के. मेहता, (कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय)	
33.		डॉ. अशोक चंद्राकर, (कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल आयुर्विज्ञान विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	
34.		डॉ. मोहनन कुन्नुमल, कुलपति केरल आयुर्विज्ञान और विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	
35.		डॉ. अशोक खंडेलवाल, (कुलपति, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय)	
36.		रिक्त	
37.		डॉ. महेश कुमार सिन्हा (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्)	राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आयुर्विज्ञान परिषदों के प्रतिनिधियों, दो वर्ष की अवधि के लिए आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् में संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा नामित
38.		डॉ. राजीव सूद (दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद्)	
39.		डॉ. पद्मनाभ वामन रताबोली (गोवा आयुर्विज्ञान परिषद्)	
40.		डॉ. आर. के. अनेजा (हरियाणा आयुर्विज्ञान परिषद्)	
41.		डॉ. कांची प्रल्हाद व. (कर्नाटक आयुर्विज्ञान परिषद्)	
42.		डॉ. हरिकुमारन नायर जी.एस. (केरल आयुर्विज्ञान परिषद्)	
43.		डॉ. अकोइजाम जॉय सिंह (मणिपुर आयुर्विज्ञान परिषद्)	
44.		डॉ. ओ. टी. लेप्चा (सिक्किम आयुर्विज्ञान परिषद्)	

45.		डॉ. वी. राजलिंगम (तेलंगाना आयुर्विज्ञान परिषद)	
46.		डॉ. देबाशीष चक्रवर्ती (त्रिपुरा आयुर्विज्ञान परिषद)	
47.		डॉ. नरेश सिंह नपलचयाल (उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद)	
48.		डॉ. महेश बाबुल पटेल, गुजरात आयुर्विज्ञान परिषद	
49.		डॉ. दीपक शर्मा (राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद)	
50.		डॉ. विजय कुमार (पंजाब आयुर्विज्ञान परिषद)	
51.		डॉ. विनोद कश्यप (हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद)	
52.		प्रो. दत्तेश्वर होता (ओडिशा आयुर्विज्ञान परिषद)	
53.		डॉ. बुचिपुड़ी संबासिवा रेड्डी (आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद)	
54.		डॉ. पल्लवी पी. सपले (महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान परिषद)	
55-72		रिक्त	

1.7 स्वायत्त बोर्डों का गठन

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अध्याय V अनुच्छेद 16 से 34 के अनुसार निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन किया गया था:

क. <u>स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड</u>

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर	अध्यक्ष
2.	डॉ. विजयेंद्र कुमार	पूर्णकालिक सदस्य 1
3.	रिक्त	पूर्णकालिक सदस्य 2
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य 1
5.	डॉ. पल्लवी पी. सपले	अंशकालिक सदस्य 2

ख. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. विजय ओझा	अध्यक्ष
2.	रिक्त	पूर्णकालिक सदस्य 1
3.	रिक्त	पूर्णकालिक सदस्य 2
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य 1
5.	डॉ. के. सेंथिल	अंशकालिक सदस्य 2

ग. चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष
2.	डॉ. जे. एल. मीणा	पूर्णकालिक सदस्य 1
3.	रिक्त	पूर्णकालिक सदस्य 2
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य 1
5.	डॉ. उर्मिला सिंह	अंशकालिक सदस्य 2

घ. नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. बी. एन. गंगाधर	अध्यक्ष (अतिरिक्त प्रभार)
2.	डॉ. विजया लक्ष्मी नाग	पूर्णकालिक सदस्य 1
3.	डॉ. योगेंद्र मलिक	पूर्णकालिक सदस्य 2
4.	रिक्त	अंशकालिक सदस्य 1
5.	डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह	अंशकालिक सदस्य 2

1.8 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की बैठकें

1.8.1 10वीं एनएमसी बैठक

एनएमसी की दसवीं वार्षिक बैठक 14 जून 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं:

i) 23 फरवरी 2023 को आयोजित 9वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट ।

ii) एनईएक्सटी विनियम 2023 पर चर्चा।

iii) विभिन्न आवेदनों के लिए शुल्क का निर्धारण।

iv) भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन

v) उन उम्मीदवारों के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना जिन्होंने पीसीएम के साथ 10+2 का अध्ययन किया है और बाद में एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान का अध्ययन किया है।

vi) लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अग्रेषित करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए लेखों के वार्षिक विवरण को अपनाना।

vii) चिकित्सकों और सर्जनों के कॉलेज के अवशिष्ट पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दे

viii) एनएमसी परिसर का रखरखाव और मरम्मत।

बैठक का कार्यवृत्त परिशिष्ट 11.1.1 में संलग्न है।

1.8.2 11वीं एनएमसी बैठक

एनएमसी की ग्यारहवीं वार्षिक बैठक 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं:

i) 14 जून, 2023 को आयोजित 10वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट।

ii) एनएमसी नियमों के प्रारूपण और प्रकाशन और उसके संशोधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया।

iii) आवश्यक सहायता के साथ एनएमसी अपील समिति की संरचना के लिए अनुमोदन।

iv) एनएमसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति।

v) एनएमसी अधिनियम 2023 की धारा 60 (1), धारा 60 (1) के दूसरे परंतुक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना एसओ संख्या 3260 (ङ) दिनांक 24 सितंबर 2020 के अनुसार संविदात्मक कर्मचारियों सहित पूर्ववर्ती एमसीआई के कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति।

vi) एनएमसी के सदस्य/अध्यक्ष/सचिव के लिए वार्षिक निष्पादन और मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का

अभिलेखन न दर्ज करना।

vii) एनएमसी के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव को शैक्षणिक भत्ते की अनुमति देना।

viii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अपनाई गई पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अधीनस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

ix) डीएमएमपी-I के लिए मौजूदा सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के ओ एंड एम अनुबंध का 3 महीने की और अवधि के लिए विस्तार

x) डीएमएमपी-I के बकाया भुगतान की स्वीकृति

xi) उन एमबीबीएस छात्रों के संबंध में एकमुश्त छूट की मांग करना जिन्होंने वर्ष 2021 में यूक्रेन में प्रवेश लिया था।

xii) फिलीपींस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एफएमजीएल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बीएस कोर्स+एमडी कोर्स का समावेश

xiii) मान्यता विनियमों पर चर्चा

xiv) नए क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) और नोडल केंद्रों (एनसी) का समावेश

xv) राष्ट्रीय एम.एससी चिकित्सा शिक्षक संघ (एनएमएमटीए) द्वारा गैर- चिकित्सा शिक्षकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रतिशत में कमी से संबंधित मामला उठाया गया।

xvi) टीईक्यू विनियम, 2022 में संशोधन

xvii) मसौदा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 2023 को मंजूरी।

xviii) शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आईएनआई के साथ जुड़ाव

xix) एनएमसी के लोगो में संशोधन कर भगवान धनवंतरिजी की श्वेत-श्याम छवि के स्थान पर उनका रंगीन चित्र लगाया जाएगा और 'भारतीय' शब्द के स्थान पर 'भारत' शब्द लगाया जाएगा (पीपीटी को बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा)।

xx) शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमएआरबी दिशानिर्देश

बैठक का कार्यवृत्त परिशिष्ट 11.1.2 में संलग्न है।

1.8.3 12वीं एनएमसी बैठक

एनएमसी की चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बारहवीं बैठक 30 नवंबर 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं:

i) 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित 11वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट।

ii) परामर्श प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

iii) वर्ष 2022-23 के लिए एनएमसी के वार्षिक विवरण लेखों पर सीएजी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अपनाना।

iv) विश्राम कालीन/सेकेंडमेंट पर कर्मियों की भर्ती के लिए दिशानिर्देश

v) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में ऑन बोर्डिंग स्वयंसेवकों के लिए दिशानिर्देश

vi) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में ऑन बोर्डिंग इंटर्न के लिए दिशानिर्देश

vii) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में युवा व्यवसायियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश

viii) संशोधित मसौदा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 की स्वीकृति

ix) चिकित्सा अर्हता मान्यता विनियमन, 2023 के मसौदे की मंजूरी

x) कोई भी आरएमपी जो शिक्षण कार्य करता है और एनएमसी में नियुक्त/प्रतिनियुक्त किया जाता है, ऐसे नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति की अवधि को इस उद्देश्य के लिए निरंतर शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जाना चाहिए।

xi) ईएमआरबी द्वारा कारपोरेट अस्पतालों द्वारा लाइव सर्जरी और विज्ञापन के प्रसारण और एनएमसी और ईएमआरबी के मामले को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा।

xii) मणिपुर के विस्थापित मेडिकल छात्रों के लिए स्थानांतरण/वैकल्पिक व्यवस्था।

xiii) पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को आपूर्ति की गई मदों के लिए विक्रेताओं द्वारा तैयार किए गए चालानों/बिलों का भुगतान।

बैठक का कार्यवृत्त परिशिष्ट 11.1.3 में संलग्न है।

1.8.4 13वीं एनएमसी बैठक

एनएमसी की चिकित्सा सलाहकार परिषद् की तेरहवीं बैठक 24 जनवरी 2024 को आयोजित की गई

थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं:

i) 30 नवंबर 2023 को आयोजित 12वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट।

ii) एनएमसी की 10वीं बैठक में अपील शुल्क की मात्रा में संशोधन को मंजूरी दी गई।

iii) एनएमसी में नीति और समन्वय विंग के तहत विभिन्न प्रभागों/कार्यक्षेत्रों की स्थापना।

iv) आईएएमआरए (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी) का सदस्य बनने के लिए एनएमसी का पंजीकरण

v) एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 57 के तहत अधिसूचित नियमों का मूल्यांकन/समीक्षा।

vi) गांधी मेडिकल कॉलेज, स्वायत्त सोसायटी, भोपाल के सदस्य के रूप में एनएमसी का नामांकन

vii) विधिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति को जारी रखने और शुल्क की दरों आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का कार्योत्तर अनुमोदन जारी रखा गया है।

viii) महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग और राज्य चिकित्सा परिषद को सौंपे गए/प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों के रूप में गिना जाएगा।

ix) डिजिटल मिशन मोड परियोजना (डीएमएमपी)-I

x) एनएमसी के गठन के बाद, पंजीकरण मॉड्यूल में परिवर्तन अपरिहार्य हैं। ईएमआरबी ने नई आवश्यकताओं का व्यापक विश्लेषण किया और कई अवसरों पर एनएमसी के आईटी-सेल के साथ परिवर्तन का अनुरोध साझा किया। हालांकि, डीएमएमपी अभी तक समाधान नहीं निकाल पाया है।

xi) ईएमआरबी के पंजीकरण विंग के लिए एक अलग, मजबूत, विश्वसनीय नेटवर्क की आवश्यकता।

xii) यूजीएमईबी से प्राप्त दिनांक 03.01.2024 के पत्र संख्या यू-11021/एनएमसी-डायरी सं. 047165/22.12.2023/यूजीएमईबी/000610 के संदर्भ में है, जिसमे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 50% अंकों की शर्त को शिथिल करके 49.67% अंक देने के लिए एक व्यक्तिगत मामले को दिए गए लाभ से संबंधित है।

xiii) प्रत्येक बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों के रिक्त पद पर नियुक्ति।

बैठक का कार्यवृत्त परिशिष्ट 11.1.4 में संलग्न है।

1.9 एनएमसी की चिकित्सा सलाहकार परिषद् (एमएसी) की बैठकें

1.9.1 5वीं एमएसी बैठक

एनएमसी की चिकित्सा सलाहकार परिषद् की पांचवीं बैठक 14 जून 2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं:

i. डीएमएमपी-I और डीएमएमपी-II परियोजनाओं में आईटी विभाग द्वारा की गई प्रगति

ii. एनईएक्सटी विनियम

iii. एमएआरबी द्वारा शुल्क संशोधन का प्रस्ताव

iv. यूजीएमईबी द्वारा की गई प्रगति।

v. पीजीएमईबी द्वारा की गई प्रगति।

vi. छात्रों द्वारा स्नातकोत्तर ब्रॉड स्पेशलिटी कोर्स पूरा करने के लिए उपलब्ध अवधि का मुद्दा।

vii. एमएआरबी द्वारा की गई प्रगति।

viii. ईएमआरबी द्वारा की गई प्रगति।

बैठक का कार्यवृत्त परिशिष्ट 11.1.5 में संलग्न है।

1.9.2 6वीं एमएसी बैठक

एनएमसी की चिकित्सा सलाहकार परिषद् की छठी बैठक 23 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। बैठक में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं:

i) 14वीं जून 2023 को आयोजित 5वीं एमएसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट

ii) मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण के लिए एआई का उपयोग और मेडिकल छात्रों के पाठ्यक्रम में एआई उपयोग पर क्षेत्र-विशिष्ट सामग्री लागू करना।

iii) विभिन्न देशों में भारतीय मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए व्यापार बाधाएं।

बैठक का कार्यवृत्त परिशिष्ट 11.1.6 में संलग्न है।

2. विभिन्न बोर्डों की गतिविधियां

2.1 स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी)

यूजीएमईबी के कार्य हैं:

एनएमसी अधिनियम, 2019 के अनुसार, यूजीएमईबी के कार्यों में शामिल हैं:

- स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा के मानकों का निर्धारण;
- स्नातक स्तर पर अर्हता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम तैयार करना;
- ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक चिकित्सा और पारिवारिक चिकित्सा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्हता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम तैयार करना;
- देश की आवश्यकताओं और वैश्विक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए स्नातक पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार करना;
- व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा कुछ पाठ्यक्रमों के डिजाइन सहित स्थानीय स्तर पर रचनात्मकता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा संस्थानों में स्नातक से नीचे के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं और मानकों का निर्धारण;
- स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थानों में बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानकों और मानदंडों का निर्धारण;
- स्नातक पाठ्यक्रमों के शिक्षक संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाना;
- स्नातक चिकित्सा शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रमों की सुविधा उपलब्ध करवाना;
- चिकित्सा संस्थानों द्वारा अपने कार्यों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अनिवार्य वार्षिक प्रकटीकरण के लिए मानदंड विनिदष्ट करना, जिसका छात्रों, शिक्षकों, आयोग और केन्द्र सरकार सहित सभी हितधारकों के हित पर प्रभाव पड़ता है, और,
- स्नातक स्तर पर चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करना।

यूजीएमईबी द्वारा 2023-24 में निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईं:

i. एनएमसी वेबसाइट में मान्यता प्राप्त और अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की राज्यवार अद्यतन सूची अपलोड की गई।

ii. सीआरएमआई-2021 के संबंध में एफएमजी के लिए स्पष्टीकरण जारी किए गए।

iii. एनएमसी के तहत सभी कॉलेजों में एफएमजी के लिए 7.5% सीटों की अनुमति देते हुए एफएमजी के लिए सीआरएमआई के लिए मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की राज्यवार सूची प्रकाशित की गई।

iv. स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन 2023 को एनएमसी वेबसाइट में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि नीट-यूजी पात्रता के लिए जीव-विज्ञान विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में लिया जा सकता है। इसके बाद, विनियमन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रकाशित किए गए।

v. एनएमसी वेबसाइट में पाठ्यचर्या आधारित चिकित्सा शिक्षा दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए थे। बाद में दिशा-निर्देशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रकाशित किए गए।

vi. स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए 08 अगस्त 2023 को एक सलाह/चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें अध्ययन की अवधि, निर्देशों के माध्यम, पाठ्यक्रम, नैदानिक प्रशिक्षण या इंटर्नशिप/क्लर्कशिप आदि के संबंध में पंजीकरण के लिए अनिवार्य शर्तें संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय चिकित्सा स्नातकों के समान निर्धारित की गई हैं।

vii. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (न्यूनतम मानक आवश्यकता) एमबीबीएस पाठ्यक्रम दिशानिर्देश 2023 में सीटों में वृद्धि को अधिसूचित किया गया और एनएमसी वेबसाइट में अपलोड किया गया। प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए एमएसआर दिशा-निर्देशों में एक वर्ष के लिए 10 लाख जनसंख्या के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात के संबंध में खंड का आस्थगन प्रकाशित किया गया था।

viii. नीट (यूजी)-2024 पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया था और अध्ययन सामग्री की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर जनता के संदर्भ के लिए और शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए नीट (यूजी) परीक्षाओं की U-15029/56/UGMEB I/3721988/2024 तैयारी के लिए इसे एनएमसी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

ix. एनएमसी वेबसाइट पर यूजी प्रवेश निगरानी मॉड्यूल छात्र प्रवेश प्रणाली में प्रथम वर्ष एमबीबीएस डिग्री (एवाई 2023-24) के लिए मेडिकल कॉलेजों में किए गए प्रवेश से संबंधित जानकारी ऑनलाइन भरना।

x. एमबीबीएस बैच 2023-24 के लिए चरणवार शैक्षणिक कैलेंडर और पाठ्यक्रम।

xi. कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण मूल्यांकन वर्ष 2019-20 और 2020-21 के छात्रों को अनुमति दी गई और एनएमसी बैठक में उचित विचार-विमर्श के बाद प्रथम प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अतिरिक्त प्रयास (5वां प्रयास) किया गया।

xii. मेडिकल कॉलेजों द्वारा उच्चतम वैश्विक मानक को पूरा करने के लिए और एमएसएमईआर 2023 में बनाए गए खंडों के अनुसार, जो संबंधित बोर्डों को वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य है, यूजीएमईबी, एनएमसी द्वारा अनिवार्य विभिन्न क्षेत्रों पर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के लिए वार्षिक घोषणा पोर्टल खोला गया था।

xiii. चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर 251 मेडिकल कॉलेजों को मान्यता।

यूजीएमईबी में की गई गतिविधियों की प्रमुख विशेषताएं

क. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में मान्यता/कोर प्रदान किए गए कॉलेजों की सूची।

राज्य	श्रेणी			
	सरकारी	सरकारी सोसाइटी	निजी	कुल योग
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1			1
आंध्र प्रदेश	3		13	16
अरुणाचल प्रदेश	1		0	1
असम	2	1	0	3
बिहार	1		1	2
छत्तीसगढ़	5		2	7
दिल्ली			1	1
गोवा	1		0	1
गुजरात	5	6	7	18
हरयाणा	2		4	6
हरयाणा	2		0	2
हिमाचल प्रदेश	3		1	4
जम्मू एवं कश्मीर			1	1
झारखंड	1		0	1
कर्नाटक	13		19	32
केरल	2		11	13
मध्य प्रदेश	6		7	13
महाराष्ट्र	1		14	15
मिजोरम	1		0	1
उड़ीसा	5		1	6
पुडुचेरी	1		4	5

पंजाब	2		3	5
राजस्थान	10		4	14
राजस्थान			1	1
तमिलनाडु	22		12	34
तेलंगाना	4		12	16
त्रिपुरा			1	1
उत्तर प्रदेश	6		14	20
उत्तराखंड			1	1
उत्तराखंड	1			1
पश्चिम बंगाल	7		2	9
कुल योग	108	7	136	251

ख. मेडिकल कॉलेज द्वारा वार्षिक घोषणाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा विनियमों के मानक ऑनलाइन पोर्टल का रखरखाव।

i. एनएमसी द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों का पालन करने के लिए, कॉलेजों और संस्थानों को एमएसएमईआर-2023 में अनिवार्य निर्धारित प्रारूप का पालन करते हुए अपनी संबंधित वेबसाइटों पर अपनी जानकारी प्रकाशित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में एनआईसी आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) और अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) को लागू करना होगा। इसके अलावा, उन्हें एन.एम.सी. में केंद्रीय समन्वय केंद्र (सीसीसी) को सीसीटीवी फीड ट्रांसमिशन के लिए एक कनेक्शन स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

ii. मेडिकल कॉलेजों में संकाय उपलब्धता के भौतिक मूल्यांकन को कम करने के लिए, यूजीएमईबी द्वारा आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) डेटा विश्लेषण को अपनाया गया था, और कॉलेजों को उनकी कमियों के आधार पर कई कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

iii. उसी के अनुरूप एक कदम आगे बढ़ते हुए, अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए एमबीबीएस सीटों के नवीनीकरण के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों द्वारा वार्षिक घोषणा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया। पोर्टल के लिए भारी मात्रा में विचार-विमर्श, चर्चा, नवाचार और परीक्षण की आवश्यकता थी। इस पोर्टल के विकास के पीछे मूल विचार भौतिक मूल्यांकन को कम करना था, जिससे बहुत सारे व्यय की बचत हो, मानवीय हस्तक्षेप द्वारा अनुकूल रिपोर्ट के जोखिम से बचना, पारदर्शिता और समय की बचत आदि। पोर्टल को मूल्यांकन वर्ष 2024- 25 में उपयोग के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में

लॉन्च किया गया था।

ग. अन्य देशों में पढ़ रहे छात्रों के संबंध में विदेशी चिकित्सा **स्नातकों से संबंधित मामले:**

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने 30.11.2023 को आयोजित अपनी बैठक में विदेशी चिकित्सा स्नातकों के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण/निर्णय प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसे 07 दिसंबर, 2023 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया है, जिसमें एफएमजी की चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के लिए कोविड-19 पेंडेमिक, रूस-यूक्रेन युद्ध, इंटर्नशिप, माइग्रेशन, पात्रता आदि जैसी विभिन्न स्थितियों को शामिल किया गया है।

घ. स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए संकाय विकास कार्यक्रम।

स्नातक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम लगभग 706 मेडिकल कॉलेजों में प्रभावी है, जबकि 67 स्टैंडअलोन संस्थान स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, नए प्रतिष्ठानों का अनुसरण करके राष्ट्रीय केंद्रों (एनसी) की संख्या 14 तक बढ़ा दी गई है और क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) की संख्या बढ़कर कुल 23 हो गई है।

2023-24 में स्थापित नोडल केंद्र

i. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
ii. जिपमेर, पुडुचेरी
iii. भास्कर मेडिकल कॉलेज
iv. मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज

2023-24 में स्थापित क्षेत्रीय केंद्र

i. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीएचयू, वाराणसी
ii. महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज, कलबुर्गी, गुलबर्गा, कर्नाटक
iii. ईएसआईसी, जोका, कोलकाता
iv. एम.एस. रमैया मेडिकल कॉलेज, बैंगलोर
v. काकतिया मेडिकल कॉलेज, तेलंगाना

चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीएमई) कार्यशाला के आयोजन का विवरण और प्रशिक्षित संकायों की संख्या:

क. 2023-24 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय/नोडल केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में कुल 404 बीसीएमई

कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 12,120 संकायों को प्रशिक्षित किया गया।

ख. स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थानों (एसएपीजी) के संकायों के लिए विभिन्न क्षेत्रीय/नोडल केंद्रों में 2023-24 के बीच कुल 21 बीसीएमई कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 630 संकायों को प्रशिक्षित किया गया था।

पाठ्यचर्या कार्यान्वयन सहायता कार्यक्रम-III का आयोजन और प्रशिक्षित संकायों का विवरण::

क. विभिन्न क्षेत्रीय/नोडल केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में 2023-24 के दौरान कुल 120 सीआईएसपी-III कार्यशालाएं आयोजित की गईं और लगभग 3,600 संकायों को प्रशिक्षित किया गया।

उन्नत चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम (एसीएमई) के आयोजन और प्रशिक्षित संकाय का विवरण:

क. नोडल केंद्रों पर 2023-24 के दौरान कुल 26 नए एसीएमई पाठ्यक्रम (छह महीने की अवधि के लिए) आयोजित किए गए और कुल 780 संकायों को प्रशिक्षित किया गया।

ङ. वर्ष 2023-24 में एमबीबीएस सीट के लिए प्रवेश

i. शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए भारत में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश का विवरण एनएमसी पोर्टल पर मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा अपलोड किया गया है:

1	शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए भारत में सरकारी और निजी कॉलेजों/संस्थानों में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या	1,06,646
2	शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कार्यरत कॉलेजों/संस्थानों की कुल संख्या	682
3	शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न कॉलेजों/संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की कुल संख्या	1,06,156
4	सरकारी कॉलेजों/संस्थानों में एमबीबीएस प्रवेशों की संख्या	53,558
5	निजी कॉलेजों/संस्थानों में एमबीबीएस दाखिलों की संख्या।	52,598

ii. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए भारत में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित छात्रों का विवरण एनएमसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था और सभी छात्रों से यह जांचने के लिए कहा गया था कि उनके नाम संबंधित कॉलेज में दिखाई दे रहे हैं, यदि नहीं, तो उन्हें संबंधित चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/परामर्श प्राधिकरण से तत्काल परामर्श करने की सलाह दी गई थी।

2.2 स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी)

देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को सुविधाजनक बनाने और सुधारने के लिए पीजीएमईबी द्वारा निम्नलिखित विनियम/अपेक्षाएं जारी की गई हैं:-

क. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 (पीजीएमईआर-2O23)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने 29 दिसंबर, 2023 को राजपत्र में "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023" (पीजीएमईआर-23) को अधिसूचित किया, जिसमें 7 अक्टूबर, 2000 को जारी पीजीएमईआर-2000 विनियमों को प्रतिस्थापित किया है। पीजीएमईआर-2023 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) **स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के भाग के रूप में नए पाठ्यक्रम-** स्नातकोत्तर छात्रों को "अनुसंधान पद्धति पर पाठ्यक्रम," "नैतिकता में पाठ्यक्रम," जिसमें "अच्छी नैदानिक पद्धति" और "अच्छी प्रयोगशाला पद्धति" और जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के अलावा "बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट (बीसीएलएस)" और "उन्नत कार्डियक लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस)" कौशल शामिल हैं।

ii) **स्नातकोत्तर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की मान्यता-** पीजीएमईआर-2023 के विनियम 5.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्नातकोत्तर छात्र उचित कामकाजी घंटों के लिए काम करेंगे और उन्हें एक दिन में आराम के लिए उचित समय दिया जाएगा।

iii) **शैक्षणिक प्रकोष्ठ-** पीजीएमईआर-23 में, एक वरिष्ठ संकाय सदस्य की अध्यक्षता में एक अकादमिक सेल की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है, जो प्रत्येक विशेषता में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और पीजीएमईबी द्वारा अनिवार्य रूप से इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

iv) **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने या स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन:** मेडिकल कॉलेज/संस्थान मेडिकल कॉलेज/संस्थान को स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दिए जाने के एक वर्ष बाद किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं (अर्थात स्नातक पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के दौरान) और हर वर्ष सीटों की वृद्धि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

v) **छुट्टी नियम-** पीजीएमईआर-2023 के विनियम 5.5 में कहा गया है कि स्नातकोत्तर छात्र मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष बीस भुगतान किए गए आकस्मिक छुट्टी, प्रतिवर्ष पांच भुगतान शैक्षणिक छुट्टी और मातृत्व/पितृत्व छुट्टी के साथ एक साप्ताहिक छुट्टी के हकदार होंगे। कार्यकाल को उतने ही दिनों तक बढ़ाया जाना है जब ली गई छुट्टियां, छुट्टी के दिनों की उपरोक्त अनुमत संख्या से अधिक हैं।

vi) **विश्वविद्यालयों की भूमिका-** विश्वविद्यालयों के साथ-साथ उनके अधीन चिकित्सा संस्थानों से उपयुक्त

पाठ्यक्रम लागू करने, स्व-निर्देशित शिक्षा को प्रोत्साहित करने, उचित रिकॉर्ड बनाए रखने और डिजिटल मोड में परीक्षाएं आयोजित करने और डिग्री/डिप्लोमा और अन्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को अधिकतम करने के प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।

vii) **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की मान्यता-** एक बार अनुमति मिलने के बाद, सीटों को अतिरिक्त अर्हता के पंजीकरण के लिए मान्यता प्राप्त माना जाना चाहिए।

viii) **मंजूरी और जुर्माना-** विनियमों का अनुपालन न करने या चूक करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध और दंड निर्धारित किए गए हैं।

ix) **काउंसलिंग-** सभी सीटों के लिए काउंसलिंग के सभी दौर राज्य या केंद्रीय परामर्श प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन मोड पर आयोजित किए जाएंगे और कोई भी मेडिकल कॉलेज/संस्थान स्वयं किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं देगा।

ख. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, 2023 के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (पीजीएमईआर-2023)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने 15 जनवरी, 2024 को "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 2023 के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता (पीजीएमएसआर-2023)" जारी किया है। पीजीएमएसआर-2023 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) प्रत्येक शिक्षण विभाग में ऑडियो-विजुअल सुविधाओं के साथ एक शिक्षण कक्ष होना चाहिए, जो नैदानिक मामले की चर्चाओं/प्रदर्शनों के लिए पर्याप्त संख्या में छात्रों को समायोजित करने में सक्षम हो।

ii) संकाय पूर्णकालिक होगा और कॉलेज के घंटों के दौरान निजी प्रैक्टिस में संलग्न नहीं होगा। आवश्यक संख्या में संकायों के लिए कुल कार्य दिवसों की कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।

iii) अस्पताल के 80 प्रतिशत बिस्तर पूरे वर्ष अंतरंग रोगी देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए होने चाहिए और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान करने वाले विभाग में कुल बिस्तरों का न्यूनतम 15 प्रतिशत गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) बिस्तर/उच्च निर्भरता इकाई (एचडीयू) बिस्तर होना चाहिए।

iv) अस्पताल भवन मौजूदा राष्ट्रीय भवन मानदंडों और अस्पतालों के लिए विभिन्न स्थानीय सांविधिक विनियमों के अनुरूप होगा, जिसमें प्रशासन, पंजीकरण, रिकॉर्ड भंडारण, बाह्य रोगी और अंतरंग रोगी क्षेत्रों, ऑपरेटिंग थिएटर, 2 आईसीयू, विकिरण विज्ञान और प्रयोगशाला सेवाओं और आपातकालीन क्षेत्रों आदि सहित एक सेवा प्रदाता के रूप में अस्पताल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

v) अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि के साथ रेडियो-निदान, संज्ञाहरण, रोग-निदान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान और जैव-रसायन के विषयों में संकाय, बुनियादी ढांचे और अन्य कर्मचारियों में वृद्धि होगी। इसके अलावा, विभाग में कार्यभार अधिक होने पर संकाय और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी।

vi) संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त आंतरिक प्रयोगशाला और इमेजिंग सुविधाएं होंगी, जिन्हें पूरी तरह से संबंधित विभाग द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। प्रयोगशालाएं अपेक्षित सभी जांच सुविधाएं प्रदान करेंगी और ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति तथा अनुसंधान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। घटक चिकित्सा प्रदान करने में सक्षम एक अच्छी तरह से सुसज्जित वातानुकूलित रक्त बैंक के अलावा विभिन्न विभागों और प्रयोगशालाओं में की गई जांच के रिकॉर्ड का डिजिटल डेटा होगा।

ग. चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मानकों का रखरखाव (एमएसएमईआर-2023)

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने 19 सितंबर, 2023 को राजपत्र में "चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मानकों का रखरखाव" (एमएसएमईआर-2023) को अधिसूचित किया है। एमएसएमईआर-2023 की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) **वार्षिक प्रकटीकरण का अधिदेश:** इसकी स्थापना के बाद, मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान संबंधित बोर्ड को एक वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, जो यूजीएमईबी या पीजीएमईबी द्वारा अधिसूचित एमएसआर और एनएमसी के नियमों के तहत प्रदान की गई ऐसी शर्तों को पूरा करता हो।

ii) **रिपोर्ट का मूल्यांकन:** संबंधित बोर्ड (पीजीएमईबी अथवा यूजीएमईबी) वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट का मूल्यांकन यह सत्यापित करने के लिए कर सकता है कि क्या मेडिकल कॉलेज अथवा चिकित्सा संस्थान एमएसआर अथवा एनएमसी विनियमों के माध्यम से निर्धारित अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं जिनमें भौतिक अवसंरचना का सत्यापन, संकाय, नैदानिक सामग्री आदि की उपलब्धता जैसे पैरामीटर शामिल हों।

iii) **संयुक्त या स्वतंत्र मूल्यांकन:** कोई भी बोर्ड (संबंधित बोर्ड के अलावा) व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान से वार्षिक प्रकटीकरण रिपोर्ट में किए गए कथनों की सटीकता और/या सच्चाई और/या सत्यता का मूल्यांकन कर सकता है।

iv) **दंड:** जब संबंधित बोर्ड के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई चिकित्सा संस्थान किसी

सांविधिक प्रावधान, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का पालन करने में विफल रहा है या उसने अपने संबंधित बोर्डों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं किया है या किसी भी तरीके से स्वयं को संचालित किया है जो चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लक्ष्यों के अनुसार नहीं है, बोर्ड या तो चिकित्सा संस्थान को दंडित करेगा और/या ऐसे कृत्य की आगे जांच करेगा और जुर्माना लगाने में चेतावनी जारी करना, मौद्रिक शास्ति, आवेदन/प्रत्यायन प्रक्रिया को रोकना, अगले/बाद के शैक्षिक वर्षों में दाखिल छात्रों की संख्या में कमी, प्रवेश रोकना आदि शामिल हो सकते हैं।

v) **एनएमसी और केंद्र सरकार से अपील:** एक मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान या ऐसा कोई भी पीड़ित व्यक्ति आदेश पारित होने के साठ दिनों के भीतर उचित शुल्क के साथ आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकता है। जब कोई आवेदक/मेडिकल कॉलेज या चिकित्सा संस्थान, आयोग के निर्णय से व्यथित हो या जहां आयोग ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर या समय की समाप्ति के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष दूसरी अपील दायर की जा सकती है, जैसा भी मामला हो। केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

घ. पीजीएमईबी में 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए मान्यता कार्य

क. एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 35 (II) के तहत पीजीएमईबी, एनएमसी द्वारा संसाधित आवेदनों/अनुरोधों की कुल संख्या	1593
ख. निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या (अर्थात, मान्यता-पत्र या जारी किए गए कॉलेज से अनुपालन की मांग करने वाले पत्र)	1410**
**शेष आवेदनों पर 31 मार्च 2024 के बाद कार्रवाई की गई है। पीजीएमईआर-2023 और एमएसएमईआर 2023 के कार्यान्वयन के बाद, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए चिकित्सा शिक्षा के मानक के रखरखाव की प्रक्रिया सुचारु रूप से चित्रित की गई है।	

ङ. शिक्षक पात्रता अर्हता

श्रेणी	ब्यौरा
क. वर्ष 2023-2024 में शिक्षक पात्रता की पुष्टि के संबंध में प्राप्त मामलों की कुल संख्या	536
ख. वर्ष 2023-2024 में शिक्षक पात्रता की पुष्टि के संबंध में निपटाए गए मामलों की कुल संख्या	519
ग. वर्ष 2023-2024 में शिक्षक पात्रता की पुष्टि के संबंध में लंबित मामलों की कुल संख्या	17

2.3 नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी)

क. नैतिकता अनुभाग

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के अनुसार, नैतिकता और **चिकित्सा** पंजीकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं:

क) धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार सभी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों का नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाए रखना;

ख) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार पेशेवर आचरण को विनियमित करना और **चिकित्सा** नैतिकता को बढ़ावा देना:

आचार संहिता और **चिकित्सा** पंजीकरण बोर्ड राज्य **चिकित्सा** परिषद् के माध्यम से पेशेवर और नैतिक आचरण संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करता है, ऐसे मामले में जहां ऐसी राज्य **चिकित्सा** परिषद् को संबंधित राज्य अधिनियमों के तहत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा पेशेवर या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है;

ग) मेडिकल प्रैक्टिशनर के आचरण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के साथ निरंतर चर्चा करने के लिए तंत्र विकसित करना;

घ) राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में धारा 30 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना।

इन कार्यों के कार्यकरण में, नैतिकता अनुभाग ने 2023-24 (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए।

i. लाइव सर्जरी के संचालन और प्रसारण को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश और समिति की सिफारिशें एनएमसी के अध्यक्ष को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

ii. निजी अस्पतालों द्वारा अनैतिक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश और समिति की सिफारिशें अध्यक्ष, एनएमसी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई हैं।

iii. नीम हकीम पर एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 54 के साथ पठित धारा 34 के तहत निर्धारित प्रावधानों से संबंधित दिशानिर्देश अनुमोदन के लिए एनएमसी अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए हैं।

iv. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 पर नए विनियम 2023 में अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें बाद में स्थगित रखा गया था, कुछ संशोधनों के साथ इसे स्थगित करने के लिए अध्यक्ष एनएमसी को फिर से प्रस्तुत किया गया है।

v. ईएमआरबी को प्रस्तुत की गई अपीलों के लिए एसओपी को अंतिम रूप दे दिया गया है और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

vi. चिकित्सा लापरवाही के विरुद्ध तुच्छ अथवा अन्यायपूर्ण अभियोजन से डाक्टरों की रक्षा करने के लिए एनएमसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मांगी गई टिप्पणियां एनएमसी के अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रस्तुत कर दी गई हैं।

vii. "पेशेवर आचरण समीक्षा-केस अभिलेखागार से सबक" पर पुस्तिका के तीन खंड प्रकाशित किए गए।

viii. कदाचार/अपील मामलों में नियुक्त विशेषज्ञ प्रशिक्षण मॉड्यूल पर हैंडबुक प्रकाशित की गई है।

ix. 2023-24 के दौरान, राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के निर्णय के खिलाफ प्राप्त लगभग 61 अपीलों का निपटारा किया गया है, जिसमें एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30 (3) के तहत लौटाई गई अपील भी शामिल है।

ख. पंजीकरण अनुभाग

1. नेशनल मेडिकल रजिस्टर (आईएमआर) का रखरखाव:

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अंतर्गत किए गए उपबंधों के अनुसार, परिषद् निर्धारित तरीके से मेडिकल प्रैक्टिशनर का एक रजिस्टर बनाए रखेगी जिसे नेशनल मेडिकल रजिस्टर (आईएमआर) के रूप में जाना जाएगा, जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जो फिलहाल किसी राज्य मेडिकल रजिस्टर में नामांकित हैं और जिनके पास कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता है। सभी राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों को राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामांकन के संबंध में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को सूचना उपलब्ध करवाना अपेक्षित है। राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर परिषद् समय-समय पर वार्षिक रूप से एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर (आईएमआर) बनाए रखती है। वर्तमान में, अब तक प्राप्त चिकित्सकों के ब्यौरे नेशनल मेडिकल रजिस्टर में रखे जा रहे हैं।

2. नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) का रखरखाव:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 31 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर का नाम, पता, लाइसेंस प्राप्त मौजूद सभी मान्यता प्राप्त अर्हताएं और ऐसे अन्य विवरण होंगे जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) से संबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और प्रैक्टिस मेडिसिन का लाइसेंस, 2023 विनियमन 10.05.2023 को प्रकाशित किया गया है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) के रूप में केंद्रीकृत वेब-आधारित एप्लिकेशन सॉफ्ट वेयर भारत में सभी एलोपैथिक, पंजीकृत मेडिकल डॉक्टरों का एक गतिशील डेटाबेस है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के डेटा को कैप्चर करेगा। नेशनल मेडिकल रजिस्टर को अद्यतन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

3. नेशनल मेडिकल रजिस्टर प्रमाणपत्र प्रदान करना:

आईएमसी अधिनियम, 1956 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्) नेशनल मेडिकल रजिस्टर (आईएमआर) का प्रमाणपत्र जारी करता है और इस तरह के प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने विभिन्न आवेदकों के संबंध में 71 आईएमआर प्रमाणपत्र जारी किए हैं, जिनके नाम आईएमआर पर हैं।

शिशु मृत्यु दर के अनुरक्षण की प्रक्रिया में सम्यक प्रक्रिया और संबंधित क्षेत्रों से सत्यापन की प्राप्ति के अनुसार शिशु मृत्यु दर में मौजूदा ब्यौरों में अद्यतन और सुधार भी किए जाते हैं।

4. अतिरिक्त अर्हता का पंजीकरण:

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 61 (2) के साथ पठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 26 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार, नेशनल मेडिकल रजिस्टर में एक लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक के पास सभी मान्यता प्राप्त अर्हताएं शामिल होंगी। तथापि, नेशनल मेडिकल रजिस्टर के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। अतः अतिरिक्त अर्हता (व्यापक एवं अतिविशिष्टता) अर्हता का पंजीकरण उस व्यक्ति के संबंध में किया जाता है जिसका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर में है और जिसके पास मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं हैं जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 26 के अंतर्गत किए

गए उपबंधों के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम की अनुसूचियों में शामिल हैं। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने उन 1153 उम्मीदवारों के संबंध में

अतिरिक्त अर्हता का पंजीकरण प्रदान किया है, जिनके नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दर्ज थे और जिनके पास मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता भी थी।

5. विदेशी राष्ट्रीय डॉक्टरों के संबंध में अस्थायी पंजीकरण/अनुमति प्रदान करना:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 34 (1) के परंतुक के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, एक विदेशी नागरिक जो उस देश में चिकित्सकों के पंजीकरण को विनियमित करने वाले कानून के अनुसार एक चिकित्सक के रूप में अपने देश में नामांकित है, उसे भारत में अस्थायी पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने उक्त उद्देश्यों के लिए 665 विदेशी चिकित्सकों के संबंध में अस्थायी पंजीकरण/अनुमति प्रदान की है।

6. पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना और पुष्टि करना:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 61 (2) के साथ पठित आईएमसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 और 13 (4बी) के अनुसार, एक भारतीय नागरिक/भारत का विदेशी नागरिक जिसकी 15 मार्च 2002 को या उसके बाद देश के बाहर किसी चिकित्सा संस्थान से कोई प्राथमिक चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने की मंशा है, उसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्) से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

तदनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने 4843 आवेदकों के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया है, जिन्होंने देश के बाहर विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस या समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। इसके अतिरिक्त, एनएमसी ने विभिन्न संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के 5115 आवेदकों के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र की पुष्टि की है, जिन्होंने एमबीबीएस या देश के बाहर विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में समकक्ष चिकित्सा पाठ्यक्रम में पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (अब राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग प्रवेश) से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

7. अच्छे प्रदर्शन का प्रमाणपत्र जारी करना:

प्रचलित नीति के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग उन डाक्टरों के संबंध में अच्छे प्रदर्शन का प्रमाण-पत्र जारी करता है जो पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् रजिस्टर में नामांकित हैं और जिनका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर (आईएमआर) में निहित है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने उन डॉक्टरों के संबंध में अच्छे प्रदर्शन का 479 प्रमाणपत्र जारी किए हैं जिनके नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हैं।

2.4 चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड

देश में सरकारी कॉलेजों में अधिकतम एमबीबीएस सीटें सृजित करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है।

तदनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान, एमएआरबी, एनएमसी ने देश में 6700 एमबीबीएस सीटों (अर्थात 3450 एमबीबीएस सीटों के साथ 31-सरकारी मेडिकल कॉलेज और 3250 एमबीबीएस सीटों के साथ 23-निजी मेडिकल कॉलेज) के साथ 54 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुमति-पत्र (एलओपी) जारी किए हैं।

उपरोक्त के अलावा, कर मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के दौरान, एमएआरबी, एनएमसी ने 2785 एमबीबीएस सीटों (अर्थात 09-सरकारी मेडिकल कॉलेज और 35-निजी मेडिकल कॉलेज) के वार्षिक प्रवेश में वृद्धि के साथ 44 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को अनुमति-पत्र (एलओपी) भी जारी किए हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 तक, एमएआरबी, एनएमसी ने 55003 स्नातकोत्तर सीटों [33377 सीटें (सरकारी कॉलेज) और 21626 सीटें (निजी कॉलेज)] को मंजूरी दी है।

3. चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एनएमसी द्वारा पहल

3.1 चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन

एमबीबीएस छात्रों के लिए संशोधित अर्हता आधारित स्नातक पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रभावी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों की लिखित सहमति को सूचित करने के अधीन अभिज्ञान के सभी तीन आयामो (संज्ञानात्मक, प्रभावी और साइकोमोटर) को कवर करना है।

नए पाठ्यक्रम में मेडिकल छात्र को एक ठोस आधार और फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत के साथ समग्र पहलू के लिए संतुलित दृष्टिकोण के साथ समृद्ध किया गया है जिसमें योग, ध्यान, स्थानीय भाषा अनुकूलन और कौशल शामिल हैं। पूर्ववर्ती एमसीआई की पाठ्यक्रम समिति ने चरण-I, चरण-II और चरण-III विषयों के बुनियादी ज्ञान को संरेखित और एकीकृत किया है। प्रारंभिक नैदानिक अनुभव, एटकॉम मॉड्यूल, समस्या आधारित शिक्षण, डोमेन वार शिक्षा और एक्सपोजर, बुनियादी अनुसंधान में विकास रुचि, इन युवा स्नातकों के लिए नौकरी के अवसर में सकारात्मक प्रभाव और वृद्धि लाने की संभावना है। संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) 2009 से चल रहे हैं।

एफडीपी का सुधार और संरेखण यूजीएमईबी द्वारा अप्रैल 2023 में किया गया था। इस प्रकार, संशोधित बुनियादी पाठ्यक्रम कार्यशाला (आरसीडब्ल्यू) को 3 दिनों के चिकित्सा शिक्षा में बुनियादी पाठ्यक्रम (बीसीएमई) में संशोधित किया गया है, और चिकित्सा शिक्षा में उन्नत पाठ्यक्रम (एसीएमई) को बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल 1 वर्ष के पाठ्यक्रम से 6 महीने तक संघनित किया गया है। चरण-3 के विषयों के प्रशिक्षण को शामिल करने के लिए पाठ्यचर्या कार्यान्वयन सहायता कार्यक्रम (सीआईएसपी-III) को जोड़ा गया है।

मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की शिक्षा को उन्नत करने और बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में संकाय का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसलिए पूर्ववर्ती एमसीआई ने शीर्ष पर 10 नोडल केंद्र बनाए थे जिसके तहत विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 12 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए थे। यूजीएमईबी ने इस क्षमता को 12 नोडल केंद्रों और 23 क्षेत्रीय केंद्रों तक बढ़ा दिया है जो देश में समान रूप से वितरित किए गए हैं। इन क्षेत्रीय केंद्रों में से प्रत्येक को 12 से 20 मेडिकल कॉलेजों के प्रशिक्षण संकाय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और प्रत्येक नोडल केंद्र में लगभग 50 मेडिकल कॉलेज हैं। कुछ क्षेत्रीय केन्द्रों का नोडल केन्द्रों के रूप में उन्नयन करने की योजना है ताकि संकाय के प्रशिक्षण की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक पाठ्यचर्या समिति और एक चिकित्सा शिक्षा इकाई भी होनी अपेक्षित है। पूर्व छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम का ख्याल रखता है और बाद में संकाय के शैक्षिक कार्यक्रम का ख्याल रखता है। इस योजना के तहत अब तक कुल 651 अवर

स्नातक मेडिकल कॉलेजों और 67 स्टैंड-एलोन स्नातकोत्तर संस्थानों को शामिल किया गया है। इसे एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में अपग्रेड किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित संकाय प्रशिक्षण/कार्यशालाओं की संख्या के अवलोकन के लिए, अनुच्छेद 2.1(घ) देखे।

3.2 चिकित्सा शिक्षा को और अधिक किफायती बनाने की पहल

चिकित्सा शिक्षा को और अधिक किफायती बनाने के लिए एनएमसी का आशय मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने और चिकित्सा शिक्षा की लागत को कम करने का है, इस प्रकार अधिक छात्रों को मेडिकल प्रोफेशन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- फीस का विनियमन: भारत में चिकित्सा शिक्षा की लागत एक प्रमुख चिंता का विषय है। इसलिए, 2020 की शुरुआत में, एनएमसी ने कई शुल्क नियमों की घोषणा की, क्योंकि निजी कॉलेजों में उच्च शुल्क संरचना है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए आगे की पढ़ाई करना असंभव हो जाता है। प्रस्तावित मानदंड निजी मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 50% एमबीबीएस और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों के लिए ट्यूशन फीस को सीमित करेंगे। (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 फरवरी 2022)

- केंद्र सरकार का लक्ष्य देश के हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाना है, जिसके परिणामस्वरूप सस्ती लागत पर मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।

- भूमि आवश्यकता मानकों में ढील: नवंबर 2020 में, एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकता में ढील दी और कौशल प्रयोगशालाओं को अनिवार्य कर दिया। एनएमसी ने सामान्य क्षेत्रों के लिए 20 एकड़ भूमि और महानगरों के लिए 10 एकड़ भूमि रखने के अधिदेश को हटा दिया है।

- नया एमएसआर 2023 बिस्तरों, विभाग और संकाय पदों की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की आवश्यकताओं को और कम करता है।

3.3 एनएमसी की उपलब्धियां

एनएमसी के गठन के बाद से, आयोग ने इसे दिए गए अधिदेश को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i. अधिनियम के अनुसार, 4 बोर्डों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए त्रि-स्तरीय अपीलीय तंत्र है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क. पहली अपील-एनएमसी

ख. दूसरी अपील- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

ग. अकेले ईएमआरबी के लिए, पहली अपील राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के निर्णयों के खिलाफ बोर्ड के पास है, और दूसरी अपील एनएमसी के पास है।

ii. देश में मेडिकल कॉलेजों में 1 लाख यूजी सीटें हासिल करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

iii. विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसिएट विनियम उन विद्याथयों, जिन्होंने विदेशी चिकित्सा महाविद्यालयों से अपनी चिकित्सा अर्हताएं प्राप्त की हैं, के लिए चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करने में माननीय उच्चतम न्यायालय की संवीक्षा का सामना कर चुके हैं।

iv. यूजीएमईबी के फाउंडेशन कोर्स में 10 दिनों का योग मॉड्यूल पेश किया गया है।

v. सभी यूजी मेडिकल कॉलेजों में अर्हता आधारित पाठ्यक्रम लागू किया गया है और 98 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी लागू किया गया है।

vi. एमबीबीएस में क्रमशः स्नातक छात्र और मेडिकल कॉलेज द्वारा ग्राम और परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम शुरू किया गया।

vii. नए शिक्षक पात्रता अर्हता विनियम अधिसूचित किए गए हैं।

viii. एनएमसी द्वारा जारी निजी मेडिकल कॉलेजों/डीम्ड विश्वविद्यालयों की 50% सीटों के लिए शुल्क निर्धारण दिशा-निर्देश चिकित्सा शिक्षा को और अधिक वहनीय बनाने के लिए जारी किए गए हैं।

ix. एनएमसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की अनिवार्य एईबीएएस (आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली), एचएमआईएस (अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली), सीसीटीवी कैमरा निगरानी का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

x. एनएमसी जल्द ही एनएमसी परिसर से मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए प्रख्यात संकाय द्वारा व्याख्यान भी शुरू करेगा।

xi. पाकिस्तान में सताए गए अल्पसंख्यकों को भारत में आधुनिक चिकित्सा/एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी पंजीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी।

4. आईटी

माननीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और रखरखाव के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। एनएमसी के पास भारत सरकार के ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत डिजिटल मिशन मोड प्रोजेक्ट (डीएमएमपी) हैं। डीएमएमपी का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में मेडिकल कॉलेजों की तकनीकी संचालित, साक्ष्य-आधारित निगरानी प्रणाली है। आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख आईसीटी पहलें की गई हैं:

क) एनआईसी द्वारा विकसित आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के उपयोग के माध्यम से संकाय उपस्थिति की निगरानी।

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों (एमसी) में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया है।
- एईबीएएस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है और यह कई सरकारी संस्थानों में बहुत लंबे समय तक काम कर रहा है।
- एमसी में एईबीएएस को लागू करने के लिए एनएमसी का मुख्य उद्देश्य नकली संकायों अर्थात एक ही समय में दो या दो से अधिक स्थानों पर काम करने वाले संकायों को रोकना है। चूंकि यह प्राथमिक पंजीकरण पहचान के रूप में आधार का उपयोग करता है, इसलिए यह दोहरे पंजीकरण की संभावना को समाप्त करता है।
- इसके अलावा, संकाय, ट्यूटर, प्रदर्शनकारियों और वरिष्ठ निवासियों के लिए उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यह मेडिकल कॉलेजों में संकाय की समयबद्धता और उपलब्धता में सुधार करेगा।
- एईबीएएस उपस्थिति का एक सटीक गैर-अस्वीकृत रिकॉर्ड प्रदान करता है और इसमें प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एक डैशबोर्ड है जो न केवल वरिष्ठ प्रबंधन को संगठन में उपस्थिति की निगरानी करने की अनुमति देता है बल्कि आवश्यकतानुसार संकाय की उपस्थिति का व्यक्तिगत विशिष्ट रिकॉर्ड बनाने में भी मदद करता है।
- बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए एईबीएएस प्रणाली में ओटीपी-आधारित लॉगिन सक्षम किया गया है।

ख) मेडिकल कॉलेजों के संबद्ध शिक्षण अस्पतालों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एचएमआईएस के

अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एकीकरण के माध्यम से रोगी भार/नैदानिक सामग्री भार (ओपीडी/आईपीडी) निगरानी।

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एमसी से जुड़े शिक्षण अस्पतालों की रोगी भार (ओपीडी/आईपीडी) निगरानी के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों (एमसी) में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के कार्यान्वयन को अनिवार्य बना दिया है।

- इसके अतिरिक्त, नवीकरण, मान्यता, मान्यता जारी रखने, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्नातकोत्तर में नए पाठ्यक्रम, स्नातक/स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए एचएमआईएस को पूर्णत कार्यात्मक बनाना अनिवार्य है।

ग) मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी की स्थापना और एनएमसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वास्तविक समय वीडियो फीड को जोड़ना:

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त सीसीटीवी उपकरणों की स्थापना करके डिजिटल मोड मिशन परियोजना II का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया है।

- इसके परिणामस्वरूप 25 सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की डिजिटल निगरानी में वृद्धि होगी, क्योंकि यह एनएमसी के कमांड और कंट्रोल सेंटर में लाइव वीडियो फीड प्राप्त करेगा। किसी भी आगे के विश्लेषण के लिए 30 दिनों का डेटा फीड संग्रहीत किया जा रहा है।

- निर्धारित स्थानों पर सभी 25 कैमरों की स्थापना से वर्चुअल मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

घ) एनएमसी से एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के चिकित्सा विषयों की आभासी कक्षाएं प्रदान करने के लिए व्याख्यान कक्ष का निर्माण:

- एनएमसी ने देश भर के चिकित्सा संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ संकाय/विषय विशेषज्ञों द्वारा मानकीकृत लाइव और रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान देने के लिए दो-तरफा संचार व्याख्यान कक्ष विकसित किया है।

- यह उन मेडिकल कॉलेजों में संकाय की उपलब्धता में अंतर को पाटने में भी मदद करेगा जिनके पास अनुभवी संकाय नहीं है।

ङ) ई-ऑफिस प्रशिक्षण

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के संचलन के लिए, ई-ऑफिस के कार्यान्वयन पर एक प्रशिक्षण सत्र 25 सितंबर, 2023 को आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण सत्र का आयोजन श्री कौशल शर्मा, ई-ऑफिस एडमिन द्वारा सुश्री शीतल खरब, एएसओ के समन्वय से कॉन्फ्रेंस हॉल (लंच हॉल से सटे), पहली मंजिल, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), सेक्टर-8, द्वारका में किया गया।

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग और इसके स्वायत्त बोर्डों के सभी गणमान्य व्यक्तियों को एक प्रस्तुति और डेमो के माध्यम से ई-ऑफिस के महत्व और कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। सत्र के दौरान उठाए गए शंकाओं और प्रश्नों को प्रशिक्षक द्वारा समाधान किया गया। सभी गणमान्य व्यक्तियों के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव भी प्रशिक्षण में शामिल हुए।

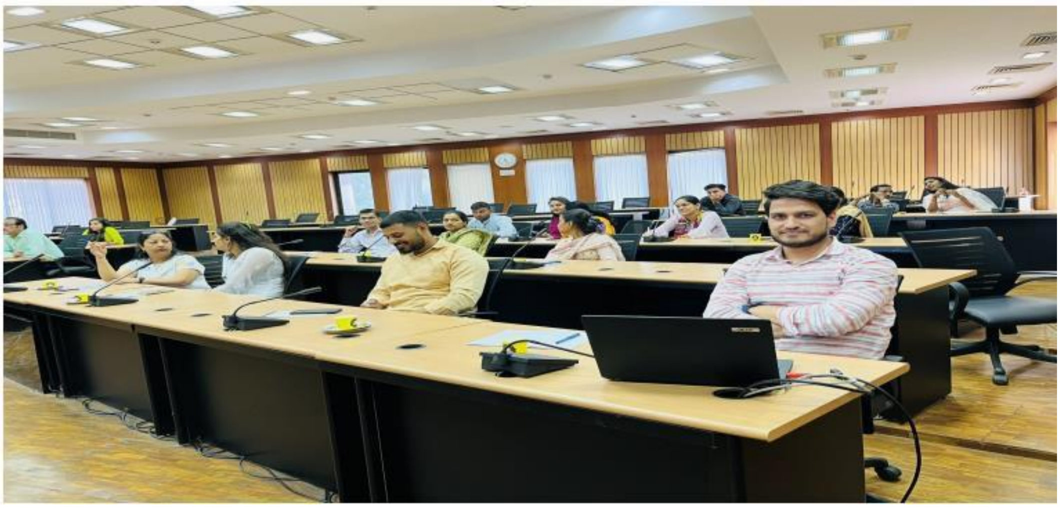

- सत्र के दौरान एनएमसी में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में आगे के मुद्दों के बारे में चर्चा की गई, जैसे कि नॉन सिंगल फाइल सिस्टम (नॉन एसएफएस) का उपयोग, गैर-नियमित/संविदात्मक कर्मचारियों को ई-ऑफिस तक पहुंच दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता, गणमान्य व्यक्तियों के कार्यालय के लिए पद आधारित खातों का निर्माण आदि। यह स्वीकार किया गया कि शासन में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस एक अनिवार्य उपकरण है, जो आयोग का अधिदेश है।

5. कानूनी मामले

आयोग के कानूनी अनुभाग की एक अनूठी संरचना है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

जनशक्ति अधिकृत

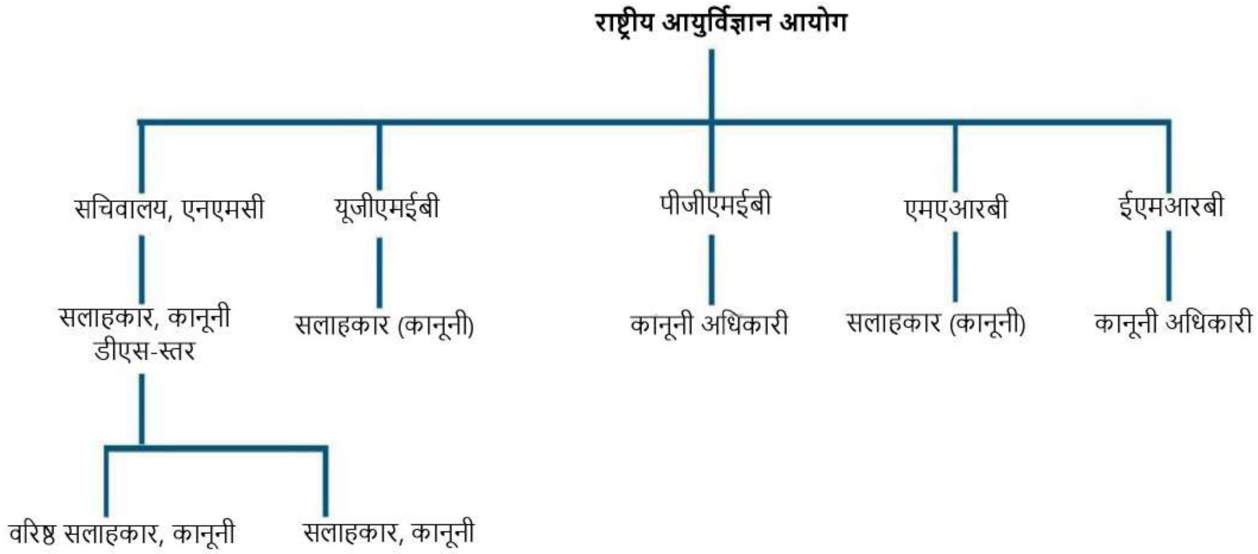

कानूनी अनुभाग आयोग के बड़े पैमाने पर मुकदमों का प्रबंधन करता है। समीक्षाधीन अवधि अर्थात 01.04.2023 से 31.03.2024 तक, आयोग को 913 नए मामले प्राप्त हुए थे और इस अवधि के दौरान 1020 मामलों का निपटारा किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा 19 अपीलें दायर की गई हैं।

चिकित्सा शिक्षा या आधुनिक चिकित्सा के प्रैक्टिस से संबंधित किसी भी मामले में प्रायः आयोग को माननीय न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष एक पक्ष बनाया जाता है। जिन विषयों पर बड़ी संख्या में मामले प्राप्त होते हैं उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश; मेडिकल कॉलेजों में संकाय की नियुक्ति; कॉलेजों में गैर-मेडिकल संकायों की नियुक्ति; मेडिकल कॉलेजों/मेडिकल पाठ्यक्रमों को बंद करना; मेडिकल स्नातकों द्वारा अनिवार्य सेवा; एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग; आधुनिक चिकित्सा के पाठ्यक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का प्रवेश; एमबीबीएस/स्नातकोत्तर छात्रों का डिस्चार्ज; पात्रता प्रमाणपत्र; कर्मचारी संबंधित; नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना; परीक्षा संबंधित; शुल्क संबंधित; एमबीबीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सीटों की वृद्धि; मेडिकल लापरवाही; मेडिकल छात्र का पलायन; राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा संबंधित; स्थायी पंजीकरण; अनंतिम पंजीकरण; जनहित याचिका; एमबीबीएस/पीजी पाठ्यक्रमों का अनुसरण; एमबीबीएस/पीजी पाठ्यक्रमों की मान्यता; अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण; विदेशी चिकित्सा स्नातकों का पंजीकरण; मेडिकल रजिस्टर से नाम हटाना; मेडिकल कॉलेज की अनुमति का नवीनीकरण; स्क्रीनिंग टेस्ट संबंधी; स्नातकोत्तर कोर्स शुरू करना; यूजी/स्नातकोत्तर प्रवेश की समय सारणी; यूजी/स्नातकोत्तर कोर्स की अनुमति वापस लेना; एमबीबीएस की मान्यता वापस लेना आदि।

रिकॉर्ड के अनुसार आज की तारीख तक विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में निम्नलिखित मामले लंबित हैं:

क्र.सं.	माननीय न्यायालय/अधिकरण का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	331
2	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	247
3	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	218
4	तेलंगाना उच्च न्यायालय	139
5	बॉम्बे उच्च न्यायालय	316
6	कलकत्ता उच्च न्यायालय	269
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	91
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	280
9	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	11
10	गुजरात उच्च न्यायालय	48
11	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	8
12	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय	20
13	झारखंड उच्च न्यायालय	8
14	कर्नाटक उच्च न्यायालय	278
15	केरल उच्च न्यायालय	189
16	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	173
17	मद्रास उच्च न्यायालय	345
18	मणिपुर उच्च न्यायालय	9
19	मेघालय उच्च न्यायालय	1
20	उड़ीसा उच्च न्यायालय	40
21	पटना उच्च न्यायालय	71
22	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	94
23	राजस्थान उच्च न्यायालय	223
24	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1
25	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	40
26	अन्य मंच (अधिकरण, जिला न्यायालय, आयोग आदि)	468
योग		**3918**

6. सतर्कता

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता प्रभाग से संबंधित सभी मामलों में अध्यक्ष के विशेषज्ञ/सलाहकार के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ निकट संपर्क रखता है। एनएमसी का सतर्कता प्रभाग निवारक उपायों पर जोर देता है और जहां निवारक उपाय परिणाम देने में विफल रहते हैं, उसके बाद दंडात्मक और जासूसी सतर्कता बरती जाती है।

एनएमसी का सतर्कता प्रभाग निवारक उपायों पर जोर देता है और जहां निवारक उपाय परिणाम देने में विफल रहते हैं, उसके बाद दंडात्मक और जासूसी सतर्कता बरती जाती है। सतर्कता विभाग, एनएमसी का मुख्य उद्देश्य संगठन में भ्रष्टाचार और कदाचार को रोकने के लिए कदम उठाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं:

- एनएमसी के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों की जांच करना और ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता द्वारा अनुशंसित कार्रवाई की प्रगति की निगरानी करना।
- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में पालन की जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन और जांच करना।
- भ्रष्टाचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना और भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना। साथ ही, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
- संवेदनशील/भ्रष्टाचार प्रवण क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों पर निगरानी बनाए रखना।
- सीबीआई के परामर्श के बाद संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना।
- सतर्कता मैनुअल में निहित सीवीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों, समय-समय पर सीवीसी द्वारा जारी संशोधनों/परिपत्रों का कार्यान्वयन।
- सभी चरणों में सतर्कता मामलों की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करना कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अंतिम आदेशों के लिए जांच अधिकारी की रिपोर्ट का प्रसंस्करण ठीक से और यथाशीघ्र हो।
- मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पारित अंतिम आदेशों की संवीक्षा करना ताकि यह देखा जा सके कि समीक्षा के लिए कोई मामला बनता है या नहीं।
- सौंपे गए मामलों की जांच में सीबीआई को सहायता करना या उनके द्वारा सूचना के अपने स्रोत पर शुरू करना।
- सुनिश्चित करें कि सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी सतर्कता मामलों को संसाधित करने में टालमटोल या

कानूनी रवैया नहीं अपनाते हैं, इस प्रकार जानबूझकर अन्यथा संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों की मदद करते हैं, विशेष रूप से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के मामलों में।

सतर्कता प्रभाग के महत्वपूर्ण भागों में से एक संदिग्ध सत्यनिष्ठा सूची (ओडीआई) की सहमत सूची और अधिकारियों को बनाए रखना और अद्यतन करना है। इसमें उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिनमें सत्यनिष्ठा का अभाव पाया गया है। इस सूची से मंत्रालय को उन अधिकारियों के बारे में जानने में मदद मिलेगी जिनके कार्य और आचरण दोनों पर विशेष ध्यान देने और गहन पर्यवेक्षी जांच की आवश्यकता है। यह सूची केंद्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श के बाद तैयार की जाती है।

एनएमसी मुख्यालय में चार बोर्डों और अन्य प्रभागों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, इस वर्ष निवारक सतर्कता के तहत, सतर्कता प्रभाग ने विभिन्न सलाह और दिशानिर्देश जारी करने जैसी विभिन्न पहल की। इन सलाहकार और सामान्य दिशानिर्देश निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित थे:

- क) साइबर सुरक्षा
- ख) एसओपी के माध्यम से प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना
- ग) सुरक्षा ग्रेडिंग और गोपनीय जानकारी/डेटा को संभालना
- घ) सकारण आदेश आदि के माध्यम से निर्णय देना।

आम जनता, सीबीआई, सीवीसी और अन्य स्त्रोतों के माध्यम से राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2023-24 में, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त कुल शिकायतें 36 हैं और सभी का निपटारा कर दिया गया है।

एनएमसी में 06.11.2023 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी. एन. गंगाधर ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस वर्ष, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है-***"भ्रष्टाचार को ना कहें; राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध"।***

एनएमसी के अध्यक्ष ने आयोग के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह प्रतिज्ञा लेकर हम सभी को अपने दैनिक जीवन के साथ-साथ आधिकारिक व्यवहार में पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए खुद को याद दिलाना चाहिए और फिर से प्रतिबद्ध होना चाहिए। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि हमें, जनता और हितधारकों के सहयोग से, अपनी पूरी ताकत के साथ भ्रष्टाचार के सभी रूपों से लड़ना चाहिए। कर्मचारियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शपथ लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

7. सूचना का अधिकार (आरटीआई)

- सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने विभिन्न स्तरों पर आरटीआई मामलों को संकलित करने और आरटीआई मामलों को संसाधित करने के लिए संबंधित बोर्ड/अनुभाग को आरटीआई आवेदनों को अग्रेषित करने के लिए नोडल अधिकारी (अधिकारियों) की नियुक्ति की है और एनएमसी ने आरटीआई मामलों को संसाधित करने के लिए विभिन्न बोर्ड/अनुभाग में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) भी नियुक्त किए हैं।

- 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक आरटीआई/अपील आवेदनों का रिकॉर्ड इस प्रकार है:

क्र.सं.	**आवेदन का प्रकार**	**1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान प्राप्त कुल आरटीआई/प्रथम अपील**	**धारा 6(3) के तहत अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित आवेदनों की संख्या-कुल आरटीआई आवेदनों में से**	**1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान निपटाई गई आरटीआई/प्रथम अपीलों की कुल संख्या**	**सीआईसी मामले**
1	आरटीआई	5081	364	3448	
2	अपील	738	-	395	
3	सीआईसी मामले	-	-	-	24
	कुल	5819	364	3843	24

8. सामान्य प्रशासन (जीए)

सामान्य प्रशासन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रत्येक विभाग/अनुभाग को प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करता है। इस कार्य में सामग्री खरीद, कार्यक्रमों का आयोजन, एनएमसी के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और नैतिक बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और उसके कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय करना, आईटी परिसंपत्तियों की खरीद, दिन-प्रतिदिन के उपयोग की उपभोग्य, कार्यालय स्टेशनरी और एनएमसी के विभिन्न विभागों को वितरण करना शामिल हैं। इसके अलावा जीए अनुभाग द्वारा जेनरेटर सेटों, वातानुकूलन प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली, लिफ्टों का कार्यकरण और इन उपकरणों की आवधिक लेखापरीक्षा भी की जाती है। यह अनुभाग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की परिवहन आवश्यकता का प्रबंधन और पूर्ति भी करता है। सरकारी संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी सहायता सुविधा के लिए नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड के साथ नियमित संपर्क भी महत्वपूर्ण कार्य है।

9. समन्वय प्रभाग

एनएमसी के नीति और समन्वय प्रभाग ने संसदीय प्रश्न और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त वीआईपी/पीएमओ संदर्भों पर अपनी टिप्पणियां/उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एनएमसी के विभिन्न प्रभाग और बोर्डों के साथ सफलतापूर्वक समन्वय किया है।

प्रभाग ने वर्ष 2023-24 में एनएमसी की 10वीं बैठक (14.06.2023 को) और एमएसी की 5वीं बैठक (14.06.2023 को), एनएमसी की 11वीं बैठक (18.10.2023 को), एनएमसी की 12वीं बैठक (30.11.2023 को) और एमएसी की छठी बैठक (23.01.2024 को) और एनएमसी की 13वीं बैठक (24.01.2024 को) सफलतापूर्वक आयोजित की। एजेंडा तैयार करने से लेकर, बैठक की कार्यवाही को अंतिम रूप देने और योजना बनाने, संबंधित सदस्यों तक निर्णय की जानकारी पहुंचाने का काम सुचारू रूप से किया गया ।

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक सभी स्वायत्त बोर्डों के समन्वय से **सीपीजीआरएएमएस** पोर्टल पर **2354** शिकायतों का निपटारा किया गया।

एनएमसी द्वारा मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 22 (3), 28 (5) और 35 (5) के तहत) और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी (एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30 (4) के तहत) के रूप में विभिन्न बोर्डों द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील की जाती है। अपीलों पर विचार करना और उनकी सुनवाई एक सतत प्रक्रिया है। 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक, **228 अपीलों** का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

विनियमों का प्रारूपण:

मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित विनियमों का मसौदा तैयार किया गया था:

क्र.सं.	विनियम	एनएमसी अधिनियम की धाराएं	अधिसूचना की तिथि	संबंधित बोर्ड
1	मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा विनियम 2023 का प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस	57(2)(यञ), 57(2)(यट) और 57(2)(यठ)	10.05.2023	ईएमआरबी
2	चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023	57(2)(यङ) 26,28 और 29	02.06.2023	एमएआरबी
3	स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 (जीएमईआर-23)	24(1) (ज), (झ), (1), (ञ), (ट), (ण), (त), (थ),(द),(ध) के साथ पठित धारा 57(2)	02.06.2023	यूजीएमईबी
4	स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 (शुद्धिपत्र)	57(2)(द)	16.06.2023	यूजीएमईबी
5	एनएमसी, राष्ट्रीय निकास परीक्षण विनियम, 2023	15(2) के साथ पठित 57(2)(ञ)	27.06.2023	एनएमसी
6	चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मानकों का रखरखाव	10, 24, 25 और 57(2)(म)(य)(यग)	19.09.2023	पीजीएमईबी
7	एनएमसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (व्यावसायिक आचरण), 2023	10(ख) (च), 16(2), 57(2) यघ, यझ, यठ, यज धारा के साथ पठित 27(1)(ख)	02.08.2023	ईएमआरबी
8	एनएमसी (नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना/एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सीटों की वृद्धि के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं) दिशानिर्देश, 2023	26,28,29 के साथ पठित धारा 24(1) (क), 24(1)(घ), 24(1)(ङ)	16.08.2023	यूजीएमईबी
9	पीजीएमईआर, 2023	25(1)(क), 25(1)(ख), 25(1)(घ)	29.12.2023	पीजीएमईबी
10	अर्हता की मान्यता	35(1), 35(3), 35(5), 35 (6), 35 (8)	29.12.2023	यूजीएमईबी

10. परिशिष्ट

10.1 बैठक का कार्यवृत्त

10.1.1 10वीं एनएमसी बैठक

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त 14 जून, 2023 को प्रातः 10:00 बजे

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 10वीं बैठक 14 जून, 2023 को प्रातः 10:00 बजे सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, एनएमसी भवन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:-

1.	डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष, एनएमसी	:	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी	:	सदस्य
3.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पीजीएमईबी	:	सदस्य
4.	डॉ. बी. एन. गंगाधर, अध्यक्ष, एमएआरबी	:	सदस्य
5.	डॉ. अतुल गोयल, डीजीएचएस	:	सदस्य
6.	डॉ. सुरेखा किशोर, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर	:	सदस्य
7.	डॉ. विवेकलाल, निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	:	सदस्य
8.	डॉ. संतोष कुमार क्रालेती, सीईओ, फुट सोल्जर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	:	सदस्य
9.	डॉ. स्मिता कोल्हे, बैरागढ़, मेलाघाट, महाराष्ट्र	:	सदस्य
10.	प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	:	सदस्य
11.	डॉ. अशोक चंद्राकर, कुलपति, पंडित दीनदायल उपाध्याय मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	:	सदस्य
12.	डॉ. एम. के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक	:	सदस्य
13.	डॉ. मोहनन कुन्नुमल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	:	सदस्य
14.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना	:	सदस्य
15.	प्रोफेसर एसके मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय	:	सदस्य
16.	डॉ. बुचिपुड संबाशिवा रेड्डी, आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	:	सदस्य
17.	डॉ. राजीव सूद, दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद	:	सदस्य
18.	डॉ. आर.के. अनेजा, हरियाणा आयुर्विज्ञान परिषद	:	सदस्य
19.	प्रोफेसर दत्तेश्वर होता, ओडिशा आयुर्विज्ञान परिषद	:	सदस्य
20.	डॉ. विजय कुमार, पंजाब आयुर्विज्ञान परिषद	:	सदस्य
21.	डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद	:	सदस्य
22.	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	:	सदस्य
23.	लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) राजन सिंह गरेवाल, कुलपति, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय	:	सदस्य

24.	डॉ. विजयलक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	:	आमंत्रित
25.	डॉ. योगेंद्र मलिक, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	:	आमंत्रित
26.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, यूजीएमईबी, एनएमसी	:	आमंत्रित
27.	डॉ. जे. एल. मीणा, पूर्णकालिक सदस्य, एमएआरबी, एनएमसी	:	आमंत्रित
28.	श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन), एनएमसी	:	आमंत्रित

2. एनएमसी के अध्यक्ष ने एनएमसी की 10वीं बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि 9वीं एनएमसी बैठक के दौरान कई सदस्यों ने अनुरोध किया था कि वर्चुअल मोड के बजाय, एनएमसी की 10वीं बैठक भौतिक मोड में आयोजित की जा सकती है, अतः, आयोग की 10वीं बैठक आज भौतिक मोड में आयोजित की जा रही है। इसके बाद, एनएमसी के अध्यक्ष ने विशेष रूप से उन सदस्यों का स्वागत किया जिन्हें हाल ही में एनएमसी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामांकित/पुनः नामित किया गया है।

3. एनएमसी के अध्यक्ष ने बैठक की कार्यवाही शुरू करते हुए श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक से आयोग के सदस्यों को 23 फरवरी, 2023 को आयोजित 9वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत करवाई रिपोर्ट का विवरण देने के लिए कहा। तदनुसार, श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक ने कृत करवाई रिपोर्ट से सदस्यों को निम्नानुसार अवगत कराया:

I <u>23.02.2023 को आयोजित 9वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर कृत करवाई रिपोर्ट:-</u>

(i) 2021-22 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों के विवरण के लिए एनएमसी की स्वीकृति।

निदेशक, एनएमसी ने आयोग को सूचित किया कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल रखी गई है।

(ii) डीएमएमपी-I और डीएमएमपी-11 के लिए ओएंडएमएस का अनुबंध की विस्तारित अवधि से आगे छह महीने के लिए विस्तार अर्थात क्रमशः 30.04.2023 और 08.04.2023 (30.10.2023 और 08.10.2023 तक)।

(क) डीएमएमपी-I:

(क) आयोग को डीएमएमपी-I परियोजना की स्थिति/प्रगति के बारे में सूचित किया गया था कि वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) अर्थात मैसर्स बोधट्री के साथ डीएमएमपी-I का अनुबंध विस्तार एमएसए से आगे

चल रहा था और आयोग की 9वीं बैठक में एनएमसी की सर्वसम्मति से सहमति के साथ वर्तमान विस्तार 30.10.2023 तक दिया गया है। एनआईसी को वर्तमान एसआई से डीएमएमपी-I परियोजना को लेने का कार्य सौंपा गया था, तथापि, एनआईसी द्वारा अधिक प्रगति नहीं की गई थी। इसे देखते हुए और विभिन्न पणधारकों विशेष रूप से चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के कारण, नवीनतम प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीएमएमपी-I 2.0 परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया।

(ख) डीएमएमपी-I 2.0 परियोजना के लिए, खुली बोली को प्राथमिकता नहीं दी गई थी क्योंकि डीएमएमपी अनुप्रयोग में विभिन्न हितधारकों से आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने में लंबा समय लगता था और डेटा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए आईटी के क्षेत्र में काम कर रही सरकारी एजेंसियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, एनएमसी की परियोजना प्रबंधन इकाई अर्थात मैसर्स केपीएमजी द्वारा अंतिम रूप दिए गए कार्य के दायरे के आधार पर 21-03-2023 को आईटी क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। 13 अप्रैल 2023 को जारी शुद्धिपत्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) पोर्टल पर उपलब्ध सभी एजेंसियों/संगठनों को व्यापक भागीदारी के लिए बोली में भाग लेने की अनुमति दी और प्रस्ताव आमंत्रित करने की अंतिम तिथि भी 24 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी गई।

(ग) बोलीदाता फर्म का मूल्यांकन करने और सिफारिश करने के लिए एनएमसी के प्रत्येक बोर्ड के प्रतिनिधि को शामिल करते हुए डॉ. जे.एल. मीणा, सदस्य, एमएआरबी की अध्यक्षता में एक आईटी उप-समिति का गठन किया गया था। अपने प्रस्ताव/दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के आकांक्षी संगठनों/संगठनों को आईटी उप-समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस मामले में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता के कारण टीओआर में पीएमयू अर्थात मैसर्स केपीएमजी की सहायता पर विचार किया गया था।

(घ) बोली मूल्यांकन के लिए प्राप्त सभी दस्तावेजों को प्रस्तुति के बाद भाग लेने वाली फर्मों से प्राप्त दस्तावेजों सहित पीएमयू को भेज दिया गया था। समिति केवल पीएमयू द्वारा दिए गए सुझावों/सिफारिशों के आधार पर ही विचार-विमर्श कर सकी। मैसर्स केपीएमजी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, यह माना गया था कि इस मामले में राय लेने में हितों के टकराव का मुद्दा शामिल हो सकता है, अतः इस मामले में सिफारिश के लिए आवश्यक विशेषज्ञता वाले कुछ बाहरी विशेषज्ञ को नियुक्त करना प्रक्रिया में तटस्थता लाने के लिए अधिक विवेकपूर्ण विकल्प प्रतीत होता है। अतः आईटी उप-समिति को आईटी उप-समिति के प्रमुख, श्री जे.सी. कपूर, (सेवानिवृत्त) प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

(आईआईपीए) के अनुमोदन के साथ, भाग लेने वाली फर्म से प्राप्त बोली का मूल्यांकन और सिफारिश करने में सहायता करने के लिए बाहरी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था जिन्होंने 27-05-2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ङ) बाह्य विशेषज्ञ ने सिफारिश की कि मैसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सवसेज इंडिया लिमिटेड को ईओआई की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला पाया गया है। प्रस्ताव के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर यह पाया गया है कि बोलीदाता द्वारा सुझाया गया समाधान बाजार में नवीनतम उपलब्ध है। बोर्ड पर जनशक्ति संसाधनों की उपलब्धता और जगह में प्रौद्योगिकी भागीदार को देखते हुए, बोलीदाता तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर सकता है। फर्म के पास प्रस्तावित प्रौद्योगिकी के साथ बड़ी परियोजनाओं को लागू करने का पर्याप्त अनुभव है। बोलीदाता द्वारा प्रदर्शित परियोजनाएं बड़ी और जटिल हैं और एनएमसी की आवश्यकताओं से मेल खाती हैं। यह सुझाव दिया गया था कि बोलीदाता फर्म एमआईएस सीएससी तकनीकी रूप से सक्षम है और एनएमसी परियोजना को निष्पादित करने में सक्षम है और इसे परियोजना के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।

(च) आईटी उप-समिति ने डीएमएमपी-(आई) 2.0 परियोजना के लिए तकनीकी रूप से सक्षम फर्म के रूप में मैसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सवसेज इंडिया लिमिटेड की सिफारिश करने वाले बाहरी विशेषज्ञ की सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय लिया। सिफारिश के आगे, अध्यक्ष एनएमसी की मंजूरी से, मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को कार्य के दायरे को अंतिम रूप देने और उसके वित्तीय प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए 6 जून 2023 को प्रस्तुति देने के अनुरोध के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था।

(छ) एलओआई के उत्तर में, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने परियोजना को लागू करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली और योजना का विवरण देते हुए प्रस्तुति दी है। संगठन ने भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ उनके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं की अपनी पिछली यात्रा और अनुभव को संक्षेप में रखा। निदेशक (आईटी) द्वारा दी गई पृष्ठभूमि और मेसर्स सीएससी द्वारा प्रस्तुति को सुनने के बाद, 06.06.2023 को आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्य अर्थात अध्यक्ष एनएमसी, 4 बोर्डों के अध्यक्ष/सदस्य डीएमपीपी-I 2.0 परियोजना के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से संतुष्ट थे और डीएमपीपी-I 2.0 परियोजना को निष्पादित करने के लिए सीएससी की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। सभी सदस्यों ने मैसर्स सीएससी द्वारा कार्य शुरू करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। कार्य के क्षेत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ज) एनएमसी के अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि एनएमसी के मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन में पारदर्शिता और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप लाने के लिए और कॉलेज की निरंतर निगरानी के उद्देश्य से,

डीएमएमपी - I को डीएमएमपी - I 2.0 में अपग्रेड किया जा रहा है, जो कॉलेजों को एनएमसी/एमएआरबी में निर्णय लेने के लिए दृश्यमान बना देगा। एनएमसी के अध्यक्ष ने आगे उल्लेख किया कि एनएमसी मेडिकल कॉलेजों की आईटी पहलों के कार्यान्वयन के साथ, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, एईबीएएस और एचएमआईएस और एनएमसी के साथ डेटा का जुड़ाव मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बना देगा।

(i) ***एनएमसी ने की गई कार्रवाइयों पर विचार किया और आईटी सक्षम प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवर्तन, सुधार और निष्पादन के लिए एनएमसी के दृष्टिकोण की सराहना की। एनएमसी ने अब तक हुई प्रगति को नोट किया और बैठक के दौरान प्रस्तावित कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की।***

(ख) डीएमएमपी-II:

(क) **डीएमएमपी-II** परियोजना की अवधारणा 2017 में की गई थी और वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेटर को सितंबर 2017 में प्रदान किया गया था। वर्तमान डीएमएमपी-II अनुबंध सितंबर 2022 में समाप्त हो गया। तथापि, 9वीं एनएमसी बैठक के दौरान वर्तमान एसआई को वर्तमान विस्तार दिया गया है, एमएसए के खंड 2.6 के प्रावधान के तहत 08.10.2023 तक की अवधि के लिए या एनआईसी या/और किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस परियोजना के अधिग्रहण तक, जो भी पहले हो, डीएमएमपी-आई1 के ओ एंड एम के लिए। यह विस्तार तत्काल आवश्यकता को पूरा करने और समानांतर रूप से एक समाधान खोजने के लिए दिया गया है जो एनएमसी की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को पूरा करता है जैसे कि ओपीडी/आईपीडी में हेडकाउंट, संकाय सदस्यों की चेहरा पहचान, कक्षा की निगरानी, आदि।

(ख) 24.03.2023 को एक ईओआई प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित ईओआई के उत्तर में, 4 प्रतिभागियों ने रुचि दिखाई है और प्रस्तुति के दौरान अपने समाधान/दृष्टिकोण का निष्पादन किया है। उद्योग में पेश किए गए और उपलब्ध समाधानों की उनकी प्रस्तुति और समीक्षा के बाद, एनएमसी ने स्केलेबल और भविष्य के लिए तैयार समाधान के साथ एक आरएफपी प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। विस्तृत आरएफपी तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) ***एनएमसी ने अब तक कृत कार्रवाई और प्रगति पर विचार किया और बैठक के दौरान प्रस्तावित कार्रवाई की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की।***

(iii) ईएमआरबी:

(क) ईएमआरबी के पंजीकरण अनुभाग में विभिन्न प्रकार के आवेदनों की स्थिति, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, जानकारी के लिए सदस्यों के साथ साझा की गई थी:

क्र.सं.	मुद्दा	01.02.2023 से 31.05.2023 तक	
		प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाणपत्र (पुराने सहित)
1.	पात्रता प्रमाणपत्र	2502	494
2.	अतिरिक्त अर्हता	514	220
3.	अच्छी स्थिति	134	65
4.	अस्थायी अनुमति	239	230
5.	आईएमआर	60	7

(ख) मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और प्रैक्टिस मेडिसिन विनियम, 2023 का लाइसेंस दिनांक 10.5.2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

(ग) फरवरी 2023 से जून 2023 की अवधि के लिए ईएमआरबी की 05 आंतरिक बैठकें आयोजित की गईं और इस अवधि के दौरान 25 अपीलों (एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30 (3) के तहत लौटाई गई अपील सहित) का भी निपटान किया गया।

(घ) चिकित्सा शिक्षकों की व्यावसायिक जिम्मेदारियों पर दिशानिर्देश 03.04.2023 को वेबसाइट पर अपलोड किए गए।

(ङ) मेडिकल छात्रों की व्यावसायिक जिम्मेदारियों पर दिशानिर्देश भी 03.04.2023 को वेबसाइट पर अपलोड किए गए।

(iv) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के भूतपूर्व कर्मचारियों को किए जाने वाले मुआवजा पैकेज और अन्य भुगतानों के फार्मूले और घटकों के बारे में निर्णय लेना।

(क) आयोग के निर्णय के अनुसार, पूर्ववर्ती एमसीआई के सभी कर्मचारियों के मुआवजा पैकेज आदि सहित "बकाया और वसूली" की गणना की गई है। मान सिंह बनाम यूओएल और अन्य [2019 की डब्ल्यूपी (सी) 11705] मामले में पूर्ववर्ती एमसीआई के सभी याचिकाकर्ता कर्मचारियों के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ भी इसका ब्यौरा साझा किया गया है। यह मामला अभी भी न्यायाधीन है।

(ख) इसके अलावा, उपर्युक्त अनुमोदित फॉर्मूले के आधार पर, पूर्ववर्ती एमसीआई के 3 कर्मचारियों अर्थात् (i) डॉ रीना नैय्यर, अवर सचिव, एमसीआई (ii) श्री शिखर रंजन, विधि अधिकारी, एमसीआई और (iii) श्रीमती सीमा गुप्ता, यूडीसी, एमसीआई, जो उपरोक्त मान सिंह मामले का हिस्सा नहीं हैं, को उनकी स्वीकृति के लिए घोषित किया गया था। श्रीमती सीमा गुप्ता ने एनएमसी के इस प्रस्ताव को बिना

शर्त स्वीकार कर लिया है और अतः आयोग के लेखा प्रभाग के परामर्श से उनके बकायों का अंतिम निपटान अग्रिम चरण में है। तथापि, श्रीमती रीना नैय्यर और श्री शिखर रंजन ने आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुमोदित मुआवजा पैकेज को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें विभिन्न आपत्तियां उठाई गई हैं, विशेष रूप से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मान सिंह के मामले के लंबित रहने तक उनकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख पर सवाल उठाया गया है।

(ग) उपरोक्त के मद्देनजर, इस विषय पर कोई कार्रवाई वर्तमान में आवश्यक नहीं है, जब तक कि इस मामले को 2019 के डब्ल्यूपी (सी) 11705 [मान सिंह और अन्य बनाम यूओएल और अन्य] में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया जाता है। अत: इस बिन्दु को आयोग की बैठक से इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने तक छोड दिया जाए।

(घ) ***एनएमसी ने अब तक कृत कार्रवाई और प्रगति पर विचार किया और प्रस्तावित कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की।***

II नई कार्यसूची

i. एनईएक्सटी **नियमों पर चर्चा**

(क) एनएमसी के अध्यक्ष ने एनएमसी के समक्ष प्रस्तावित एनईएक्सटी विनियमों के संबंध में एक प्रस्तुति दी जिसमें इसमें शामिल सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया गया था। एनएमसी के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 15 आयोग को एनईएक्सटी परीक्षा को एक सामान्य अंतिम वर्ष के यूजी चिकित्सा परीक्षा के रूप में आयोजित करने के लिए अनिवार्य करती है जो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करेगी:

(i) एनईएक्सटी आईएनएल सहित अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों के सभी मेडिकल छात्रों के लिए और भारत में चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए विदेशी चिकित्सा अर्हता वाले छात्रों के लिए भी एक लाइसेंस परीक्षा होगी।

(ii) एनईएक्सटी पात्रता और रैंकिंग का निर्धारण करके विभिन्न पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार भी होगा।

(ख) एनएमसी के अध्यक्ष ने आगे बताया कि एनईएक्सटी परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जानी प्रस्तावित है: चरण-I परीक्षा का सैद्धांतिक हिस्सा होगा और दूसरा चरण- प्रैक्टिकल/क्लिनिकल मौखिक

परीक्षा होगी। परीक्षा देश भर में चिकित्सा शिक्षा के समग्र मानकों में असंतुलन को दूर करते हुए सभी मेडिकल छात्रों के लिए मूल्यांकन के सामान्य मानक सुनिश्चित करेगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय परीक्षा के रूप में वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी जिसमें 6 पेपर होंगे। वर्ष में दो बार एनईएक्सटी आयोजित करने का उद्देश्य देश के मेडिकल कॉलेजों में अप्रयुक्त/बची हुई स्नातकोत्तर सीटों को भरना और साथ ही मेडिकल छात्रों को एक वर्ष का समय गंवाए बिना अपनी सुविधानुसार परीक्षा में बैठने की सुविधा प्रदान करना है। एनईएक्सटी में बैठने के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा बशर्ते कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के 10 वर्षों के भीतर चरण-I/चरण-II दोनों को मंजूरी दे दी जाए। छात्रों को 10 वर्ष के उपरोक्त प्रतिबंध के साथ प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के साथ स्कोर में सुधार करने की स्वतंत्रता होगी।

(ग) एनएमसी के अध्यक्ष ने बताया कि सदस्य को यह जानकारी दी गई है कि एनईएक्सटी चरण-II के तहत अंतिम वर्ष का प्रैक्टिकल संबंधित राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित किया जाता रहेगा और जहां राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय मौजूद नहीं है, एनएमसी ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय को इस उद्देश्य के लिए नामित करेगा। एनईएक्सटी चरण-2 भी वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा और एनईएक्सटी चरण-2 की पूरक परीक्षाएं भी वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी। पूरक परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों तक सीमित है जो 7 विषयों में से एक या अधिक विषयों में असफल रहे हैं, तथापि,, यदि कोई उम्मीदवार 3 से अधिक विषयों में विफल रहता है, तो उसे पूरक परीक्षा में सभी 7 विषयों में नए सिरे से उपस्थित होना होगा। अध्यक्ष, एनएमसी ने यह भी बताया कि एनईएक्सटी चरण-I और एनईएक्सटी चरण-II उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक विषय में अधिकतम संभव स्कोर में से न्यूनतम 50% अंक उचित क्षमता के अधिग्रहण के आधार पर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण तक सीमित होंगे जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने विस्तार से बताया कि भारत के सभी मेडिकल कॉलेज में पाठ्यक्रम के साथ-साथ मूल्यांकन पद्धति दोनों में प्रैक्टिकल मौखिक परीक्षा को एक समान बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एनएमसी के प्रशिक्षित पर्यवेक्षक इन प्रैक्टिकल/नैदानिक परीक्षाओं की निगरानी करेंगे और छात्र अपने कॉलेज के अलावा मेडिकल कॉलेज में परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। प्रैक्टिकल/नैदानिक परीक्षाओं से पहले/दौरान पक्षपात को दूर करने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने व्यापक विशिष्टताओं में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से अर्हता निर्धारित करने के लिए एनईएक्सटी चरण-I स्कोर की गणना के तौर-तरीकों को भी समझाया, अर्थात एकल एनईएक्सटी चरण-I चक्र परीक्षा में प्रत्येक पेपर/विषय में प्राप्त अंकों के योग पर विचार करना। पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से अगले चरण-1 के अंकों की वैधता पांच वर्ष के लिए होगी। कई प्रयासों के मामले में, एनईएक्सटी चरण-I के अंतिम प्रयास में प्राप्त स्कोर पर रैंक की पीढ़ी के लिए विचार किया जाएगा। एनएमसी के अध्यक्ष ने यह भी विस्तार से बताया कि एनईएक्सटी चरण-I पास करने के बाद, उम्मीदवारों को

यूजीएमईबी/एनएमसी के सीआरएमआई विनियम 2021 द्वारा शासित इंटर्नशिप करने के लिए अनंतिम पंजीकरण दिया जाएगा। भारत में चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली की प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी लाइसेंस तब दिया जाएगा जब उम्मीदवार एनईएक्सटी चरण- I उत्तीर्ण करता है, प्रैक्टिकल परीक्षा उत्तीर्ण करता है, सीआरएमएल-2021 नियमों के अनुसार इंटर्नशिप पूरा करता है और एनईएक्सटी चरण-II उत्तीर्ण करता है। अध्यक्ष, एनएमसी ने यह भी बताया कि प्रश्न एमसीक्यू पैटर्न में होंगे जिसमें 60-70% समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल प्रकार होंगे, 20-30% व्यापक प्रकार होंगे और 6 पेपरों में से प्रत्येक के लिए 5-15% रिकॉल प्रकार होंगे और अवधि की व्याख्या करेंगे।

(घ) विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में, एनएमसी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एनईएक्सटी स्टेप-I (थ्योरी पेपर) स्कोर केवल पीजी प्रवेश के लिए मानदंड होगा। एनईएक्सटी परीक्षा केवल एनएमसी अधिनियम 2019 की धारा 15 (1) के तहत अनिवार्य अंतिम वर्ष एमबीबीएस परीक्षा की जगह लेगी और विश्वविद्यालय एमबीबीएस प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए अपनी परीक्षाएं आयोजित करना जारी रखेंगे। एनईएक्सटी परीक्षा देश भर में सभी छात्रों को एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए मूल्यांकन के समान मानक का मार्ग प्रशस्त करेगी और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं की जगह लेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनईएक्सटी परीक्षा की संरचना की योजना बनाने और तैयार करने में पूर्ववर्ती बीओजी-एमसीआई द्वारा बहुत सावधानीपूर्वक प्रैक्टिस की गई है और यह सुनिश्चित किया गया था कि न्याय चिकित्सा और विषज्ञान (एफएमटी) और सामुदायिक चिकित्सा आदि सहित एमबीबीएस के अन्य सभी विषयों को प्रासंगिक नैदानिक विषयों में मुख्यधारा में लाया जाएगा और प्रत्येक पेपर में 10% मद संबंधित पूर्व और पैरा क्लिनिकल विषयों के लागू पहलुओं से संबंधित होंगे। एक सदस्य द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या 1 वर्ष की इंटर्नशिप के बाद एनईएक्सटी चरण II में असफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण होगा, एनएमसी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अतिरिक्त प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हैं ताकि छात्रों को जिम्मेदार बनाया जा सके और इस एक वर्ष की अवधि के दौरान चिकित्सा के प्रैक्टिकल पहलुओं को ध्यान से सीखा जा सके।

(ङ) कुछ सदस्यों के कुछ प्रश्नों के उत्तर में कि क्या एनएमसी द्वारा एनईएक्सटी का संचालन विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होगा, एनएमसी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एनएमसी अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की परीक्षा को एनईएक्सटी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है। अतः इसके प्रावधानों को लागू करना होगा।

(च) डॉ. संतोष कुमार करालेटी ने सुझाव दिया कि कुछ अन्य देशों की तरह, यह उचित होगा कि संबंधित

विश्वविद्यालय एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करना जारी रखे और एनएमसी ओवररचिंग लाइसेंसिएट परीक्षा एनईएक्सटी आयोजित करे, जिसे भारतीय और विदेशों के एमबीबीएस स्नातकों द्वारा लिया जा सकता है और जो पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आधार भी हो सकता है। डॉ. क्रालेटी ने यह भी उल्लेख किया कि नैदानिक दृष्टिकोण से महत्व को ध्यान में रखते हुए, एनईएक्सटी में पीएसएम से संबंधित प्रश्नों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

(छ) डॉ. करुणाकर रेड्डी ने कहा कि एनईएक्सटी-I की तरह, एनईएक्सटी-II भी वर्ष में दो बार आयोजित किया जाना चाहिए। एनएमसी के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि पूरक परीक्षा आयोजित करने से छात्र के लिए बहुत समय बचेगा क्योंकि यदि कोई छात्र एक या अधिक विषयों में असफल रहता है, तो वह अगली परीक्षा के लिए छह महीने की प्रतीक्षा करने के बजाय मुख्य परीक्षा से तीन महीने के भीतर पूरक परीक्षा में उपस्थित हो सकता है।

(ज) प्रोफेसर (डॉ) साकेत कुशवाहा, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश ने उल्लेख किया कि कई विश्वविद्यालयों में यूजी मेडिकल डिग्री प्रदान करने के लिए संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कुछ संविधियां/नियम हैं और एनईएक्सटी परीक्षा चरण-I तीसरे वर्ष/अंतिम वर्ष के सिद्धांत भाग और प्रैक्टिकल परीक्षा की जगह ले रहा है, संबंधित सरकारों द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से संबंधित विधियों/विनियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाने हैं। अतः, इसे सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से मेडिकल डिग्री प्रदान करने वाले सभी विश्वविद्यालयों को एक पत्र जारी किया जाना चाहिए।

(झ) साकेत कुशवाहा के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, एनएमसी के अध्यक्ष ने बताया कि एनईएक्सटी स्टेप-II के लिए, अंकों का निर्णय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यह तय करने के लिए किया जाएगा कि छात्र उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है, तथापि, स्कोर का प्रकटन नहीं किया जाएगा। एनएमसी के अध्यक्ष प्रोफेसर कुशवाहा के एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पीजी पाठ्यक्रमों में सशस्त्र बलों के कर्मियों के प्रवेश के लिए अंकों का उपयोग करने के उद्देश्य से, उनकी अनिवार्य सेवा पूरी होने के बाद शून्य वर्ष शुरू होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए कोटा के संबंध में, एनएमसी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एनएमसी किसी भी कोटा से संबंधित नहीं है, चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य, क्योंकि यह आयोग के अधिदेश से बाहर है।

(ञ) डॉ. मोहनन कुन्नुमल ने कहा कि यदि सभी विश्वविद्यालयों में एक ही समय पर प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाए तो बाहरी परीक्षार्थियों को नियुक्त करने की समस्या होगी। एनएमसी के अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा इस तरह से निर्धारित की जानी चाहिए कि एक विश्वविद्यालय में एक विषय के प्रैक्टिकल आयोजित किए जा सकें और दूसरे विश्वविद्यालय में अन्य विषय के लिए प्रैक्टिकल आयोजित किए जा सकें।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि बाहरी परीक्षक को किसी अन्य विश्वविद्यालय से होने की आवश्यकता नहीं है, वे एक ही विश्वविद्यालय से हो सकते हैं लेकिन दूसरे कॉलेज से हो सकते हैं।

(ट) ओडिशा आयुर्विज्ञान परिषद के प्रो. दत्तेश्वर होता ने यह मुद्दा उठाया कि एनईएक्सटी परीक्षा राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित अंतिम वर्ष एमबीबीएस परीक्षाओं की जगह लेगी जो राज्य अधिनियमों द्वारा शासित हैं और पूछा कि कौन सा अधिनियम मान्य होगा। एनएमसी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एनएमसी, एनएमसी अधिनियम, 2019 के तहत एनईएक्सटी परीक्षा का आयोजन अनिवार्य रूप से कर रहा है, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है।

(ठ) जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए प्रशिक्षुओं की अनिच्छा के बारे में डॉ. स्मिता कोल्हे द्वारा उठाई गई चिंता पर, यूजीएमईबी की अध्यक्ष डॉ. अरुणा वी. वाणीकर ने बताया कि वर्तमान एमबीबीएस पाठ्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक छात्र को ग्रामीण परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान देने और मेडिकल छात्रों में ग्रामीण लोगों के प्रति सहानुभूति जैसे विभिन्न अन्य गुणों को विकसित करने के लिए शुरुआत से ही ग्रामीण क्षेत्र में पांच परिवारों को गोद लेना होगा।

(ड) एनएमसी ने एनईएक्सटी विनियमों के मसौदे पर विचार-विमर्श किया और इसे अनुमोदित किया।

ii. विभिन्न आवेदनों के लिए शुल्क का निर्धारण।

(क) एनएमसी के गठन से बहुत पहले 2008 में विभिन्न आवेदनों के लिए वर्तमान शुल्क निर्धारित किए गए थे। इस संदर्भ में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित शुल्क मुद्रास्फीति सूचकांक की लागत के अनुरूप है और इसमें फ्लैट शुल्क के बजाय श्रेणीबद्ध शुल्क होगा।

(ख) एनएमसी के अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि शुल्क संशोधन का यह प्रस्ताव एमएआरबी के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर द्वारा तैयार किया गया है और उन्होंने एमएआरबी के अध्यक्ष से आयोग को विवरण स्पष्ट करने का अनुरोध किया है।

(ग) एमएआरबी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आवेदनों के लिए शुल्क के अंतिम निर्धारण के बाद से 15 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और संशोधन मुद्रास्फीति सूचकांक में वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित किए गए हैं जो इसी अवधि के दौरान 154% बढ़ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि फीस में वृद्धि यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया सहभागी हो और मेडिकल कॉलेज यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के लिए एक निश्चित संख्या में छात्रों को प्रशिक्षित करने की अपनी क्षमता पर स्व-मूल्यांकन करें। कॉलेज अपनी क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकता है और इतनी सीटों के

लिए लागू शुल्क का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, सभी सदस्यों द्वारा यह विचार-विमर्श किया जाता है कि मूल्यांकन में शामिल प्रयास और लागत सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए लगभग समान है। अतः, सभी आवेदन शुल्क सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज के लिए समान होना चाहिए। विभिन्न आवेदनों के लिए निर्धारित की जाने वाली प्रस्तावित फीस निम्नानुसार है-

क्र.सं.	निरीक्षण प्रकार	वर्तमान शुल्क	प्रस्तावित शुल्क
1	एमबीबीएस के लिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना	रुपए 3,50,000/- (सरकार के लिए) रुपए 7,00,000/- (प्राइवेट) के लिए।	i) 50 सीटों के लिए 5 लाख रुपये ii) 100 सीटों के लिए 10 लाख रुपये iii) 150 सीटों के लिए 15 लाख रुपये
2	मेडिकल कॉलेजों में पीजी/हायर पाठ्यक्रम शुरू	रुपए 2,00,000/- (सरकार के लिए) रुपए 4,00,000/- (प्राइवेट) के लिए	4 सीटों तक 5 लाख रुपये और 4 से अधिक सीटों के लिए 1 लाख रुपये प्रति सीट
3	स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश क्षमता में वृद्धि	रुपए 2,00,000/- (सरकार के लिए) रुपए 4,00,000/- (प्राइवेट) के लिए	यूजी- 50 सीटों के लिए 5 लाख रुपये पीजी - 4 सीटों के लिए 5 लाख रुपये / विषय और 4 से अधिक सीटों के लिए 1 लाख रुपये प्रति सीट
4	यूजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक अनुपालन की मान्यता/सत्यापन	रुपए 300,000/-	रुपए 300,000/-
5	पीजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक अनुपालन की मान्यता/सत्यापन	रुपए 75,000/-	रुपए 75,000/-
6	यूजी पाठ्यक्रमों का वार्षिक निरीक्षण/संबद्धता	रुपए 50,000/-	3 लाख रुपए
7	पीजी पाठ्यक्रमों का वार्षिक निरीक्षण/संबद्धता	रुपए 10,000/- (प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए)	रुपए पचास हजार/विषय
8	कॉलेज विश्वविद्यालय का नाम बदलना		पच्चीस हजार रुपये पचास हजार रुपये
9	विश्वविद्यालय का नाम बदलना		पचास हजार रुपये

10	अपील शुल्क		आवेदन शुल्क का 10% या मौद्रिक जुर्माना का 10% और अन्य के लिए 25000/- रुपये
11	बैंक गारंटी		बीजी शुल्क में कोई बदलाव नहीं है, सिवाय इसके कि इसे आवेदन के समय जमा किया जाना है

(घ) एनएमसी ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

iii. भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) द्वारा मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी

(क) एनएमसी के अध्यक्ष ने बताया कि एमएआरएस मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग के लिए नीति आयोग के माध्यम से भारतीय गुणवत्ता परिषद **(क्यूसीआई)** के साथ चर्चा कर रहा है। इस भारतीय गुणवत्ता परिषद को हर वर्ष मेडिकल कॉलेजों के तीसरे पक्ष के आकलन और रेटिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी जाने की संभावना है। एमएआरएस ने बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों की रेटिंग के प्रयोजनार्थ एक फ्रेमवर्क दस्तावेज तैयार करने में भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ मिलकर कार्य किया है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद का भुगतान किया जाना है। उन्होंने रेटिंग की सेवा के लिए प्रति कॉलेज 100 लाख रुपए का कोटेशन दिया है जिसमें इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी प्रकार का मूल्यांकन शामिल है। यह प्रकाशित विनियमों के अनुरूप है और चिकित्सा शिक्षा में विकास के साथ गतिशील रूप से अद्यतन किया जाएगा जिसमें भारतीय गुणवत्ता परिषद एक भागीदार होगा। उपरोक्त प्रारंभिक सहभागिता के लिए चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है। भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा रेटिंग के एक चक्र के पूरा होने के बाद भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ आगे की भागीदारी पर निर्णय लिया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष, एमएआरएस ने बताया कि पहले वर्ष/चक्र में, भारतीय गुणवत्ता परिषद को इस रेटिंग के लिए शामिल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि रेटिंग पद्धति को पूरी तरह से विकसित होने में 5 वर्ष तक का समय लग सकता है और एमएआरएस रेटिंग प्रक्रिया के दौरान एनएमसी के सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करेगा। मेडिकल कॉलेजों की यह रेटिंग मेडिकल कॉलेजों के बीच कॉलेजों की शीर्ष 10/50/100 सूची में शामिल होने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने में मदद करेगी और छात्रों को बेहतर सुविधाओं/बुनियादी ढांचे के साथ मेडिकल कॉलेज का एक सूचित विकल्प बनाने में भी मदद करेगी। अध्यक्ष, एनएमसी ने सुझाव दिया कि रेटिंग के पहले वर्ष के चक्र के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद को नियुक्त किया जा सकता है और दूसरे वर्ष/चक्र से रेटिंग प्रैक्टिस हर वर्ष एनएमसी के किसी भी सदस्य(ओं) के सहयोग से एमएआरबी द्वारा स्वयं किया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने भारतीय आईएनआईएस को रेटिंग कार्यक्रम से बाहर रखने का सुझाव दिया क्योंकि उनका वर्तमान रेटिंग कार्यक्रम सुदृढ़ है। कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव

दिया कि एनएमसी को मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग में खुद को शामिल करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसके अलावा, कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि एनआईआरएफ रेटिंग सुदृढ़ नहीं है और एनएमसी के उत्तीर्ण रेटिंग कार्यक्रम के लिए स्थायी और वैधानिक अधिकार है और सुदृढ़ बेंचमार्क और मात्रात्मक पैरामीटर/मानदंड विकसित किए जाएं ताकि रेटिंग कार्यक्रम शुरू करने से पहले एनएमसी के साथ एक विश्वसनीय और मात्रात्मक रेटिंग प्रणाली तैयार हो सके।

(ग) एनएमसी ने इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद और पहले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए क्यूसीआई को शामिल करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और क्यूसीआई की संलिप्तता एक वर्ष से अधिक समय तक क्यूसी द्वारा रेटिंग के एक चक्र के पूरा होने पर निर्णय लिया जाएगा।

iv. उन उम्मीदवारों के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना जिन्होंने पीसीएम के साथ 10+2 का अध्ययन किया है और बाद में एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव-विज्ञान का अध्ययन किया है।

(क) इस संबंध में जीएमईआर 1997 खंड 4(2) भारत के राजपत्र में 03.11.2010 को प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में प्रतिस्थापित में निम्नलिखित कथित है:

"4(2) उसने निम्नानुसार अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है: (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जो 12 वर्षों की अवधि के बाद 10 + 2 उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष है, अंतिम दो वर्षों के अध्ययन में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी और गणित या अंग्रेजी के साथ कोई अन्य वैकल्पिक विषय शामिल हैं, जो कि शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुशंसित 10 + 2 + 3 वर्ष की शैक्षिक संरचना की शुरुआत के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित अंग्रेजी के मुख्य पाठ्यक्रम से कम नहीं है।

(ख) सार्वजनिक सूचना सं एमसीआई-7(10)/2018-कानूनी/15264 दिनांक 24.08.2018 के अनुसार

विवरण	औचित्य/स्थिति
जिन उम्मीदवारों ने अंग्रेजी गणित, भौतिकी और रसायन-विज्ञान के साथ 10 + 2 का अध्ययन किया है और 10 + 2 उत्तीर्ण करने के बाद बाद के वर्ष में उसी बोर्ड के अतिरिक्त विषय के रूप में जीव-विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी के साथ उपस्थित हुए हैं और इसे उत्तीर्ण किया है।	कक्षा 11वीं और 12वीं में एक साथ लिए गए प्रैक्टिकल के साथ-साथ भौतिकी/रसायन-विज्ञान/जीव-विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी के नियमित और निरंतर दो वर्षों के अध्ययन की कसौटी पर खरा नहीं उतरना, अतः अयोग्य है।

(ग) पूर्ववर्ती एमसीआई ने तनिष्क गंगवार बनाम भारतीय संघ और अन्य 2018 की रिट याचिका संख्या

6773 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसने सार्वजनिक सूचना संख्या एमसीआई-7(10)/2018-कानूनी/15264 दिनांक 24.08.2018 को अपास्त कर दिया है।

"28. किसी भी अनुभवजन्य अध्ययन का अभाव, एमसीआई के निष्कर्ष का समर्थन करते हुए कि जो लोग जीव-विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विषयों के साथ 10+2 परीक्षाओं में नियमित शैक्षिक अध्ययन से अर्हता प्राप्त करते हैं, या तो एक बार में, या एक वर्ष के बाद, प्रयोगशाला अनुभव के बिना ऐसा करते हैं, विनियमन 4 (2) (क) को उस हद तक मनमाना प्रस्तुत करते हैं, विनियमन 4 (2) के खंड (ख) के साथ जुड़ा हुआ है जो मध्यवर्ती राज्य बोर्डों की बात करता है जो ऐसी किसी भी अअर्हता की बात नहीं करता है, विनियमन की तर्कहीन और मनमानी प्रकृति राहत में है, जैसा कि पैरा 24 में उल्लिखित है, एमसीआई के विनियम किसी डेटा या वस्तुनिष्ठ सामग्री के बजाय इसके निष्कर्षों पर आधारित हैं। इन कारणों से, यह माना जाता है कि एसआई में शामिल श्रेणी (7) एमसीआई और विनियमन (विनियमन 4 (2) (ए)) द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, यह आक्षेपित अअर्हता को निर्धारित करता है "इसके अलावा, 10+2 स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव-विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन भी अनुमेय नहीं होगा ..."एतद्द्वारा भेदभावपूर्ण और मनमाने ढंग से अलग रखा जाता है।

(घ) तत्पश्चात्, पूर्ववर्ती एमसीआई ने इस निर्णय और इसी प्रकार के अन्य मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक नहीं लगाई।

मामला न्यायाधीन है	समस्या का सामना करना पड़ रहा है
ऐसे कई मामले हैं जो 2018 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।	कई आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं या समान आधार पर जांच/परीक्षा के कारण पंजीकरण अनुभाग में लंबित हैं।

(ङ) उच्च न्यायलय पहले ही इस मुद्दे को भेदभावपूर्ण और मनमाना घोषित कर चुका है। इसके अलावा, एक नियामक निकाय के रूप में होने के नाते एनएमसी/एमसीआई की नीति समावेशी होनी चाहिए, अनन्य नहीं। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को देखा और व्याख्या की थी कि "एसआई में आने वाले उम्मीदवार संख्या 7 (अर्थात जिन्होंने स्कूलों में एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव-विज्ञान में उत्तीर्ण किया था) को अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में चिकित्सा प्रवेश के लिए आवेदन करने और जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी में चयन के लिए भी अनुमति है। ये प्रमुख मेडिकल स्कूल हैं। याचिकाकर्ता और उनके जैसे अन्य लोगों को केवल एक आयामी समझ (सीबीएसई/आईसीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर और किसी भी राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम के विश्लेषण के बिना) के कारण बाहर रखना कि अतिरिक्त विषयों वाले लोग किसी तरह से "मानक के अनुरूप नहीं हैं, अतार्किक और मनमाना है।

(च) इस मामले पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है और सदस्यों ने राय दी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा

नीति को ध्यान में रखते हुए, जो विषयों के अध्ययन में लचीलेपन की अनुमति देती है, एमसीआई का पूर्व रुख गलत है और ऐसे सभी छात्र जिन्होंने पीसीएम के साथ 10+2 का अध्ययन किया है और बाद में एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव-विज्ञान का अध्ययन किया है, उन्हें पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। ईएमआरबी के सदस्य डॉ. योगेन्द्र मलिक ने आयोग के ध्यान में लाया कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीआई के दिनांक 24.08.2018 के सार्वजनिक नोटिस को अपास्त कर दिया है। और ऐसे छात्रों को पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति दी है। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है और निर्णय की प्रतीक्षा में मामला अभी भी लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि मामला किसी अन्य पक्ष की याचिका के कारण नहीं, बल्कि एमसीआई/एनएमसी द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर विचाराधीन है और यदि आयोग मामले को वापस लेने के लिए सहमत होता है तो मामले को हल किया जाएगा और ऐसे सभी उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। एनएमसी के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि एनएमसी इसे हल करने के लिए याचिका वापस लेने पर विचार करे।

(छ) एनएमसी ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में पूर्ववर्ती एमसीआई द्वारा दायर याचिका को वापस ले लिया जाए और सभी पात्र उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाएं।

v. लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अग्रेषित करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए खातों के वार्षिक विवरण को अपनाना।

(क) आयोग को एनएमसी के खातों के वार्षिक विवरण के विवरण के संबंध में जानकारी दी गई है और यह प्रस्तुत किया गया था कि एनएमसी के पास अब तक 833 करोड़ रुपये का शेष कोष है।

(ख) एनएमसी ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अग्रेषित करने के लिए वर्ष 2022-23 के खातों के वार्षिक विवरण को अपनाया और यह भी निर्णय लिया कि भवन के साथ-साथ गेस्ट हाउस के रखरखाव का नवीनीकरण तुरंत किया जाए।

vi. फिजिशियन और सर्जन कॉलेज के अवशेषी पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दे।

(क) वर्तमान में सीपीएस के तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त है और मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 30.04.2021 के पत्र के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के समकक्ष दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से अक्टूबर 2017 और फरवरी 2018 के बीच प्रवेश लेने वाले 466 छात्रों के अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता दी। जब राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी पाठ्यक्रम करने के

लिए इन 466 छात्रों की समानता के मुद्दे पर पीजीएमईबी/एनएमसी की टिप्पणियां मांगी, तो पीजीएमईबी ने अपने दिनांक 13.04.2023 के पत्र के माध्यम से 466 छात्रों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को समानता प्रदान करने के लिए सहमति नहीं दी और यह भी सिफारिश की कि तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को दी गई समानता को भी अगले सत्र से वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि सीपीएस द्वारा संचालित पाठ्यक्रम नहीं करते हैं और **एनएमसी** के निगरानी नियंत्रण में आते हैं। यह प्रस्ताव है कि एनएमसी मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.04.2021 के माध्यम से उच्च पाठ्यक्रमों (एमडी/एमएस, डीएनबी) के लिए तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को दी गई समकक्ष को वापस लेने के लिए मंत्रालय को सिफारिश कर सकता है।

(ख) पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने आयोग को सूचित किया कि पहले सीपीएस ने एनएमसी के निगरानी नियंत्रण में आने से इनकार कर दिया था जब सीपीएस द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों की मान्यता का मुद्दा सामने आया था और एनएमसी ने सीपीएस को शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा था। केन्द्रीय सचिव ने उत्तर दिया है कि जहां तक विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों के संचालन और डिग्रियां प्रदान करने का संबंध है, यह प्रकृति एनबीई के समान है, अतः इसे चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिनांक 10-11-2008 के अपने पत्रों के माध्यम से सीपीएस द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों को मान्यता दी है। 30.4.2021 और 18.10.2022। एनएमसी के पास देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिदेश है और सीपीएस को अपने पाठ्यक्रमों की मान्यता के लिए एनएमसी के पर्यवेक्षी/निगरानी नियंत्रण के तहत आना होगा और आयोग इस मामले पर विचार-विमर्श कर सकता है और इस संबंध में निर्णय ले सकता है।

(ग) एनएमसी ने इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और इस बात पर भी ध्यान दिया कि सीपीएस द्वारा अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। चूंकि सीपीएस ने एनएमसी के पर्यवेक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, अतः सीपीएस द्वारा पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता रद्द किया जा सकता है और एनएमसी को सीपीएस द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया जा सकता है।

अतिरिक्त कार्यसूची

(i) एनएमसी परिसर का रखरखाव।

(क) एनएमसी सदस्यों ने सूचित किया है कि एनएमसी परिसर के साथ-साथ गेस्ट हाउस की स्थिति बहुत खराब है, लंबे समय से अवसंरचना और सुविधाओं का कोई बड़ा रखरखाव/नवीकरण नहीं किया गया है।

(ख) एनएमसी सदस्यों को अवगत कराया गया कि एनएमसी के अध्यक्ष की मंजूरी से, एनएमसी परिसर की

मरम्मत और रखरखाव के लिए केंद्रीय पीएसयू की नियुक्ति के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जैसे कि विभिन्न अन्य सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है, मार्च के महीने में एनएमसी वेबसाइट में अपलोड किया गया है। ऐसी एजेंसी के बोर्ड पर आ जाने के बाद ऐसी एजेंसी के माध्यम से प्रमुख मरम्मत और रखरखाव कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्ण आंतरिक नेटवर्क आईटी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है। पीएमयू की मदद से इस संबंध में विस्तृत आरएफपी आईटी प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है।

(ग) एनएमसी ने इस मुद्दे पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और संबंधित प्रभाग को एनएमसी परिसर की मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए जल्द से जल्द केंद्रीय पीएसयू के बोर्डिंग के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, आईटी नेटवर्क अवसंरचना के उन्नयन के संबंध में हुई प्रगति को अगली एनएमसी बैठक में अवगत कराया जाएगा।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

****

10.1.1 11वीं एनएमसी बैठक

सीडीएन-12011/3/2023-समन्वय-एनएमसी

I/3626060/2023

संख्या सीडीएन-12011/3/2023-
समन्वय-एनएमसी
भारत सरकार
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
नीति और समन्वय प्रभाग

पॉकेट-14, सैक्टर-8,
द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-77
दिनांक: 01-11-2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एनएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में 18 अक्टूबर, 2023 को आयोजित 11वीं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की बैठक के कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिया जाता है कि वह 18 अक्टूबर, 2023 को एनएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की बैठक का उल्लेख करे और बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करे।

2. इसे एनएमसी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
संलग्न: यथोपरि

विपुल शीतलप्रसाद अग्रवाल
द्वारा हस्ताक्षरित
दिनांक: 01-11-2023 19:39:13
कारण: स्वीकृत
(डॉ. विपुल अग्रवाल)
सचिव, एनएमसी

सेवा में,
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि: -

1. एनएमसी के सभी बोर्डों/प्रभागों/अनुभागों को इसमें लिए गए बिन्दुओं/निर्णयों के संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।

2. अध्यक्ष, एनएमसी के पीपीएस

3. सचिव, एनएमसी के पीपीएस

4. गार्ड फ़ाइल

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 18 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10:30 बजे हुई 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 11वीं बैठक 18 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10:30 बजे सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, एनएमसी भवन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, एनएमसी	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी	सदस्य
3.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पीजीएमईबी	सदस्य
4.	डॉ. संतोष कुमार क्रालेती, सीईओ, फुट सोल्जर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
5.	डॉ. स्मिता कोल्हे, बैरागढ़, मेलाघाट, महाराष्ट्र	सदस्य
6.	प्रो. डॉ. साकेत कुशवाहा, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
7.	प्रो. डॉ. गुरमीत सिंह, कुलपति, पुडुचेरी विश्वविद्यालय	सदस्य
8.	प्रो. श्री हेम चंद्र, कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
9.	प्रो. श्री एस. के. मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय	सदस्य
10.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना	सदस्य
11.	डॉ. अशोक चंद्राकर, कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय, छतीसगढ़	सदस्य
12.	डॉ. एम. के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक	सदस्य
13.	डॉ. मोहनन कुन्नुमल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	सदस्य
14.	डॉ. महेश बाबूलाल पटेल, गुजरात आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
15.	डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
16.	डॉ. विजय कुमार, पंजाब आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
17.	डॉ. राजीव सूद, दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
18.	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
19.	डॉ. आर.के. अनेजा, हरियाणा आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
20.	डॉ. बुचिपुड़ी संबाशिवा रेड्डी, आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
21.	डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित

22.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, यूजीएमईबी, एनएमसी	आमंत्रित
23.	डॉ. योगेंद्र मलिक, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
24.	डॉ. जे.एल. मीना, पूर्णकालिक सदस्य, एमएआरबी, एनएमसी	आमंत्रित

बैठक में आयोग की सहायता के लिए एनएमसी सचिवालय से निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

1.	डॉ. विपुल अग्रवाल	सचिव और संयोजक
2.	श्री पंकज अग्रवाल	निदेशक (नीति और समन्वय)

1. स्वागतण भाषण

डॉ. विपुल अग्रवाल, सचिव एनएमसी ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 11वीं बैठक में सभी अध्यक्ष, सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया। सदस्यों ने डॉ. बी.एन. गंगाधर को एनएमसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का स्वागत किया।

एनएमसी के अध्यक्ष ने सचिव को धन्यवाद दिया और एनएमसी की 11वीं बैठक के लिए सभी एनएमसी सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और वह उनके मार्गदर्शन और समर्थन की आशा की। उन्होंने एनएमसी सचिव से एनएमसी सदस्यों को उनके सुझावों और प्रतिक्रिया के लिए बैठक का कार्यसूची प्रस्तुत करने के लिए कहा।

एमएआरबी. आमंत्रित सदस्यों में डॉ. विजयलक्ष्मी नाग, सदस्य, ईएमआरबी, डॉ योगेंद्र मलिक, सदस्य, ईएमआरबी, डॉ. विजयेंद्र कुमार, सदस्य, यूजीएमईबी और डॉ. जे.एल. मीणा, सदस्य एमएआरबी थे।

2. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

सचिव एनएमसी ने 11वीं एनएमसी के ध्यान में लाया कि डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में 14 जून, 2023 को आयोजित 10वीं एनएमसी बैठक के दौरान 9वीं एनएमसी बैठक की जिसमें कृत करवाई रिपोर्ट, खातों की वार्षिक रिपोर्ट, डीएमएमपी I और II की परियोजना का विस्तार, ईएमआरबी द्वारा प्रगति और मुआवजा पैकेज के सूत्र और घटक और पूर्व-एमसीआई कर्मचारी को किए जाने वाले अन्य भुगतान प्रस्तुत किए गए थे। एनईएक्सटी विनियमों पर इस नए कार्यसूची के साथ और फिर विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए शुल्क का निर्धारण और चालू वर्ष आदि की शुल्क संरचना, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग, पीसीएम के साथ 10 + 2 का अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र और बाद में एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव-विज्ञान का अध्ययन किया, खातों का वार्षिक विवरण अपनाया, सीपीएस के अवशेषी पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दे और एनएमसी परिसर के वार्षिक रखरखाव पर चर्चा की गई।

विस्तृत चर्चा के बाद एनएमसी सदस्यों ने 10वीं एनएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3. 14 जून 2023 को आयोजित 10वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर पिछली एनएमसी बैठक पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR):

3.1 एनईएक्सटी विनियम

प्रगति प्रस्तुतीकरण:

14.06.2023 को आयोजित 10वीं एनएमसी बैठक के दौरान एनईएक्सटी नियमों पर चर्चा के बाद, एनईएक्सटी नियमों को 28.06.2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और सार्वजनिक डोमेन (यूआरएल: https://www.nmc.org.in/information-desk/all-news/ के तहत उपलब्ध) में भी उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह पर दिनांक 11.07.2023 के संचार के माध्यम से, एनएमसी ने दिनांक 13.07.2023 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अगले निर्देशों तक राष्ट्रीय निकास पाठ (एनईएक्सटी) परीक्षा को स्थगित कर दिया।

एनएमसी के अध्यक्ष ने एनएमसी सदस्यों को सूचित किया कि मंत्रालय ने डीजीएचएस की अध्यक्षता में एनईएक्सटी परीक्षा के कार्यान्वयन और तैयारियों की जांच करने के लिए एक समिति भी गठित की है, जिसमें एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर और यूजीएमईबी के अध्यक्ष डॉ. अरुणा वी. वानिकर को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तथापि, दोनों ने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है।

निर्णय:

एनएमसी ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पाया कि एनएमसी भारत में चिकित्सा शिक्षा के लिए सक्षम और वैधानिक प्राधिकारी है।

1. आयोग के सदस्यों ने संकल्प लिया कि एनएमसी के अध्यक्ष और यूजीएमईबी के अध्यक्ष को मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या V11025/321/2022-MEP (FTS: 8180688) दिनांक 03/10/2023 के तहत गठित समिति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ।

2. एनएमसी ने आगे संकल्प लिया कि मंत्रालय को समिति की सिफारिशों को साझा करने के लिए कहा जाए और कोई भी निर्णय लेने से पहले एनएमसी के विचारों को ध्यान में रखा जाए और कार्यान्वयन के लिए एनएमसी को सांविधिक निर्देश, यदि कोई हो, जारी किया जाए।

3.2 विभिन्न आवेदनों के लिए शुल्क का निर्धारण

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एमएआरबी ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन मांगते समय दिनांक 16.08.2023 की सार्वजनिक सूचना सं एनएमसी/एमएआरबी/2024-25/047842 द्वारा संशोधित शुल्क दिशा-निर्देश जारी किए

हैं।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.3 भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग

प्रगति प्रस्तुत की गई:

प्रारूप ढांचा तैयार किया गया और प्रायोगिक मूल्यांकन किया गया। मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन और रेटिंग पर विस्तृत कृत करवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

निर्णय: एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

3.4 उन उम्मीदवारों के संबंध में पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना जिन्होंने पीसीएम के साथ 10 + 2 का अध्ययन किया है और बाद में एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव-विज्ञान का अध्ययन किया है

प्रगति प्रस्तुत की गई:

इसी तरह के मामलों में जीएमईआर अधिनियम, 1997 के प्रावधान को बरकरार रखने वाले कुछ निर्णयों के मद्देनजर नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) द्वारा जांच की जा रही है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.5 लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अग्रेषित करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए खातों के वार्षिक विवरण को अपनाना

प्रगति प्रस्तुत की गई:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनाए गए वार्षिक लेखा विवरण लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजे गए थे। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खातों के वार्षिक विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए अपनी टीम को नियुक्त किया। टीम ने लेखापरीक्षा की। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने एनएमसी उक्त लेखा विवरण पर अंतिम पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उत्तर हेतु

प्रस्तुत की है। लेखापरीक्षा पैरा का उत्तर तैयार कर लिया गया है और अवलोकन/सुझाव तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

निर्णय

विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, रिपोर्ट को सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा और रिपोर्ट के अनुमोदन/अंगीकरण तथा उस पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट के लिए एक आभासी बैठक आयोजित की जाएगी।

3.6 चिकित्सकों और सर्जनों के कॉलेज के अवशेषी पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दे।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

10वीं एनएमसी की बैठक में इस बात पर विचार किया गया है कि सीपीएस द्वारा अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है और सीपीएस ने एनएमसी के पर्यवेक्षण/निगरानी की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, सीपीएस द्वारा पेश किए जा रहे पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द की जा सकती है और सीपीएस द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की मान्यता रद्द करने के लिए एनएमसी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष उठाया जा सकता है।

05.09.2023 को एनएमसी के सभी स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्षों/सदस्यों के साथ माननीय एचएफएम द्वारा ली गई बैठक के दौरान, सीपीएस पाठ्यक्रमों की मान्यता पर पीजीएमईबी के विचारों से अवगत कराया गया है कि तत्कालीन एमसीआई, एनएमसी और पीजीएमईबी ने सीपीएस पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं देने के लिए अपनी चिंताओं और निर्णय को प्रस्तुत किया था। इस संबंध में यह बात ध्यान में लाई गई है कि मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पहले ही एक समिति गठित कर दी है।

निर्णय:

समिति के सदस्यों ने सीपीएस पाठ्यक्रमों की मान्यता के संबंध में घटनाओं का विस्तृत कालक्रम मांगा। पीजीएमईबी इसे प्रदान करेगा।

3.7 एनएमसी परिसर का रखरखाव एवं देखरेख:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी परिसर की मरम्मत और रखरखाव के लिए केंद्रीय पीएसयू की नियुक्ति के लिए 31 मार्च 2023 को एनएमसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ईओआई दिनांक 28 मार्च 2023 के संदर्भ में, किसी भी

इच्छुक पार्टी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

- तत्पश्चात्, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) से दिनांक 05.07.2023 के पत्र सं डी-14019/03/2022/एनएमसी/जीए/ 01531-33 द्वारा मरम्मत और अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग भवन को अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया गया है। तथापि, उन्होंने एनएमसी में उक्त समनुदेशन के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है।

- तथापि, एनएमसी मुख्य भवन के भूतल पर सभागार के वॉटरप्रूफिंग और मरम्मत और नवीनीकरण के संबंध में सीमित आपातकालीन कार्य एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड के माध्यम से एनबीसीसी के साथ हस्ताक्षरित 10 नवंबर 2022 के पहले के समझौता-ज्ञापन के अनुसार किया गया था।

- अब, इस आयोग के दिनांक 10-10-2023 के पत्र सं एफ-11014/01/2023/एनएमसी/जीए/ 053329-332 के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सूचीबद्ध एजेंसियों/विक्रेताओं को उचित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित विभिन्न वस्तुओं/सेवाओं के लिए दर अनुबंध के साथ साझा करें।

- इसके अलावा, एनएमसी परिसरों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सीपीएसयू सहित विभिन्न एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए एक नई निविदा आमंत्रित की जा रही है।

इसके अलावा, आईटी नेटवर्क बुनियादी ढांचे के उन्नयन के संबंध में हुई प्रगति के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में एक बोली जीईएम पोर्टल पर प्रकाशित की गई थी। तथापि, कुछ बोलीदाताओं ने उक्त बोली के संबंध में अपने अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए हैं जो विचाराधीन है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

4. एनएमसी गतिविधियों और निर्णयों पर मध्यवर्ती अवधि के दौरान करवाई:

4.1 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ समझौता-ज्ञापन:

एडीबी से एनएमसी के अनुमोदन के लिए सितंबर 2023 में मसौदा समझौता-ज्ञापन के साथ एनएमसी और एडीबी के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। समझौता-ज्ञापन

की पृष्ठभूमि यह है कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और सभी उम्र में कल्याण को बढ़ावा देने के एसडीजी का लक्ष्य 3 सतत विकास के लिए आवश्यक है। महत्वपूर्ण लक्ष्य 3 लक्ष्यों में से एक विकासशील देशों में स्वास्थ्य कार्यबल के विकास, प्रशिक्षण और प्रतिधारण के बारे में है।

समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने और भारत में समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक साझेदारी विकसित करना है। एडीबी एनएमसी की नियामक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए अपने तकनीकी सहायता (टीए) कार्यक्रम का समर्थन करेगा और न केवल देश में चिकित्सा शिक्षा के नियामक के रूप में बल्कि समान, सुलभ और सस्ती चिकित्सा शिक्षा के सुविधा प्रदाता के रूप में भी एनएमसी की भूमिका को सुदृढ़ करेगा। प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन के तहत एनएमसी और एडीबी दोनों का साझा दृष्टिकोण देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। एडीबी डिजिटलीकरण, नीति सलाह, क्षमता विकास, ज्ञान प्रबंधन और शासन, अनुसंधान और विकास और दोनों पक्षों द्वारा सहमत किसी भी अन्य क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रादेशिक प्रादेशिक सेना का समर्थन करेगा।

चूंकि एडीबी के साथ प्रस्तावित मसौदा समझौता-ज्ञापन एनएमसी की विनियामक क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायता करेगा। यह महसूस किया गया कि एडीबी की नियुक्ति से एनएमसी को कई दस्तावेज तैयार करने में मदद मिलेगी जो आगे की प्रक्रिया के लिए नियामक के रूप में एनएमसी की क्षमता को सुदृढ़ करेगा। तदनुसार, एडीबी के प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन पर एनएमसी के अध्यक्ष के अनुमोदन से विचार किया गया और अनुमोदित किया गया और 7.10.2023 को आर्थिक मामले विभाग (डीईए) को भेज दिया गया और एडीबी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले डीईए की औपचारिक मंजूरी प्रतीक्षित है।

निर्णय:

आयोग के सदस्यों ने सर्वसम्मति से एडीबी के साथ समझौता-ज्ञापन के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए सहमति व्यक्त की। एडीबी के साथ हस्ताक्षर किए जाने के लिए प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन की प्रति औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी एनएमसी सदस्यों के साथ साझा की जाएगी ताकि उनकी टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्राप्त की जा सकें।

4.2 डब्ल्यूएफएमई द्वारा प्रत्यायन

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने 20 सितंबर 2023 को, 10 वर्ष के कार्यकाल के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन (डब्ल्यूएफएमई) मान्यता का दर्जा हासिल किया था। यह मान्यता चिकित्सा शिक्षा और मान्यता में उच्चतम मानकों के लिए एनएमसी की अटूट प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा है।

डब्लूएफएमई की मान्यता इस बात को रेखांकित करती है कि भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता वैश्विक मानकों का पालन करती है। यह प्रशंसा हमारे छात्रों को दुनिया में कहीं भी अपने करियर को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है, जबकि हमारे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य भी बनाती है।

इसके अलावा, डब्ल्यूएफएमई ने इस उत्कृष्ट उपलब्धि को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने की योजना बनाई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह मील का पत्थर वैश्विक दर्शकों तक पहुंचे। एनएमसी ने डब्ल्यूएफएमई के प्रति आभार व्यक्त किया और चिकित्सा शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की।

विचार-विमर्श:

एनएमसी के अध्यक्ष ने पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुरेश चंदर शर्मा को डब्ल्यूएफएमई मान्यता प्राप्त करने के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और यह भी उल्लेख किया कि डॉ. जे.एल. मीणा, सदस्य एमएआरबी और डॉ. योगेंद्र मलिक, सदस्य ईएमआरबी द्वारा डब्ल्यूएफएमई मानकों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेजों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने मान्यता प्रक्रिया के लिए प्रलेखन और समर्थन प्रदान करने के लिए अन्य बोर्ड ईएमआरबी, पीजीएमईबी, यूजीएमईबी और अन्य एनएमसी अधिकारियों की भी सराहना की।

निर्णय:

सदस्यों ने सुझाव दिया कि डब्ल्यूएफएमई प्रत्यायन उपलब्धि के बारे में जागरूकता के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाए। एनएमसी सचिवालय (पीएंडसी) प्रभाग माननीय एचएफएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय करेगा।

4.3 सुनी गई अपीलों की संख्या

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी अधिनियम, 2019 के अनुसार अपने वैधानिक अधिदेश के तहत, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को एनएमसी अधिनियम की धारा 28 (5), 35 (5) और 22 (3) के तहत मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों और अन्य एजेंसियों की पहली अपील सुनना आवश्यक है। इसी तरह, एनएमसी को एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30 (4) के तहत चिकित्सकों की दूसरी अपील भी सुनना आवश्यक है। मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में एनएमसी

द्वारा अब तक सुनी गई अपीलों की संख्या के बारे में अद्यतन जानकारी इस प्रकार है:

क्र.सं.	बोर्ड	प्राप्त अपीलों की संख्या	परिसीमा-वर्जित	बोर्ड के आदेश को बरकरार रखा गया	समीक्षा के लिए बोर्ड को वापस भेजा गया	अपील बरकरार
1	एमएआरबी यूजी	23	07	13	01	02
2	एमएआरबी यूजी	46	07	32	00	07
3	यूजीएमईबी	64	06	05	23	30
4	ईएमआरबी (कैलेंडर वर्ष 2023)	04	03	00	01	00
मामले की कुल संख्या		**137**	**23**	**50**	**25**	**39**

निर्णय: एनएमसी द्वारा नोट की गई स्थिति

4.4 प्रकाशित विनियमों और दिशानिर्देशों की स्थिति

क्र.सं.	विनियम	अधिसूचना की तिथि
1	मेडिकल कॉलेज विनियम, (संशोधन), 2020 की स्थापना	28.10.2020
2	वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम, 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ।	28.10.2020
3	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियम, 2021	18.11.2021
4	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप) विनियम, 2021	18 .11.2021
5	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसधारी) विनियम, 2021	18.11,.2021
6	चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता अर्हता विनियम, 2022	14.02.2022
7	चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना विनियम (संशोधन), 2022	13.12.2022
8	चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता अर्हता विनियम (संशोधन), 2023	31.03.2023
9	चिकित्सा प्रैक्टिशनर का पंजीकरण और चिकित्सा की प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस विनियम, 2023	10.05.2023
10	चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023	02.06.2023
11	स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 (जीएमईआर-23)।	02.06.2023
12	स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 (शुद्धिपत्र)।	16.06.2023
13	एनएमसी, राष्ट्रीय निकास परीक्षण विनियम, 2023	27.06.2023
14	चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मानकों का रखरखाव	27.09.2023

15	सीबीएमई दिशा-निर्देश सीबीएमई दिशा-निर्देश शुद्धिपत्र	01.08.2023 03.10.2023
16	एमएसआर दिशा-निर्देश (राजपत्रित)	19.09.2023

4.5 प्रक्रियाधीन विनियमों की स्थिति

क्र.सं.	विनियम
1	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (एमएसआर) 2023
2	अर्हता की मान्यता के लिए विनियमन

निर्णय:

एनएमसी द्वारा नोट की गई स्थिति

4.6 ईएमआरबी द्वारा प्रगति

पंजीकरण अनुभाग में विभिन्न प्रकार के आवेदन की स्थिति

मुद्दा	25.09.2020 से 10.10.2023 तक		01.06.2023 से 10.10.2023 तक		लंबित आवेदनों की संख्या	अपूर्ण आवेदनों की संख्या (केवल उम्मीदवार के पास लंबित)	कुल अस्वीकृत	टिप्पणियां (अनुभाग के साथ लंबित आवेदन के अनुसार)
	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाणपत्र (पुराना सहित)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाणपत्र (पुराना सहित)				
योग्यता प्रमाणपत्र	36397	28050	3976	**1671**	*4493	****855**	2999	• ***4493** आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। • *855 आवेदन सूचना के रूप में कमी या अपूर्ण दस्तावेजों के कारण आवेदकों के पास लंबित हैं

अतिरिक्त योग्यता	3900	3908	667	**437**	*1478	****564**	41	• ***1478** **डिग्री** सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेजों को 1224 आवेदन पत्र भेजे गए हैं और **पंजीकरण** सत्यापन के लिए संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा जाता है। • **सूचना-प्रपत्र में कमी के कारण 564 आवेदकों के आवेदन लंबित हैं।
अच्छी स्थिति	1510	1391	152	**103**	*58	****37**	24	• ***58** आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। **डिग्री** सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेजों को आवेदन भेजे जाते हैं और **पंजीकरण** सत्यापन संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा जाता है • **सूचना के रूप में कमी या अपूर्ण दस्तावेजों के कारण **37** आवेदकों के आवेदन लंबित हैं
अस्थायी अनुमति	1576	1227	252	**200**	*78	****115**	212	• ***78** आवेदन प्रक्रियाधीन हैं • **115 आवेदन सूचना के रूप में कमी/अपूर्ण दस्तावेजों के कारण आवेदकों के पास लंबित हैं

आईएमआर	905	461	95	**32**	*444	शून्य	0	• * **डिग्री** सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेजों और **पंजीकरण** सत्यापन के लिए **444** आवेदन पत्र संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजे गए हैं।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा नोट की गई स्थिति

4.7 एमएआरबी द्वारा प्रगति

शैक्षणिक वर्ष 2023-24

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	आवेदनों की संख्या
1	यूजी स्थापना नए कॉलेज	86
2	यूजी सीटों में वृद्धि	63
3	यूजी नवीनीकरण	169
4	यूजी मान्यता	53
5	यूजी मान्यता की निरंतरता	123
	कुल यूजी आवेदन	494
6	पीजी नया पाठ्यक्रम	580
7	पीजी सीटों में वृद्धि	541
8	पीजी मान्यता	1208
9	पीजी मान्यता की निरंतरता	2226
	कुल पीजी आवेदन	4559
	कुल योग	**5053**

विस्तृत	मूल्यांकन वर्ष 2023-24 में	प्रगतिशील योग
स्नातक	9485	108948 (56383 - G + 52565 - P)
स्नातकोत्तर	4648	54938 (33422 - G + 21516 - P)
नए कॉलेज	54 (32 G + 22 P)	706 (390 - G + 316 - P)

G: सरकारी, P: निजी

इन उपर्युक्त निर्णयों के विरुद्ध 33 आवेदकों ने माननीय न्यायालय/न्यायालयों में याचिका दायर की थी। इनमें से 22 निर्णित हो चुके हैं। इन 22 में से 19 में, एनएमसी के निर्णयों को बरकरार रखा गया (जीता)। 11 में निर्णय लंबित है।

आवेदन का विवरण वर्ष 2024-2025

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	आवेदनों की संख्या	टिप्पणी
1	यूजी स्थापना नए कॉलेज	99	प्रक्रिया में जांच
2	यूजी सीटों में वृद्धि	40	
3	यूजी नवीनीकरण	253	
	कुल यूजी आवेदन	**392**	
6	पीजी नया पाठ्यक्रम	1010	
7	पीजी सीटों में वृद्धि	665	
	कुल पीजी आवेदन	**1675**	
	कुल योग	**2067**	

- मूल्यांकन वर्ष 24-25 के लिए, एमएआरबी को 2067 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मान्यता से संबंधित मूल्यांकन के लिए पीजीएमईबी से अतिरिक्त लगभग 2000 आवेदन प्राप्त होने की आशा है।

- मेडिकल कॉलेजों का आकलन और रेटिंग: रेटिंग और मूल्यांकन के लिए एक मसौदा ढांचा तैयार किया गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा एमएआरबी टीम के साथ 8 संस्थानों और कुछ संस्थानों में प्रायोगिक अध्ययन किया गया है। पायलट मूल्यांकन 21 अगस्त 2023 से 1 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। रूपरेखा पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए 24 सितंबर 2023 को सभी मूल्यांकनकर्ताओं के साथ एक कार्यशाला की गई है। भारतीय गुणवत्ता परिषद ने 5 अक्टूबर 2023 को फीडबैक और अपडेट के लिए एनएमसी बोर्डों के साथ बैठक भी आयोजित की है। हितधारक-परामर्श संबंधित विशेषज्ञों, संस्थानों और नियामक निकायों के साथ (नवंबर 2023-चार क्षेत्रों में चार बैठकें) आयोजित की जाएगी, जिसके बाद रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा और सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाएगा। रेटिंग मूल्यांकन दिसंबर 2023 के मध्य से मार्च 2024 तक किया जाएगा और मई 2024 तक रेटिंग जारी की जाएगी।

- रोगी सुरक्षा कार्यक्रम 17-25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा नोट की गई स्थिति

4.8 प्रकाशन विभाग द्वारा की गई प्रगति (डॉ. योगेन्द्र मलिक):

- एनएमसी की वर्ष 2024 की कार्यकारी डायरी के प्रकाशन और आयोग के सभी अधिकारियों/कार्मिकों को वितरण के लिए अंतिम रूप दिया गया।
- एनएमसी का कैलेंडर, 2024 प्रभाग में तैयार किया जा रहा है और जल्द ही प्रकाशन के लिए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा
- एनएमसी विनियमनों का संग्रह; एनएमसी परामर्श, सार्वजनिक सूचनाएँ, परिपत्र और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदित किया गया है। इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा
- एनएमसी की विभिन्न गतिविधियों/पहलों और घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां, सार्वजनिक सूचनाएं आदि समय-समय पर मीडिया/पब्लिक डोमेन में प्रकाशित की जाती हैं।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा नोट की गई स्थिति

नई कार्यसूची मदें

4.9 कार्यसूची: एनएमसी नियमों के प्रारूपण और प्रकाशन और उसके संशोधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया।

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा -57 के तहत आयोग को अधिनियम के तहत दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए कई नियम तैयार करने होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के तहत बनाए गए नियम और विनियम अच्छी तरह से परिभाषित हैं और किसी भी कानूनी जांच की कसौटी पर खरे उतरे हैं, यह महसूस किया गया है कि इन विनियमों का मसौदा तैयार करने के लिए एक एसओपी अपनाने की आवश्यकता है। एसओपी का मसौदा आयोग को विचार-विमर्श और निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया था।

विचार-विमर्श:

एनएमसी सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई जहां यह नोट किया गया कि एनएमसी द्वारा अब तक अधिसूचित विनियम मसौदा तैयार करने, जनता की राय लेने, कानूनी विशेषज्ञों की समिति द्वारा उचित कानूनी जांच प्रक्रिया के साथ संशोधित मसौदा तैयार करने और राजपत्र में प्रकाशन की प्रक्रिया की गई हैं। इनमें से कई एनएमसी के सदस्यों के बीच परिचालित किए गए हैं और सदस्यों ने सहमति भी भेजी है। सदस्यों ने विनियमों को अंतिम रूप देने में बोर्डों और एनएमसी द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को नोट किया और सुझाव दिया कि कानूनी पुनरीक्षण के लिए कानूनी मामलों के विभाग (डीओएलए) के संदर्भ को छोड़कर कार्य के समान उच्च मानकों को जारी रखा जाए और एसओपी के मसौदे को अपनाया जाए क्योंकि यह अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। इस बैठक में कुछ लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

निर्णय:

एनएमसी नियमों के प्रारूपण और प्रकाशन और उनके संशोधन के लिए मसौदा एसओपी को मंज़ूरी दे दी गई है, सिवाय इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कानूनी विशेषज्ञों या अन्य उपयुक्त लोगों द्वारा कानूनी पुनरीक्षण के लिए कानूनी मामलों के विभाग (डीओएलए) के संदर्भ को छोड़कर। अनुमोदित एसओपी **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है। एनएमसी द्वारा समय-समय पर विनियमों की समीक्षा की जाएगी।

4.10 आवश्यक चर्चा के साथ एनएमसी अपील समिति की संरचना के लिए अनुमोदन

प्रस्ताव एनएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया:

एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 10 (4) के तहत प्रावधानों के अनुसार एनएमसी की एक उप-समिति अर्थात् "एनएमसी की अपील समिति" का गठन और एनएमसी अधिनियम की धारा 28 (5), 35 (5) और 22 (3) के तहत दायर पहली अपील और एनएमसी अधिनियम 2019 की धारा 30 (4) के तहत दायर पहली अपील पर निर्णय लेने के लिए एनएमसी की अपील समिति को आयोग की शक्ति सौंपना। अपील याचिकाओं का विश्लेषण करने और अपील समिति को इनपुट/सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी विश्लेषण समूह (टीएजी) का गठन/कार्य किया जाएगा; टीएजी में संबंधित डोमेन विशेषज्ञ(विशेषज्ञों) को शामिल किया जाएगा. एनएमसी के अध्यक्ष ने अपील प्रक्रिया के काम करने के तरीके को प्रस्तुत किया।

विचार-विमर्श:

अतीत में, एनएमसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सभी अध्यक्षों (जो पदेन एनएमसी सदस्य हैं) और पूर्णकालिक बोर्ड सदस्यों के साथ गठित समिति एनएमसी के निदेशक, प्रशासन और समन्वय टीम द्वारा

प्रस्तुत किए जाने के बाद पहली अपील की सुनवाई कर रही थी। इसमें शामिल बोर्ड अध्यक्ष और सदस्य ने निर्णय लेने की प्रक्रिया नहीं की। सभी बैठकों की वीडियो रिकार्डिंग की गई। ऐसी अपीलों के परिणाम भी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। एनएमसी के सदस्यों ने इस समिति और सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और अध्यक्ष, एनएमसी को अपने विवेक के अनुसार जारी रखने के लिए अधिकृत किया।

निर्णय:

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, एनएमसी सदस्यों ने एनएमसी के अध्यक्ष को अपील समिति के हिस्से के रूप में एनएमसी के दो सदस्यों (अध्यक्ष/बोर्ड अध्यक्षों के अलावा) सहित प्रथम अपील समिति का गठन करने के लिए अधिकृत किया। संबंधित बोर्ड अध्यक्ष/सदस्य जो प्रारंभिक निर्णय लेने का एक हिस्सा है, जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है, ऐसी समिति की बैठकों से अलग हो जाएगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी हिस्सा नहीं होगा। अध्यक्ष अपील समिति की सहायता के लिए एक टैग का गठन करने के लिए भी अधिकृत है।

अनुलग्नक-II में अपील समिति की संशोधित शर्तें और संरचना अनुमोदित है

4.11 एनएमसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति

एनएमसी की वृद्धि और सफलता के लिए कर्मचारियों के लिए स्टाफ प्रशिक्षण और विकास आवश्यक है। हाल ही में विश्व चिकित्सा शिक्षा परिसंघ (डब्ल्यूएफएमई) ने विनियामकों के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन पर जोर दिया है। उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और अंततः बेहतर निष्पादन में योगदान देता है और अतः नियोजन से संतुष्टि होती है।

विस्तृत प्रशिक्षण नीति और योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है।

कर्मचारी विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एनएमसी सचिवालय में अध्यक्ष एनएमसी के समग्र मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कक्ष का गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह सेल अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग, बाहरी साझेदारी की आवश्यकता, विश्वविद्यालयों और संगठनों को विशेष प्रशिक्षण संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंचने का भी निर्णय लेगा। यह सेल सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मंजूरी देगा और सुनिश्चित करेगा कि वे प्रासंगिक एनएमसी नियमों और नीतियों का पालन करें। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रशिक्षण रणनीति और ढांचे, आउटसोर्स एजेंसी को नियुक्त करने या प्रशिक्षण सामग्री विकास और वितरण के लिए जनशक्ति की भर्ती सहित कर्मचारी विकास कार्यक्रम के सभी घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

निर्णय:

एनएमसी सदस्यों ने प्रस्तावित अनुबंध III में प्रशिक्षण नीति को मंजूरी दी।

4.12 एनएमसी अधिनियम 2023 की धारा 60(1), धारा 60(1) के दूसरे परंतुक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना एसओ संख्या 3260(ङ) दिनांक 24 सितंबर 2020 के अनुसार संविदात्मक कर्मचारियों सहित पूर्ववर्ती एमसीआई के कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति।

विचाराधीन प्रस्ताव पर एनएमसी अधिनियम, 2019 की प्रासंगिक धाराओं को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है-

धारा 60(1): ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियत करे, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 निरसित हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद भंग हो जाएगी।

धारा 60(1) का दूसरा परंतुक: परंतु यह और कि कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के विघटन से ठीक पहले, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा नियमित या संविदात्मक आधार पर नियोजित किया गया है, ऐसे विघटन पर और उसके अधिकारी या कर्मचारी नहीं रहेंगे और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में उसका नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना एस.ओ. संख्या 3260 (ङ) दिनांक 24 सितंबर 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन 25 सितंबर 2020 से किया गया है।

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) को 25 सितंबर 2020 से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अतः, एनएमसी की ओर से यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि पूर्ववर्ती एमसीआई का कोई भी कर्मचारी, अनुबंध की व्यस्तता सहित, 25 सितंबर 2020 से आगे नहीं रहना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) के आंतरिक लेखापरीक्षा का एक लेखापरीक्षा पैरा विशेष रूप से एनएमसी अधिनियम 2019 के वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में एमसीआई की अवधि के कुछ परामर्शदाताओं की सेवाओं को जारी रखने की ओर इशारा करता है, जो इस आयोग के पास लंबित है।

सचिव एनएमसी ने बताया कि पहले एनएमसी के सभी नियमित कर्मचारियों को 25 सितंबर 2020 को

एनएमसी अधिनियम लागू होने के साथ हटा दिया गया है। अन्य 62 कर्मचारियों (संविदा/आउटसोर्स) को भी हटा दिया गया है। 41 अल्पसंख्यक जारी रखने वालों में संविदात्मक सलाहकार हैं (लेखापरीक्षा रिपोर्ट में आपत्ति जताई गई है)। 41 में से अधिकांश आउटसोर्स एजेंसी से हैं।

बोर्ड अध्यक्षों और/या सदस्यों ने निम्नलिखित चिंताएं उठाई:

क. पहले के कर्मचारी संस्थागत स्मृति का एकमात्र स्रोत थे जिन्होंने पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में बिना किसी रुकावट के एनएमसी का कामकाज किया था।

ख. कुछ ने लंबे समय तक संगठन की सेवा की है और उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

ग. उचित हैंड-होल्डिंग अवधि के साथ प्रतिस्थापन को समय के साथ चरणबद्ध किया जाना चाहिए।

घ. इन्हें कर्मचारियों की भारी कमी के आलोक में देखा जाना चाहिए (पहले वर्ष में कुल राशि थी और अब भी लगभग 50% है)।

उपर्युक्त के मद्देनजर, आयोग को उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराना और उस पर विशेष रूप से उससे संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर निर्देश लेना आवश्यक महसूस किया गया है-

(i) उपर्युक्त कर्मचारियों को पूर्ववर्ती एमसीआई की अवधि से मुक्त करने की समय-सीमा;
(ii) ऐसे स्टाफ सदस्यों की सेवाओं को बंद करने का तरीका; और
(iii) इस विषय पर आयोग के निर्णय के साथ स्थिति से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अवगत कराना।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एनएमसी ने सरकारी कार्य की दक्षता में कमी आए बिना सुचारू संक्रमण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एनएमसी अधिनियम के लागू होने से पहले काम कर रहे संविदात्मक और आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों/परामर्शदाताओं की सेवाओं को एक वर्ष से अधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान, उपयुक्त प्रभाग से इनपुट लेकर ऐसे संसाधनों के निष्पादन का लगातार आकलन किया जा सकता है और जो निष्पादन नहीं कर रहे हैं या सेवा से संबंधित अन्य चिंताएं हैं, उन्हें राहत दी जा सकती है, जबकि जिनका निष्पादन संतोषजनक है, उन्हें बैठक के कार्यवृत्त के परिचालन की तारीख से एक वर्ष की इस विस्तारित अवधि को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है। एनएमसी सचिवालय इस अवधि के पूरा होने पर ऐसे कर्मचारियों को हटाने से उत्पन्न रिक्तियों में सभी आवश्यक मानव संसाधनों के उपयुक्त प्रतिस्थापन/तैनाती को सुनिश्चित कर सकता है।

4.13 एनएमसी के सदस्य/अध्यक्ष/सचिव के लिए वार्षिक निष्पादन और मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का रिकॉर्ड न होना

मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग निर्णय लेगा। अतः इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सदस्यों और अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और एपीएआर आदि नहीं भरे जाएंगे। इससे संस्था की स्वायत्तता भी बनी रहेगी क्योंकि इससे निर्णय में हेरफेर की संभावना और सदस्यों और अध्यक्ष के दिमाग पर दबाव से बचा जा सकेगा

निर्णय:

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एनएमसी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तथापि, ऐसी रिपोर्टें संबंधित अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर मामला-दर-मामला आधार पर, यदि आवश्यक हो, लिखी जा सकती हैं।

4.14 एनएमसी के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव को शैक्षणिक भत्ते की अनुमति देना

चिकित्सा संकाय सदस्यों को शैक्षणिक भत्ते का प्रावधान कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है और चिकित्सा क्षेत्र के भीतर शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को पहचानने और प्रोत्साहित करने में इसकी जड़ें हैं। शैक्षणिक भत्ते उच्च योग्य और अनुभवी चिकित्सा पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करते हैं ।

एम्स, जैसे प्रमुख संस्थानों में संकायों को शैक्षणिक भत्ता प्रदान किया जाता है ।
(https://pmssy.mohfw.gov.in/files/circular/Central%20Pay%20Commission_3008.pdf)

विचार-विमर्श:

एम्स, दिल्ली और अन्य एम्स में इसके संकाय को शैक्षणिक भत्ता भी दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर एनएमसी के अध्यक्ष, एनएमसी के सभी चार बोर्डों के अध्यक्ष/सदस्य और सचिव एनएमसी को भी अकादमिक भत्ता दिया जाएगा क्योंकि वे नियामक कार्यों के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधि भी कर रहे हैं।

एनएमसी देश का एक स्वायत्त नियामक निकाय है जिसमें उच्चतम शैक्षणिक क्रम और उच्च अखंडता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। अतः, ऐसे अधिकारियों को विशेष एनएमसी भत्ता दिया जाना चाहिए जो एनएमसी में बोर्डों के पूर्णकालिक सदस्य/अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा एक समिति बनाई जा सकती है।

आयोग के ध्यान में यह लाया गया कि प्रशिक्षण अकादमियों और संस्थानों के अधिकारियों के लिए भारत सरकार में संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारियों को छोड़कर मूल वेतन के @ 12% के लिए प्रशिक्षण भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। चूंकि एनएमसी भी एक अकादमिक और प्रशिक्षण संगठन है, अतः इसी तरह का प्रशिक्षण भत्ता भी अपने सभी नियमित कर्मचारियों को प्रदान किया जा सकता है।

निर्णय:

1. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एनएमसी सदस्यों ने एनएमसी के अध्यक्ष, एनएमसी के सभी चार बोर्डों के अध्यक्षों और पूर्णकालिक सदस्यों और एनएमसी के सचिव को एम्स, दिल्ली और उसके बाद किसी भी संशोधन की तर्ज पर शैक्षणिक भत्ता देने का निर्णय लिया।

2. एनएमसी ने प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग को प्रशिक्षण अकादमी और संस्थान के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया और एनएमसी के सभी नियमित कर्मचारियों को मूल वेतन का @ 12% प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने की मंजूरी दी, जैसा कि अन्य प्रशिक्षण अकादमियों और संस्थानों में प्रदान किया जा रहा है।

3. एनएमसी अध्यक्ष को यह तय करने के लिए एक समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया है कि क्या अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सचिव को अतिरिक्त विशेष एनएमसी भत्ता और इसकी मात्रा और इससे संबंधित मुद्दे क्या है।

4. एनएमसी सचिवालय इस तरह के भत्ते को प्रभावी करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करेगा।

4.15 भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अपनाई गई पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अधीनस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

कार्यालय के साथ-साथ एनएमसी/बोर्डों के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित छोटे/छोटे वित्तीय निहितार्थ वाले मामलों के शीघ्र निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह सराहना की जा सकती है कि एनएमसी में अधीनस्थ अधिकारियों को इस प्रकार का प्रत्यायोजन सचिव, एनएमसी को अनुमोदित वस्तु-वार सीमा तक व्यय को मंजूरी दी जाए। जिससे सभी फाइलें प्रस्तुत करने मामलों के त्वरित निपटान की सुविधा होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के प्रतिनिधिमंडल के परिणामस्वरूप सचिव द्वारा ऐसे दैनिक/नियमित प्रशासनिक मामलों में समय समर्पित करने के बजाय आयोग के मूल कार्यों के निपटान में अप्रत्यक्ष रूप से अधिक से अधिक समय व्यतीत होगा। इस संबंध में पहले से एक आदेश था जिसे वापस ले लिया गया था।

तदनुसार, **यह प्रस्ताव है कि वित्तीय अधिकार आगे सामान्य प्रशासन प्रभाग में तैनात उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को वित्तीय नियमावली, 1978 के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 13 के उपनियम (3) के अधीन एनएमसी में निम्नलिखित विधि से किया जा सकता है:**

नियम सं.	शक्ति की प्रकृति	को प्रत्यायोजित शक्ति	प्रत्यायोजन की सीमा
डीएफपीआर, 1978 का नियम 13	आकस्मिक/विविध व्यय	उप सचिव/निदेशक (सामान्य प्रशासन)	**आकस्मिक व्यय:** आवर्ती : 1 लाख* गैर-आवर्ती : 2.5 लाख* **विविध व्यय:** आवर्ती : रुपए 15,000/-* गैर-आवर्ती : रुपए 30,000/-* * प्रत्येक मामले में
	1. एनएमसी के लिए केबल कनेक्शन के संबंध में मासिक बिल/चालान		**पूर्ण शक्तियां**
	2. एनएमसी के लिए धोबी के संबंध में मासिक बिल/चालान		**पूर्ण शक्तियां**
	3. एनएमसी के लिए डीजी सेट, लिफ्ट, सेंट्रलाइज्ड एसी प्लांट के संबंध में एएमसी बिल/चालान		**पूर्ण शक्तियां**
	4. ऑफिस बैग/लेडीज पर्स/ब्रीफकेस आदि की प्रतिपूर्ति।		**भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार।**

<u>तथापि, प्रस्तावित शक्तियों का प्रत्यायोजन इन विषयों पर संगत नियमों/विनियमों, राजकोषीय आदेशों, प्रक्रियाओं, निधियों की उपलब्धता और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अध्यधीन होगा।</u>

निर्णय: एनएमसी ने प्रस्ताव पर विचार किया और इसे अनुमोदित कर दिया।

4.16 डीएमएमपी-I के लिए वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के ओएंडएम अनुबंध का 3 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार।

डीएमएमपी-I के ओ एंड एम के लिए वर्तमान एसआई मेसर्स बोधट्री का वर्तमान विस्तार 30.10.2023 को समाप्त हो रहा है और डीएमएमपी-II का ओ एंड एम 08.10.2023 को समाप्त हो गया है।

यह देखा गया है कि यह बेहतर होगा कि एनएमसी में सभी आईटी परियोजनाएं एक एमएसपी द्वारा प्रबंधित एक ही परियोजना में आएं ताकि नियामक कार्य के लिए आवश्यक सर्वोत्तम परिणाम इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सके क्योंकि उत्पन्न सभी डेटा को आत्मसात किया जा सकता है और इसलिए एक एकल डीएमपीपी-I और डीएमपीपी-II परियोजना होनी चाहिए और तदनुसार डेटा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए डेटा गोपनीयता और डेटा गोपनीयता के लिए डिज़ाइन किए गए संतुलन में उचित जांच के साथ खुली बोली मोड में आरएफपी के लिए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, 5 सितंबर 2023 को एनएमसी में आयोजित बैठक के दौरान, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने विभिन्न आईटी मॉड्यूल विकसित करने का निर्देश दिया है। डीएमएमपी-I के लिए वर्तमान एसआई को 3 और महीनों के लिए अनुबंध का विस्तार 30.01.2024 तक समान नियमों और शर्तों पर अनुबंध के दायरे से परे, एनएमसी के आईटी प्रभाग को डीएमएमपी-I और II के ओ एंड एम को संभालने में मदद करेगा।

निर्णय:

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एनएमसी ने डीएमएमपी-I के लिए वर्तमान एसआई को अनुबंध के विस्तार पर विचार किया और उसी नियम और शर्तों पर 3 और महीनों (अर्थात, 31.01.2024 तक) के लिए अनुबंध के दायरे से परे मंज़ूरी दी।

4.17 डीएमएमपी-I के बकाया भुगतान की स्वीकृति

प्रस्ताव को कार्यालय आदेश संख्या एन-16013 (16)/1/1/2023-आईटी-एनएमसी (8239269) दिनांक 18 सितंबर 2023 के तहत गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2023 की सिफारिश पर विचार और अनुमोदन के लिए एनएमसी के समक्ष रखा गया है, ताकि मेसर्स बोधट्री को एनएमसी के आंकड़ों के अनुसार बकाया शेष राशि 13,80,54,924 रुपये (तेरह करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार नौ सौ चौबीस रुपये) की तुलना में लागू करों के साथ 7,70,11,626 रुपये (सात करोड़ सत्तर लाख ग्यारह हजार छह सौ छब्बीस रुपये) का भुगतान किया जा सके। परिवर्तन अनुरोध के लिए बकाया शेष को छोड़कर लागू करों (अतिरिक्त कार्य आदेश

और क्यूजीआर 23 तक) कुल लागू दंड (अतिरिक्त कार्य आदेश और क्यूजीआर 23 तक सहित) 6,09,69,698/- रुपये (छह करोड़ नौ लाख उनसठ हजार छह सौ अट्ठानवे रुपये) होगा। पीजीएमईबी के अध्यक्ष इस संबंधित फाइल का अध्ययन करना चाहते थे।

एनएमसी का मूल्यांकन किया गया है समिति ने पीएमयू रिपोर्ट का विश्लेषण किया, अतिरिक्त कार्यालय नोटों का अध्ययन किया, बकाया राशि की गणना करने के लिए बैंक स्टेटमेंट का मिलान किया, और एसआई मैसर्स बोधट्री को देय अंतिम निवल कटौती करने के लिए लागू दंड पर निर्णय लिया। एसआई को किया गया अंतिम भुगतान डीएमपीपी-I परियोजना के संबंध में वर्ष जनवरी 2022 में किया गया था। इसके बाद डीएमपीपी-I परियोजना में एसआई को कोई भुगतान नहीं किया गया है। समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. अब तक भुगतान की गई कुल राशि 53,64,52,290/- रुपये (रुपये तिरपन करोड़ चौंसठ लाख बावन हजार दो सौ नब्बे) है और शेष राशि 13,80,54,924/- रुपये (रुपये तेरह करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार नौ सौ चौबीस रुपये) है। उक्त शेष राशि की गणना जुर्माना लगाए बिना की जाती है।

ii. पीएमयू रिपोर्ट के अनुसार, रुपए 2,93,88,896/- (रुपए दो करोड़ तिरानबे लाख अस्सी-आठ हजार आठ सौ छियानवे) का मूल्यांकन विभिन्न नियत लक्ष्यों की देरी और अधूरे वितरण के लिए दंड के रूप में किया गया था।

iii. समिति ने 22 क्यूजीआर तक **6,09,69,698/- रुपये (रुपये छह करोड़ नौ लाख उनहत्तर हजार छह सौ अट्ठानवे)** के लागू दंड की गणना की। जबकि पीएमयू रिपोर्ट के अनुसार लागू जुर्माना 22 क्यूजीआर तक **2,93,88,896/- रुपये (रुपये दो करोड़ तिरानवे लाख अट्ठासी हजार आठ सौ छियानवे)** है। परिणामत: समिति विभिन्न नियत लक्ष्यों की देरी और अधूरी डिलीवरी के लिए पीएमयू रिपोर्ट की सिफारिश के ऊपर और **3,15,80,802 रुपये (रुपये तीन करोड़ पंद्रह लाख अस्सी हजार आठ सौ दो)** अतिरिक्त दंड की सिफारिश कर रही है।

iv. मैसर्स केपीएमजी (पीएमयू) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय 23वीं तिमाही चल रही थी और इसे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, 23वीं तिमाही जुलाई 2023 में पूरी हो गई है और समिति ने इसके लिए गणना पर विचार किया है। इसके अलावा, समिति ने क्यूजीआर 23 तक भुगतान की सिफारिश की है और ऊपर उल्लिखित बिंदुओं को देखते हुए प्रति तिमाही अधिकतम 15% जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, कॉल सेंटर की सेवाओं के लिए भुगतान यथानुपात आधार पर कम कर दिया गया है क्योंकि ऐसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

v. समिति ने "परिवर्तन अनुरोध" के संबंध में एसआई मेसर्स बोधट्री के बकाया दावे के ब्यौरे की जांच नहीं की है क्योंकि पीएमयू ने कोई सिफारिश नहीं की है क्योंकि एसआई ने "परिवर्तन अनुरोध" के लिए देय भुगतान का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। एसआई भविष्य में परिवर्तन अनुरोध बकाया भुगतान का समर्थन करने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।

vi. कुल लागू दंड (अतिरिक्त कार्य आदेश और QGR23 तक) भारतीय रुपए 6,09,69,698/- होगा (जो कुल मूल्य का 9.93% है)। अतः एसआई मेसर्स बोधट्री को परिवर्तन अनुरोध के लिए बकाया शेष राशि को छोड़कर एनएमसी के आंकड़ों के अनुसार बकाया शेष राशि भारतीय रुपए 13,80,54,924 (भारतीय रुपए तेरह करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार नौ सौ चौबीस) और लागू कर की तुलना में देय निवल राशि भारतीय रुपए 7,70,11,626/- (भारतीय रुपए सात करोड़ सत्तर लाख ग्यारह हजार छह सौ छब्बीस) है।

निर्णय:

1. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एनएमसी ने मेसर्स बोधत्री को 7,70,11,626 रुपये (सात करोड़ सत्तर लाख ग्यारह हजार छह सौ छब्बीस रुपये) की राशि और लागू करों का भुगतान करने के प्रस्ताव को (सैद्धांतिक रूप से) मंजूरी दे दी है। यह राशि बकाया 13,80,54,924 रुपये (तेरह करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार नौ सौ चौबीस रुपये) साथ ही लागू कर (अतिरिक्त कार्य आदेश और क्यूजीआर 23 तक सहित) परिवर्तन अनुरोध के लिए बकाया राशि को छोड़कर, कुल लागू दंड (अतिरिक्त कार्य आदेश और क्यूजीआर 23 तक सहित) 6,09,69,698 रुपये (छह करोड़ नौ लाख उनसठ हजार छह सौ अट्ठानबे रुपये) के विरुद्ध है। संबंधित फाइल पीजीएमईबी के अध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. एनएमसी ने यह भी कहा कि इस तरह के भुगतान जारी करने से पहले, प्रस्तावित दंड और निवल भुगतानों की गणना एजेंसी के साथ साझा की जानी चाहिए और एजेंसी का उत्तर मांगा जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई कानूनी समस्या न हो। एजेंसी का उत्तर प्राप्त करने के बाद, अंतिम भुगतान आदेश जारी किया जाना चाहिए जो सकारण आदेश की प्रकृति का होना चाहिए। यदि यह महसूस किया जाता है कि इस तरह के अभ्यावेदन से गुजरने के बाद देय राशि (ऊपर निर्णय बिंदु 1 के अनुसार अनुमोदित की गई राशि से) में आवश्यक परिवर्तन हैं, अत: इसे एनएमसी के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि एनएमसी की समिति की रिपोर्ट सभी सदस्यों के साथ जानकारी के लिए साझा की जाए।

4.18 उन एमबीबीएस छात्रों के संबंध में एकमुश्त छूट की मांग करना जिन्होंने वर्ष 2021 में यूक्रेन में प्रवेश लिया था।

छात्र रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण एक बार की छूट मांग रहे हैं ताकि उन्हें यूक्रेन से एमबीबीएस कॉलेज में स्थानांतरित होने की अनुमति मिल सके। उपरोक्त अंक में आवेदकों द्वारा यह दोहराया गया है कि रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पोलैंड आदि देशों का अध्ययन पैटर्न यूक्रेन के समान है।

18.11.2021 को जारी एनएमसी विनियमन के अनुसार, इसमें कहा गया है कि *"संपूर्ण पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप या क्लर्कशिप अध्ययन के दौरान एक ही विदेशी चिकित्सा संस्थान में भारत के बाहर की जाएगी और चिकित्सा प्रशिक्षण और इंटर्नशिप का कोई भी हिस्सा भारत में या उस देश के अलावा किसी अन्य देश में नहीं किया जाएगा जहां से प्राथमिक चिकित्सा अर्हता प्राप्त की जाती है"।*

निर्णय:

एनएमसी ने विचार-विमर्श के बाद, एनएमसी के अध्यक्ष को इस मामले को देखने और मुद्दों पर उपयुक्त सुझाव/सिफारिश करने के लिए एनएमसी सदस्यों की एक उपसमिति गठित करने के लिए अधिकृत किया।

अध्यक्ष ने एनएमसी को उपसमिति का गठन करने के लिए अधिकृत करने के लिए धन्यवाद दिया और निम्नानुसार उपसमिति का गठन किया:

1. डॉ. मोहनन कुन्नुमल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल (अध्यक्ष)
2. प्रो. एस. के. मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय
3. डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद

4.19 फिलीपींस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एफएमजीएल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बीएस पाठ्यक्रम+एमडी पाठ्यक्रम का समावेश

यह प्रस्तुत किया गया है कि फिलीपींस, बीएस और एमडी दो अलग-अलग डिग्री हैं। बीएस पाठ्यक्रम डेढ़ वर्ष की अवधि का गैर-नैदानिक प्रीमेडिकल पाठ्यक्रम है जो भारत में कक्षा 12वीं के बराबर है और फिलीपींस में स्नातक/प्राथमिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रतीत होता है। अतः, बीएस पाठ्यक्रम की अवधि को फिलीपींस में ग्रेजुएट/मेडिकल पाठ्यक्रम की अवधि में नहीं गिना जा सकता है। तथापि, ग्रेजुएट/मेडिकल पाठ्यक्रम अर्थात एमडी पाठ्यक्रम 4 वर्ष की अवधि का है जो बीएस

पाठ्यक्रम के बाद शुरू होता है और भारत में एमबीबीएस के बराबर है। इसके अलावा पाठ्यक्रम भी अलग है और इंटर्नशिप नहीं की जाती है।

एनएमसी एफएमजीएल विनियमन दिनांक 18.11.2021 के अनुसार, "किसी भी विदेशी मेडिकल स्नातक को स्थायी पंजीकरण नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उसने 54 महीने की न्यूनतम अवधि और भारतीय मेडिकल स्नातक छात्रों के लिए सभी आवश्यक शर्तों के साथ विदेशी चिकित्सा डिग्री की ओर जाने वाला पाठ्यक्रम नहीं किया है"।

निर्णय:

एनएमसी ने विचार-विमर्श के बाद, एनएमसी के अध्यक्ष को इस मामले को देखने और मुद्दों पर उपयुक्त सुझाव/सिफारिश करने के लिए एनएमसी सदस्यों की एक उपसमिति गठित करने के लिए अधिकृत किया।

अध्यक्ष ने एनएमसी को उपसमिति का गठन करने के लिए अधिकृत करने के लिए धन्यवाद दिया और निम्नानुसार उपसमिति का गठन किया:

1. डॉ. मोहनन कुन्नुमल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल (अध्यक्ष)
2. एस. के. मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय
3. डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद

चूंकि एफएमजी का यह मामला अपेक्षाकृत जरूरी मुद्दा है, अतः समिति से अगले दिन बैठक करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने का अनुरोध किया गया था।

4.20 मान्यता विनियमों पर चर्चा

चिकित्सा अर्हता विनियम 2023 की मान्यता को अध्यक्षों पीजीएमईबी और यूजीएमईबी द्वारा एनएमसी सदस्यों के साथ चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है

निर्णय:

एनएमसी ने प्रकाशन के लिए कानूनी रूप से पुनरीक्षित विनियमन को मंजूरी दी।

4.21 नए क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) और नोडल केंद्रों (एनसी) का समावेश

यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने आयोग को नए क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) और नोडल केंद्रों (एनसी) की सूची प्रस्तुत की और इन केंद्रों द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

निर्णय:

यूजीएमईबी द्वारा प्रस्तुत प्रगति को एनएमसी द्वारा नोट कर लिया गया है।

4.22 राष्ट्रीय एम.एससी चिकित्सा शिक्षक संघ (एनएमएमटीए) द्वारा गैर-चिकित्सा शिक्षकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रतिशत में कमी से संबंधित मामला उठाया गया था।

उठाया गया मुद्दा शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, जैव-रसायन विभाग में गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है। एमएसआर 2020 अनुसूची II के खंड क-5 के माध्यम से, गैर-चिकित्सा शिक्षकों के लिए आरक्षित रिक्ति का प्रतिशत 30% से घटाकर 15% कर दिया गया है। उपरोक्त निर्णय **अनुलग्नक-IV** में संलग्न निम्नलिखित आधार पर आधारित था। उपरोक्त मामला 2020 की डब्ल्यूपीसी (WPC) संख्या 9115 और अन्य संबंधित मामलों में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

यूजीएमईबी ने उक्त मसौदे के प्रत्युत्तर में जनता से टिप्पणियां प्राप्त की और ऐसी टिप्पणियों के अवलोकन पर अधिकांश टिप्पणियां यूजीएमईबी के निर्णय के समर्थन में पाई गईं। इसके अलावा, यूजीएमईबी को डॉक्टरों/डॉक्टरों के संघ (जिनकी संख्या 500 से अधिक है) से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 03.01.2022 और 26.06.2023 के निर्णय को वापस करने की अपील की गई थी।

अभ्यावेदनों के साथ-साथ सार्वजनिक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यूजीएमईबी ने नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, वर्तमान पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों की अनुसूची II के खंड ए.4 में चुनौती के तहत विनियमन को बरकरार रखा। इसके अतिरिक्त, नए विनियमों के सीबीएमई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, कुल पदों की संख्या के 15% तक आरक्षण का लाभ, चरण-I में शरीर-रचना-विज्ञान, जैव-रसायन और शरीर-विज्ञान के वर्तमान 3 विभागों के अलावा गैर-चिकित्सा शिक्षकों के लिए प्रदर्शनकारी (पीएच.डी. डिग्री धारकों के साथ एम.एससी) के रूप में चार (4) और विभाग जोड़े गए हैं। ऐसे चार (4) विभाग चरण-2 के तहत सूक्ष्मजीव-विज्ञान, रोग-निदान और भेषजगुणविज्ञान और फेज-3 के तहत फॉरेंसिक मेडिसिन हैं।

निर्णय:

एनएमसी परिसर में 18 अक्टूबर, 2023 को आयोजित एनएमसी की 11वीं बैठक में विचार-विमर्श के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, जैव रसायन विभाग में, चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता के अधीन विभाग में कुल पदों की संख्या के 15% की सीमा तक गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। समय के साथ इन्हें भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।

2. पहले से नियुक्त संकाय के संबंध में, उन्हें अबाधित छोड़ दिया जाएगा। उन्हें निर्धारित समय पर उचित पदोन्नति के लिए भी पात्र होना चाहिए।

3. जहां तक इन शिक्षकों की जांच का संबंध है, जिन्हें पहले परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है, उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार पद पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

4.23 टीईक्यू विनियम, 2022 में संशोधन

आयोग को श्री सुनील कुमार गुप्ता, अवर सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 06.07.2023 का एक पत्र संख्या V/11025/117/2023-MEP {FTS No. 8223150} प्राप्त हुआ है, जिसमें मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जी.पी. रामनाथ के प्रतिनिधित्व की एक प्रति अग्रेषित की गई है। डॉ. जी.पी. रामनाथ, अध्यक्ष, मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डाक्टर्स एसोसिएशन, हासन (कर्णाटक) ने शिक्षकों की पात्रता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ पीजी डिप्लोमा अर्हता वाले वर्तमान स्थायी/नियमित सरकारी संकाय पर विचार करने का अनुरोध किया है।

i. वरिष्ठ रेजिडेंटशिप के लिए आयु सीमा को हटाने के लिए विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए।
ii. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने वाले सभी डाक्टरों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु संकाय हेतु पात्र बनाना।
iii. संक्रमण अवधि के दौरान सुपर स्पेशियलिटी विभाग में शिक्षकों के लिए पात्रता जारी करना।
iv. टीईक्यू विनियमन, 2022 से संबंधित अन्य छोटे मुद्दे

18 अगस्त 2023 को आयोजित पीजीएमईबी की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई और यह निर्णय लिया गया कि एसआर के रूप में छह वर्ष के अनुभव वाले डिप्लोमा धारकों को सहायक प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। तथापि, इसके लिए टीईक्यू विनियम में संशोधन की

आवश्यकता होगी। पीजीएमईबी टीईक्यू विनियमन में संशोधन के लिए एनएमसी को सिफारिश करता है।

सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए 45 वर्ष से कम आयु सीमा को हटाने के मामले पर 3 मार्च, 2023 को आयोजित पीजीएमईबी की बैठक में चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि गैर-नैदानिक शाखाओं के लिए आयु सीमा पर जोर नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने एनएमसी को आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश करने का निर्णय लिया ताकि पीजी छात्रों को शरीर-रचना विज्ञान, शरीर-विज्ञान, जैव-रसायन, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, न्याय चिकित्सा और विषज्ञान, सामुदायिक चिकित्सा और भेषजगुणविज्ञान में सीनियर रेजिडेंट के रूप में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सके। राज्य सरकार के जिला अस्पतालों को पीजी प्रशिक्षण संस्थान में बदलने और नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने जैसी नई चुनौतियों का समाधान करना है।

निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने के लिए टीईक्यू विनियमन, 2022 में संशोधन के लिए एनएमसी की सैद्धांतिक मंजूरी मांगी गई थी:-

i. पीजी डिप्लोमा धारक शिक्षण संकायों के लिए पदोन्नति के अवसर।
ii. प्री और पैरा क्लिनिकल विभागों में सीनियर रेजिडेंटशिप के लिए आयु सीमा को हटाना।
iii. सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने वाले सभी डाक्टरों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु संकाय हेतु पात्र बनाना।
iv. संक्रमण अवधि के दौरान सुपर स्पेशियलिटी विभाग में शिक्षकों के लिए पात्रता जारी करना।
v. टीईक्यू विनियमन, 2022 से संबंधित अन्य छोटे मुद्दे।

निर्णय:

इन्हें टीईक्यू संशोधनों में शामिल किया जाएगा। संशोधित/संशोधित टीईक्यू एनएमसी को चर्चा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे उचित रूप से विनियमन के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है।

4.24 स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मसौदे की मंजूरी

5 पीजीएमईआर-23 का मसौदा एनएमसी के सदस्यों को 6-9-23 को परिचालित किया गया था। पणधारकों और सदस्यों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित मसौदा पीजीएमईआर-23 एनएमसी के सदस्यों को परिचालित किया गया था। एनएमसी की बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गई और एनएमसी के सदस्यों से निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए।

6 1. डॉ. करुणाकर रेड्डी ने सुझाव दिया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को स्नातक पाठ्यक्रम के साथ-साथ

अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पीजी पाठ्यक्रम तीसरे वर्ष से शुरू किए जा सकते हैं। कई अन्य सदस्यों की भी यही राय थी। अतः सर्वसम्मति से 3.1 (i) में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

7 2. सदस्यों ने महसूस किया कि किसी विशेषता के नामकरण को तब तक नहीं बदला जाना चाहिए जब तक कि स्वीकार्य कारण न हों।

8 3. डॉ. विजय ओझा ने सदस्यों को अवगत कराया कि नए पीजीएमईआर-23 के अनुसार, एक बार पाठ्यक्रम की अनुमति मिलने के बाद, अनुमत सीटों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री के पंजीकरण के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त सीटों के रूप में माना जाएगा। ऐसे पाठ्यक्रम चलाने वाले मेडिकल कॉलेज/संस्थान को मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/संस्थान माना जाएगा।

9 अब से स्नातकोत्तर के लिए पीजीएमईआर-23 और एमएसआर दिशानिर्देशों के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा विनियम-23 के मानक के रखरखाव के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा के मानक की निगरानी की जाएगी।

10 स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रवेश और परामर्श, परीक्षा नियम, जिला निवास कार्यक्रम और छुट्टी नियमों में किए गए परिवर्तन स्वीकार किए गए।

11 यह निर्णय लिया गया कि एनएमसी बैठक में अनुमोदित परिवर्तनों को शामिल करते हुए पीजीएमईआर-23 के अंतिम मसौदे को राजपत्र अधिसूचना से पहले सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।

निर्णय:

पीजीएमईबी के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि संशोधित पीजीएमईआर विनियमन सभी एनएमसी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा, और उसके बाद मसौदे को, यदि आवश्यक हो, और कानूनी पुनरीक्षण और प्रकाशन के बाद आगे संशोधित किया जाएगा।

11.1 शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आईएनआई के साथ जुड़ाव

एनएमसी का एक उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। विभिन्न आईएनआई, आईआईएम, एम्स और अन्य राष्ट्रीय संस्थान अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी हैं। इन संस्थानों के साथ सहयोग एनएमसी की शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा।

ईएमआरबी ने पहली बार अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों के लिए आईएनआई और अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग की आवश्यकता की पहचान की है। इससे उन पूर्ण मामलों के विश्लेषण में मदद मिलेगी जिन पर निर्णय लिया जा चुका है या जो ईएमआरबी के पास लंबित हैं। पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के समय से नैतिकता संबंधी ऐसे सभी मामले अनुसंधान के लिए समृद्ध सामग्री उपलब्ध कराएंगे। आईएनआई के साथ समझौता-ज्ञापन निमहांस से शुरू किया जाएगा। यह अभ्यास यह समझने के लिए एक वैज्ञानिक विश्लेषण होगा कि एनएमसी को किस तरह के मामले और शिकायतें मिल रही हैं, हम उन्हें कैसे तय कर रहे हैं और इसके सबक क्या हैं। समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद तौर-तरीकों पर चर्चा की जाएगी। समय के साथ विभिन्न आईएनआई के साथ इसी तरह के समझौता-ज्ञापन पर भी विचार किया जाना चाहिए

प्रस्ताव निम्नलिखित के अनुमोदन के लिए एनएमसी को प्रस्तुत किया गया:

1. एनएमसी के साथ समझौता-ज्ञापन के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आईएनआई की संलिप्तता की सैद्धांतिक मंजूरी

2. डॉ. योगेंद्र मलिक (सदस्य, ईएमआरबी) को निमहांस के साथ जुड़ने के लिए सभी गतिविधियों और अन्य संस्थानों के साथ समय-समय पर इसी तरह के समझौता-ज्ञापनों के समन्वय के लिए नियुक्त किया जाएगा।

3. समझौता-ज्ञापन करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन और उपरोक्त प्रस्ताव को संचालित करने के लिए आवश्यक किसी भी उपयुक्त परिवर्तन को समन्वय समिति को जिसमें अध्यक्ष, सभी बोर्डों के सदस्य, सचिव एनएमसी शामिल हैं।

निर्णय:

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद एनएमसी द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

11.2 एनएमसी के लोगो में संशोधन कर भगवान धनवंतरिजी के श्वेत-श्याम चित्र के स्थान पर उनका रंगीन चित्र लगाया जाएगा और 'भारतीय' शब्द के स्थान पर 'भारत' शब्द रखा जाएगा (बैठक में पीपीटी प्रस्तुत किया जाएगा)।

एनएमसी का वर्तमान लोगो और **भगवान धनवंतरिजी की श्वेत-श्याम तस्वीर के स्थान पर उनकी रंगीन तस्वीर और 'भारतीय' शब्द के स्थान पर 'भारत' शब्द का स्थान पर 'भारत' शब्द लगाने** का प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उनसे मंजूरी का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान लोगो | प्रस्तावित लोगो

विचार-विमर्श:

चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि प्रस्तावित लोगो में "भारत" नाम अंग्रेजी में, "**National Medical Commission**" के ठीक नीचे, और नीचे "राष्ट्रीय आयुर्ज्ञान आयोग" के ठीक ऊपर हिंदी में और भगवान धनवंतरी की तस्वीर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए।

अंतिम संशोधित लोगो इस प्रकार है: _

निर्णय:

इन संशोधनों के साथ संशोधित लोगो को स्वीकार किया गया।

11.3 शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमएआरबी दिशानिर्देश

यूजी और पीजी आवेदन और मूल्यांकन प्रक्रिया (मूल्यांकन वर्ष 2024-2025) के लिए दिशानिर्देश सभी सदस्यों को प्रस्तुत किए गए हैं। सचिव एनएमसी ने सदस्यों को बताया कि इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में बहुत प्रयास और अनुसंधान किया गया है और डॉ. जे.एल. मीणा, सदस्य एमएआरबी और डॉ योगेंद्र मलिक, सदस्य ईएमआरबी के प्रयासों और यूजी और पीजी मेडिकल बोर्ड के दोनों अध्यक्षों के मार्गदर्शन को रिकॉर्ड पर रखा गया है और इसमें बहुत ही व्यापक अभ्यास शामिल है जहां निरीक्षण और अनुमोदन प्रक्रिया से संबंधित प्रत्येक पहलू को शामिल किया गया है और दस्तावेज के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित करने की कोशिश की गई है। अध्यक्ष एनएमसी ने कहा है कि उपरोक्त दिशानिर्देश आयोग के सदस्यों की जानकारी और सुझाव, यदि कोई हो, के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

निर्णय:

आयोग के सदस्य ने एमएआरबी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दिशानिर्देशों को नोट किया।

11.4 अतिरिक्त बिंदुओं पर चर्चा की गई (अध्यक्ष के अनुमोदन पर):

क) एनएमसी के कई सदस्यों ने एनएमसी परिसर में प्रवेश करने में आने वाली कठिनाइयों का मुद्दा उठाया है क्योंकि सुरक्षा और अन्य स्टाफ सदस्यों को "एनएमसी सदस्य" के रूप में उनकी स्थिति के बारे में पता नहीं है।

निर्णय:

एनएमसी के अध्यक्ष ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि एनएमसी सदस्यों के प्रति उचित शिष्टाचार बढ़ाया जाएगा और प्रत्येक एनएमसी सदस्य को जल्द से जल्द आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।

ख) एनएमसी के कई सदस्यों ने संचार के लिए आधिकारिक एनएमसी मेल आईडी प्रदान करने का मुद्दा भी उठाया।

निर्णय:

आयोग ने सभी एनएमसी सदस्यों को आधिकारिक ईमेल आईडी प्रदान करने का संकल्प लिया।

ग) एनएमसी सदस्यों ने परामर्श और स्पष्टता की कमी और पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाए।

निर्णय:

विस्तृत चर्चा के बाद अध्यक्ष एनएमसी ने निर्णय लिया कि प्रवेश परीक्षा पर एनएमसी का एक विशेष पूर्ण दिन का सत्र और परामर्श अन्य हितधारकों जैसे मेडिकल परामर्श समिति (एमसीसी), राज्य परामर्श समिति (एससीसी) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), नेशनल बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन (एनबीई) आदि के साथ आयोजित की जाएगी।

घ) एनएमसी सदस्यों ने देश के विभिन्न हिस्सों में एनएमसी बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। एनएमसी अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत आयोग के सदस्यों को अवगत कराया गया, एनएमसी के अध्यक्ष को ऐसी बैठक का समय और स्थान तय करने का पूरा अधिकार है। तदनुसार, अध्यक्ष एनएमसी ने अगली एनएमसी बैठक केरल राज्य या किसी अन्य स्थान पर अनंतिम रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया, जैसा कि अध्यक्ष एनएमसी उचित समझे।

ङ) एनएमसी सदस्यों ने आगंतुकों के लिए पीने का पानी, प्रतीक्षा स्थान, शौचालय उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। सदस्यों ने जोर देकर कहा कि मानवीय आधार पर इस समस्या को तत्काल दूर किए

जाने की आवश्यकता है।

निर्णय:

ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए एक सुविधा केंद्र होगा। शिकायतों के निवारण के लिए सभी प्रयास ऑनलाइन के माध्यम से किए जाएंगे जब तक कि पीड़ित द्वारा असाधारण स्थिति में स्वयं आकर शिकायत न करनी पड़े। यह नोट किया गया कि बोर्ड और हाल ही में एनएमसी प्रशासन नियमित रूप से शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं।

च) आयोग के सदस्य ने मेडिकल कॉलेज में वास्तविक नैदानिक भार का आकलन करने के लिए इस मुद्दे को उठाया। आयोग के सदस्यों ने नैदानिक भार का आकलन करने के लिए एचआईएमएस को केंद्रीकृत एनएमसी डैशबोर्ड से जोड़ने की एनएमसी की पहल के बारे में अवगत कराया। तथापि, चूंकि कोई अद्वितीय रोगी आईडी नहीं है जो अब तक अनिवार्य है, अतः इस तरह के डेटा की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। अतः आयोग के सदस्यों ने संकल्प लिया कि मेडिकल कॉलेज को आयुष्मान भारत की एबीडीएम योजना को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके माध्यम से नैदानिक भार का आकलन किया जा सकता है। एबीडीएम पहचान के ऐसे प्रलेखन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ प्रोत्साहनों में रेटिंग पर उच्च स्कोर, भौतिक निरीक्षण से छूट आदि शामिल हैं।

सभापति और सदस्यों के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई

****

अनुलग्नक-I

विनियमों का मसौदा तैयार करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

i. इस उद्देश्य के लिए गठित अध्यक्ष-अनुमोदित उप-समिति, जहां आवश्यक हो, कानूनी विशेषज्ञ के साथ मसौदा विनियमन तैयार करने के लिए प्रस्तावित विनियमन का प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा।

ii. मसौदा विनियमन आयोग के सदस्यों के समक्ष उनकी टिप्पणियों और सुझावों के लिए परिचालित के माध्यम से रखा जाएगा, जिसे प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों में साझा किया जाएगा।

iii. एनएमसी सदस्यों की टिप्पणियों और सुझावों को शामिल करने के बाद, यदि कोई हो, एनएमसी की उप-समिति विशेषज्ञों के साथ अगले 7 दिनों में मसौदा विनियमन को अंतिम रूप देगी।

iv. हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए एनएमसी वेबसाइट पर कानूनी रूप से पुनरीक्षित विनियमन अपलोड करने से पहले अध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक है।

v. इसके बाद, मसौदा विनियमन को मसौदा नियमों के अपलोड होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए एनएमसी वेब पोर्टल/पब्लिक डोमेन पर अपलोड किया जाएगा।

vi. विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को उपसमिति द्वारा संकलित किया जाएगा और अगले 7 दिनों में तदनुसार मसौदा विनियमन को संशोधित किया जाएगा। इसके साथ ही संशोधित मसौदा विनियमन को हिंदी में भी अनुवाद के लिए भेजा जाएगा।

vii. एनएमसी सदस्यों के साथ सक्रिय चर्चा (और जहां एक विशेष बैठक में आवश्यक हो) आयोजित की जाएगी।

viii. एनएमसी द्वारा सुझाव पर डोमेन विशेषज्ञों से दूसरी राय लेने का विकल्प दिया जाए।

ix. अंतिम संस्करण अनुमोदन के लिए आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि अगले 15 दिनों में आयोग की बैठक निर्धारित नहीं है, तो इसे 7 दिनों के लिए अनुमोदन के लिए आयोग के सदस्यों को प्रसारित किया जाएगा।

x. अंतिम अनुमोदन के बाद, सचिव, एनएमसी के हस्ताक्षर के तहत अंतिम विनियमन अधिसूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

xi. पहले अधिसूचित विनियमन में कोई भी संशोधन आयोग से अनुमोदन के बाद ही शुरू किया जाएगा और उसके बाद अधिसूचना के लिए उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

अनुलग्नक-II

अपील समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(i) अध्यक्ष: एनएमसी- अपील समिति के अध्यक्ष

(ii) सभी बोर्डों के अध्यक्ष/सदस्य

(iii) एनएमसी अध्यक्ष द्वारा 02 अन्य एनएमसी सदस्य निश्चित अवधि के लिए मनोनीत।

संयोजक:- सचिव एनएमसी

- नियमित सचिव की अनुपस्थिति में निदेशक (पीएंडसी) संयोजक होंगे। संयोजक निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे।

- स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य जो निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसके खिलाफ अपील पर विचार किया जा रहा है, बैठक में शामिल नहीं होंगे। समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से उनकी टिप्पणियां मांगी जा सकती हैं।

कोरम: अपील समिति के 50% सदस्य जिसमें अध्यक्ष या मनोनीत सदस्य शामिल हैं, उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में।

अपील याचिकाओं का विश्लेषण करने और अपील समिति को इनपुट/सहायता प्रदान करने के लिए एक **तकनीकी विश्लेषण समूह** (टीएजी) का गठन किया जाएगा/लगाया जाएगा; टीएजी में संबंधित डोमेन विशेषज्ञ(विशेषज्ञों) को शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष ऐसे टीएजी समूह के संचालन के तौर-तरीकों को तय कर सकता है और अध्यक्ष को अपील समिति के लिए नियुक्ति विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को शक्ति सौंप सकता है। टीएजी के सदस्यों के रूप में लगे बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को एनएमसी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मानदेय/प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। अपील समिति की कार्यवाही वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है और अधिमानतः हाइब्रिड मोड में अनुमति दी जा सकती है।

अपील समिति इस प्रक्रिया में स्वतंत्र **कानूनी विशेषज्ञों** से भी यथावश्यक समर्थन मांग सकती है।

******

अनुलग्नक-III

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ का गठन

कर्मचारी विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एनएमसी में ***प्रशिक्षण प्रकोष्ठ*** का गठन प्रस्तावित है। यह सेल अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग, बाहरी साझेदारी की आवश्यकता, विश्वविद्यालयों और संगठनों को विशेष प्रशिक्षण संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंचने का भी निर्णय लेगा। यह सेल सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मंजूरी देगा और सुनिश्चित करेगा कि वे प्रासंगिक एनएमसी नियमों और नीतियों का पालन करें। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रशिक्षण रणनीति और ढांचे, आउटसोर्स एजेंसी को नियुक्त करने या प्रशिक्षण सामग्री विकास और वितरण के लिए जनशक्ति की भर्ती सहित कर्मचारी विकास कार्यक्रम के सभी घटकों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रशिक्षण विवरण

इन कार्यक्रमों के तहत सभी एनएमसी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे:

<table>
<tr><th>इन-हाउस कौशल विकास</th><th>ऑफ-साइट कौशल विकास</th></tr>
<tr><td><u>प्रवेश प्रशिक्षण</u>
सभी नवनियुक्तों के लिए (आउटसोर्स किए गए संसाधनों सहित)। इसमें एनएमसी की दृष्टि, मिशन, संगठन संरचना और प्रत्येक बोर्ड की जिम्मेदारी (लेकिन यह सीमित नहीं है), विभिन्न बोर्डों और विभागों का सामान्य कामकाज, नैतिकता संहिता, नियमों और विनियमों पर अद्यतन, अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं, कानूनी और नैतिक विचार, सुरक्षा और सेवा मानक, संचार प्रोटोकॉल और मैट्रिक्स आदि शामिल होगी।</td><td rowspan="3">कौशल उन्नयन: यह विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों और अन्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठन में पहचाने गए कैडर के लिए आयोजित किया जाएगा</td></tr>
<tr><td>कौशल विकास: ये सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, आईटी, डॉक्यूमेंटेशन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर सेमिनार, कार्यशालाओं, व्याख्यानों के माध्यम से विषय विशेषज्ञों द्वारा एनएमसी में आयोजित नियोजन प्रशिक्षण पर होंगे।</td></tr>
<tr><td>पुनश्चर्या प्रशिक्षण: यह सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण होगा और वर्ष में एक बार आयोजित किया जाएगा।</td></tr>
</table>

एनएमसी के कर्मचारियों के विभिन्न संवर्ग के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण योजना

पद	आंतरिक विकास कौशल	ऑफ-साइट कौशल विकास	अनुमोदन प्राधिकारी
सभापति	इंडक्शन रिफ्रेशर (वर्ष में एक बार)	प्रतिवर्ष 1-2 अंतर्राष्ट्रीय और 2-3 राष्ट्रीय सम्मेलन	माननीय एचएफएम
बोर्ड अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और एनएमसी सचिव	इंडक्शन रिफ्रेशर (वर्ष में एक बार)	प्रतिवर्ष 1-2 अंतर्राष्ट्रीय और 2-3 राष्ट्रीय सम्मेलन	अध्यक्ष एनएमसी
निदेशक/उप सचिव (डीएस)/वरिष्ठ पीपीएस अवर सचिव (यूएस)/पीपीएस	इंडक्शन (ज्वाइन करने के दौरान) कौशल विकास (एक/वर्ष) रिफ्रेशर (वर्ष में एक बार)	प्रतिवर्ष 1 अंतर्राष्ट्रीय और 1-2 राष्ट्रीय सम्मेलन	अंतर्राष्ट्रीय-अध्यक्ष राष्ट्रीय सम्मेलन- बोर्डों में आधिकारिक काम करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष एनएमसी-सचिव एनएमसी
अनुभाग अधिकारी (एसओ) और सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ)	इंडक्शन स्किल डेवलपमेंट (एक/वर्ष) रिफ्रेशर (वर्ष में एक बार)	प्रतिवर्ष 1 राष्ट्रीय सम्मेलन	राष्ट्रीय सम्मेलन-बोर्डों में आधिकारिक काम करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष एनएमसी-सचिव एनएमसी
सलाहकार	इंडक्शन रिफ्रेशर (वर्ष में एक बार)	लागू नहीं	
डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ)	इंडक्शन रिफ्रेशर (वर्ष में एक बार)	लागू नहीं	
ग्रेड - डी	इंडक्शन रिफ्रेशर (वर्ष में एक बार)	लागू नहीं	
आउटसोर्स स्टाफ	इंडक्शन रिफ्रेशर (वर्ष में एक बार)	लागू नहीं	

टिप्पणी: - 1. एक प्रशिक्षण में कुल अवधि के अधिकतम 7 कैलेंडर दिन शामिल होंगे। एक अधिकारी (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रशिक्षण की संख्या के एक वर्ष के विषय में अधिकतम 15 दिनों के प्रशिक्षण (यात्रा के समय को छोड़कर) का हकदार होगा।

2. कामकाज से जुड़े विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठित संस्थान के साथ सहयोग को मंजूरी देने की शक्ति एनएमसी के अध्यक्ष को होगी।

बजट: - एनएमसी के स्वयं के संसाधन निधि खाते से पूरा किया जाना है। प्रारंभ में इस उद्देश्य के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। एनएमसी सचिवालय उपर्युक्त प्रस्ताव को लागू करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करेगा।

अनुलग्नक-IV

i. एम.एससी. का अध्ययन करने के लिए, एनईईटी-यूजी और एनईईटी पीजी जैसी किसी विशेष परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भौतिकी, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान का अध्ययन करने की एक बुनियादी आवश्यकता पर्याप्त है जबकि एमडी का अध्ययन करने के लिए, एक उम्मीदवार को पूर्ववर्ती एमसीआई/एनएमसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एमबीबीएस पूरा करना आवश्यक है।

ii. एम.एससी. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मुख्य रूप से प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के बजाय अनुसंधान कार्य पर केंद्रित है, जबकि एमडी शिक्षा के मामले में, तैयार किया गया पाठ्यक्रम इस तरह से है कि नैदानिक प्रशिक्षण स्नातक पाठ्यक्रम अर्थात एमबीबीएस से शुरू होने वाले पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बन जाता है।

iii. मास्टर ऑफ साइंस (एमएस/एमएससी) आमतौर पर जीव-विज्ञान, रसायन-विज्ञान, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और सांख्यिकी जैसे विज्ञान के रूप में वर्गीकृत विषयों में दिया जाता है।

जबकि

डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसे आमतौर पर एमडी के रूप में जाना जाता है, एक स्नातकोत्तर डिग्री है जहां स्नातक विस्तार से चिकित्सा का अध्ययन करते हैं। यह तीन वर्ष का पाठ्यक्रम है जो चिकित्सा स्नातकों को स्वास्थ्य के रखरखाव, अध्ययन, रोकथाम, निदान और रोगों के उपचार में प्रशिक्षित करता है।

iv. एम.एससी. विषयों का अध्ययन केवल विशेष क्षेत्र में विषय का अवलोकन देता है जो उम्मीदवार को पीएच.डी. पाठ्यक्रम और शोध कार्यों के लिए योग्य बनाता है। एक एम.एससी. योग्य स्कूलों और कॉलेजों में एक मध्यवर्ती स्तर पर बुनियादी विज्ञान विषयों को पढ़ाने के लिए पात्र है, तथापि, एक ही डिग्री एक मेडिकल कॉलेज में विशेष रूप से नैदानिक प्रशिक्षण में एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाने के लिए पात्र नहीं है। एम.एससी. उम्मीदवार एमबीबीएस कॉलेज में नैदानिक प्रशिक्षण आयोजित करने में कुशल नहीं हैं क्योंकि वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं।

जबकि

एमडी के पास चिकित्सा क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव होता है, जो एम.एससी उम्मीदवार के मामले में नहीं होता है।

v. आईएमसी अधिनियम, 1956/एनएमसी अधिनियम, 2019 के प्रावधान के तहत बनाए गए सांविधिक

विनियम शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक अर्हता/शिक्षण अनुभव आदि निर्धारित करते हैं, ताकि आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा में स्नातक/स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता प्रदान करने के लिए प्रदान किए जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जा सके। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने निर्धारित किया है कि मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में नियुक्त सभी शिक्षण संकाय के पास संबंधित विशेषता में एमडी/एमएस अर्हता के साथ एमबीबीएस अर्हता होनी चाहिए, ताकि उन्हें संबंधित विभागों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सके, तथापि, शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-विज्ञान, जैव-रसायन, भेषजगुणविज्ञान और सूक्ष्मजीव-विज्ञान के विषयों में, मेडिकल संस्थानों के शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हता विनियम, 1998 के प्रावधानों के तहत मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को छूट के तौर पर मेडिकल पीएच.डी. अर्हता के साथ मेडिकल एमएससी अर्हता रखने वाले विज्ञान उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए उक्त विभागों में कुल पदों की संख्या के एक खास प्रतिशत तक छूट दी गई थी। ऐसी छूट केवल मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को प्रदान की गई थी और इससे याचिकाकर्ता जैसे विज्ञान उम्मीदवारों के पक्ष में कोई वैध आशा/निहित अधिकार नहीं बनाया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज/संस्थान अभी भी उक्त विषयों में 100% शिक्षण संकाय उम्मीदवारों की नियुक्ति कर सकते थे, जिनके पास संबंधित विशेषता में एमडी/एमएस योग्यता के साथ-साथ एमबीबीएस योग्यता भी हो।

vi. 2019 से, अर्हता आधारित चिकित्सा शिक्षा (सीबीएमई) पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें एक छात्र के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करते ही सभी विषयों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एकीकरण की आवश्यकता होती है।

vii. सीबीएमई पाठ्यचर्या के अनुसार, शरीर-रचना-विज्ञान को एमबीबीएस पाठ्यक्रम के चरण 1 और चरण 2 के अन्य विषयों के साथ प्रासंगिक शल्य चिकित्सा विषयों के साथ एकीकृत किया गया है। अन्य विषय भी इसी तरह एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उपदेशात्मक व्याख्यान कुल शिक्षण घंटों का केवल 40% हैं।

viii. अत: इस तेजी से बदलते आधुनिक युग में चिकित्सा शिक्षा के साथ अपेक्षित न्याय केवल चिकित्सा अर्हता वाले शिक्षकों द्वारा ही किया जा सकता है न कि गैर-चिकित्सा संकायों द्वारा।

ix. चिकित्सा संस्थाओं में शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हताएं विनियम, 1998 की अनुसूची-I के खंड 2 में यथा उपबंधित विषयों में किसी सामान्य विज्ञान महाविद्यालय से बी.एससी. और एम.एससी. अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 10+2 के बाद किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

x. विज्ञान के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के साथ संविदात्मक नियुक्ति के अवसर का लाभ उठाते हैं, अतः वे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी नियुक्तियों से जुड़े मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं कि अस्थायी रूप से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए अत्यधिक आकर्षक है जब उक्त शैक्षणिक वर्ष में

छात्रों के नए बैच को प्रवेश देने के लिए अनुमति/नवीकरण प्रदान करने पर विचार करने के लिए एनएमसी के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किया जाने वाला हो।

xi. नेपाली साई विकास और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, डब्ल्यू.पी.(सी) 2022 की संख्या 124 में, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए रिक्त स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों के मुद्दे से निपटने और इसे भरने के लिए प्रतिशत में और कमी दर्ज की गई थी कि विभिन्न स्नातकोत्तर विषयों में 282 सीटें खाली थीं। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर विषयों में रिक्त 282 सीटों का यह डेटा केंद्र सरकार द्वारा विधिवत प्रदान किया गया था।

xii. टीईक्यू विनियम, 1998 की अनुसूची-I के तहत खंड 2 के तहत यथा उल्लिखित गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति को गैर-नैदानिक विभागों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए वैकल्पिक बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, निदेशक अथवा प्रधानाचार्य अथवा डीन अथवा चिकित्सा अधीक्षक के पद के लिए गैर-चिकित्सीय शिक्षकों की नियुक्ति प्रतिबंधित थी।

xiii. गजट अधिसूचना में वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम, 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकता के प्रकाशन से पहले इन सभी पहलुओं पर पूरी तरह से विचार-विमर्श किया गया था।

xiv. तथापि, एमएसआर 2020, स्वयं गैर-मेडिकोस शिक्षकों के मुद्दों का निवारण करता है क्योंकि जीएमई विनियम, 2023 के तहत एक शोध प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए राजपत्रित सीबीएमई दिशानिर्देश हैं जो एम.एससी. पीएच.डी. और एमएससी कर्मियों की स्थिति को उन्नत करेंगे और भारत में कॉलेजों/संस्थानों में अनुसंधान कौशल में सुधार करेंगे।

xv. देश में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण और प्रशिक्षण के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए, एनएमसी ने अपनी विभिन्न बैठकों में आयोजित की जिसमें बैठक के सदस्यों ने बार-बार मेडिकल कॉलेजों में गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति को खारिज कर दिया है।

xvi. यदि संकाय की कमी को पूरा करने के लिए इन गैर-चिकित्सीय शिक्षकों को चरण-I और चरण-II विभागों में नियुक्त करने की अनुमति दी जाती है तो देश भर के मेडिकल कॉलेजों के संबंध में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों की मान्यता/नवीकरण/मान्यता को जारी रखने के लिए आवेदनों की समीक्षा करते समय निम्नलिखित शाखाओं में भी संकाय/वरिष्ठ अधिकारियों की भारी कमी है:

- न्याय चिकित्सा और विषज्ञान
- आपातकालीन चिकित्सा

- श्वसन चिकित्सा
- विकिरण निदान
- प्रसूति एवं स्त्री रोग
- चिकित्सा
- सर्जरी
- नेत्र विज्ञान
- ईएनटी
- बाल रोग
- रोग-निदान

xvii. तत्पश्चात्, उपर्युक्त विभागों में सीटों के बदलते ग्राफ की समीक्षा करते हुए यह महसूस किया गया कि गैर-चिकित्सा संकाय की बजाय एमडी/एमएस अर्हता वाले अधिक से अधिक चिकित्सा संकाय नियुक्त किए जाएं। शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2020-21 तक उपर्युक्त विभागों में सीटों की संख्या में वृद्धि के आंकड़े संलग्न हैं।

xviii. इसके अलावा, पुराने नियमों में हमेशा यह उल्लेख किया गया था कि गैर-चिकित्सा संकाय की नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अनुपलब्धता के अधीन थी।

xix. उपर्युक्त पैरा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेजों में गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में पहले दी गई छूट को आगे के वर्षों के लिए बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में चिकित्सा संकाय की अपेक्षित संख्या को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्नातकोत्तर सीटें और साथ ही पात्र चिकित्सा संकाय उपलब्ध हैं।

xx. गजट अधिसूचना में वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम, 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकता के प्रकाशन से पहले इन सभी पहलुओं पर पूरी तरह से विचार-विमर्श किया गया था।

xxi. यूजीएमईबी द्वारा आश्वासन के अनुसार, नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने, विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-I में नए दिशानिर्देशों के तहत, अनुसंधान के क्षेत्र में एम.एससी. योग्य शिक्षकों को अवसर प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं।

******

10.1.3 12वीं एनएमसी बैठक

सीडीएन 12011/5/2023-
समन्वय-एनएमसी
भारत सरकार
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
नीति और समन्वय प्रभाग

वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

पॉकेट-14, सैक्टर-8,
द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-77
दिनांक: 05-12-2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की एनएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में 30 नवंबर, 2023 को आयोजित 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की एनएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में 30 नवंबर, 2023 को आयोजित 12वीं राष्ट्रीय बैठक का उल्लेख करने और बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

2. इसे एनएमसी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोपरि

विपुल शीतलप्रसाद अग्रवाल
द्वारा हस्ताक्षरित
दिनांक: 05-12-2023 19:05:00
कारण: स्वीकृत
डॉ. विपुल अग्रवाल)
सचिव, एनएमसी

सेवा में,

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि: -

1. एनएमसी के सभी बोर्डों/प्रभागों/अनुभागों को इसमें लिए गए निर्णयों/बिन्दुओं के संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।

2. अध्यक्ष, एनएमसी के पीपीएस

3. सचिव, एनएमसी के पीपीएस

4. गार्ड फ़ाइल

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 30 नवंबर 2023 को प्रातः 10:00 बजे हुई 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 12वीं बैठक 30 नवंबर 2023 को प्रातः 10:00 बजे सम्मेलन कक्ष, पहली मंजिल, एनएमसी भवन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, एनएमसी	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी	सदस्य
3.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पीजीएमईबी	सदस्य
4.	डॉ. अतुल गोयल, महानिदेशक, डीजीएचएस	सदस्य
5.	प्रोफेसर ध्रुब ज्योति बोरा, वीसी, एसएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, असम	सदस्य
6.	डॉ. संतोष कुमार क्रालेती, सीईओ, फुट सोल्जर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
7.	डॉ. स्मिता कोल्हे, बैरागढ़, मेलाघाट, महाराष्ट्र	सदस्य
8.	प्रो. श्री. हेम चंद्र, कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
9.	प्रो. श्री. एस.के. मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय	सदस्य
10.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना	सदस्य
11.	डॉ. अशोक चंद्राकर, कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	सदस्य
12.	डॉ. एम. के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक	सदस्य
13.	डॉ. मोहनन कुन्नुममल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	सदस्य
14.	डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
15.	डॉ. विजय कुमार, पंजाब आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य

16.	डॉ. राजीव सूद, दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
17.	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
18.	डॉ. बुचीपुडी संबासिवा रेड्डी, आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
19.	डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
20.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, यूजीएमईबी, एनएमसी	आमंत्रित
21.	डॉ. योगेंद्र मलिक, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
22.	डॉ. जे.एल. मीना, पूर्णकालिक सदस्य, एमएआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
23.	श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन), एनएमसी	आमंत्रित
	विशेष आमंत्रित सदस्य	
1.	डॉ. बी श्रीनिवास, डीडीजी (एमई), एमसीसी और डीजीएचएस	आमंत्रित
2.	डॉ. स्पर्श गुप्ता, विशेष अधिकारी, डीजीएचएस	आमंत्रित
3.	डॉ. प्रवीण के दास, विशेष अधिकारी, डीजीएचएस	आमंत्रित
4.	श्री सचिन, संयुक्त निदेशक, एनआईसी	आमंत्रित

1. स्वागत भाषण

श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक (पीएंडसी, आईटी) एनएमसी ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 12वीं बैठक में सभी सदस्यों, आमंत्रितों का स्वागत किया और एनएमसी के अध्यक्ष से अपना स्वागत भाषण देने का अनुरोध किया।

एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी की 12वीं बैठक में सभी सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया। उन्होंने एनएमसी की 11वीं बैठक के तुरंत बाद डेढ़ महीने की अवधि के भीतर आयोजित एनएमसी की 12वीं बैठक में भाग लेने के लिए एनएमसी के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी बताया कि तथापि, इस बैठक को दिल्ली के बाहर बुलाने पर विचार किया गया था, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे आयोजित नहीं किया जा सका। तथापि, उन्होंने उल्लेख किया कि अगली एमएसी बैठक शायद दिसंबर के महीने में आयोजित की जाएगी, और किसी भी नए कार्यसूची के मामले में अगली एनएमसी बैठक एमएसी बैठक के साथ भी आयोजित की जा सकती है। उन्होंने श्री पंकज अग्रवाल निदेशक (पी एंड सी, आईटी) से एनएमसी सदस्यों को उनके सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए बैठक का कार्यसूची प्रस्तुत करने के लिए कहा।

2. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक (पी एंड सी, आईटी) एनएमसी ने 12वीं एनएमसी बैठक के 11वें कार्यवृत्त को ध्यान में लाया, जिसे 1 नवंबर 2023 को एनएमसी के सभी सदस्यों को प्रसारित किया गया था और सदस्यों से कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था।

चर्चा के बाद एनएमसी ने 11वीं एनएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3. 18 अक्टूबर 2023 को आयोजित 11वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णयों पर पिछली एनएमसी बैठक पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर):

(क) एनईएक्सटी विनियम:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

निर्णय के अनुसार, 11वें राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के निर्णय से अवगत कराते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एक पत्र **(अनुलग्नक-क)** भेजा गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त एनईएक्सटी पर डीजीएचएस के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित समिति की बैठक के कार्यवृत्त **(अनुलग्नक-ख)** को सभी एनएमसी सदस्यों के साथ साझा किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

(ख) वर्ष **2022-23** के लिए वार्षिक लेखा विवरण को अपनाना ताकि उसे लेखापरीक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजा जा सके:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

वर्ष 2022-23 के लिए एनएमसी के वार्षिक विवरण खातों पर सीएजी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अपनाना 12वीं एनएमसी बैठक के कार्यसूची के रूप में शामिल किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

(ग) कॉलेज ऑफ़ फिजीशियन्स एंड सर्जन्स के अवशेषी पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दे

प्रस्तुतः

पीजीएमईबी नियत समय में एनएमसी सदस्यों को प्रगति प्रस्तुत करेगा.

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

(घ) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ समझौता-ज्ञापन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

निर्णय के अनुसार, एडीबी और एनएमसी के बीच मसौदा समझौता-ज्ञापन को सभी एनएमसी सदस्यों के साथ जानकारी के लिए साझा किया गया है **(अनुलग्नक-ग)**। आर्थिक विभाग, वित्त मंत्राला से उत्तर प्रतीक्षित है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

(ङ) डब्ल्यूएफएमई द्वारा प्रत्यायन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

इस मामले पर समन्वय बैठक में चर्चा की गई जिसमें यह विचार किया गया कि एनएमसी का प्रकाशन प्रभाग भारतीय चिकित्सा समुदाय पर डब्ल्यूएफएमई मान्यता के प्रभाव के संबंध में एक विस्तृत वक्तव्य जारी कर सकता है। **आयोग इस मुद्दे पर फिर से विचार कर सकता है।**

निर्णय: इस संबंध में विस्तृत चर्चा के बाद एनएमसी सदस्यों ने निम्नानुसार संकल्प लिया है:

डब्ल्यूएफएमई प्रत्यायन के निहितार्थों का प्रसार/स्पष्ट करने और चिकित्सा समुदाय/छात्रों में संदेह दूर करने के लिए वेबिनार आयोजित करने और विस्तृत एफएक्यू के साथ परिपत्र वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय लिया गया है।

(च) एनएमसी नियमों के प्रारूपण और प्रकाशन और उसके संशोधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

11वें एनएमसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अनुमोदित एसओपी को सभी बोर्डों/प्रभागों के साथ साझा किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(छ) आवश्यक सहायता के साथ एनएमसी अपील समिति की संरचना के लिए अनुमोदन:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी के निर्णय के अनुसार अपील समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसकी एक प्रति **(अनुलग्नक-घ)** पर है। तकनीकी विश्लेषण समूह (टीएजी) का मामला प्रक्रियाधीन है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

(ज) एनएमसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

यह प्रक्रियाधीन है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(झ) एनएमसी अधिनियम 2023 की धारा 60 (1) के दूसरे परंतुक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना एसओ संख्या 3260 (ङ) दिनांक 24 सितंबर 2020 के अनुसार संविदात्मक कर्मचारियों सहित पूर्ववर्ती एमसीआई के कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग के निर्णय को प्रभावी करने के लिए एक परिपत्र स्थापना प्रभाग, एनएमसी द्वारा 24.11.2023 **(अनुलग्नक-ङ)** को जारी किया गया है। तथापि, एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा यह नोट किया गया है कि किसी भी वर्तमान परामर्शदाता के लिए यथा अनुमोदित विस्तार के आदेश के प्रभाव को भी यथा उपयुक्त जारी किए

जाने की आवश्यकता है। संबंधित प्रभाग उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

(ञ) एनएमसी के सदस्य/अध्यक्ष/चेयरमैन/सचिव के लिए वार्षिक निष्पादन और मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का रिकॉर्ड न होना

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग के निर्णय को प्रभावी करने के लिए एक परिपत्र स्थापना प्रभाग**,** एनएमसी द्वारा 24.11.2023 को जारी किया गया है **(अनुलग्नक-च)**

निर्णय:

कृत करवाई रिपोर्ट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सचिव एनएमसी की भूमिका और कार्यों पर विस्तृत चर्चा और विचार-विमर्श किया गया, जिसमें अध्यक्ष एनएमसी द्वारा यह बताया गया है कि सचिव के कार्यों सहित प्रशासनिक विनियमन तैयार किए जा रहे हैं और 11वीं एनएमसी बैठक में अनुमोदित एसओपी के अनुसार, ऐसे नियमों को तैयार करने के लिए समिति बनाई जाएगी। ऐसे नियमों को तैयार करते समय आयोग के सदस्य के साथ हितधारकों का परामर्श किया जाएगा।

(ट) अध्यक्ष/सदस्य/सचिव एनएमसी प्रगति को शैक्षणिक भत्ता की अनुमति देना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

<u>अतिरिक्त विशेष एनएमसी भत्ता:</u> विशेष एनएमसी भत्ते से संबंधित मुद्दों के लिए डॉ. दत्तेश्वर होता की अध्यक्षता में कार्यालय आदेश दिनांक 24.11.2023 **(अनुलग्नक-छ)** द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(ठ) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अपनाई गई पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अधीनस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आयोग के निर्णय को प्रभावी करने के लिए एक कार्यालय आदेश स्थापना प्रभाग, एनएमसी द्वारा 06.11.2023 **(अनुलग्नक-ज)** को जारी किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(ड) डीएमएमपी-I के लिए वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के ओ एंड एम अनुबंध का विस्तार 3 महीने की और अवधि के लिए:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

निर्णय के अनुसार, डीएमएमपी-I परियोजना के लिए विद्यमान एसआई के साथ अनुबंध को पहले की तरह ही नियमों और शर्तों पर 3 और महीनों (अर्थात 31.01.2024 तक) के लिए अनुबंध के दायरे से आगे बढ़ा दिया गया है, और इसे पत्र संख्या डी-130024/01/2021/एनएमसी/डीएमएमपी-I (खंड II) दिनांक 06-11-2023 **(अनुलग्नक-झ)** के तहत एसआई को सूचित किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(ढ) डीएमएमपी-I बकाया भुगतान का अनुमोदन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

निर्णय के अनुसार, एसआई को दिनांक 06-11-2023 के पत्र द्वारा डीएमएमपी-I परियोजना के लिए प्रस्तावित दंड और निवल भुगतानों की गणना के बारे में सूचित किया गया था। बकाया भुगतान का मामला विचाराधीन है **(अनुलग्नक-झ)।**

निर्णय:

आयोग ने इस मुद्दे पर कृत करवाई रिपोर्ट नोट किया, तथापि, एनएमसी द्वारा पहले से अनुमोदित भुगतान जारी करने से संबंधित मुद्दों को देय राशि के संबंध में एसआई से प्रतीक्षित आपत्तियों के संबंध में लागू नहीं किया जा रहा है, अतः आयोग ने इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा अनुशंसित लागू करों के साथ 7,70,11,626/- रुपये (सात करोड़ सत्तर लाख ग्यारह हजार छह सौ छब्बीस रुपये) के भुगतान को मंजूरी देने का संकल्प लिया ताकि सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त संकल्प लिया गया कि शास्ति के भुगतान (विवादित राशि) के मुद्दे पर एसआई से विस्तृत अभ्यावेदन प्राप्त होने और एनएमसी सचिवालय द्वारा उचित सत्यापन के बाद विचार किया जाएगा।

(ण) उन एमबीबीएस छात्रों के संबंध में एकमुश्त छूट की मांग करना जिन्होंने वर्ष 2021 में यूक्रेन में प्रवेश लिया था; और

फिलीपींस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एफएमजीएल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बीएस पाठ्यक्रम+एमडी पाठ्यक्रम को शामिल करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार और डॉ. मोहनन कुन्नुमल की अध्यक्षता में गठित एनएमसी की उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर, यूजीएमईबी ने अपनी सार्वजनिक सूचना दिनांक 22.11.2023 **(अनुलग्नक-ञ)** के माध्यम से विदेशी चिकित्सा स्नातकों (एफएमजी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी किया, जो एनएमसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

तथापि, यह देखा गया है कि एफएमजी से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे अभी भी लंबित हैं:

(i) उन छात्रों से संबंधित समस्या जो वर्ष 2021 से पहले फिलीपींस में बीएस+एमडी पाठ्यक्रम में शामिल हुए थे।

(ii) युद्ध की अवधि के दौरान 18.11.2021 के बाद यूक्रेन में चिकित्सा अध्ययन में शामिल होने वाले छात्रों से संबंधित मुद्दा।

(iii) वर्तमान में एफएमजीएल परीक्षा एक वर्ष में दो बार आयोजित की जा रही है, तथापि,, इंटर्नशिप वर्ष में केवल एक बार शुरू होती है। एक वर्ष में दो बार इंटर्नशिप की अनुमति देने से संबंधित मुद्दे।

इसके मद्देनजर, यह प्रस्ताव किया जाता है कि यही समिति एफएमजी से संबंधित इन छूटे हुए मुद्दों और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार कर सकती है।

निर्णय:

एनएमसी ने कृत कार्रवाई को नोट किया और विस्तृत चर्चा के बाद प्रस्तावित कार्रवाई को मंजूरी दे दी।

(त) मान्यता विनियमों पर चर्चा:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

चिकित्सा अर्हता के लिए चिकित्सा अर्हता नियमों की मान्यता को 12वीं एनएमसी बैठक के लिए एक नए कार्यसूची के रूप में शामिल किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(थ) राष्ट्रीय एम.एससी. चिकित्सा शिक्षक संघ (एनएमएमटीए) द्वारा गैर-चिकित्सा शिक्षकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रतिशत में कमी से संबंधित मामला उठाया गया:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने एनएमसी सदस्य को इस मुद्दे पर की गई प्रगति/कार्रवाई के बारे में सूचित किया।

निर्णय:

विस्तृत चर्चा के बाद, एनएमसी ने मामले में कृत कार्रवाई को नोट किया।

ध) टीईक्यू विनियम, 2022 में संशोधन:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

पीजीएमईबी से कृत करवाई रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

निर्णय:

पीजीएमईबी एनएमसी की अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत करेगा।

न) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 2023 के मसौदे को मंजूरी:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

संशोधित मसौदा पीजीएमईआर पहले ही सभी एनएमसी सदस्यों को परिचालित किया जा चुका है **(अनुलग्नक-ट)** अंतिम रूप दिए गए पीजीएमईआर को अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

निर्णय:

आयोग ने कहा कि नए सिरे से कार्यसूची होने के मामले पर विचार किया जाएगा।

प) शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आईएनआई के साथ जुड़ाव:

प्रगति प्रस्तुत की गई

ईएमआरबी से कृत करवाई रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

निर्णय:

एनएमसी की अगली बैठक में कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी।

फ) एनएमसी के लोगो का संशोधन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

अनुमोदित लोगो को एनएमसी वेबसाइट पर अपडेट किया गया है और आधिकारिक संचार **(अनुलग्नक-ठ)** में उपयोग के लिए सभी बोर्डों/डिवीजनों के साथ साझा किया गया है

निर्णय:

आयोग के सदस्यों ने कृत कार्रवाई को मंजूरी दे दी है।

ब) एनएमसी सदस्यों को एनएमसी परिसर में प्रवेश करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, एनएमसी के सभी सदस्यों को आईडी-कार्ड जारी करने से संबंधित कार्रवाई कार्यान्वयनाधीन है। इसके अलावा दिनांक 14.11.2023 **(अनुलग्नक-ड)** के माध्यम से, सुरक्षा पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ

उचित शिष्टाचार किया जाए। "एनएमसी प्रतिनिधि" स्टिकर वाले वाहनों को बिना किसी देरी के एनएमसी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। एनएमसी सदस्यों को बैठक के दौरान और रसद के लिए सुविधा प्रदान की जा सकती है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

भ) एनएमसी सदस्यों के लिए आधिकारिक एनएमसी ई-मेल आईडी प्रदान करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी के सभी सदस्यों के लिए उनके उपयोग के लिए ई-मेल आईडी बनाई गई हैं और बैठक के दौरान उन्हें अवगत करा दिया जाएगा।

बैठक के दौरान उपस्थित सभी एनएमसी सदस्यों को ई-मेल आईडी और पासवर्ड सौंप दिए गए हैं।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

म) परामर्श से संबंधित मुद्दे और स्पष्टता का अभाव तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

प्रगति प्रस्तुत की गई:

08.11.2023 **(अनुलग्नक-ढ)** और 22.11.2023 **(अनुलग्नक-ढ1)** को परामर्श से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एमसीसी डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ दो बैठकें आयोजित की गई हैं। जैसा कि इन बैठकों में निर्णय लिया गया है, एमसीसी एनएमसी की 12वीं बैठक में एनएमसी के समक्ष एक प्रस्तुति देगा।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(यक) देश के विभिन्न भागों में एनएमसी की बैठकों का आयोजन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण 12वीं बैठक एनएमसी परिसर में आयोजित की जाएगी और अध्यक्ष, एनएमसी देश के अन्य हिस्सों में एनएमसी की भविष्य की बैठकें आयोजित करने के लिए स्थल के बारे में निर्णय लेंगे।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(यख) आगंतुकों के लिए पीने का पानी, प्रतीक्षा स्थान, वॉशरूम उपलब्ध नहीं है।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सुविधा केंद्र तैयार करने से संबंधित मामला विचाराधीन है। इसके अलावा, सुविधा केंद्र के निर्माण तक सुरक्षा गार्ड की देखरेख में आगंतुकों को एनएमसी के वॉशरूम का उपयोग करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, आगंतुकों के लिए एनएमसी के मुख्य द्वार पर डिस्पोजेबल ग्लास के साथ पानी निकालने की मशीन जैसी आवश्यक व्यवस्था पहले से ही की गई थी।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है

(यग) मेडिकल कॉलेजों में वास्तविक नैदानिक भार का आकलन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आईटी प्रभाग, एनएमसी ने अपने परिपत्र दिनांक 23.11.2023 **(अनुलग्नक-ण)** के तहत सभी मेडिकल कॉलेजों से आग्रह किया कि वे उस अस्पताल में मदद मांगने वाले रोगियों को एबीएचए आईडी बनाने की सुविधा के लिए अपने अस्पतालों में एक उपयुक्त बुनियादी ढांचा प्रदान करें। इससे स्नातक/स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रत्येक कॉलेज में उपलब्ध नैदानिक सामग्री पर विश्र्वसनीय आंकडे़ उपलब्ध होंगे ताकि मूल्यांकन को वैध बनाया जा सके और रेटिंग प्रक्रियाओं में सहायता भी मिल सके।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि एनआईसी

केंद्रीकृत एचएमआईएस सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है, जहां सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की एचएमआईएस प्रणाली को एकीकृत किया जाएगा।

4. बीच की अवधि के दौरान एनएमसी गतिविधियों और निर्णयों पर अपडेट:

क. ईएमआरबी (नैतिकता) द्वारा की गई प्रगति:

क्र.सं.	**कार्य की प्रकृति**	**निपटाए गए मामले**
I.	**जून 2023 से सितंबर, 2023 के दौरान नैतिकता अनुभाग पूरा हुआ:**	
1	ईएमआरबी की आंतरिक बैठकें	04 बैठकें आयोजित की गईं
2	अपीलों का निस्तारण	15* अपील
II.	**नैतिकता अनुभाग अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर, 2023 के दौरान पूरा किया गया:**	
1	ईएमआरबी की आंतरिक बैठकें	03 बैठकें आयोजित की गईं
2	अपीलों का निस्तारण	8* अपील
III.	ईएमआरबी में शुल्क के भुगतान से संबंधित मामलों के लिए शुल्क अद्यतन करने के लिए डॉ. संतोष कुमार करालेटी को एक विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है जो शीघ्र ही बोर्ड को इस मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।	

निर्णय: नोट किया गया

ख. प्रकाशन प्रभाग:

प्रकाशन विभाग द्वारा अक्टूबर, 2023 से नवंबर, 2023 तक की गई प्रगति:

1. एनएमसी के वॉल कैलेंडर, 2024 को प्रभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और जल्द ही प्रकाशन के लिए तैयार हो जाएगा।

2. एनएमसी के डेस्क कैलेंडर, 2024 को प्रभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और जल्द ही प्रकाशन के लिए तैयार हो जाएगा।

3. विशेषण प्रशिक्षण माड्यूल नामक एक पुस्तिका को अंतिम रूप दे दिया गया है और मुद्रण की प्रक्रिया चल रही है।

4. "व्यावसायिक आचरण समीक्षा" (केस अभिलेखागार से सबक) पर पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदित किया गया है। इसे मुद्रित किया जाएगा और सभी हितधारकों को परिचालित किया जाएगा।

5. एनएमसी विनियमों का संग्रह; एनएमसी सलाह, सार्वजनिक सूचनाएं, परिपत्र और दिशानिर्देश अंतिम रूप दिए गए हैं और अनुमोदित किए गए हैं। इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।

6. एनएमसी की विभिन्न गतिविधियों/पहलों और घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां, सार्वजनिक सूचनाएं आदि समय-समय पर मीडिया/पब्लिक डोमेन में प्रकाशित की जाती हैं।

निर्णय: नोट किया गया

ग. नीति और समन्वय प्रभाग:

<u>वार्षिक रिपोर्ट:</u> वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे एनएमसी के सभी सदस्यों को सूचना के लिए परिचालित किया जाएगा और संसद के सदनों में रखने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय: नोट किया गया

5. नई कार्यसूची मदें

i. <u>परामर्श प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।</u>

एनएमसी की 11वीं बैठक में, सदस्यों ने परामर्श और स्पष्टता की कमी और पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न मुद्दों को उठाया। विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रवेश परीक्षा और परामर्श पर एनएमसी का एक विशेष पूर्ण दिवसीय सत्र अन्य हितधारकों जैसे मेडिकल परामर्श समिति (एमसीसी), राज्य परामर्श समितियों (एससीसी) और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) आदि के साथ आयोजित किया जाएगा।

तदनुसार, 08.11.2023 **(अनुलग्नक-ढ)** और 22.11.2023 **(अनुलग्नक-ढ1)** को परामर्श से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एमसीसी डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ दो बैठकें आयोजित की गई हैं।

विचार-विमर्श:

एमसीसी टीम ने बैठक के दौरान एनएमसी सदस्यों के समक्ष एक प्रस्तुति दी और सदस्यों द्वारा इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है।

निर्णय:

विस्तृत चर्चा के बाद एनएमसी सदस्यों ने निम्नलिखित का समाधान किया:

i. **एनएमसी ने एनएमसी अधिनियम, 2019 [धारा 57 (2) (i)] के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत एक विस्तृत विनियमन बनाने का संकल्प लिया।**

ii. **एनएमसी ने उपरोक्त नियमों को तैयार करने के लिए समिति बनाने के लिए अध्यक्ष एनएमसी को अधिकृत करने का संकल्प लिया।**

iii. **एनएमसी ने एनआईसी के साथ राज्य चिकित्सा परामर्श समितियों और एमसीसी के साथ व्यापक हितधारक परामर्श करने का निर्णय लिया।**

समिति में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया है, कार्यालय आदेश निम्नानुसार होगा।

1. **डॉ. अरुणा वाणीकर, अध्यक्ष - यूजीएमईबी**
2. **डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष - पीजीएमईबी**
3. **डॉ. अतुल गोयल- महानिदेशक, डीजीएचएस**
4. **डॉ. करुणाकर रेड्डी - सदस्य एनएमसी और वीसी, केएनआरयूएचएस, तेलंगाना**
5. **डॉ. अशोक चंद्राकर - सदस्य एनएमसी एवं वीसी, पीडीयूएमएचएस एवं एयू, छत्तीसगढ़**

ii. <u>वर्ष 2022-23 के लिए एनएमसी के वार्षिक विवरण खातों पर सीएजी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अपनाना</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 16 सितंबर 2019 की अधिसूचना में कहा गया है कि "भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित आयोग के वार्षिक खातों और आयोग द्वारा अंगीकृत होने के बाद उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

उपर्युक्त के मद्देनजर, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट **(अनुलग्नक-1)** के साथ आयोग के समक्ष उनके अंगीकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए एनएमसी के वार्षिक लेखा विवरण आयोग के समक्ष एनएमसी की 10वीं बैठक में उनकी मंजूरी और अपनाने के लिए रखे गए थे। इसे आयोग द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया गया था। उसके बाद

लेखा के वार्षिक विवरण सीएंडएजी के कार्यालय को भेजे गए थे। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा के लिए एनएमसी में अपनी टीम प्रतिनियुक्त की। प्रतिनियुक्त दल द्वारा लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने उत्तर/टिप्पणियों के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) अग्रेषित की। एनएमसी ने पैरावार टिप्पणियां एसएआर को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय को प्रस्तुत की। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने एसएआर के साथ इस अनुरोध के साथ प्रमाणपत्र जारी किया है कि इसे संसद के दोनों सदनों में रखे जाने से पहले अंगीकरण हेतु आयोग की बैठक में रखा जाए।

निर्णय:

आयोग वर्ष 2022-23 के लिए एनएमसी के वार्षिक लेखा विवरण पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र और अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अपनाता है।

iii. विश्राम/सेकेंडमेंट पर कर्मियों की भर्ती के लिए दिशानिर्देश

एनएमसी को स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान, थिंक टैंक, प्रौद्योगिकी, कानून, नीति, सामाजिक विज्ञान, प्रशासनिक और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों से प्रतिभा को आकर्षित करने की आवश्यकता होगी। ये सभी प्रतिभाएं आवश्यक रूप से सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। अतः, एनएमसी स्वैच्छिक आधार पर एनएमसी के साथ काम करने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के लोगों को लेने के लिए तैयार है।

यह देखते हुए कि एनएमसी और स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी), नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) सहित इसके संबंधित बोर्ड अपने डिजाइन, दायरे, आकार और कार्यान्वयन में अद्वितीय हैं और स्वास्थ्य देखभाल, नीतियों, चिकित्सा अनुसंधान, विनियमों, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अज्ञात क्षेत्रों को निरूपण करेंगे। पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा व्यवसायी और प्रबंधन, यह आवश्यक है कि इसकी अकादमिक अनुसंधान, आईटी, प्रबंधन, थिंक टैंक, परोपकारी, सार्वजनिक नीति और लोक प्रशासन के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय पेशेवरों तक पहुंच हो। अत: यह महसूस किया गया है कि दिशानिर्देशों, ढांचे, विनियमों और नीतियों आदि को तैयार करने से संबंधित जानकारी प्रदान करने और अपनी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए विश्राम/सेकेंडमेंट पर कार्मिकों की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस की गई है।

iv. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में ऑन बोर्डिंग स्वयंसेवकों के लिए दिशानिर्देश

एनएमसी को स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान, थिंक टैंक, प्रौद्योगिकी, कानून, नीति, सामाजिक विज्ञान, प्रशासनिक और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों से प्रतिभा को आकर्षित करने की आवश्यकता होगी। ये सभी प्रतिभाएं आवश्यक रूप

से सरकार के पास उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। अतः, एनएमसी स्वैच्छिक आधार पर एनएमसी के साथ काम करने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत के लोगों को लेने के लिए तैयार है।

यह देखते हुए कि एनएमसी और इसके संबंधित बोर्ड जिनमें स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी), नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) शामिल हैं, उनके डिजाइन, दायरे, आकार और कार्यान्वयन में अद्वितीय हैं और स्वास्थ्य देखभाल, नीतियों, चिकित्सा अनुसंधान, विनियमों, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अज्ञात क्षेत्रों को निरूपण करेंगे। पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा व्यवसायी और प्रबंधन, यह आवश्यक है कि शिक्षा, अनुसंधान, आईटी, प्रबंधन, थिंक टैंक, परोपकारी, सार्वजनिक नीति और लोक प्रशासन के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय पेशेवरों तक इसकी पहुंच हो। अतः दिशानिर्देशों, ढांचे, विनियमों और नीतियों आदि के निर्माण से संबंधित इनपुट प्रदान करने और अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए स्वयंसेवकों की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस की गई है।

v. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में ऑन बोर्डिंग इंटर्न के लिए दिशानिर्देश

दिशा-निर्देशों में उन छात्रों को "इंटर्न" के रूप में शामिल करना है जो हाल ही में स्नातक/स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट हैं या भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान में नामांकित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री कर रहे हैं। "इंटर्न" को एनएमसी के भीतर विभिन्न विभागों में एक्सपोजर दिया जाएगा और एनएमसी में विद्यमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में योगदान देने की आशा की जाएगी। एनएमसी में "इंटर्न" एनएमसी के विभिन्न पहलुओं के संपर्क में आएंगे, यह स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी), नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) सहित संबंधित बोर्ड हैं।

यह देखते हुए कि एनएमसी और इसके संबंधित बोर्ड जिनमें स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी), नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) शामिल हैं, उनके डिजाइन, दायरे, आकार और कार्यान्वयन में अद्वितीय हैं और स्वास्थ्य देखभाल, नीतियों, चिकित्सा अनुसंधान, विनियमों, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अज्ञात क्षेत्रों को निरूपण करेंगे। पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवर और प्रबंधन, यह आवश्यक है कि शिक्षा, अनुसंधान, आईटी, प्रबंधन, थिंक टैंक, परोपकारी, सार्वजनिक नीति और लोक प्रशासन के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय पेशेवरों तक इसकी पहुंच हो। अतः युवा दिमाग रखने और दिशानिर्देशों, ढांचे, विनियमों और नीतियों आदि के निर्माण से संबंधित नवीन इनपुट को शामिल करने के लिए इंटर्न की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस की गई है।

vi. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में युवा पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश

एनएमसी-यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम (एनएमसी-वाईपीपी) स्वास्थ्य देखभाल, नीतियों, चिकित्सा अनुसंधान, विनियमों आदि के संपर्क में 32 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करना चाहता है। इस कार्यक्रम के तहत, उच्च योग्य, प्रेरित व्यक्ति राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में उन क्षेत्रों में काम करेंगे जो दिशानिर्देशों, ढांचे, विनियमों, नीतियों आदि के विकास के लिए प्रासंगिक हैं। इस अत्यधिक चयनात्मक कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को सिद्ध अकादमिक, साख, पेशेवर उपलब्धि और नेतृत्व गुणों का निष्पादन करने की आवश्यकता होती है। जो लोग कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे समय-समय पर सार्वजनिक डोमेन में डाले जाने वाले विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन कर सकते हैं।

यह देखते हुए कि एनएमसी और इसके संबंधित बोर्ड जिनमें स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (पीजीएमईबी), नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी), मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) शामिल हैं, उनके डिजाइन, दायरे, आकार और कार्यान्वयन में अद्वितीय हैं और स्वास्थ्य देखभाल, नीतियों, चिकित्सा अनुसंधान, विनियमों, स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में अज्ञात क्षेत्रों को निरूपण करेंगे। पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवर और प्रबंधन, यह आवश्यक है कि शिक्षा, अनुसंधान, आईटी, प्रबंधन, थिंक टैंक, परोपकारी, सार्वजनिक नीति और लोक प्रशासन के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय पेशेवरों तक इसकी पहुंच हो। अतः युवा पेशेवरों को शामिल करने की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि युवा दिमाग हो और दिशानिर्देशों, ढांचे, विनियमों और नीतियों आदि के निर्माण से संबंधित नवीन इनपुट शामिल हों।

निर्णय:

एनएमसी एतदद्वारा अध्यक्ष, एनएमसी को उपरोक्त प्रस्तावों (iii से vi) को देखने के लिए एक उपयुक्त समिति बनाने के लिए अधिकृत करता है ताकि अगली एनएमसी बैठक में विचार के लिए सिफारिशें की जा सकें।

vii. संशोधित मसौदा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 की स्वीकृति

पीजीएमईआर 2023 का मसौदा हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 6 सितंबर, 2023 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। पीजीएमईआर, 2023 का मसौदा भी एनएमसी के सभी सदस्यों के साथ मेल पर भी साझा किया गया था। हमें एनएमसी के दो पदेन सदस्यों सहित हितधारकों से लगभग 1700 टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। ये टिप्पणियां मुख्य रूप से सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए फीडर पाठ्यक्रमों, एम.सीएच-सीटीवीएस पाठ्यक्रम, डीआरपी, परीक्षक/गाइड बनने के लिए गैर-चिकित्सा शिक्षकों को बाहर करने, स्नातकोत्तर छात्रों के ड्यूटी घंटे आदि से संबंधित हैं। एनएमसी की 11वीं बैठक में मसौदा भी रखा गया था और सदस्यों द्वारा सुझाए

गए परिवर्तनों को शामिल कर लिया गया है। इसके बाद, कानूनी सलाहकार, प्रो. नंदीमठ जी के साथ समन्वय समिति द्वारा एक ऑनलाइन बैठक में मसौदे पर चर्चा की गई। उनकी सलाह के अनुसार मसौदे (अनुलग्नक-6) में कुछ संशोधन किए गए थे। एनएमसी अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, विनियमन एनएमसी की मंजूरी से तैयार किए गए हैं। अतः, मसौदा विनियमन (जिसे पहले ही एनएमसी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है) में किसी भी बदलाव को एनएमसी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए और इसके लिए एनएमसी की मंजूरी की आवश्यकता है।

निर्णय:

आयोग एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए संशोधित स्नातकोत्तर चिकित्सा विनियम-2023 को मंजूरी देता है।

viii. चिकित्सा अर्हता मान्यता विनियमन, 2023 के मसौदे की मंजूरी

चिकित्सा अर्हता विनियमन, 2023 की मान्यता के इस मसौदे पर एनएमसी द्वारा 18.10.2023 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में चर्चा की गई और इसे अनुमोदित किया गया (अनुलग्नक-7)

अध्यक्ष, एनएमसी ने विनियमन की उपयोगिता और इसके कार्यान्वयन के परिणामों के बारे में बताया। एनएमसी की मंजूरी के बाद, चिकित्सा अर्हता विनियमन, 2023 को हिंदी अनुवाद के बाद 15 दिनों के भीतर भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

निर्णय:

आयोग एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए चिकित्सा अर्हता विनियमन की मान्यता के मसौदे को मंजूरी देता है।

ix. कोई भी आरएमपी जो शिक्षण कार्य करता है और एनएमसी को सौंपा/प्रतिनियुक्त किया जाता है, ऐसे समनुदेशन/प्रतिनियुक्ति की अवधि को इस उद्देश्य के लिए निरंतर शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जाना चाहिए।

किसी भी आरएमपी के लिए जो एक शिक्षण कार्य रखता है और एनएमसी को सौंपा/प्रतिनियुक्त किया जाता है, इस तरह के समनुदेशन/प्रतिनियुक्ति की अवधि को उक्त आरएमपी के लिए निरंतर शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जाना चाहिए।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान के लिए नियामक निकाय है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा गठित नीति के नीतिगत कार्यान्वयन के लिए चार स्वायत्त बोर्ड हैं। अतः, नियामकों के नियोजन के अलावा यह एक शैक्षणिक संस्थान भी है। डब्ल्यूएफएमई ने विनियामकों के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन पर जोर दिया है। इस तरह यह एक अकादमिक पद भी है अतः यहां काम करने को एक शिक्षण अनुभव के रूप में माना जाना चाहिए क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज में थे। एनएमसी की पिछली बैठक में, एनएमसी बोर्डों के चेयरमैन, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों के शिक्षण अनुभव के मुद्दे को छोड़ दिया गया था। चूंकि एनएमसी को पहले ही एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में घोषित किया जा चुका है और अकादमिक भत्ता और एपीएआर के मुद्दों को भी मंजूरी दे दी गई है।

निर्णय:

एनएमसी ने यह अनुमोदन करने का निर्णय लिया कि जो आरएमपी शिक्षण कार्य करते हैं और एनएमसी को सौंपे/प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, ऐसे समनुदेशन/प्रतिनियुक्ति की अवधि को ऐसे आरएमपी के ऐसे समनुदेशन/प्रतिनियुक्ति की तारीख से उस आरएमपी के लिए निरंतर शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

x. ईएमआरबी द्वारा कारपोरेट अस्पतालों द्वारा लाइव सर्जरी और विज्ञापन के प्रसारण और एनएमसी और ईएमआरबी के मामले को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा।

ईएमआरबी द्वारा कारपोरेट अस्पतालों द्वारा लाइव सर्जरी और विज्ञापन के प्रसारण और एनएमसी और ईएमआरबी के मामले को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा।

लाइव सर्जरी (प्रतिवादी संख्या 2: एनएमसी) के प्रसारण और कॉर्पोरेट अस्पतालों (प्रतिवादी संख्या 1: एनएमसी और प्रतिवादी संख्या 3: ईएमआरबी) द्वारा विज्ञापनों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दो अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। जैसा कि जनहित याचिका में प्रार्थना की गई है, अलग-अलग समितियों का गठन किया जाना है। समितियों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन्हें समन्वय समिति में चर्चा के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय:

आयोग ने नोट किया कि ईएमआरबी ने उक्त उद्देश्य के लिए समिति का गठन किया था और माननीय न्यायालय को प्रस्तुत करने से पहले समिति की रिपोर्ट को एनएमसी सदस्यों के साथ विचार और अनुमोदन के लिए साझा किया जाएगा।

xi. मणिपुर के विस्थापित मेडिकल छात्रों के लिए स्थानांतरण/वैकल्पिक व्यवस्था।

अध्यक्ष यूजीएमईबी ने एनएमसी सदस्यों को मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर मेडिकल छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया और 29 नवंबर 2023 को यूजीएमईबी अध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के ध्यान में मणिपुर का दौरा किया। मणिपुर राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, मणिपुर में मेडिकल कॉलेजों के विस्थापित मेडिकल छात्रों के लिए कक्षाएं और परीक्षा आयोजित करने की वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में यूजीएमईबी द्वारा 29.11.2023 को दिशानिर्देश जारी किए गए और इसके लिए एनएमसी की पूर्वव्यापी मंजूरी मांगी गई।

निर्णय:

आयोग एतद्द्वारा मणिपुर के विस्थापित मेडिकल छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन देता है, जिसे यूजीएमईबी द्वारा अपने पत्र संख्या U10529/28/2023-UGMEB दिनांक 29.11.2023 के तहत सूचित किया गया है। ।

xii. **पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आपूत की गई मदों के लिए विक्रेताओं द्वारा तैयार किए गए चालानों/बिलों का भुगतान।**

भुगतान के विचार के लिए निम्नलिखित चालान प्रस्तुत किए गए थे:

i. मेसर्स केन्द्रीय भंडार की 02 अलमारी @ 25,951/- रुपये की आपूर्ति हेतु बीजक संख्या F1701100 दिनांक 30.01.2018

ii. मेसर्स केन्द्रीय भंडार की 05 बुक केस @ रु. 62,322/- की आपूर्ति के लिए बीजक संख्या F1701099 दिनांक 30.01.2018

iii. मेसर्स ऐस एंटरप्राइजेज, रानी झांसी रोड, दिल्ली के 08 स्टील अलमारी @ 1,16,000/- रुपये की आपूर्ति के लिए GeM अनुबंध संख्या GEMC-51168773045691 दिनांक 25.01.2019 के लिए चालान संख्या ACE/18-19/99 दिनांक 26.02.2019

यह पता चला कि मैसर्स केंद्रीय भंडार, आरके पुरम, नई दिल्ली ने तत्कालीन एमसीआई को कुछ वस्तुओं की आपूर्ति की थी और कुल 2,04,273 रुपये का भुगतान अब तक नहीं किया गया है और एनएमसी के सामान्य प्रशासन प्रभाग ने बकाया राशि के भुगतान के लिए एनएमसी सदस्य की मंजूरी मांगी है।

निर्णय:

आयोग एतद्द्वारा, पूर्ववर्ती भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए विक्रेताओं द्वारा चालानों/बिलों के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी देता है, बशर्ते संबंधित एजेंसी द्वारा यह वचन प्रस्तुत किया जाए कि आवश्यक सामग्री तत्कालीन एमसीआई को वितरित की गई थी और उस एजेंसी को उस आपूर्ति के लिए कोई भुगतान नहीं मिला है।

xiii. **अध्यक्ष की अनुमति के साथ अतिरिक्त कार्यसूची**

1. **वित्त वर्ष 2020-2021 बैच के पहले एमबीबीएस छात्रों को अनुकंपा प्रदान करना।**

मूल्यांकन वर्ष 2020-2021 बैच के पहले एमबीबीएस छात्रों को अनुकंपा की अनुमति देने का मुद्दा एनएमसी सदस्यों के ध्यान में लाया गया था और इस संबंध में एनएमसी सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई थी।

निर्णय:

चूंकि 2020 - 2021 बैच भी कोविड 19 महामारी से प्रभावित था। आयोग इस बैच के पहले एमबीबीएस छात्रों को अनुकंपा देने के प्रस्ताव को मंजूरी देता है।

2. **एनएमसी सदस्यों को बैठक शुल्क**

एनएमसी के सदस्यों द्वारा यह ध्यान में लाया गया था कि वर्तमान बैठक शुल्क अन्य समान नियामक निकायों के बराबर नहीं है।

निर्णय:

आयोग के सदस्यों ने संकल्प लिया कि नियमों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 5000 रुपये की बैठक शुल्क की समीक्षा एनबीई, यूजीसी और एआईसीटीई जैसे अन्य नियामक निकायों में उच्च बैठक शुल्क के आलोक में की जानी चाहिए। इस संबंध में सूचना सरकार को विचारार्थ भेजी जाएगी।

3. **पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति-एनएमसी**

एनएमसी के कई सदस्यों ने एनएमसी में अंशकालिक सचिव होने का मुद्दा उठाया है जो एनएमसी के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

निर्णय:

विस्तृत चर्चा के बाद एनएमसी सदस्यों ने निम्नानुसार संकल्प लिया है:

एनएमसी सदस्यों ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि पूर्णकालिक एनएमसी सचिव नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन की दक्षता को बनाए रखा जा सके।

4. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) में स्टेम सेल के उपयोग पर समिति की सिफारिशें

ईएमआरबी, एनएमसी (प्रतिवादी संख्या 2) ने यश चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य डब्ल्यू.पी. संख्या 369/2022 के तहत प्रार्थना के संबंध में अधिसूचना संख्या आर13014/28/2022/नैतिकता (आलोचना की गई सिफारिशें) पारित की, जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

ईएमआरबी ने समिति की सिफारिशों पर कार्योत्तर अनुमोदन मांगा।

निर्णय:

विस्तृत चर्चा के बाद एनएमसी सदस्यों ने निम्नानुसार मंजूरी दी है:

आयोग एतद्द्वारा समिति की सिफारिशों को पूर्वव्यापी अनुमोदन देता है।

5. आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के प्रयोजन के लिए सीटों की संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण।

एनएमसी के सदस्य डॉ. करुणाकर रेड्डी ने एनएमसी सदस्यों के ध्यान में आरक्षण की श्रेणियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या तथा एनएमसी द्वारा प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को दी जाने वाली सीटों की संख्या के संबंध में संदेह की ओर लाया और एनएमसी से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया।

निर्णय:

विस्तृत चर्चा के बाद एनएमसी सदस्यों ने निम्नानुसार मंजूरी दी है:

कॉलेज में सीटों की कुल संख्या (पुराने और नए दोनों) प्रत्येक यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए अनुमत है, जिसमें उस राज्य के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा सहित सभी लागू आरक्षण शामिल होंगे।

6. एनएमसी सदस्यों ने गेस्ट हाउस सहित एनएमसी के वर्तमान बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की आवश्यकता महसूस की। बैठक में होटल प्रबंध संस्थान, पूसा के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं का पता लगाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा, एनएमसी की इच्छा है कि जल्द से जल्द बेहतर कार्यालय स्थान बनाया जाए ताकि सदस्यों/विशेषज्ञों/अतिथियों को समायोजित करने के उद्देश्य के लिए पूरे गेस्ट हाउस का उपयोग किया जा सके।

10.1.4 13वीं एनएमसी बैठक

संख्या सीडीएन-12011/06/2023-समन्वय-एनएमसी
भारत सरकार
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
(नीति और समन्वय प्रभाग)

पॉकेट-14, सैक्टर-8,
द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-77
दिनांक: 12-02-2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 24 जनवरी, 2024 को एनएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त के बारे में जानकारी।

अधोहस्ताक्षरी को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 24 जनवरी, 2024 को एनएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित 13वीं बैठक का उल्लेख करने और बैठक के कार्यवृत्त को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

2. इसे एनएमसी के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि

डॉ. बी. श्रीनिवास
सचिव
srinivas.b@nic.in

सेवा में,

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि: -

1. एनएमसी के सभी बोर्डो/प्रभागों/अनुभागों को इसमें लिए गए निर्णयों/बिन्दुओं के संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
2. अध्यक्ष, एनएमसी के पीपीएस
3. सचिव, एनएमसी के पीपीएस
4. गार्ड फ़ाइल।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 24 जनवरी 2024 को प्रातः 11:00 बजे हुई

13वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 13वीं बैठक 24 जनवरी 2024 को प्रातः 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, पहली मंजिल, एनएमसी भवन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, एनएमसी	सदस्य
2.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी	सदस्य
3.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पीजीएमईबी	सदस्य
4.	सुश्री वी. हेकाली झिमोमी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5.	डॉ. अतुल गोयल, महानिदेशक, डीजीएचएस	सदस्य
6.	डॉ. सुरेखा किशोर, प्रोफेसर, एम्स गोरखपुर	सदस्य
7.	डॉ. संतोष कुमार क्रालेती, सीईओ, फुट सोल्जर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
8.	प्रो. ध्रुब ज्योति बोरा, कुलपति, एसएस स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, असम	सदस्य
9.	प्रो. (डॉ.) साकेत कुशवाहा, वीसी, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
10.	प्रो. श्री हेम चंद्र, कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
11.	प्रो. श्री एस.के. मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय	सदस्य
12.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना	सदस्य
13.	डॉ. एम.के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक	सदस्य
14	डॉ. मोहनन कुन्नुमल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	सदस्य
15.	डॉ. महेश बाबूलाल पटेल, गुजरात आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
16.	डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
17.	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
18.	प्रोफेसर दत्तेश्वर होता, ओडिशा आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य

19.	डॉ. आर.के. अनेजा, हरियाणा आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
20.	डॉ. बुचीपुडी संबासिवा रेड्डी, आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
21.	डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
22.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, यूजीएमईबी, एनएमसी	आमंत्रित
23.	डॉ. योगेंद्र मलिक, पूर्णकालिक सदस्य, ईएमआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
24.	डॉ. जे.एल. मीना, पूर्णकालिक सदस्य, एमएआरबी, एनएमसी	आमंत्रित
25.	डॉ. विपुल अग्रवाल, सचिव, एनएमसी	आमंत्रित
26.	श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन), एनएमसी	आमंत्रित
27.	एनएमसी के निदेशक/डीएस और सभी बोर्डों ने आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लिया	आमंत्रित

1. स्वागत-भाषण

एनएमसी के सचिव डॉ. विपुल अग्रवाल ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 13वीं बैठक में आमंत्रित सभी सदस्यों का स्वागत किया और एनएमसी के अध्यक्ष से अपना स्वागत भाषण देने का अनुरोध किया।

एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी की 13वीं बैठक में सभी सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया। उन्होंने सभी सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और वह उनके मार्गदर्शन और समर्थन की आशा की। उन्होंने एनएमसी सचिव डॉ. विपुल अग्रवाल से एनएमसी सदस्यों को उनके सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए बैठक का कार्यसूची प्रस्तुत करने के लिए कहा।

एनएमसी सचिव ने भी आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया: डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, सदस्य, ईएमआरबी, डॉ. योगेंद्र मलिक, सदस्य, ईएमआरबी, डॉ. विजयेंद्र कुमार, सदस्य, यूजीएमईबी और डॉ. जे.एल. मीणा, सदस्य एमएआरबी, अन्य आमंत्रित सदस्यों ने भी आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया और कार्यवाही शुरू की।

2. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

सचिव, एनएमसी ने 13वीं एनएमसी बैठक के ध्यान में 12वीं एनएमसी बैठक के कार्यवृत्त लाए, जो 5 दिसंबर 2023 को एनएमसी के सभी सदस्यों को प्रसारित किए गए थे और सदस्यों से कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया था।

चर्चा के बाद एनएमसी ने 12वीं एनएमसी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3. एनएमसी की 30 नवंबर 2023 को आयोजित 12वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर पिछली एनएमसी बैठक पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR):

3.1 कॉलेज ऑफ़ फिजीशियन्स एंड सर्जन के अवशेषी पाठ्यक्रमों से संबंधित मुद्दे:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

पीजीएमईबी द्वारा सीपीएस, मुंबई के संबंध में उपलब्ध कार्यक्रम का कालक्रम प्रस्तुत किया गया है जो अनुलग्नक-बी में है। पीजीएमईबी द्वारा यह सूचित किया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उनके उत्तर में, इस मामले पर 12.4.2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सीपीएस, मुंबई द्वारा संचालित पाठ्यक्रम एनएमसी के निगरानी नियंत्रण में नहीं आते हैं। अत: पीजीएमईबी सीपीएस पाठ्यक्रमों को समतुल्यता प्रदान करने के लिए सहमत नहीं है। इसके अलावा, पीजीएमईबी ने यह भी सिफारिश की कि 3 डिप्लोमा (डीपीबी, डीसीएच और डीजीओ) को भी अगले शैक्षणिक वर्ष से वापस ले लिया जाना चाहिए।

चर्चा के बिंदु:

एनएमसी के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि सीपीएस पाठ्यक्रमों को मान्यता नहीं दी जा सकती है। अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि सीपीएस मुद्दे पर मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। यह सुझाव दिया गया था कि एनएमसी रिपोर्ट की जांच करे और उसके बाद निर्णय ले।

निर्णय:

सीपीएस पाठ्यक्रमों पर समिति की रिपोर्ट सभी सदस्यों के साथ साझा की जाएगी। पीजी बोर्ड को मेडिकल क्वालिफिकेशन रेगुलेशन, 2023 और अन्य नियमों की मान्यता के आधार पर एनएमसी को एक प्रस्ताव रखना चाहिए। एनएमसी निर्णय लेने के लिए विनियम के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से विचार कर सकता है।

3.2 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ समझौता-ज्ञापन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी सदस्यों को बताया गया कि तथापि, औपचारिक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी हैं,

लेकिन एडीबी टीम विभिन्न गतिविधियों में एनएमसी का समर्थन कर रही है। समझौता-ज्ञापन के संबंध में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मसौदा समझौता-ज्ञापन पर कुछ टिप्पणियां की हैं, टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एडीबी से संशोधित समझौता-ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे एनएमसी के अध्यक्ष के लिए विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी सचिवालय द्वारा संशोधित समझौता-ज्ञापन की जांच की जाएगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। संशोधित समझौता-ज्ञापन की प्रति एनएमसी सदस्यों के साथ जानकारी के लिए साझा की जाएगी।

3.3 डब्ल्यूएफएमई द्वारा प्रत्यायन:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

डब्ल्यूएफएमई द्वारा प्रत्यायन के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को सभी संबंधितों को सूचना देने और व्यापक परिचालन के लिए एनएमसी वेबसाइट पर डाला गया है। यह **अनुलग्नक** ग में है।

निर्णय:

एनएमसी ने इसे नोट किया।

3.4 एनएमसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

स्थापना प्रभाग द्वारा प्रक्रियाधीन

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.5 एनएमसी अधिनियम 2023 की धारा 60(1), धारा 60(1) के दूसरे परंतुक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना एसओ संख्या 3260 (ई) दिनांक 24 सितंबर 2020 के अनुसार संविदात्मक कर्मचारियों सहित पूर्ववर्ती एमसीआई के कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी की 12वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और भविष्य में अनुपालन के लिए नोट भी कर लिया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.6 एनएमसी के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव को शैक्षणिक भत्ते की अनुमति देना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

प्रशिक्षण भत्ता और शैक्षणिक भत्ते के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र संख्या A-11028/03/2023/NMC/ADMIN/000089-91 दिनांक 02.01.2024 (अनुलग्नक-घ) के माध्यम से एक पत्र भेजा गया है और मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा है।

अतिरिक्त विशेष एनएमसी भत्ता: विशेष एनएमसी भत्ते से संबंधित मुद्दों के लिए डॉ. दत्तेश्वर होता की अध्यक्षता में कार्यालय आदेश दिनांक 24.11.2023 (अनुलग्नक-ङ) द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.7 डीएमएमपी-I के बकाया भुगतान की स्वीकृति:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

गहन विचार-विमर्श के बाद और एनएमसी द्वारा अपनी 11वीं और 12वीं बैठकों में दी गई मंजूरी के अनुसार, 7,70,11,626/- रुपये का भुगतान लागू करों के साथ अर्थात 9,08,73,719/- रुपये का भुगतान जिसमें 18% जीएसटी शामिल है, एसआई अर्थात मैसर्स बोधट्री कंसल्टिंग लिमिटेड को दिनांक 24-11-2023 के मंजूरी आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से डीएमएमपी-I के संचालन और रखरखाव की 23वीं तिमाही तक बकाया शुल्क और मूल अनुबंध से आगे किए गए कार्य के लिए जारी किया गया।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.8 उन एमबीबीएस छात्रों के संबंध में एकमुश्त छूट की मांग करना जिन्होंने वर्ष 2021 में यूक्रेन में प्रवेश लिया था; और फिलीपींस में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एफएमजीएल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बीएस पाठ्यक्रम+एमडी पाठ्यक्रम को शामिल करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

इस संबंध में सार्वजनिक सूचना यू-15024/9/2023-यूजीएमईबी दिनांक 07.12.2023 (अनुलग्नक-च) जारी की गई है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.9 टीईक्यू विनियम, 2022 में संशोधन

प्रगति प्रस्तुत की गई:

नए कार्यसूची के तौर पर लिया गया है

निर्णय:

टीईक्यू विनियम में संशोधन पर विनियम की अधिसूचना/संशोधन के लिए अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से उपयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।

3.10 शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ईएमआरबी द्वारा आईएनआई के साथ जुड़ाव:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

ईएमआरबी ने सूचित किया कि वे इस संबंध में आईएनआई के साथ चर्चा कर रहे हैं और इसमें कुछ और समय लगेगा।

निर्णय:

प्रगति अगली बैठक में एनएमसी को प्रस्तुत की जाएगी।

3.11 एनएमसी सदस्यों के लिए आधिकारिक एनएमसी मेल आईडी प्रदान करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी ईमेल आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल एनएमसी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सौंपे गए जिन्होंने एनएमसी की 12वीं बैठक में भाग लिया। शेष कुछ सदस्यों को लॉगिन क्रेडेंशियल डेटा सुरक्षा/गोपनीयता के मुद्दों के कारण अगली बैठक में व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंप दिए जाएंगे।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.12 एनएमसी सदस्यों को आईडी कार्ड प्रदान करने वाला प्रतिनिधिमंडल:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

एनएमसी के कुछ सदस्यों को आईडी कार्ड प्रदान किए गए हैं जिन्होंने अपनी फोटो और अन्य विवरण प्रदान किए हैं। आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद शेष सदस्यों को आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे।

निर्णय:

एनएमसी सदस्यों की फोटो बैठक समाप्त होने से पहले सामान्य प्रशासन द्वारा ली जाएंगी और शेष सभी एनएमसी सदस्यों को जल्द से जल्द आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे।

3.13 मेडिकल कॉलेज में वास्तविक नैदानिक भार का आकलन:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

आईटी प्रभाग, एनएमसी ने पहले ही आभा आईडी को अपनाने के लिए प्रोत्साहन के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.14 वर्ष 2022-23 के लिए एनएमसी की वार्षिक रिपोर्ट:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट सभी एनएमसी सदस्यों को सूचना के लिए परिचालित की गई। अनुमोदित रिपोर्ट संसद में रखे जाने के लिए मुद्रित की जा रही है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.15 परामर्श प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

सामान्य/समकालिक परामर्श यह सुनिश्चित करके पारदर्शिता को बढ़ाती है कि सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है और नियमों और विनियमों के एक ही सेट के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। यह किसी भी कथित पूर्वाग्रह या विसंगतियों को समाप्त करता है जो राज्य और एआईक्यू परामर्श प्रक्रियाओं के बीच मौजूद हो सकते हैं।

भारत की चिकित्सा परामर्श प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के मद्देनजर, हितधारकों के परामर्श के लिए उनके साथ विभिन्न बैठकें आयोजित की गई हैं और विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सामान्य/समकालिक परामर्श विनियमन 2024 तैयार करने के लिए एक परामर्श समिति बनाई गई है। सामान्य/समकालिक परामर्श विनियमन 2024 का पहला मसौदा तैयार किया गया है।

सामान्य/समकालिक परामर्श के संबंध में आयोजित विभिन्न समिति की बैठकों की स्थिति

- **12वीं एनएमसी बैठक**

एनएमसी की 12वीं बैठक 30.11.2023 (गुरुवार) को सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, एनएमसी भवन में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में चर्चा की गई कि एनएमसी अधिनियम, 2019 [धारा 57 (2) (i)] के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत सामान्य/समकालिक परामर्श विनियमन तैयार करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया गया था और सामान्य/समकालिक परामर्श विनियम 2024 तैयार करने के लिए समिति में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया था:

1) डॉ. अरुणा वाणीकर, अध्यक्ष - यूजीएमईबी

2) डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष - पीजीएमईबी
3) डॉ. अतुल गोयल- महानिदेशक, डीजीएचएस
4) डॉ. करुणाकर रेड्डी - सदस्य एनएमसी और वीसी, केएनआरयूएचएस, तेलंगाना
5) डॉ. अशोक चंद्राकर - सदस्य एनएमसी एवं वीसी, पीडीयूएमएचएस एवं एयू, छत्तीसगढ़

- **समिति के सदस्यों के साथ सामान्य/समकालिक परामर्श पर पहली वर्चुअल मीटिंग**

सामान्य/समकालिक परामर्श समिति के साथ पहली वर्चुअल बैठक 14.12.2023 (गुरुवार) को एनएमसी के मीटिंग हॉल में आयोजित की गई। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि 8 नवंबर 2023 और 22 नवंबर 2023 को हुई बैठकों के कार्यवृत्त और समिति के सदस्यों से प्राप्त इनपुट के आधार पर बैकएंड (backend) टीम द्वारा सामान्य/समकालिक परामर्श विनियमों का शून्य मसौदा तैयार किया जाना चाहिए। नियमों की मसौदा प्रति एक सप्ताह के भीतर समिति के सदस्यों को प्रस्तुत की जानी चाहिए, और नियमों को अंतिम रूप देने के लिए समिति के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से बैठक आयोजित की जानी चाहिए। बैठक में चर्चा की गई कि शून्य मसौदा तैयार होने के बाद समिति के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से बैठक के दौरान इस पर चर्चा की जाएगी।

- **समिति के सदस्यों के साथ सामान्य/समकालिक परामर्श विनियमों की दूसरी बैठक:**

सामान्य/समकालिक परामर्श की दूसरी बैठक 09.01.2024 (मंगलवार) को एथिक्स हॉल, एनएमसी में आयोजित की गई। बैकएंड टीम द्वारा तैयार किए गए सामान्य/समकालिक परामर्श विनियमन का शून्य मसौदा समिति के सदस्यों के बीच प्रस्तुत किया गया, चर्चा की गई और सुझाव दिया गया कि मसौदे में बदलाव शामिल किए गए थे। 16 जनवरी 2024 को एनएमसी के साथ राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों, एनआईसी और राज्य एनआईसी के साथ एक हितधारक परामर्श आयोजित करने के लिए बैठक में सामान्य/समकालिक परामर्श विनियम 2024 के पहले मसौदे पर चर्चा करने पर चर्चा की गई।

- **हितधारकों के साथ सामान्य/समकालिक परामर्श विनियमों की तीसरी बैठक:**

सामान्य/समकालिक परामर्श की तीसरी बैठक 16.01.2024 (मंगलवार) को कॉन्फ्रेंस हॉल, फर्स्ट फ्लोर, एनएमसी में आयोजित की गई। सामान्य/समकालिक परामर्श विनियमन 2024 के तैयार किए गए पहले मसौदे पर हितधारकों के साथ उनके परामर्श के लिए बैठक में चर्चा की गई। सामान्य/समकालिक परामर्श की समय अनुसूची और प्रक्रिया पर पणधारकों के साथ उनके परामर्श के लिए विचार-विमर्श किया गया था। समिति द्वारा हितधारकों के विभिन्न सुझावों का स्वागत किया गया। यह चर्चा की गई कि कॉमन पोर्टल पर हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण और समकालिक परामर्श सभी संबंधितों को प्रदान की जानी चाहिए और एनएमसी द्वारा इस पर एक

कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

निर्णय:

इस उद्देश्य के लिए गठित समिति हितधारकों के परामर्श के बाद एक मसौदा विनियमन तैयार करेगी और इस विषय पर विशेष एनएमसी सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार के रूप में आयोजित किया जा सकता है।

3.16 अवकाश/सेकंडमेंट पर कार्मिकों की भर्ती के लिए दिशा-निर्देश।

3.17 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में स्वयंसेवकों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश।

3.18 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश।

3.19 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में युवा व्यवसायियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया और दिशा-निर्देश:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

कार्रवाई की गई है। 12वीं एनएमसी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कार्यालय आदेश संख्या 47/5/2024-ईएसटीटी-एनएमसी (ई आईडी- 8259594) दिनांक 16.01.2024 (अनुलग्नक-छ) द्वारा सिफारिश के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.20 संशोधित मसौदा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 को मंजूरी।

3.21 चिकित्सा अर्हता विनियम, 2023 की मसौदा मान्यता की मंजूरी।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

दोनों विनियम 29.12.2023 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। अधिसूचना पहले ही एनएमसी वेबसाइट पर डाल दी गई है। इन विनियमों की एक प्रति (अनुलग्नक-ज और अनुलग्नक-झ) पर है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.22 कोई भी आरएमपी जो शिक्षण कार्य करता है और एनएमसी को सौंपा/प्रतिनियुक्त किया जाता है, ऐसे समनुदेशन/प्रतिनियुक्ति की अवधि को इस उद्देश्य के लिए निरंतर शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जाना चाहिए:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

मामले को उठाया जा रहा है

निर्णय:

एनएमसी ने इस पहलू पर पहले ही विचार कर लिया है और संशोधित विनियम का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की जाने वाली समिति द्वारा इसे टीईक्यू विनियमों में संशोधन के रूप में शामिल किया जाना है।

3.23 ईएमआरबी द्वारा कारपोरेट अस्पतालों द्वारा लाइव सर्जरी और विज्ञापन के प्रसारण और एनएमसी और ईएमआरबी के मामले को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए गठित समितियां:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

ईएमआरबी द्वारा समिति का गठन किया गया है और अगली बैठक के दौरान कृत करवाई रिपोर्ट एनएमसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय:

ईएमआरबी एनएमसी की अगली बैठक में कृत करवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3.24 मणिपुर के विस्थापित मेडिकल छात्रों के लिए स्थानांतरण/वैकल्पिक व्यवस्था:

प्रगति प्रस्तुत की गई

अभी तक कोई कार्रवाई लंबित नहीं है

निर्णय:

नोट किया गया

3.25 पूर्ववर्ती को आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए विक्रेताओं द्वारा चालानों/बिलों का भुगतान

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

सामान्य प्रशासन प्रभाग, एनएमसी ने बताया कि अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया गया है और विक्रेताओं ने भुगतान की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए हैं। तथापि, बैंक खाते के ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृति आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। विक्रेताओं से खाते का ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। जैसे ही यह प्राप्त होगा, स्वीकृति आदेश जारी कर दिए जाएंगे

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.26 वार्षिक वर्ष 2020-2021 बैच के पहले एमबीबीएस छात्रों को अनुकंपा प्रदान करना:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

यूजीएमईबी द्वारा पत्र संख्या यू/13021/01/2023/यूजीएमईबी दिनांक 11.12.2023 (अनुलग्नक-ञ) द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई है

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.27 एनएमसी सदस्यों को बैठक शुल्क:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

बैठक शुल्क की समीक्षा करने के लिए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजने के लिए मामला प्रक्रियाधीन है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.28 पूर्णकालिक सचिव, एनएमसी की नियुक्ति:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

कार्रवाई की गई है। एक पत्र सं. ए12/01/2024-ईएसटीटी/एनएमसी (ई आईडी 8259924) दिनांक 19.01.2024 (अनुलग्नक-ट) एनएमसी में पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.29 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) में स्टेम सेल के उपयोग पर समिति की सिफारिशें:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

ईएमआरबी ने मूल्यांकन किया कि एक समिति का गठन किया गया है और एनएमसी का जवाबी हलफनामा अदालत में दायर किया गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.30 आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों के उद्देश्य के लिए सीटों की संख्या के बारे में स्पष्टीकरण:

प्रगति प्रस्तुत की गई:

अध्यक्ष, यूजीएमईबी ने स्पष्ट किया कि एनएमसी द्वारा मेडिकल कॉलेज को दी गई सीटों की संख्या एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आरक्षण सहित सभी आरक्षणों के उद्देश्य से गिनी जाएगी।

विचार-विमर्श:

एनएमसी के सदस्य डॉ. करुणाकर रेड्डी ने कहा है कि इस मुद्दे को अभी तक हल नहीं किया गया है और इस मुद्दे को हमेशा के लिए हल करने के लिए इस संबंध में उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा सकता है।

निर्णय:

मामले को स्पष्ट करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए।

3.31 गेस्ट हाउस सहित एनएमसी की वर्तमान अवसंरचना का उन्नयन।

प्रगति प्रस्तुत की गई:

सामान्य प्रशासन प्रभाग, एनएमसी ने बताया कि सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि सीपीडब्ल्यूडी सरकारी संगठनों के साथ समझौता-ज्ञापन करने के बाद मरम्मत और रखरखाव कार्यों से संबंधित कार्य करता है। के.लो.नि.वि. के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए समझौता-ज्ञापन की एक मसौदा प्रति उपलब्ध कराएं। के.लो.नि.वि. से समझौता-ज्ञापन की प्रारूप प्रति प्राप्त होते ही मामले पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एनएमसी अतिथि गृह का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की संभावनाओं की जांच करने के लिए एनएमसी अतिथि गृह के निरीक्षण हेतु होटल प्रबंध संस्थान, पूसा को भी एक पत्र भेजा गया है।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

3.32 प्रशासनिक विनियमों का निर्धारण

प्रगति प्रस्तुत की गई:

प्रशासनिक विनियमन का पहला मसौदा तैयार है और निर्णय के लिए पहले से ही संसाधित है। एनएमसी नियमों को तैयार करने के लिए 11वीं एनएमसी बैठक के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

निर्णय:

एनएमसी द्वारा कृत कार्रवाई को नोट कर लिया गया है।

4 <u>बीच की अवधि के दौरान एनएमसी गतिविधियों और निर्णयों पर अपडेट:</u>

4.1 ईएमआरबी (नैतिकता) द्वारा की गई प्रगति:

1. ईएमआरबी ने उन उम्मीदवारों की सूची जारी की जिन्हें दिनांक **22.11.2023** की सार्वजनिक सूचना के अनुपालन में "निजी उम्मीदवार के रूप में भी अतिरिक्त विषय के रूप में जीवविज्ञान" का लाभ दिया गया है। सूची **अनुलग्नक-च** में दी गई है

2. इसके अलावा, दिनांक 22.11.2023 की सार्वजनिक सूचना और दिनांक 07.12.2023 के सुपरसीडिंग

नोटिस के अनुसार, 2019-20 बैच में प्रवेश लेने वाले एफएमजी को पात्रता प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करने पर विचार किया गया है:

"बड़े पैमाने पर जनता से उपरोक्त मुद्दे के संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि विदेशी चिकित्सा स्नातकों से संबंधित मामले जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 में अपनी प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा, विशेष रूप से एमबीबीएस या इसके समकक्ष पाठ्यक्रम शुरू किया भर्ती किया, सक्षम अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। ईएमआरबी ने यूजीएमईबी के परामर्श से इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श किया है। परिणामत: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की वेबसाइट के माध्यम से स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड (यूजीएमईबी) द्वारा पी-97-100/सी पर दिनांक 22.11.2023 को यू/-15024/9/2023-यूजीएमईबी के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सक्षम अधिकारियों द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, ईएमआरबी का पंजीकरण अनुभाग उल्लिखित सार्वजनिक सूचना के दायरे में आने वाले उम्मीदवारों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित विशिष्ट मानदंड या शर्तें हो सकती हैं, और उन मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार पात्र हैं और पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान कर रहे हैं।

3. हितधारकों अर्थात देश में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ 17.11.2023 को हितधारकों अर्थात निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ अस्थायी पंजीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए देश में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई। बैठक तीन बैचों में बुलाई गई थी। हितधारकों के प्रतिनिधि अपने सुझाव और इनपुट देते हैं।

4. अस्थायी पंजीकरण पर दिशानिर्देश तैयार करना- 17.11.2023 को हितधारकों की बैठक से इनपुट प्राप्त करने के बाद**,** अस्थायी पंजीकरण पर मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए और एनएमसी सदस्यों**,** अध्यक्षों और सभी बोर्डों के सदस्यों को परिचालित किए गए। दिशा-निर्देशों को एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया और उसके बाद एनएमसी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

5. राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर की स्थिति-

- एनएमआर से संबंधित मामले में तेजी लाने के लिए एक मसौदा समझौता-ज्ञापन किया गया था और निदेशक (आईटी), एनएमसी को अग्रेषित किया गया था।
- एनएमसी (आईटी सेल) द्वारा यह सूचित किया गया है कि एनएमसी के अध्यक्ष और सदस्य ईएमआरबी के साथ आयोजित बैठक में एनएमआर बनाने की प्रक्रिया में बदलाव की परिकल्पना की जा

रही है और एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि वर्तमान आईएमआर को उपयोगकर्ताओं द्वारा आधार और अन्य आवश्यक विवरणों को जोड़ने के बाद अनंतिम एनएमआर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

- चूंकि आईएमआर आंकड़ों की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है और पंजीकरण में कुछ खामियां हैं जिन्हें नोट कर लिया गया है, अतः यह भी निर्णय लिया गया है कि अनंतिम एनएमआर को आंकडे भेजने से पहले संबंधित एसएमसी को डेटा भेजकर वर्तमान शिशु मृत्यु दर में किसी भी विसंगति को खारिज किया जाना चाहिए ताकि वे पुन सत्यापन/पुष्टि के लिए संबंधित एसएमसी को डेटा भेज सकें कि विवरण क्रम में हैं।

6. पंजीयन कार्य की स्थिति 01.10.2023 से 15.01.2024 तक-

मुद्दा	25.09.2020 से 15.1.2024 तक		01.10.2023 से 15. 01.2024 तक		लंबित आवेदनों की संख्या	अपूर्ण आवेदनों की संख्या (केवल उम्मीदवार के पास लंबित)	कुल अस्वीकृत	टिप्पणियां (अनुभाग के साथ लंबित आवेदन के अनुसार)
	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाणपत्र	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाणपत्र				
पात्रता प्रमाणपत्र	34390	29540	2738	**2599**	*1455	**240	3155	• ***1455** आवेदन प्रक्रियाधीन है • **240 आवेदन, आवेदकों से सूचना की कमी/अधूरे दस्तावेजों के कारण लंबित हैं।

अतिरिक्त योग्यता	6654	4352	440	**444**	*1500	****727**	75	• ***1500** आवेदन विश्वविद्यालय/कॉलेजों को **डिग्री** सत्यापन और **पंजीकरण** सत्यापन के लिए संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजे जाते हैं। • **727 आवेदन आवेदकों के पास सूचना की कमी/अधूरे दस्तावेजों के कारण लंबित हैं।
अच्छी स्थिति	2043	1861	125	**58**	*89	****38**	55	• *89 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, आवेदन पत्र **डिग्री** सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय/कॉलेजों को तथा **पंजीकरण** सत्यापन हेतु संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजे गए हैं। • **38 आवेदन पत्र आवेदकों के पास सूचना की कमी/अधूरे दस्तावेजों के कारण लंबित हैं।
अस्थायी अनुमति	2363	1610	419	**246**	*68	****184**	401	• *78 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं • **411 आवेदन, आवेदकों के पास सूचना की कमी/अधूरे दस्तावेजों के कारण लंबित हैं।

आईएमआर	639	497	59	**25**	*142	शून्य	0	• ***142** आवेदन विश्वविद्यालय/कॉलेज को **डिग्री** सत्यापन तथा **पंजीकरण** सत्यापन हेतु संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजे गए हैं।

निर्णय: प्रगति नोट की गई

4.2 प्रकाशन प्रभाग, एनएमसी द्वारा की गई प्रगति:

प्रकाशन विभाग द्वारा दिसंबर, 2023 से जनवरी, 2024 तक की गई प्रगति:

- एनएमसी का वॉल कैलेंडर, 2024 मुद्रित किया गया है और एनएमसी के बोर्डों, अधिकारियों, अनुभागों और कर्मचारियों को वितरित किया गया है।
- व्यावसायिक आचरण समीक्षा (मामला अभिलेखागार से सबक) पर एक पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया है, अनुमोदित किया गया है और सभी पणधारकों को वितरण के लिए मुद्रित किया गया है।
- "विशेषज्ञ प्रशिक्षण मॉड्यूल" पर एक पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया है और अनुमोदित किया गया है। इसे मुद्रण प्रक्रिया के लिए जीए-सेक्शन, एनएमसी को भेज दिया गया है।
- एनएमसी में बोर्ड अध्यक्षों, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा आधिकारिक उपयोग के लिए एक " चर्म नोट बुक" मुद्रण के लिए जीए-सेक्शन, एनएमसी को भेजा गया है।
- एनएमसी विनियमों का संग्रह; एनएमसी सलाह, सार्वजनिक सूचनाएं, परिपत्र और दिशानिर्देश अंतिम रूप देने और अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।
- एनएमसी की विभिन्न गतिविधियों/पहलों और घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रेस विज्ञप्तियां, सार्वजनिक सूचनाएं आदि समय-समय पर मीडिया/पब्लिक डोमेन में प्रकाशित की जाती हैं।

निर्णय: प्रगति नोट की गई

4.3 यूजीएमईबी, एनएमसी द्वारा की गई प्रगति:

यूजीएमईबी ने निम्नलिखित की स्थिति प्रदान की है:

1. एईबीएएस उपस्थिति की जाँच और विभिन्न राज्यों में जून से सितंबर, 2023 के महीनों के लिए और यदि संभव हो तो अक्टूबर, नवंबर, 2023 के लिए अंतर विश्लेषण

2. 2023-34 बैच में एमबीबीएस छात्रों की प्रवेश स्थिति की रिपोर्टिंग। अब तक कृत कार्रवाई और आगे की योजनाएं।

3. सामान्य परामर्श विनियम-16 जनवरी, 2024 को समिति द्वारा मसौदा गठन और हितधारक परामर्श

4. एनएमसी के लिए कानूनी सलाहकार-समिति की रिपोर्ट

5. मेडिकल छात्रों की आकस्मिक मौतों को रोकने के लिए कार्रवाई

निर्णय: प्रगति नोट की गई

4.4 आईटी प्रभाग, एनएमसी द्वारा की गई प्रगति:

1. मूल्यांकन सॉफ्टवेयर पर की गई प्रगति:- एमएआरबी ने अक्टूबर के महीने में यादृच्छिक मूल्यांकन सॉफ्टवेयर के लिए आईटी प्रभाग को आवश्यकता का अनुमान लगाया है। एनएमसी आईटी प्रभाग ने एडीबी (मैसर्स आईक्यूवीआईए और मैसर्स ईवाई के माध्यम से कार्यबद्ध, जिसके साथ यह पता चला है कि औपचारिक संलिप्तता प्रक्रिया चल रही है) की टीम की मदद से हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद एसआई को विस्तृत आवश्यकता का अनुमान लगाया है। अब एसआई, मैसर्स बोध ट्री ने सॉफ्टवेयर विकसित किया है और एमएआरबी द्वारा उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के लिए पेश किया है।

2. एनएमसी सदस्यों को अवगत कराया गया कि आईटी प्रभाग ने तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए एप्लिकेशन विकसित करना शुरू कर दिया है जैसे: अपील प्राप्त करना, एईबीएएस आईडी का स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त करना, फेस एईबीएएस की श्वेतसूची। इसके अलावा सदस्यों को अवगत कराया गया कि यूजी एमएसएमईआर के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक पोर्टल तैयार हो रहा है।

3. आईटी प्रभाग ने एनएमसी के संचालन के डिजिटल परिदृश्य को बदलने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस तरह की पहल स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवीनतम आईटी तकनीकी उपकरण के उपयोग की कल्पना करती है। इस प्रणाली को डिजाइन द्वारा सत्य, अंतर-परिचालनीय, स्केलेबल और सुरक्षा का एकल स्रोत बनाने के सिद्धांत के साथ डिजाइन किया जाएगा, इस उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी), क्लाउड सेवा प्रदाता (सीएसपी), सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) के लिए आरएफपी की योजना बनाई जा रही है।

आरएफपी से ऊपर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पीएमयू की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

विचार-विमर्श:

एनएमसी सदस्यों ने आईटी प्रभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और प्रौद्योगिकी के उपयोग में अपना विश्वास दोहराया और निर्णय लिया कि परिवर्तन का मार्ग केवल प्रौद्योगिकी और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से है।

निर्णय: प्रगति नोट की गई

5 नई कार्यसूची मदें

5.1 एनएमसी की 10वीं बैठक में अपील शुल्क की मात्रा में संशोधन को मंजूरी दी गई।

कॉलेज/संस्थाओं द्वारा दायर अपीलों के मामलों में 50,000/- रुपये और व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों के मामलों में 50,000/- रुपये का एक समान शुल्क अपनाने का प्रस्ताव आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक -1 में दिया गया है।

निर्णय:

एनएमसी ने कॉलेजों/संस्थानों द्वारा दायर अपील के मामलों में 50,000 रुपये और व्यक्तियों द्वारा दायर अपील के मामलों में 5000 रुपये की समान फीस अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस तरह की अपील शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त आवेदन के लिए लागू होगी।

5.2 एनएमसी में नीति और समन्वय विंग के तहत विभिन्न प्रभागों/कार्यक्षेत्रों की स्थापना।

नीति और समन्वय के तहत विभिन्न प्रभागों/कार्यक्षेत्रों की स्थापना के लिए एनएमसी की मंजूरी लेने का प्रस्ताव। एनएमसी अधिनियम 2019 में परिकल्पित विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने और आवश्यकता के अनुसार लगे कर्मचारियों के लिए अन्य रसद और समर्थन व्यवस्था करने के उद्देश्य से एनएमसी में विंग आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-2 में है।

निर्णय:

1. एनएमसी ने नीति और समन्वय के तहत विभिन्न डिवीजनों/वर्टिकल की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अपेक्षित मानव संसाधन किराए पर लेने और आवश्यकता के अनुसार लगे हुए कर्मचारियों के लिए अन्य संभारतंत्रीय और सहायक व्यवस्था करने के साथ-साथ एनएमसी में स्कंध को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

2. एनएमसी सदस्यों ने सिफारिश की कि संगठनात्मक संरचना और मानव संसाधन आवश्यकता पर आगे अध्ययन किया जाना चाहिए।

5.3 आईएएमआरए (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी) का सदस्य बनने के लिए एनएमसी का पंजीकरण

आईएएमआरए का सदस्य बनने के लिए एनएमसी के पंजीकरण हेतु एनएमसी का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-3 में है।

निर्णय:

आयोग ने आईएएमआरए (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज) का सदस्य बनने के लिए एनएमसी के पंजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी

5.4 एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 57 के तहत अधिसूचित नियमों का मूल्यांकन/समीक्षा।

एनएमसी द्वारा अधिसूचित राजपत्र में विनियमों की समीक्षा करने के लिए एनएमसी की एक उप-समिति गठित करने का प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 57 के तहत आवश्यक सभी विनियमन तैयार/अधिसूचित कर दिए गए हैं, क्या कोई विनियमन तैयार किया जाना बाकी है और क्या पहले से अधिसूचित विनियमन एनएमसी अधिनियम, 2019 की भावना/प्रावधानों के अनुरूप हैं और क्या उन्हें किसी और संशोधन की आवश्यकता है, आदि, आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-4 में है।

निर्णय:

एनएमसी उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करती है। ऐसी समिति के गठन के साथ विस्तृत टीओआर अध्यक्ष एनएमसी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।

5.5 स्वायत्त सोसायटी, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के सदस्य के रूप में एनएमसी का नामांकन।

सोसायटी के सामान्य निकाय और कार्यकारी निकाय के लिए एनएमसी से एक सदस्य (प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं) को नामित करने के लिए डीन और सीईओ, गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल के प्रस्ताव/अनुरोध पर विचार करने का प्रस्ताव आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-5 में है।

विचार-विमर्श:

सभी सदस्य इस बात पर एकमत थे कि हितों के टकराव से बचने के लिए एनएमसी के किसी भी सदस्य को किसी भी मेडिकल कॉलेज के बोर्ड का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

निर्णय:

एनएमसी ने निर्णय किया कि मेडिकल कॉलेज के किसी भी बोर्ड के लिए एनएमसी सदस्य को नामित नहीं किया जाना चाहिए।

5.6 विधिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति को जारी रखने और शुल्क की दरों आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का कार्योत्तर अनुमोदन जारी रखा गया है।

निम्नलिखित निर्णय बिन्दुओं पर आयोग का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधि प्रभाग, एनएमसी से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है:

i. देश भर के विभिन्न न्यायालयों में लंबित एनएमसी/एमसीआई के मामलों की पैरवी और बकाया बिलों के भुगतान के लिए पूर्ववर्ती एमसीआई द्वारा नियुक्त वकीलों/अधिवक्ताओं की नियुक्ति और शुल्क दरों/संरचना को जारी रखा जाना चाहिए।

ii. एनएमसी की स्थापना और बकाया बिलों के भुगतान के बाद लगे काउंसेलों/अधिवक्ताओं और उनकी शुल्क दरों/संरचनाओं की संलिप्तता जारी रखना।

iii. एनएमसी के काउंसलों की व्यवसायी फीस की नियुक्ति और निर्धारण के लिए दिशानिर्देश F.No.L-11022/01/2023/NMC/Legal/014618-27 दिनांक 23.3.2023 द्वारा जारी किए गए।

iv. सचिव, एनएमसी को किसी भी ऐसे काउंसेल/अधिवक्ता के बकाया बिलों के भुगतान को मंजूरी देने के लिए अधिकृत करना, जिनका नाम अनजाने में या रिकॉर्ड की कमी के कारण काउंसेल/अधिवक्ता की सूची में शामिल नहीं किया गया है और उपरोक्त मामलों पर किसी अन्य आकस्मिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए भी।

इस संबंध में प्रस्ताव आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-6 में है।

निर्णय:

विचार-विमर्श:

उपरोक्त के अलावा, एफ.सं.एल-11022/01/2023/एनएमसी/लीगल/014618-27 दिनांक 23.3.2023 के माध्यम से अधिवक्ता की नियुक्ति की शर्तों में बदलाव का मुद्दा भी उठा, जहां फीस में संशोधन के अलावा उपस्थिति शुल्क की गणना जैसी अन्य शर्तों में भी बदलाव किया गया था। कुछ अधिवक्ता ने संशोधित शर्तों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन कई ने प्रतिनिधित्व किया है। आयोग ने ऐसे अधिवक्ता से भी अंतरिम रूप से सेवाएं लेना जारी रखा है। सहमति के बिना नियुक्ति की शर्तों में इस तरह के बदलाव से काम करने में समस्या आ रही है, क्योंकि अधिवक्ता बिलों का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। इसके अलावा, सदस्यों को अवगत कराया गया कि नए वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया गया है। नियुक्ति की विस्तृत शर्तों के साथ ईओआई जारी कर दिया गया है और अधिवक्ता के उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

निर्णय:

चर्चा के बाद, कानूनी विभाजन के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तथापि,, उपरोक्त चर्चा पर विचार करते हुए और काम की निरंतरता बनाए रखने और एनएमसी के कामकाज में व्यवधान से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान अधिवक्ता अपने पहले से सहमत मूल शुल्क के साथ जारी रख सकते हैं, तथापि,, अन्य शर्तें दिनांक 23.3.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार लागू होंगी। तथापि, उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की उन काउंसलों पर प्रयोज्यता की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है जिन्होंने इसके प्रति असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की चिंताओं का उपयुक्त रूप से समाधान करते हुए नए काउंसेल की नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जाए।

5.7 महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक में काम करने वाले चिकित्सा शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग और राज्य आयुर्विज्ञान परिषद को सौंपा

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (एमयूएचएस) से प्राप्त अनुरोध पर विचार करने के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के शिक्षण अनुभव के रूप में गणना करने के लिए राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग और राज्य आयुर्विज्ञान परिषद को सौंपा गया/प्रतिनियुक्त किया गया है, आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-7 में है।

निर्णय:

एनएमसी ने इस पहलू पर विचार किया है और इसे संशोधित विनियम का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की जाने वाली समिति द्वारा टीईक्यू विनियमों में संशोधन के रूप में शामिल किया जाना है।

5.8 डिजिटल मिशन मोड प्रोजेक्ट (डीएमएमपी)-I

डीएमएमपी-I के लिए वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के ओएंडएम अनुबंध का विस्तार 3 महीने की और अवधि के लिए अर्थात 30.04.2024 तक उसी नियम और शर्त पर जैसा पहले था, आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-8 में है।

विचार-विमर्श:

एनएमसी सदस्यों को वर्तमान विक्रेता से डीएमएमपी-I को लेने के लिए किए गए प्रयासों और वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया गया।

निर्णय:

आयोग ने डीएमएमपी-I के लिए वर्तमान सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के ओएंडएम अनुबंध के विस्तार के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से 3 महीने की अवधि के लिए अर्थात 30.04.2024 तक पहले की तरह ही नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की। विक्रेता द्वारा कार्य में कमी के लिए संविदा की शर्तों के अनुसार उपयुक्त दंड लगाया जाना है।

5.9 एनएमसी के गठन के बाद, पंजीकरण मॉड्यूल में परिवर्तन अपरिहार्य हैं। ईएमआरबी ने नई आवश्यकताओं का व्यापक विश्लेषण किया और कई अवसरों पर एनएमसी के आईटी-सेल के साथ परिवर्तन अनुरोध साझा किया। तथापि, डीएमएमपी ने अभी तक समाधान नहीं किया है।

आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए विस्तृत कार्यसूची पत्र अनुलग्नक-9 में है

निर्णय:

एनएमसी सदस्यों ने मंजूरी दे दी कि ईएमआरबी द्वारा आवश्यक परिवर्तन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

5.10 ईएमआरबी के पंजीकरण स्कंध के लिए एक अलग, सुदृढ़, विश्वसनीय नेटवर्क की आवश्यकता।

आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए विस्तृत कार्यसूची पत्र अनुलग्नक-10 में है।

विचार-विमर्श:

आईटी प्रभाग ने एनएमसी सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वसनीय आईटी नेटवर्क सहित परिसर के पूर्ण उन्नयन के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

निर्णय:

एनएमसी सदस्यों ने स्थिति पर ध्यान दिया और सहमति व्यक्त की कि एनएमसी के आईटी नेटवर्क को पूरी तरह से सुधारने की तत्काल आवश्यकता है

5.11 यूजीएमईबी से प्राप्त दिनांक 03.01.2024 के पत्र संख्या यू-11021/एनएमसी-उप सं. 047165/22.12.2023/यूजीएमईबी/000610 के संदर्भ में, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में 50% अंकों की शर्त को शिथिल करके 49.67% अंक देने से संबंधित एक व्यक्तिगत मामले में लाभ प्रदान करने से संबंधित है।

विस्तृत कार्यसूची पत्र आयोग के विचार और अनुमोदन के लिए अनुलग्नक-11 में है।

निर्णय:

एनएमसी ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में 50% अंकों की शर्त में 49.67% अंकों की छूट देते हुए एक व्यक्तिगत मामले को दिए गए लाभ को वापस लेने का निर्णय किया।

5.12 प्रत्येक बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों के रिक्त पद पर नियुक्ति।

पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने बताया कि पीजीएमईबी बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य नहीं हैं, अतः पूर्णकालिक सदस्यों के रिक्त पद के लिए नियुक्ति के लिए सरकार से सिफारिश करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष, पीजीएमईबी ने बोर्ड की कुछ जिम्मेदारियों का उल्लेख किया जैसे कि टीईक्यू का प्रबंधन, अर्हता की मान्यता, एमएसएमईआर, 2023 कार्यान्वयन, जिला निवास कार्यक्रम, एनईईटी पीजी और एसएस, कानूनी मामले, एनबीई और एमसीसी जैसे निकायों के साथ समन्वय जो अकेले अध्यक्ष, पीजीएमईबी द्वारा प्रबंधित किए गए हैं।

निर्णय:

इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए मामले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ उठाया जाना है।

बी श्रीनिवास द्वारा हस्ताक्षरित
दिनांक: 12-02-2024 16:59:57

10.1.5 5वीं एमएसी बैठक

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद (एमएसी) की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त 14 जून, 2023 को दोपहर 02:00 बजे

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद (एमएसी) की 5वीं बैठक 14 जून, 2023 को दोपहर 02:00 बजे एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम	पद
1.	डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा, अध्यक्ष, एनएमसी	अध्यक्ष
2.	डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एनएमसी	सदस्य
3.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एनएमसी	सदस्य
4.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, एनएमसी	सदस्य
5.	डॉ. अतुल गोयल, महानिदेशक, डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
6.	डॉ. सुरेखा किशोर, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर	सदस्य
7.	डॉ. विवेक लाल, निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	सदस्य
8.	डॉ. स्मिता कोल्हे, बैरागढ़, मेलाघाट, महाराष्ट्र	सदस्य
9.	डॉ. संतोष कुमार क्रालेटी, सीईओ, फुट सोल्जर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, संस्थापक और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
10.	प्रो. साकेत कुशवाहा, कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
11.	डॉ. अशोक चंद्राकर, कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	सदस्य
12.	डॉ. एम. के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक	सदस्य
13.	डॉ. मोहनन कुन्नुमल, कुलपति, केरल स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर, केरल	सदस्य
14.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तेलंगाना	सदस्य
15.	प्रो. एसके मेहता, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय	सदस्य
16.	लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) राजन सिंह ग्रेवाल (सेवानिवृत्त), कुलपति, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, सिक्किम	सदस्य
17.	डॉ. बुचीपुडी संबासिवा रेड्डी, आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
18.	डॉ. राजीव सूद, दिल्ली आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
19.	डॉ. महेश बाबुल पटेल, गुजरात आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
20.	डॉ. आर.के. अनेजा, हरियाणा आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य

21.	प्रो. दत्तेश्वर होता, ओडिशा आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
22.	डॉ. विजय कुमार, पंजाब आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
23.	डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
24.	प्रो.(डॉ.)सुहृता पॉल,कुलपति, पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कोलकाता	सदस्य
25.	प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा, कुलपति, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
26.	प्रोफेसर (डॉ.) अनुप कुमार बर्मन, असम आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
27.	डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह, बिहार आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
28.	डॉ. हरि कुमारन नायर जी.एस., केरल आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
29.	डॉ. पल्लवी पी. सैपले, महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
30.	डॉ. सेदेवी अंगामी, नागालैंड आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
31.	डॉ. ओ.टी. लेप्चा, सिक्किम आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
32.	डॉ. वी. राजलिंगम, तेलंगाना आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
33.	डॉ. नरेश सिंह नपलच्याल, उत्तराखंड आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
34.	डॉ. कोज जर्बो, अरुणाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
35.	डॉ. सलीम-उर-रहमान, जम्मू और कश्मीर आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
36.	डॉ. विजया लक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, एथिक्स एंड मेडिकल स्पेशल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, एनएमसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
37.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, अंडर-ग्रेजुएट स्पेशल मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, एनएमसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
38.	डॉ. योगेंद्र मलिक, पूर्णकालिक सदस्य, एथिक्स एंड मेडिकल स्पेशल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, एनएमसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
39.	डॉ. जे. एल. मीणा, पूर्णकालिक सदस्य, चिकित्सा मूल्यांकन और विशेष रेटिंग बोर्ड, एनएमसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
40.	श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक, एनएमसी	संयोजक
41.	श्री अशोक कुमार, निदेशक, एनएमसी	समन्वयक

एनएमसी के अध्यक्ष ने एमएसी की 5वीं बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि सदस्यों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, एनएमसी की 10वीं बैठक आज भौतिक मोड में आयोजित की गई थी जिसमें भारत में चिकित्सा शिक्षा के और सुधार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। एनएमसी के अध्यक्ष ने आगे उल्लेख किया कि एमएसी के सदस्य, जो एनएमसी के सदस्य नहीं हैं, उन्हें दोपहर में एनएमसी की बैठक में हुई चर्चाओं से अवगत कराया जाएगा और उसके बाद सदस्य सलाह दे सकते हैं कि देश में चिकित्सा शिक्षा प्रणाली के मानकों में और सुधार कैसे लाया जाए। इसके बाद, एनएमसी के अध्यक्ष ने एनएमसी के निदेशक श्री पंकज अग्रवाल को एनएमसी बैठक की चर्चाओं का विवरण सदस्यों को देने के लिए कहा।

2. श्री पंकज अग्रवाल ने सदस्यों को डीएमपीपी-1 और डीएमपीपी-2 परियोजनाओं में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सदस्यों को आगे बताया कि एनईएक्सटी नियम, जो पहले से ही एनएमसी वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में हैं, पर एनएमसी की बैठक के दौरान दोपहर में विस्तार से चर्चा की गई और जुलाई 2023 के अंत में एनईएक्सटी के लिए एक मॉक टेस्ट की भी घोषणा की गई है। उन्होंने सदस्यों को मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न आवेदनों के लिए मार्स द्वारा प्रस्तावित शुल्क वृद्धि के बारे में भी जानकारी दी। एनएमसी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मार्स ने वास्तव में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव किया है न कि वृद्धि का, जो 2008 से मुद्रास्फीति में वृद्धि का ध्यान रखता है, जब शुल्क अंतिम बार संशोधित किया गया था। एनएमसी के अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि एनएमसी बैठक के दौरान प्रदर्शित मुख्य स्लाइड को मामले की बेहतर समझ के लिए एमएसी के सदस्यों को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एनएमसी के अध्यक्ष ने आगे बताया कि प्रस्तावित संशोधित शुल्क संरचना में मुख्य परिवर्तन यह है कि पहले सरकारी कॉलेजों और निजी कॉलेजों के लिए फीस अलग-अलग थी, हालांकि, अब यह दोनों श्रेणियों के कॉलेजों के लिए समान है।

3. एनएमसी के अध्यक्ष ने बोर्डों से संबंधित बोर्डों द्वारा की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में प्रस्तुति देने के लिए कहा।

(i) डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी ने यूजी चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यूजीएमईबी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में एमएसी ब्रीफिंग में एक प्रस्तुति दी। यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने यूजीएमईबी की पहलों जैसे पाठ्यक्रम में मेडिकल कॉलेजों और विषयों का समान वितरण, संकाय विकास कार्यक्रम के लिए पहल, एफएमजी से संबंधित मुद्दों का समाधान, मेडिकल छात्रों के लिए परिवार गोद लेने का कार्यक्रम, सताए गए अल्पसंख्यकों से संबंधित डॉक्टरों की मान्यता के लिए पहल और एनएमसी से आभासी व्याख्यान के प्रसारण की पहल के साथ-साथ संकाय की कमी को पूरा करने के लिए अन्य पहलों आदि के बारे में भी विस्तार से बताया है। अध्यक्ष, यूजीएमईबी ने एमएसी को यह भी सूचित किया है कि यूजीएमईबी ने 2.6.2023 को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम,2023" अधिसूचित किया है और उक्त जीएमईआर, 2023 की मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल की स्वदेशी प्रणालियों सहित एसओएल शामिल है। योग, आध्यात्मिक पहलू आदि; यूजीएमईबी द्वारा हर वर्ष अधिसूचित न्यूनतम पात्रता के लिए एनईईटी-यूजी स्कोर (आरक्षण श्रेणियों सहित); टाई का ब्रेक: पी, सी, बी, अंतिम टाई ब्रेकर के रूप में लॉट का ड्रा; नीट-यूजी पात्रता: 10+2 भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/बायोटेक और अंग्रेजी के साथ; सामान्य परामर्श-केंद्र और राज्य कोटा, केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा, कोई आवारा दौर नहीं, कॉलेज को जुर्माना (1 करोड़ रुपये तक), छात्रों को छुट्टी दी जाएगी; एमसीसी यूजीएमईबी को अंतिम सूची प्रस्तुत करेगा और साथ ही कॉलेजों को यूजीएमईबी को प्रवेशित छात्रों की सूची प्रदान करेगा। भारत में एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकरण के लिए इन पर विचार किया जाएगा; कोई प्रवास नहीं;

एमएसआर-50 से 150 सीटों की अनुमति; न्यूनतम बेड 220, 2 वर्ष तक अस्पताल चलाने की आवश्यकता नहीं है; एकीकृत चिकित्सा अनुसंधान विभाग जोड़ा गया; रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ओपीडी को प्रोत्साहित; एईबीएएस और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य; परिवार गोद लेने का कार्यक्रम अनिवार्य; संकाय विकास कार्यक्रम दिशानिर्देश-एसीएमई, बीसीएमई, सीआईएसपी-11 आई; और सीबीएमई दिशानिर्देश आदि।

(ii) (क) पीजीएमईबी के अध्यक्ष डॉ. विजय ओझा ने एमएसी को सूचित किया कि एनएमसी अधिनियम के अनुसार, पीजीएमईबी को पीजी पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता/मान्यता का अधिदेश दिया गया है, और मान्यता के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदन जमा हुए हैं क्योंकि ये मामले सीओवीआईडी के बाद से लंबित थे क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान निरीक्षण नहीं किए जा सके थे और एमएआरबी ने 2022 से अपने निरीक्षण शुरू कर दिए हैं और उनकी रिपोर्ट पीजीएमईबी में प्राप्त की जा रही है। बोर्ड को मान्यता के लिए कुल 2828 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके लिए मई-जून, 2022 में निरीक्षण शुरू होने के बाद दिसंबर 2022 में काम शुरू हुआ। इनमें से 1465 प्रस्तावों को कमियों को दूर करने और अनुपालन प्राप्त होने के बाद मंजूरी दे दी गई है, अनुपालन के लिए 320 पत्र जारी किए गए हैं और शेष पत्रों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी ताकि छात्रों को नुकसान न हो।

(ख) अध्यक्ष, एनएमसी ने एमएसी को अवगत कराया कि पीजीएमईबी के अध्यक्ष डॉ. ओझा ने पीजीएमईबी को मान्यता के लिए आवेदनों के निपटान की पूरी प्रक्रिया की अकेले निगरानी की, क्योंकि बोर्ड में उनकी सहायता करने के लिए कोई सदस्य नहीं है। सभी एमएसी सदस्यों ने इस संबंध में पीजीएमईबी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

(ग) पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने बताया कि, 2022-23 के दौरान, शिक्षक पात्रता प्रमाणपत्र के लिए कुल 570 आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से 550 का निपटान किया गया है। चालू वर्ष के दौरान, 168 आवेदन प्राप्त हुए हैं और पिछले वर्ष के शेष 20 आवेदनों सहित कुल 149 आवेदनों का निपटान किया गया है। पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने एमएसी को आगे बताया कि पीजी नियमों का मसौदा स्टैंडअलोन पीजी मेडिकल कॉलेजों और जिला मेडिकल कॉलेजों आदि से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। मसौदे को जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। जहां तक न्यायालय मामलों का संबंध है, वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में 450 न्यायालय मामले लंबित हैं और इनमें से अधिकांश दाखिले, पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् मूल दस्तावेजों को जारी करने, शिक्षकों की पात्रता आदि से संबंधित हैं।

(घ) एनएमसी के अध्यक्ष ने एमएसी को सूचित किया कि पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए, एनएमसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है कि पर्याप्त सुविधाओं वाले 200 बिस्तर वाले जिला अस्पतालों को स्नातकोत्तर व्यापक विशेषता पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे मेडिकल

छात्रों को मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित होगा कि जिला चिकित्सा अस्पतालों में तृतीयक देखभाल उपलब्ध है और रोगियों को उनके इलाज के लिए बड़े शहरों तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) प्रो. दत्तेश्वर होता, ओडिशा आयुर्विज्ञान परिषद ने उल्लेख किया कि एनएमसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न सुविधाओं की कमी के कारण जिला अस्पताल में पीजी चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में कोई समझौता न हो। एनएमसी के अध्यक्ष ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि इस तरह के सुझावों का आयोग द्वारा हमेशा स्वागत किया जाता है, क्योंकि एमएसी सदस्यों की मुख्य भूमिका चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए सलाह देना है और उपरोक्त मुद्दे पर अन्य सदस्य भी ई-मेल द्वारा पीजीएमईबी को सुझाव दे सकते हैं। इस संबंध में, एनएमसी के अध्यक्ष ने एमएसी को सूचित किया कि एनएमसी जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम पर बहुत जोर दे रहा है।

(च) प्रो. (डॉ.) सुहृता पॉल ने छात्रों द्वारा पीजी ब्रॉड स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध अवधि के मुद्दे को उठाया क्योंकि इस कारण विभिन्न मुद्दे उठ रहे हैं। डॉ. मोहनन कुन्नुमल ने सुझाव दिया कि यूजी और पीजी बोर्ड दोनों को अपने संबंधित नियमों में यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों को पूरा करने की अवधि तय करनी चाहिए। पीजीएमईबी के अध्यक्ष ने सूचित किया कि यूजीएमईबी ने छात्रों द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने की अवधि को पहले ही शामिल कर लिया है और पीजीएमईबी ने इसे अपने मसौदा विनियमों में शामिल कर लिया है। इस मुद्दे पर सदस्यों के विभिन्न सुझावों के मद्देनजर, एनएमसी के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि पीजीएमईबी सदस्यों से विचार प्राप्त कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया जा सकता है।

(iii) डॉ. बी. एन. गंगाधर, अध्यक्ष, एमएआरबी ने एमएआरबी की महत्वपूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कॉलेजों की मूल्यांकन प्रक्रिया को सहभागी बनाने के लिए एमएआरबी द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताया, जिसमें कॉलेज स्वयं स्व-मूल्यांकन कर सकते हैं और तदनुसार मान्यता, नवीनीकरण, नए पाठ्यक्रम शुरू करने, सीटों में वृद्धि आदि के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को दूर करने के लिए बोर्ड द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी विस्तार से बताया ताकि इसे पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा सके और प्रक्रिया में पूर्वाग्रह, यदि कोई हो, को दूर किया जा सके। उन्होंने इन सभी प्रावधानों से अवगत कराया, जिन्हें 2.6.2023 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित "नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करना, वर्तमान पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023" में शामिल किया गया है। उन्होंने एमएसी को एनएमसी की आईटी पहलों के माध्यम से विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा में प्राप्त सकारात्मक सुधार के बारे में बताया, विशेष रूप से आधार सक्षम बायोमेट्रिक

उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के संकाय की उपस्थिति की निगरानी के लिए क्योंकि यह कॉलेजों में संकाय द्वारा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करता है। उन्होंने आगे बताया कि एमएआरबी को चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग करने का काम सौंपा गया है और रेटिंग अभ्यास के संचालन के तरीकों और तौर-तरीकों पर पूरी तरह से अभ्यास किया गया है। डॉ. गंगाधर ने आगे बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेटिंग अभ्यास व्यापक और स्वतंत्र रूप से किया जाता है, एमएआरबी भारतीय गुणवत्ता परिषद को शामिल कर रहा है और इस संबंध में उनके साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ समझौता-ज्ञापन बहुत जल्द होने की संभावना है ताकि कॉलेजों की स्वतंत्र रेटिंग जल्द से जल्द शुरू हो सके। उन्होंने एनएलयू, बैंगलोर के प्रोफेसर नंदीमठ की अध्यक्षता में कानूनी विशेषज्ञों की टीम से प्राप्त कानूनी सहायता के साथ विभिन्न नियमों को तैयार करने में हुई प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यूजीएमईबी, एमएआरबी, ईएमआरबी के विभिन्न नियमों के बारे में विस्तार से बताया जो पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं और एनएमसी और पीजीएमईबी के कुछ अन्य नियमों के बारे में विस्तार से बताया जो वर्तमान में तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही अधिसूचित होने की आशा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किए जा रहे तंत्र के बारे में भी विस्तार से बताया। एमएआरबी के अध्यक्ष ने यह भी बताया है कि मई/जून, 2022 से बहुत कम समय के भीतर एमएआरबी द्वारा लगभग 5000 निरीक्षण किए गए हैं क्योंकि कॉलेजों से मान्यता के नवीनीकरण/नवीनीकरण, सीटों में वृद्धि आदि के लिए बड़ी संख्या में आवेदन जमा हुए हैं। सभी सदस्यों, एमएसी ने इस संबंध में एमएआरबी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

(iv) एनएमसी के अध्यक्ष ने एमएसी को सूचित किया कि सरकार ने अभी तक ईएमआरबी के लिए अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है और डॉ. बी.एन. गंगाधर वर्तमान में ईएमआरबी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसके बाद, एनएमसी के अध्यक्ष ने ईएमआरबी के पूर्णकालिक सदस्य डॉ योगेंद्र मलिक को ईएमआरबी द्वारा की गई प्रगति के बारे में एमएसी को एक प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया। डॉ. योगेंद्र मलिक ने पिछले 3 महीनों के दौरान ईएमआरबी द्वारा की गई उपलब्धियों के बारे में और 25.09.2020 से 31.5.2023 तक की अवधि के दौरान एमएसी ब्रीफिंग के लिए पात्रता प्रमाणपत्र, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, अस्थायी अनुमति और आईएमआर जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के बारे में एक प्रस्तुति दी, जो निम्नानुसार है-

पंजीकरण अनुभाग में विभिन्न प्रकार के आवेदन की स्थिति

मुद्दा	25.09.2020 से 31.05.2023 तक		01.02.2023 से 31.05.2023 तक		लंबित आवेदनों की संख्या	अपूर्ण आवेदनों की संख्या (केवल उम्मीदवार के पास लंबित)	कुल अस्वीकृत	टिप्पणियां (अनुभाग के साथ लंबित आवेदन के अनुसार)
	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाणपत्र (पुराना सहित)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी प्रमाणपत्र (पुराना सहित)				
योग्यता प्रमाणपत्र	25997	18186	2502	494	*3340	**2263	2726	*3340 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। **2263 आवेदन सूचना के रूप में कमी या अपूर्ण दस्तावेजों के कारण आवेदकों के पास लंबित हैं
अतिरिक्त योग्यता	3568	3471	514	220	*1224	**532	30	**डिग्री सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेजों को 1224 आवेदन पत्र भेजे गए हैं और पंजीकरण सत्यापन के लिए संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा जाता है। **सूचना-प्रपत्र में कमी के कारण 532 आवेदकों के आवेदन लंबित हैं।

अच्छी स्थिति	1352	1240	134	65	*67	**26	19	*67 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। डिग्री सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेजों को आवेदन भेजे जाते हैं और पंजीकरण सत्यापन संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा जाता है **सूचना के रूप में कमी या अपूर्ण दस्तावेजों के कारण 26 आवेदकों के आवेदन लंबित हैं
अस्थायी अनुमति	1576	1227	239	230	*55	**137	212	* 55 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं ** 137 आवेदन सूचना के रूप में कमी/अपूर्ण दस्तावेजों के कारण आवेदकों के पास लंबित हैं
आईएमआर	905	461	60	7	*444	शून्य	0	* डिग्री सत्यापन के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेजों और पंजीकरण सत्यापन के लिए 444 आवेदन पत्र संबंधित आयुर्विज्ञान परिषद को भेजे गए हैं।

डॉ. मलिक ने एमएसी को यह भी अवगत कराया कि "मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और प्रैक्टिस मेडिसिन विनियम, 2023 के लिए लाइसेंस" को 10.05.2023 को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, सदस्य, ईएमआरबी ने नैतिकता अनुभाग द्वारा प्राप्त प्रगति की जानकारी दी, जिसमें फरवरी से जून, 2023 के दौरान, कुल 5 आंतरिक बैठकें आयोजित की गई हैं और 25 अपीलों का निपटान किया गया है, जिसमें एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 30 (3) के तहत वापस की गई अपील भी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि "चिकित्सा शिक्षकों की पेशेवर जिम्मेदारियों पर दिशानिर्देश" के साथ-साथ "मेडिकल छात्रों की पेशेवर जिम्मेदारियों पर दिशानिर्देश" 03.04.2023 को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। इसके अलावा "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पंजीकृत चिकित्सा पेशेवर (पेशेवर आचरण) विनियम, 2022" को भी अंतिम रूप दिया गया है और जल्द ही भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की संभावना है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन करके समाप्त हुई।

*****

10.1.6 6वीं एमएसी बैठक

संख्या सीडीएन-12011/06/2023/समन्वय-एनएमसी

भारत सरकार

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

नीति और समन्वय प्रभाग

पॉकेट-14, सैक्टर-8,
द्वारका, फेज-1, नई दिल्ली-77
दिनांक: 21 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की एनएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में 23 जनवरी, 2024 को आयोजित आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद (एमएसी) की 6वीं बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिया जाता है कि वह 23 जनवरी, 2024 को एनएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित (आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद (एमएसी) की आईएलएच बैठक का उल्लेख करे और इसके साथ बैठक के कार्यवृत्त को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करे।

2. यह अध्यक्ष एनएमसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

(डॉ. वी. श्रीनिवास)
सचिव
srinivas.b@nic.in

सेवा में,

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद (एमएसी) के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. एनएमसी के सभी बोर्डों/प्रभागों/अनुभागों को इसमें लिए गए बिन्दुओं/निर्णयों के संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।
2. अध्यक्ष, एनएमसी को पीपीएस
3. सचिव, एनएमसी को पीपीएस
4. गार्ड फ़ाइल।

आयोजित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की 23 जनवरी को 2024 पर 11:00 बजे

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद (एमएसी) की 6वीं बैठक के कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद (एमएसी) की छठी बैठक 23 जनवरी 2024 को सुबह 11:00 बजे सम्मेलन कक्ष, पहली मंजिल, एनएमसी भवन में एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बी.एन. गंगाधर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची इस प्रकार है:

1.	डॉ. बी.एन. गंगाधर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग	अध्यक्ष
2.	डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एनएमसी	सदस्य
3.	डॉ. विजय ओझा, अध्यक्ष, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, एनएमसी	सदस्य
4.	डॉ. शांतनु सेन, पश्चिम बंगाल आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
5.	प्रो. गणेशन कन्नबीरन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद	सदस्य
6.	प्रो. ध्रुब ज्योति बोरा, कुलपति, एसएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, असम	सदस्य
7.	प्रो. श्री हेम चंद्र, कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
8.	डॉ. करुणाकर रेड्डी, कुलपति, कलजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस	सदस्य
9.	डॉ. एम.के. रमेश, कुलपति, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, कर्नाटक	सदस्य
10.	प्रो. पी.एस. शुक्ला, कुलपति, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय	सदस्य
11.	डॉ. हरिकुमारन नायर जी.एस. केरल आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
12.	डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह, बिहार आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
13.	डॉ. महेश कुमार सिन्हा, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
14.	डॉ. दत्तेश्वर होता, ओडिशा आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
15.	डॉ. अकोईजम जॉय सिंह, मणिपुर स्टेट काउंसिल	सदस्य
16.	प्रो. एस.के. मेहता, वीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख	सदस्य
17.	डॉ. संतोष कुमार क्रालेटी, सीईओ, फुट सोल्जर्स फॉर हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और कार्यकारी निदेशक, धात्री (मदर मिल्क बैंक), हैदराबाद	सदस्य
18.	डॉ. बुचिपुड़ी संबाशिवा रेड्डी, आंध्र प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
19.	डॉ. अनूप कुमार बर्मन, असम आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
20.	डॉ. महेश बाबूलाल पटेल, गुजरात आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
21.	डॉ. विजय कुमार, पंजाब आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
22.	डॉ. विनोद कश्यप, हिमाचल प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
23.	डॉ. दीपक शर्मा, राजस्थान आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य
24.	डॉ. वी. राजलिंगम, तेलंगाना आयुर्विज्ञान परिषद	सदस्य

25.	डॉ. विजय लक्ष्मी नाग, पूर्णकालिक सदस्य, नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, एनएमसी	आमंत्रित
26.	डॉ. विजयेंद्र कुमार, पूर्णकालिक सदस्य, स्नातक चिकित्सा शिक्षा	आमंत्रित
27.	डॉ. योगेंद्र मलिक, पूर्णकालिक सदस्य, नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण	आमंत्रित
28.	डॉ. जे.एल. मीना, पूर्णकालिक सदस्य, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड	आमंत्रित
29.	श्री पंकज अग्रवाल, निदेशक (पी एंड सी/आईटी)	संयोजक
30.	श्री शंभू शरण कुमार, निदेशक (यूजीएमईबी)	आमंत्रित
31.	श्री अशोक कुमार, निदेशक (कानूनी और सतर्कता)	आमंत्रित
32.	श्री औजेंद्र सिंह, डीएस (पीजीएमईबी)	आमंत्रित
33.	श्री अरुण कुमार, डीएस (एमएआरबी)	आमंत्रित

एनएमसी के अध्यक्ष ने एमएसी की छठी बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने आगे बताया कि एमएसी की बैठक वर्ष में दो बार होती है और पिछली एमएसी बैठक डॉ. एस.सी. शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। अध्यक्ष ने डॉ. शर्मा के मार्गदर्शन, प्रशासनिक क्षमता और कार्य की अच्छी गुणवत्ता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। एनएमसी के अध्यक्ष ने एमएसी सदस्यों को प्रगति और पिछले एक वर्ष से अधिसूचित विभिन्न नियमों के बारे में अवगत कराया। एनएमसी के अध्यक्ष ने सामान्य परामर्श विनियमों और प्रशासनिक विनियमों के बारे में भी उल्लेख किया जो तैयारी में हैं।

अब तक अधिसूचित एनएमसी नियमों की सूची:

एनएमसी द्वारा अब तक अधिसूचित विनियमों की सूची निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विनियम	एनएमसी अधिनियम की धाराएं	संबंधित बोर्ड	अधिसूचना की तिथि
1.	मेडिकल कॉलेज विनियम, (संशोधन), 2020 की स्थापना।	61(2) 57(2)(यङ)	यूजीएमईबी	28.10.2020
2.	वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम, 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ।	57(2)(द)	यूजीएमईबी	28.10.2020
3.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियम, 2021	57	यूजीएमईबी	18.11.2021
4.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (अनिवार्य घूर्णन चिकित्सा इंटर्नशिप) विनियम, 2021।	धारा 57 के साथ पठित 24(1)(घ)	यूजीएमईबी	18.11.2021

5.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंसधारी) विनियम, 2021।	धारा 15(4) के साथ पठित 57 (2)(ट)	यूजीएमईबी	18.11.2021
6.	चिकित्सा संस्थान विनियम, 2022 में शिक्षक पात्रता योग्यता।	धारा 24 (1) (च) 25 (1) (ङ) के साथ पठित 57 (2) (ध), (न)	पीजीएमईबी	14.02.2022
7.	मेडिकल कॉलेज विनियम (संशोधन), 2022 की स्थापना।	61(2) 57(2)(यङ)	यूजीएमईबी	13.12.2022
8.	चिकित्सा संस्थान विनियम (संशोधन), 2023 में शिक्षक पात्रता योग्यता।	24 (1) (च) 25 (1) (ङ) के साथ पठित 57 (2) (ध), (न)	पीजीएमईबी	31.03.2023
9.	मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का पंजीकरण और चिकित्सा विनियम का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस, 2023	57(2)(यञ), 57(2)(यट) और 57(2)(यठ)	ईएमआरबी	10.05.2023
10.	चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023	57(2)(यङ) 26,28 और 29	एमएआरबी	02.06.2023
11.	स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 (जीएमईआर-23)	धारा 24(1)(ज),(झ),(1),(ञ),(ट),(ण),(त),(थ),(द),(ध) के साथ पठित 57(2)	यूजीएमईबी	02.06.2023
12.	स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 (शुद्धिपत्र)।	57(2)(द)	यूजीएमईबी	16.06.2023
13.	एनएमसी, राष्ट्रीय निकास परीक्षण विनियम, 2023।	57(2)(ञ) के साथ पठित 15(2)	एनएमसी	27.06.2023
14.	चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मानकों का रखरखाव।	10, 24, 25 और 57(2)(म)(य)(यग)	पीजीएमईबी	19.09.2023
15.	एनएमसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रोफेशनल कंडक्ट), 2023	धारा 10 (ख)(च), 16(2), 57(2) यघ, यञ, यझ, यज के साथ पठित 27(1)(ख)	ईएमआरबी	02.08.2023
16.	एनएमसी (न्यूनतम मानक आवश्यकताएं "या नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना/एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सीटों में वृद्धि) दिशानिर्देश, 2023।	पठित 24(1) (क), 24(1)(घ), 24(1)(ङ) धारा 26,28,29 के साथ	यूजीएमईबी	16.08.2023
17.	पीजीएमईआर, 2023	25(1)(क) 25(1)(ख)	पीजीएमईबी	29.12.2023

		25(1)(घ)		
18.	योग्यता की मान्यता	35(1) 35(3) 35(5) 35 (6) 35 (8)	यूजीएमईबी	29.12.2023

3. इसके बाद एनएमसी के अध्यक्ष ने बोर्डों से कहा कि वे अपने-अपने बोर्डों द्वारा की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतिकरण दें।

3.क डॉ. अरुणा वी. वाणीकर, अध्यक्ष, यूजीएमईबी ने यूजी चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए यूजीएमईबी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में एमएसी ब्रीफिंग में एक प्रस्तुति दी। यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने यूजीएमईबी की पहलों जैसे पाठ्यक्रम में मेडिकल कॉलेजों और विषयों का समान वितरण, संकाय विकास कार्यक्रम के लिए पहल, एफएमजी से संबंधित मुद्दों का समाधान, मेडिकल छात्रों के लिए परिवार गोद लेने के कार्यक्रम के साथ-साथ संकाय की कमी को पूरा करने के लिए अन्य पहलों आदि के बारे में भी विस्तार से बताया। यूजीएमईबी के अध्यक्ष ने एमएसी को यह भी सूचित किया है कि यूजीएमईबी ने नए एमएसएमईआर और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के कार्यान्वयन के अनुसार विश्लेषण किया है। मूल्यांकन के आधार पर यूजीएमईबी ने स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में अधिकतम कॉलेजों में कमियां पाईं। इससे कॉलेजों में यूजी या पीजी सीटें जोड़ने की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एनएमसी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कॉलेज अधिक सीटों और कम सुविधाओं के साथ शुरू होता है। हालांकि, कॉलेजों से 3-4 वर्ष की छोटी समय सीमा के भीतर वर्ष-दर-वर्ष सुविधाओं में वृद्धि की आशा थी और इसने एक चुनौती पेश की। प्रत्येक छात्र को प्रवेश के बाद यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कॉलेज पहले से अंतिम वर्ष तक छात्रों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करे। माननीय न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि हमारे देश के कुछ इलाकों में कॉलेजों में अत्यधिक भीड़ है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दस लाख आबादी में कम से कम 100 एमबीबीएस सीटें (400 बिस्तर वाला अस्पताल) हों। अगले वर्ष से प्रत्येक नए कॉलेज को प्रति दस लाख की आबादी पर एमबीबीएस की सौ सीटों की सीमा के आधार पर राज्य में अनुमति दी जाएगी। राज्यों को भी ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे जन-जन तक सेवाएं पहुंचे।

3. ख). पीजीएमईबी के अध्यक्ष डॉ. विजय ओझा ने एमएसी को सूचित किया कि नए पीजीएमईआर नियम और चिकित्सा योग्यता विनियमन की मान्यता अधिसूचित की गई है। पीजीएमईबी ने जो एक अन्य नीतिगत निर्णय लिया है, वह चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 के मानकों का रखरखाव नामक विनियमन है।

इस विनियम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कॉलेज स्व-घोषणा प्रस्तुत करेगा और हितधारकों से प्राप्त विश्लेषण और अन्य इनपुट के आधार पर, पीजीएमईबी संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता के संबंध में की जाने वाली अगली कार्रवाई का आकलन और निर्णय लेगा।

4. **नई कार्यसूची मदें:-**

4.1 - मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण के लिए एआई (AI) का उपयोग और मेडिकल छात्रों के पाठ्यक्रम में एआई उपयोग पर क्षेत्र-विशिष्ट सामग्री पेश करना -

सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने 30.12.2023 के अपने नोट के माध्यम से अवगत कराया है कि माननीय प्रधानमंत्री ने 27 से 29 दिसंबर, 2023 तक आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/एनएमसी से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियां कीं -

(i) मेडिकल छात्रों और आयुष छात्रों के पाठ्यक्रम में एआई उपयोग पर क्षेत्र-विशिष्ट सामग्री पेश करने के प्रयास;

(ii) मानव इंटरफ़ेस को कम करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण के लिए एआई के उपयोग को बढ़ाना।

चर्चा: एआई एक नई तकनीक है जिसके फायदे और नुकसान हैं। कैमरे के माध्यम से निरीक्षण के लिए रोगी और संकाय डेटा कैप्चर करने के लिए एआई का उपयोग विश्वसनीय नहीं हो सकता है, जब तक कि एक मजबूत एआई सॉफ्टवेयर नहीं है। इस पर आगे चर्चा की गई और मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण के लिए एआई के उचित उपयोग को देखने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति में एनआईटी, आईआईटी और आईटी व्यवसायियों के प्रतिनिधि हो सकते हैं जो निरीक्षण उद्देश्य के लिए एक मजबूत एआई सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए सही संसाधन, सही सामग्री और सही सामग्री के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि, छात्रों के लिए, एआई को पाठ्यक्रम में पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को इसके उपयोग और अनुप्रयोग के बारे में पता होना चाहिए।

निर्णय: सदस्यों ने इस मामले को विस्तार से देखने के लिए एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा एक समिति के गठन के लिए सहमति व्यक्त की।

4.2 - विभिन्न देशों में भारतीय चिकित्सा पेशेवर के लिए व्यापार बाधाएं।

वाणिज्य विभाग से अन्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ओमान, फ्रांस और श्रीलंका आदि के साथ किए

जा रहे विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के संबंध में उनके द्वारा की जा रही चर्चा के बारे में उल्लेख प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, इस आयोग की टिप्पणियां व्यवसायी सेवाओं के क्षेत्र के तहत आने वाली बाधाओं के बारे में मांगी गई थीं जिनमें चिकित्सा पेशेवर भी शामिल हैं।

चर्चा: चूंकि नियम, विनियम और प्रणाली अलग-अलग देशों में भिन्न होती है, इसलिए प्रत्येक देश के लिए विशिष्ट संभावनाओं का अध्ययन करने और इनपुट प्रदान करने की आवश्यकता है। मामले की जांच करने और इस पर इनपुट प्रदान करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए विदेश में प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों से परामर्श करने पर भी विचार किया जा सकता है।

निर्णय: सदस्यों ने इस मामले को विस्तार से देखने के लिए एनएमसी के अध्यक्ष द्वारा एक समिति के गठन के लिए सहमति व्यक्त की।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

*****

“प्रस्तुत रिपोर्ट मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई पृथक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखी गई रिपोर्ट ही मान्य होगी”

अनुक्रमणिका

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

10.2 2023.24 का वार्षिक लेखा

क्रम संख्या	विवरण
10.2.1	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
10.2.2	वित्तीय वर्ष 2023.24 का आय व व्यय लेखा
10.2.3	वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची
10.2.4	अनुसूचि 27—लेखों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियां
10.2.5	कर्मचारी भविष्य निधि
10.2.6	कर्मचारी पैंसन निधि
10.2.7	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के खातों पर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिक्षक की लेखा परिक्षा रिपोर्ट एवं प्रमाण—पत्र

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

31.03. 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत वर्ष 2022-23
	1	8,042,438,158	6,847,266,251
कॉर्पस/पूंजी निधि			
आरक्षिति और अधिशेष	2	-	-
अंकित/वृत्तिका निधियां	3	10,744,654	10,438,640
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	446,138,938	472,077,912
कर्मचारी पेंशन निधि	क2	937,926,131	907,623,862
कर्मचारी भविष्य निधि	क3	118,841,768	98,268,809
योग		9,556,089,649	8,335,675,474
परिसंपत्तियां			
	8	305,521,916	336,677,917
अचल परिसंपत्तियां			
निवेश-अंकित/वृत्तिका निधियों से	9	10,744,654	10,438,640
निवेश - अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	8,183,055,180	6,982,666,246
विविध व्यय		-	-
(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
कर्मचारी पेंशन निधि	क2	937,926,131	907,623,862
कर्मचारी भविष्य निधि	क3	118,841,768	98,268,809
योग		9,556,089,649	8,335,675,474
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां	27		

अरुणा वणीकर

सदस्य

अध्यक्षा

2024/09/17 18:23:52
Account(Consultant)
10.0.11.500
36000599

36C00549
10.0.1.50
2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय वर्ष 2023-24 का आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत वर्ष 2022-23
	12	-	147,883
बिक्री/सेवा से आय			
अनुदान/सब्सिडी	13	-	-
शुल्क/सदस्यता	14	1,625,253,485	902,922,017
निवेश से आय (अंकित/वृत्तिका निधि से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	534,344,375	350,446,576
अन्य आय	18	19,920	90,464
तैयार माल और प्रगति पर चल रहे कार्यों में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
योग (क)		2,159,617,780	1,253,606,940
व्यय			
स्थापना व्यय	20	251,747,401	231,040,670
प्रशासनिक व्यय	21	672,096,014	538,151,195
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ऋण और उधार पर ब्याज	23	-	-
अनुदान से व्यय (योजना)	24	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध योग - अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	40,602,458	42,956,943
योग (ख)		964,445,873	812,148,808
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)		1,195,171,907	441,458,132
विशेष आरक्षिति में अंतरित (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)	2	-	-
अधिशेष/(घाटा) कार्पस/पूंजी निधि में अग्रेनीत	1	1,195,171,907	441,458,132

सदस्य

अध्यक्ष

20240911714226527
Account(Consultant)
1000011580
36C00689

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 1			
कॉर्पस/पूंजी निधि		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
निवल अथ शेष		6,847,266,251	6,405,808,119
जमा: आय और व्यय लेखे से अंतरित निवल अधिशेष/आय का शेष अंकित निधि/सहायता अनुदान		1195171907	441,458,132
जमा:-पूर्व-अवधि समायोजन-बॉम्बे उपनगरीय के साथ बिजली की आपूर्ति (बीएसईएस)		-	-
घटा: पंजीकरण शुल्क		-	-
घटा: निरीक्षण शुल्क		-	-
जमा: सावधि जमा के कारण पूर्व अवधि समायोजन का लेखांकन नहीं किया गया		-	-
घटा: पूंजीगत कार्य प्रगति जो परिसंपत्तियों को हस्तांतरित किया गया		-	-
जमा: परिसंपत्तियों की मदों की बिक्री/निपटान/लागत की वसूली के कारण वसूल की गई राशि		-	-
तुलन-पत्र में हस्तांतरित राशि		8,042,438,158	6,847,266,251

अनुसूची 2			
आरक्षिति और अधिशेष		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. पूंजी आरक्षिति:			
विगत लेखे के अनुसार		-	-
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति:			
विगत लेखे के अनुसार		-	-
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		-	-
3. विशेष आरक्षिति:			
विगत लेखे के अनुसार		-	-
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		-	-

20240917143256527
Account(Consultant)
10.0.11.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50
2025/03/13 13:29:04

4. सामान्य आरक्षिति:			
विगत लेखे के अनुसार		-	-
जमा: वर्ष के दौरान परिवर्धन		-	-
घटा: वर्ष के दौरान कटौती		-	-
तुलन-पत्र में अंतरित राशि		-	-

36C00549
10.0.1.50
2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 3 (क)			
अंकित/वृत्तिका निधियां		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क) निधियों का अथ शेष			
(i) भवन निधि		10,438,640	10,141,328
(ख) निधियों में परिवर्धन:			
सहायता-अनुदान/कॉर्पस अंशदान		-	-
निधियों के लेखे में किए गए निवेश पर ब्याज		306,014	297,312
जमा: सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज		-	-
घटा: उपार्जित ब्याज-अथ शेष		-	-
(क) प्रतिभूति जमा		-	-
(ख) बयाना राशि		-	-
(ग) विविध प्राप्तियां		-	-
योग (क+ख)		10,744,654	10,438,640
(ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय			
I. पूंजीगत व्यय			
- निश्चित व्यय			
(क) सिविल कार्य		-	-
(ख) वास्तुकार सेवाएं		-	-
(ग) एचवीएसी		-	-
(घ) आंतरिक सजावट		-	-
(ङ) विद्युत् संस्थापन		-	-
(च) पानी/सीवेज		-	-
(छ) लिफ्ट		-	-
(ज) अग्नि सुरक्षा उपकरण		-	-
(झ) सम्मेलन/संचार प्रणाली		-	-
(ञ) फर्नीचर और फिक्स्चर		-	-
(ट) विविध परिसंपत्तियां		-	-
योग			
ii. राजस्व व्यय			
अन्य प्रशासनिक व्यय			
(क) विविध वस्तुएं		-	-
(ख) बीमा		-	-
(ग) विद्युत प्रभार		-	-
(घ) बट्टे खाते डालना		-	-
योग			
III. प्रतिदाय/समायोजन		-	-
प्रतिभूति जमा			
योग			
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)		10,744,654	10,438,640

20240917142226527
Account(Consultant)
1D0011500
36C006899

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 3 (ख)			
अंकित/वृत्तिका निधियां		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क) निधियों का अथ शेष			
(i) कार्यशाला निधि		-	-
(ख) निधियों में परिवर्धन:			
i. सहायता-अनुदान/कॉर्पस अंशदान		-	-
ii. निधियों के लेखे में किए गए निवेश पर ब्याज		-	-
iii. सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज		-	-
iv. घटा: सावधि जमा रसीद पर उपार्जित ब्याज-अथ शेष		-	-
(ग) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		-	-
(घ) कटौती		-	-
योग (क+ख+ग)-(घ)		-	-
		-	-
(ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय			
i. पूंजीगत व्यय		-	-
ii. राजस्व व्यय			
वेतन		-	-
यातायात व्यय		-	-
बैंक प्रभार		-	-
योग		-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क-ख)		-	-
अनुसूची 3(क)+3(ख) का कुल योग तुलन-पत्र में अंतरित		10,744,654	10,438,640

2024/08/17 14:23:52
2024/09/17 12:36:27

Account(Consultant)
10.0.1.50
10.0.1.90
36C00549
36C00549

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 4		
सुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
(क) सावधि ऋण	-	-
(ख) उपार्जित और देय ब्याज	-	-
4. बैंक:		
(क) सावधि ऋण	-	-
- उपार्जित और देय ब्याज	-	-
(ख) अन्य ऋण	-	-
- उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. अन्य	-	-
तुलन-पत्र में अंतरित कुल	-	-

अनुसूची 5		
असुरक्षित ऋण और उधार	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक	-	-
(क) सावधि ऋण	-	-
(ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
तुलन-पत्र में अंतरित कुल	-	-

अनुसूची 6		
आस्थगित ऋण देयताएं:	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क) पूंजीगत उपकरण और अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
(ख) अन्य	-	-
तुलन-पत्र में अंतरित कुल	-	-

20240609171422236527
Account(Consultant)
1000011500
366008599

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 7			
वर्तमान देयताएं और प्रावधान		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क. वर्तमान देयताएं			
1. स्वीकृतियाँ			
2. विविध लेनदार:			
(क) कॉलेजों की बैंक गारंटी		400,015,000	400,000,000
(ख) अन्य (प्रतिभूति जमा)		-	-
3. प्राप्त अग्रिम			
(i) निरीक्षण शुल्क पीजी		-	-
(ii) निरीक्षण शुल्क यूजी		-	-
(iii) पंजीकरण शुल्क		-	-
(iv) अतिरिक्त योग्यता प्रमाणपत्र		-	-
(v) अच्छी साख शुल्क प्रमाणपत्र		-	-
(vi) पात्रता प्रमाणपत्र		-	-
4. उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:			
(क) सुरक्षित ऋण/उधार		-	-
(ख) असुरक्षित ऋण/उधार		-	-
5. सांविधिक देयताएं:			
(क) अतिदेय		-	-
(ख) अन्य		-	-
- स्रोत पर कर कटौती		(379,827)	1,376,521
- नई पेंशन योजना		4,534,863	4,367,981
- सामान्य भविष्य निधि		17,713,782	17,335,228
- समूह बीमा		175,255	115,046
- लाइसेंस शुल्क		182,387	193,507
6. अन्य वर्तमान देयताएं			
सीजीएचएस		650	-
विधिक शुल्क		-	14,976,311
पीएम केयर्स		-	-
एलटीसी		-	-
संगोष्ठी और कार्यशाला		-	-
दूरभाष		-	105,823
निरीक्षकों को टीए/डीए		-	5,455,000
उप समिति को टीए/डीए			-
आतिथ्य प्रभार		-	231,613
विविध शुल्क		-	1,089,321
पेट्रोल		-	100,936
श्रम-शक्ति		-	5,879,964
देय सहायता अनुदान		8,435,714	8,196,328
गृह निर्माण अग्रिम के लिए देय		201,504	327,900
अन्य वसूलियों के लिए देय		100,540	117,966

20240917142236527
Account(Consultant)
1000011560
36C008499

मजदूरी योग (क)		430,979,868	459,869,445

[illegible]
Account(Consultant)
10.0.1.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 7			
वर्तमान देयताएं और प्रावधान		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
ख. प्रावधान			
1. कराधान के लिए			-
2. उपदान		9,369,230	7,388,207
3. अधिवर्षिता/पेंशन			-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण		5,257,400	4,287,820
5. लेखापरीक्षा शुल्क		532,440	532,440
6. वेतन		-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट)		-	-
योग (ख)		15,159,070	12,208,467
कुल योग (क+ख) तुलन-पत्र में अंतरित		446,138,938	472,077,912

2024/09/17 14:26:27
Account(Consultant)
100.00.11.500
36C00549

2024/09/17 14:2:

10.0.1.50
36C00549

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 8

अचल परिसंपत्तियां

राशि रुपए में

विवरण	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास						निवल ब्लॉक	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	परिवर्धन >= 180 दिन	परिवर्धन <180 दिन	कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	अथ संचयी मूल्यह्रास समायोजन	परिवर्धन		कटौती	योग	31.03.2024 को स्थिति	31.03.2023 को स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10क	10ख	11	12	13	14
. अचल परिसंपत्तियां:									पुराना	नया				
. लीजहोल्ड भूमि		10,764 120	-	-	-	10,764,120	2,500,744	-	217,457	-	-	2,718,201	8,045,919	8,263,3
(क).भवन (कार्यालय)	10%	121,726 973	-	-	-	121,726,973	106,278,176	-	1,544,880	-	-	107,823,056	13,903,917	15,448,7
(ख) भवन (अतिथि-गृह)	5%	33,403 466	-	-	-	33,403,466	19,978,599	-	671,243	-	-	20,649,842	12,753,624	13,424,8
(ग) भवन (लोधी रोड)	10%	168,155 100	-	-		168,155,100	31,949,469	-	13,620,563	-	-	45,570,032	122,585,068	136,205,6
. सामान्य/विद्युत प्रतिष्ठान	10%	19,084 006	118,257	305,017	-	19,507,279	16,016,939	-	306,707	27,077	-	-	-	3,067,0
. वाहन	15%	5,042 424	-	-	-	5,042,424	3,678,056	-	204,655	-	-	3,882,711	1,159,713	1,364,3
. फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	71,533 662	1,602,404	1,005,872	-	74,141,938	48,905,941	-	2,262,772	210,534	-	51,379,247	22,762,692	22,627,7
. कार्यालय उपकरण	15%	259,703 480	658,264	1,050,879	-	261,412,623	163,720,711	-	14,397,415	177,556	-	178,295,682	83,116,941	95,982,7
. कंप्यूटर/बाह्य उपकरण	40%	57,449,572	3,843,404	93,216	-	61,386,191	48,758,579		3,476,397	1,556,005	-	53,790,981	7,595,210	8,690,9
. संचार और सम्मेलन प्रणाली	15%	16,942 260	-	-	-	16,942,260	13,367,904		536,153	-	-	13,904,057	3,038,203	3,574,3
. पुस्तकें	40%	146 144	-	-	-	146,144	144,184		784	-	-	144,968	1,176	1,9
0.ताप और शीतलन उपकरण	10%	14,313 132	357,828	37,102	-	14,708,062	11,777,914		253,522	37,638	-	-	2,638,987	2,535,2
1.अन्य अचल परिसंपत्तियां	15%	2,174 958	-	-	-	2,174,958	1,690,714		72,637	-	-	1,763,351	411,607	484,2
2. अग्निसुरक्षा परिसंपत्तियां	15%	17,834,957	374,213	-	-	18,209,170	11,641,160		929,070	56,132	-	12,626,362	5,582,808	6,193,7
3. लिफ्ट मशीनरी	15%	5,389,600	-	-	-	5,389,600	5,343,199		6,960	-	-	5,350,159	39,441	46,4
4. सौर उपकरण	40%	10,134,000	-	-	-	10,134,000	10,134,000		-	-	-	10,134,000	0	
5. नलकूप और पानी सीवेज	10%	1,757 846	-	-	-	1,757,846	1,394,833		36,301	-	-	1,431,134	326,712	363,0
ग (वर्तमान वर्ष)		815,555,699	6,954,370	2,492,086	-	825,002,155	497,281,123	-	38,537,516	2,064,942	-	537,883,581	287,118,574	318,274,5
ग (विगत वर्ष)		788,068,072	11,796,008	15,691,620		815,555,699	454,324,180	-	38,241,051	4,715,892	-	497,281,123	318,274,576	333,743,8
. पूंजीगत कार्य प्रगति पर		18,403,340	-	-	-	18,403,340	-	-	-	-	-	-	18,403,340	18,403,3
ल (क)+(ख) तुलन-पत्र में तरण		833,959,039	6,954,370	2,492,086	-	843,405,495	497,281,123	-	38,537,516	2,064,942	-	537,883,581	305,521,914	336,677,9

2024/09/17 12:56:27
Account(Consultant)
10.0.1.50
36C00549

2025/03/13 13:29:04

10.0.1.50
36C00549

अनुसूची 9		
अंकित/ वृत्तिका निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. अन्य सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा रसीद पर उपार्जित ब्याज	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
- बैंक के साथ शेष राशि	10,744,654	10,438,640
योग	10,744,654	10,438,640

अनुसूची 10		
निवेश-अन्य	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1. अन्य सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
योग- तुलन-पत्र में अंतरित	-	-

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 11 चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम	244,992	-
मोटर कार/स्कूटर अग्रिम	-	(8,224)
कंप्यूटर अग्रिम	-	-
त्योहार अग्रिम	-	-
अधिक भुगतान के प्रति वसूली योग्य	-	
ख) संस्था जैसी गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाओं को अग्रिम	-	-
निर्वाचन अधिकारी, आरएमजी निर्वाचन क्षेत्र	-	-
सीएलई होस्टिंग संस्थान		
2. अग्रिम और अन्य राशियां जो नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के रूप में वसूल की जा सकती हैं:		
क) पूंजी लेखे पर	-	-
ख) संचार प्रणाली के लिए पूर्व भुगतान	-	-
ग) बीएसईएस में अन्य परिवर्धन (टैरिफ दर का समायोजन)	-	-
घ) प्रतिभूति जमा		
- बीएसईएस के पास	1,488,000	1,488,000
- डीडीए के पास	60,000	60,000
- विज्ञान भवन के साथ	9,840	9,840
ङ) जीएसटी इनपुट	94,025,739	38,018,817
च) सामान्य भविष्य निधि से वसूली योग्य	(10,880,501)	(3,260,258)
छ) कर्मचारी पेंशन निधि से प्राप्तनीय	716,501	2,128,365
3. उपार्जित आय (ब्याज):		
क) सावधि जमा पर (स्वः संसाधन)	336,741,871	218,335,664
ख) निवेश पर-अन्य	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
घ) अन्य बीएसईएस	-	-
4. पूर्व-प्रदत्त खर्चे		
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	-	-
5. प्राप्य दावे		
विगत वर्षों के लिए वसूली योग्य सेवा कर	299,642,813	299,642,813
घटा: वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान की गई वसूली	(7,871,771)	(7,871,771)
घटा: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान की गई वसूली	(54,043,614)	(54,043,614)
घटा: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान की गई वसूली	(65,201,757)	(65,201,757)
घटा: वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान की गई वसूली	(3,036,400)	(3,036,400)
घटा: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान की गई वसूली	(59,725,389)	-
6. टीडीएस प्राप्य	5,875,365	3,507,645
योग (ख)	538,045,689	429,769,120
कुल योग (क+ख) तुलन-पत्र में अंतरित	8,183,055,180	6,982,666,246

2025/03/13 13:29:04

10.0.1.50
36C00549

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 11		
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. माल-सूची:		
क) स्टोर और पुर्जे	-	-
ख) अतिरिक्त उपकरण	-	-
ग) व्यापार में स्टॉक	-	-
घ) तैयार माल, प्रगति में कार्य, कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार:	-	-
क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	18,820,000	18,820,000
ख) अन्य - निरीक्षण शुल्क यूजी	1,950,000	1,950,000
ग) अन्य-निरीक्षण शुल्क पीजी	94,400	-
घ) अन्य-एनटीटी से प्राप्य	4,683	4,683
3. हाथ में डाक टिकट-31 मार्च		
4. हाथ-नगदी शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		
5. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंक के पास:		
- बचत खातों पर (सहायता अनुदान)	8,435,714	8,196,328
- जमा खातों पर	7,446,793,802	5,681,031,309
- बचत खातों पर (स्वः संसाधन)	168,070,117	842,054,031
हाथ-नगदी	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के पास:	-	-
- चालू खातों पर	-	-
- जमा खातों पर	-	-
- बचत खातों पर	-	-
6. डाकघर- बचत खाते	-	-
7. बयाना राशि जमा	840,775	840,775
8. वसूली	-	-
योग (क)	7,645,009,491	6,552,897,126

20241009117142226527
Account(Consultant)
10.0.11.50
35C00549

36C00549
10.0.1.50
2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 12		
बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) प्रकाशनों की बिक्री	-	-
ख) प्रपत्र की बिक्री (निविदा प्रपत्र)	-	-
ग) पुरानी वस्तुओं/समाचार पत्रों आदि की बिक्री	-	147,883
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/ संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
योग- आय और व्यय लेखे में अंतरित	-	147,883

अनुसूची 13		
अनुदान/सब्सिडी	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1 क) सहायता अनुदान		
क) अथ शेष	-	-
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
ग) घटा: वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-	-
योग (क+ख-ग)	-	-

2024/00/17 14:22:35
Account(Consultant)
10.0.1.50
36C00549

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 14	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
शुल्क/सदस्यता	-	-
1. प्रवेश शुल्क	38,567,801.00	-
2. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
3. परामर्श शुल्क	125,574,271	258,379,712
4. धारा 10 क के तहत पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शुल्क	3,682,380	3,586,718
5. टीईक्यू के लिए शुल्क	20,138,746	196,046,293
6. अनुपालन/नवीनीकरण के सत्यापन के लिए शुल्क	40,358,839	53,269,500
7. धारा 10क के तहत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शुल्क	532,666,097	109,509,153
8. सीटों की वृद्धि के लिए शुल्क	2,889,491	691,442
9. अन्य पंजीकरण/प्रमाणपत्र के लिए शुल्क	113,546,517	161,657,962
10. पंजीकरण डिग्री/डिप्लोमा की संख्या	707,309,425	-
11. अनुपालन/नवीनीकरण मान्यता के लिए शुल्क	11,963	14,597
12. आरटीआई शुल्क	924,660	529,287
13. आईएमआर शुल्क	6,077,814	42,309,058
14. निरीक्षण शुल्क-वार्षिक और अन्य		-
15. निरीक्षण शुल्क		-
क) जमा: विगत वर्ष के दौरान अग्रिम में प्राप्त निरीक्षण शुल्क (यूजी)		-
ख) चालू वर्ष के लिए प्राप्य शुल्क-यूजी	8,947,550	30,210,326
ग) वर्तमान वर्ष के लिए प्राप्य शुल्क - पीजी		-
घ) घटा: वर्ष में प्राप्त बकाया निरीक्षण शुल्क	1,600,695,554	856,204,048
योग (1)		
विभिन्न निरीक्षण शुल्क	-	-
योग (2)	-	-
16) अन्य (निर्दिष्ट)	302,981	413,865
क) वैकल्पिक प्रशिक्षण	-	-
ख) प्रवासन	8,296,354	14,266,690
ग) पात्रता प्रमाणपत्र	-	-
घटा: प्राप्त अग्रिम में अंतरित (इति)	-	9,986,000
जमा: अग्रिम प्राप्त से अंतरित (अथ)	2,178,309	2,202,632
घ) अच्छी साख शुक्ल प्रमाणपत्र	-	-
घटा: प्राप्त अग्रिम में अंतरित (इति)	-	89,000
जमा: अग्रिम प्राप्त से अंतरित (अथ)	4,314,418	5,111,985
ङ) पंजीकरण प्रमाणपत्र	9,465,869	10,937,797
च) अतिरिक्त योग्यता प्रमाणपत्र	-	-
घटा: प्राप्त अग्रिम में अंतरित (इति)	-	3,710,000
जमा: अग्रिम प्राप्त से अंतरित (अथ)	24,557,931	46,717,969
योग (3)	1,625,253,485	902,922,017
कुल (1+2+3) आय और व्यय लेखे में अंतरण		

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 15 निवेश से आय	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(निधियों में अंतरित अंकित/वृत्तिका निधियों से निवेश पर आय)		
1. ब्याज	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर		
2. लाभांश:	-	-
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
योग-आय और व्यय में अंतरित		

अनुसूची 16	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	-	-
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2) प्रकाशनों से आय	-	-
3) अन्य (निर्दिष्ट)		
योग- आय और व्यय लेखे में अंतरित		
4) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम पर उपार्जित ब्याज	-	-
i) कार अग्रिम	-	-
ii) स्कूटर अग्रिम	-	-
iii) भवन निर्माण अग्रिम	-	-
iv) कंप्यूटर अग्रिम	-	-
v) कोई अन्य अग्रिम (निर्दिष्ट)	-	-
योग (4)	-	-
घटा: उपार्जित ब्याज-अथ शेष	-	-
5) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज (सामान्य भविष्य निधि)	-	-
योग (5)		
	-	-
कुल योग (1+2+3+4+5) आय और व्यय लेखे में अंतरण		

2024/09/17 14:23:57

Account(Consultant)
10.0.11.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

अनुसूची-17		
अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1) सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंक के पास		
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	404,717,637	216,284,595
जमा: उपार्जित ब्याज	336,741,871	218,335,664
जमा: ब्याज (बीएसईएस)(विगत उपार्जित)	-	-
घटा: उपार्जित ब्याज (निवल)	-	-
घटा: उपार्जित ब्याज (अथ शेष)	218,335,664	101,929,708
ख) गैर-अनुसूचित बैंकके पास		
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
योग (1)	523,123,844	332,690,551
2) बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंक (जीआरटी) के पास	-	-
ख) अनुसूचित बैंक (स्वः संसाधन) के पास	11,220,531	17,756,025
ग) डाकघर बचत खाते	-	-
घ) अन्य	-	-
योग (2)	11,220,531	17,756,025
3) ऋण पर:		
क) कर्मचारी/स्टॉफ		
i) कार/स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-
ii) एचबीए पर ब्याज	-	-
iii) पंखे अग्रिम पर ब्याज	-	-
iv) कंप्यूटर अग्रिम	-	-
v) साइकिल अग्रिम	-	-
योग (3)	-	-
4) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम पर उपार्जित ब्याज		
i) कार अग्रिम	-	-
ii) स्कूटर अग्रिम	-	-
iii) भवन निर्माण अग्रिम	-	-
iv) कंप्यूटर अग्रिम	-	-
v) साइकिल अग्रिम	-	-
योग (4)		
घटा: उपार्जित ब्याज - अथ शेष	-	-
5) देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज (सामान्य भविष्य निधि)	-	-
योग (5)	-	-
कुल योग (1+2+3+4-5) आय और व्यय लेखे में अंतरण	534,344,375	350,446,576

20244096777142236527
Account(Consultant)
100011590
366005499

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 18		
अन्य आय	वर्तमान वर्ष	विगत अवधि
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से अथवा निशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियां,	-	-
2) निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय/प्राप्तियां	-	-
क) अन्य पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि के लिए शुल्क	-	-
ख) डाक-शुल्क	-	-
ग) क्वार्टर किराया	-	-
घ) आरटीआई अधिनियम के तहत शुल्क	-	-
ङ) भवन का किराया	-	-
च) अन्य पार्टियों से प्राप्ति	-	-
छ) विविध प्राप्ति (जीआरटी)	-	-
ज) अन्य	19,920	90,464
योग- आय और व्यय लेखे में अंतरित	19,920	90,464

अनुसूची 19		
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य-प्रगति-पर	वर्तमान वर्ष	विगत अवधि
क) इति स्टॉक	-	-
ख) घटा: अथ स्टॉक	-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख) आय और व्यय लेखे में अंतरण	-	-

अनुसूची 20		
स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	विगत अवधि
क) वेतन और मजदूरी	181,567,416	165,547,536
ख) भत्ते और बोनस	41,116,055	36,481,561
ग) भविष्य निधि में अंशदान	337,801	495,380
घ) अन्य निधि (पेंशन) में अंशदान	8,797,262	8,698,609
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	6,597,294	7,311,146
च) जीपीएफ ग्राहकों के लिए ब्याज व्यय	7,620,243	4,148,553
छ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल हितलाभ पर व्यय (छुट्टी का नकदीकरण)	2,760,727	2,771,090
योग (क)	248,796,798	225,453,875
ज) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
झ) प्रावधान	-	-
उपदान	1,981,023	3,018,015
संचित छुट्टी नकदीकरण	969,580	2,568,780
कम्यूटेशन पेंशन	-	-
योग (ख)	2,950,603	5,586,795
योग (ग) घटा: अथ शेष देय बिल	-	-
कुल योग (क)+(ख)-(ग) आय और व्यय लेखे में अंतरण	251,747,401	231,040,670

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 21			
प्रशासनिक व्यय		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
बिजली और पानी के शुल्क		19,337,912	19,525,740
बीमा		-	-
मरम्मत और रखरखाव		27,099,449	6,951,030
दूरभाष		10,279,704	2,834,781
डाक-शुल्क		1,225,892	1,027,022
विविध खर्च		3,752,846	9,449,667
लेखन-सामग्री		3,160,629	3,458,261
संगोष्ठी और कार्यशालाओं पर व्यय		1,296,540	3,823,190
लाइसेंस शुल्क		-	-
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		-	-
छुट्टियों का नकदीकरण		-	-
लीज किराया और कर		2,653,356	-
आतिथ्य शुल्क		-	-
विधिक/व्यावसायिक शुल्क		41,285,688	104,702,927
विज्ञापन आरएमजी चुनाव टेलीफोन डाक		-	-
आतिथ्य व्यय		5,017,503	2,725,581
बैंक प्रभार (स्वः)		115,443	74,016
बैंक प्रभार (जीआरटी)		-	-
जीएसटी		-	-
धारा 194ग और 194ञ के तहत टीडीएस		-	-
जीएसटी आईटीसी खर्चों में शामिल, पुनर्वर्गीकरण		-	-
अन्य के लिए सदस्यता		2,740,007	4,655,183
संगोष्ठी और कार्यशाला		-	-
ई-गवर्नेंस परियोजना		179,698,288	76,933,430
परिनिर्धारित नुकसान		25,468,493	-
विविध शुल्क		-	-
पेट्रोल प्रभार		744,298	230,284
आर एंड एम कम्युनिकेशंस		-	-
निरीक्षकों को टीए/डीए		68,782,590	85,518,512
पीजी समिति को टीए/डीए		-	-
उप समिति को टीए/डीए		1,561,000	2,853,749
यात्रा शुल्क		192,811,385	153,456,336
मजदूरी		-	-
चेकों का गबन		-	944,000
घटा: वसूली गई राशि		-	(472,000)
विविध व्यय		217,342	-
जनशक्ति व्यय		84,847,649	59,459,486
योग		672,096,014	538,151,195

2024/09/17 14:23:27

Account(Consultant)
10.0.11.50
36C00549

घटा: अथ शेष बकाया देय बिल		-	-
जमा: वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान		-	-
जमा: डाक टिकटों का अथ स्टॉक		-	-
घटा: डाक टिकटों का इति स्टॉक		-	-
घटा: लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान-अथ शेष		-	-
आय और व्यय लेखे में सकल कुल अंतरण		672,096,014	538,151,195

2024/09/17 14:23:527
Account(Consultant)
10.0.14.590
3600005499

अनुसूची 22		
अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
योग- आय और व्यय लेखे में अंतरित	-	-

अनुसूची 23		
ब्याज	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क) निश्चित ऋण पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-
योग- आय और व्यय लेखे में अंतरित	-	-

अनुसूची 24		
अनुदान से व्यय	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
<u>सहायता अनुदान</u>		
क) सतत चिकित्सा शिक्षा	-	-
ख) आईएमआर का संशोधन और मुद्रण	-	-
ग) उपकरणों की खरीद	-	-
घ) जमा: अग्रिम वसूल सीएमई	-	-
जमा: बकाया सीएमई बिल देय	-	-
घटा: सीएमई के लिए अग्रिम भुगतान	-	-
घटा: प्रावधानों के लिए भुगतान किए गए सीएमई बिल:	-	-
आईएमआर का मुद्रण और संशोधन	-	-
घटा: आईएमआर के संशोधन का प्रावधान	-	-
योग- आय और व्यय लेखे में अंतरित	-	-

2024/09/17 14:22:27
Account(Consultant)
10.0.1.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50
2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची 25		
कोई अन्य भुगतान-अग्रिम और पूर्व-प्रदत्त खर्चे	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
कार/स्कूटर अग्रिम	-	-
त्योहार अग्रिम	-	-
भवन निर्माण अग्रिम	-	-
किराया दर और कर	-	-
आरएमजी चुनाव	-	-
अन्य निकायों की सदस्यता संचार प्रणाली-अग्रिम कंप्यूटर अग्रिम	-	-
बीमा पूर्व-प्रदत्त साइकिल अग्रिम विविध शुल्क	-	-
योग	-	-

अनुसूची 26		
कोई अन्य प्राप्ति-अग्रिम/ पूर्व-प्रदत्त का समायोजन	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
भवन निर्माण भवन अग्रिम-वसूली	-	-
कंप्यूटर अग्रिम-वसूली आरएमजी इलेक्शन अग्रिम-समायोजित त्योहार अग्रिम-वसूली	-	-
साइकिल अग्रिम-वसूली कार/स्कूटर अग्रिम-वसूली अग्रिम/ पूर्व-प्रदत्त समायोजित (आईआईसी) विविध शुल्क	-	-
अग्रिम/ पूर्व-प्रदत्त समायोजित (बीमा)	-	-
योग	-	-

2024/09/17 14:29:52
Account(Consultant)
10.0.1.50
36C00549

2025/03/13 13:29:04

10.0.1.50
36C00549

वित्तीय विवरण (गैर लाभकारी संगठन)

संस्थान का नाम-राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

वित्तीय विवरणियों का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-27 लेखों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर टिप्पणियां

1. **व्यय और राजस्व मान्यता का वर्गीकरण** लेखे ऐतिहासिक लागत प्रथा और प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं। सभी आय व्यय, संपत्ति और देनदारियों का लेखों के प्राकृतिक शीर्ष के तहत प्रोद्भवन आधार पर लेखांकन किया जाता है।

2. **अचल परिसंपत्तियां और मूल्यह्रास** परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर संचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है। वर्ष के लिए अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखित दरों पर परिसंपत्तियों के ह्रासित मूल्य पर प्रदान किया गया है।

लीजहोल्ड भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है	**मूल्यह्रास की दर**
मद	10%
भवन (कार्यालय)	05%
बिल्डिंग (अतिथि-गृह)	10%
फर्नीचर और फिक्सचर	15%
वाहन	15%
कार्यालय उपकरण	40%
कंप्यूटर	15%
विविध अचल परिसंपत्तियां	10%
जनरेटर/विद्युत संस्थापना	40%
पुस्तकें	15%
संचार और सम्मेलन प्रणाली	10%
हीटिंग और शीतलन उपकरण	10%
अग्नि सुरक्षा उपकरण	15%
लिफ्ट	10%
नलकूप और पानी सीवरेज सिस्टम	40%
सौर्य-प्रणाली	

मूल्यह्रास की उपरोक्त दर को आयकर नियम से अपनाया गया है जैसा कि आयकर नियम, 1962 के नियम 5 के परिशिष्ट 1 में प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन के संबंध में मूल्यह्रास @ 50% प्रदान किया जाता है जहां वित्तीय वर्ष में 180 दिनों से कम समय के लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है। अचल

2024/09/17 14:22:52

10.0.1.50
36C00549
2024/09/17 13:04:25

10.0.1.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

परिसंपत्तियां अंकित निधि और एनएमसी-स्व प्राप्तियों लेखे से सृजित परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

3. **सहायता अनुदान/अंकित निधियों से अर्जित अचल परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन संव्यवहार**

अनुदान/अंकित निधियों से अर्जित अचल परिसंपत्तियों को आस्थगित आय के रूप में माना गया है और इसे आय और व्यय खाते में व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर ऐसी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर मान्यता दी गई है; अर्थात इस तरह के अनुदान को उस अवधि में और उस अनुपात में आय के लिए आवंटित किया जाता है जिसमें मूल्यह्रास का प्रभारित किया जाता है।

4. **निवेश**

आयोग ने बैंकों में सावधि जमा में जमा राशि के अलावा कोई अन्य निवेश नहीं किया है।

5. **कॉर्पस/पूंजी निधि**

यह व्यय पर आय से अधिक के संचित शेष और सहायता अनुदान से अर्जित अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य और अंकित निधि से हस्तांतरित अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य और आयोग के स्वयं के संसाधनों से अर्जित अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य को दर्शाता है।से अर्जित अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

6 **सेवा-निवृत्ति हितलाभ/कार्मिक पेंशन निधि**

आयोग ने पेंशन संबंधी देयताओं को पूरा करने के लिए कार्मिक पेंशन निधि की स्थापना की है और राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला है, जिसमे वर्ष के दौरान अंशदान किया गया है।

7. **सामान्य भविष्य निधि**

आयोग ने भारत सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग, शिमला की दिनांक 03/06/1937 की केंद्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या आर.43-6/37/-एच की मंजूरी से सामान्य भविष्य निधि नियम 1925 (1925 का XIX) की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक में एक सामान्य भविष्य निधि खाता खोला है।

कर्मचारियों से प्राप्त सभी अंशदान राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाती हैं।

अर्जित ब्याज और सामान्य भविष्य निधि अभिदाताओं को दिए गए ब्याज के बीच अंतर, यदि कोई हो, का भुगतान कमीशन/जीपी निधि से किया जाता है।

8. **आकस्मिक देयताएं**

तुलन-पत्र की तारीख को आयोग की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

2024/09/17 14:22:52

10.0.1.50
36C00549

2025/03/13 13:29:04

10.0.1.50
36C00549

9. **लेखांकन नीतियां और सामग्री प्रभाव में परिवर्तन**
चालू वर्ष के दौरान आयोग के लेखे, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों पर लागू लेखों के एकसमान प्रारूप में तैयार किए गए हैं। चूंकि नए प्रारूप में सी.पी.एफ./जी.पी.एफ. और पेंशन निधि एएलसी के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इसे इस वित्तीय विवरणी के साथ संलग्न किया गया है (अनुलग्नक-II और 111 देखें)। तथापि, जीपीएफ खाते और पेंशन निधि खाते के तुलन-पत्रों को आयोग के तुलन-पत्र में भी समाहित किया गया है।

10. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का सिद्धांत, गोइंग कंसर्न की अवधारणा, मैचिंग अवधारणा और स्थिरता को बनाए रखा गया है।

11. मौजूदा परिसंपत्तियों में हाथ में डाक टिकट, नकदी और बैंक शेष, उपार्जित ब्याज, पूर्व-भुगतान व्यय और जिनका व्यापार के सामान्य रूप में वसूली पर मूल्य कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर हो, शामिल हैं।

12. पिछले वर्ष सहायता अनुदान लेखे और स्व-संसाधन आदि के आंकड़ों को यथावाश्यक, पुन समूहित किया गया है। आंकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

सदस्य

अध्यक्ष

2024/09/17 14:32:45

10.0.1.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

नई दिल्ली

अनुसूची-I

प्राप्ति और भुगतान लेखा-सहायता-अनुदान, स्वः के संसाधन, भवन निधि और कार्यशाला निधि

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक

प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
1 अप्रैल को अथ शेष					
नकद और बैंक	-	315	क. स्थापना		
सहायता अनुदान	-	-			
स्वः संसाधन-जीआरटी के पास	-	-	वेतन और मजदूरी		
गैर योजना जीआरटी	8,196,328	7,963,281	वेतन और मजदूरी	182,062,257	171,500,621
योग (1)	8,196,328	7,963,596	भत्ते और बोनस	41,116,055	36,481,561
स्वः संसाधन			योग (1)	223,178,312	207,982,182
स्वः संसाधन- बचत बैंक खाता	842,054,031	399,082,105			
बैंक में सावधि जमा	5,681,031,309	5,937,676,378	कर्मचारी भविष्य निधि		
योग (2)	6,523,085,340	6,336,758,483	सामान्य भविष्य निधि	-	-
			भविष्य निधि में अंशदान	337,801	495,380
			एनपीएस	8,134,909	7,381,635
			योग (2)	8,472,710	7,877,015
भवन निधि और कार्यशाला निधि					
बचत बैंक खाता	10,438,640	10,141,328			
बैंक में सावधि जमा	-	-	कर्मचारी कल्याण खर्चे		
योग (3)	10,438,640	10,141,328	चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति	3,698,024	2,238,866
कुल योग (1+2+3)	6,541,720,308	6,354,863,407	ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	2,754,000	2,673,000
			पाठ्यक्रम शुल्क	-	2,210,000
अनुदान सहायता स्वः	-	-	समाचार-पत्र की प्रतिपूर्ति	145,270	189,280
उपयोगिता	-	-	योग (3)	6,597,294	7,311,146
योग	-	-			
			कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ		
			छुट्टी का नकदीकरण	885,790	4,207,570
वेतन और मजदूरी की वसूली			कर्मचारियों को ग्रेच्युटी	1,874,937	-
वेतन	-	-	योग (4)	2,760,727	4,207,570
महंगाई भत्ता	-	-	योग (1+2+3+4)	241,009,043	227,377,913
सीसीए	-	-			
योग (1)	-	-	ख. अचल परिसम्पत्तियों का क्रय		
			कार्यालय उपकरण	1,709,143	6,120,966
कर्मचारी कल्याण			फर्नीचर और स्थिरता	2,608,276	8,550,700
कर्मचारियों को एलटीसी	-	-	भवन	-	210,315
सीजीएचएस	-	-	कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर	3,936,620	11,263,790
पीएम केयर्स	-	-	ताप और शीतलन उपकरण	394,930	405,013
योग (2)	-	-	सामान्य/विद्युत प्रतिष्ठान	423,274	541,479
			संचार प्रणाली	-	18,644

20240917142256527
Account(Consultant)
10.0.11.60
36C00549

			पुस्तके	-	2,456
कर्मचारी भविष्य निधि			अग्निशमन प्रणाली	374,213	374,270
सामान्य भविष्य निधि	-	-	निर्माण कार्य प्रगति पर	-	3,520,053
एनपीएस	-	-	योग	9,446,456	31,007,680
योग (3)	-	-			
			ग. प्रशासनिक		
			वाहन का रखरखाव		
कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ			स्टाफ कार	-	-
			पेट्रोल	845,234	274,319
छुट्टी का नकदीकरण	-	-	योग (1)	845,234	274,319
कर्मचारियों को ग्रेच्युटी	-	-			
योग (4)	-	-			
योग (1+2+3+4)	-	-	मरम्मत और रखरखाव		
			अग्नि-शमन प्रणाली	790,525	1,916,123
अर्जित ब्याज			भवन	6,811,746	2,188,230
बैंक से ब्याज			संचार प्रणाली	4,898,623	60,155
बचत बैंक खाता संख्या	11,220,531	17,756,025	स्टाफ कार	-	191,183
निवेश (स्वः संसाधन)	404,717,637	216,284,595	कार्यालय उपकरण	233,363	423,726
निवेश (भवन निधि)	306,014	297,312	सामान्य विद्युत स्थापना	507,381	207,755
सहायता अनुदान पर ब्याज	239,386	233,047	कंप्यूटर/बाह्य उपकरण	11,414,903	1,080,044
योग (1)	416,483,568	234,570,979	फर्नीचर और फिक्सचर	-	-
			ताप और शीतलन उपकरण	2,170,620	598,814
अग्रिम पर ब्याज			लिफ्ट	272,288	285,000
साइकिल अग्रिम					
कार अग्रिम			योग (2)	27,099,449	6,951,030
स्कूटर अग्रिम					
कंप्यूटर अग्रिम			प्रशासनिक खर्च		
योग (2)	-	-	मजदूरी	-	-
योग (1+2)	416,483,568	234,570,979	लेखन-सामग्री	3,160,629	3,458,261
			दूरभाष	10,385,527	2,846,651
अग्रिम शुल्क			डाक-शुल्क	1,225,892	1,027,022
निरीक्षण शुल्क -यूजी	-	-	विविध खर्च	4,842,167	8,726,136
निरीक्षण शुल्क -पीजी	-	-	बिजली और पानी	19,337,912	19,525,740
पंजीकरण शुल्क	-	-	विधिक/व्यावसायिक शुल्क	56,261,999	98,490,866
अतिरिक्त योग्यता का प्रमाणपत्र	-	-	आतिथ्य व्यय	5,249,116	3,134,275
अच्छी साख शुक्ल प्रमाणपत्र	-	-	बैंक प्रभार (स्वः)	115,443	74,016
पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	-	-	बैंक प्रभार (जीआरटी)	-	-
योग (1)	-	-	विविध व्यय	363,097	-
			जनशक्ति व्यय	90,727,613	62,623,875
शुल्क			सतत चिकित्सा शिक्षा योजना	-	-
सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	38,567,801	-	-		
वार्षिक निरीक्षण शुल्क	6,077,814	42,309,058	जीएसटी	-	-
धारा 10 क के तहत पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शुल्क	125,574,271	258,379,712	अन्य के लिए सदस्यता	2,740,007	4,655,183
टीईक्यू के लिए शुल्क	3,682,380	3,586,718	संगोष्ठी और कार्यशाला	1,296,540	3,823,190
अनुपालन/नवीनीकरण के सत्यापन के लिए शुल्क	20,138,746	196,046,293	ई-गवर्नेंस परियोजना	179,698,288	76,933,430

2024/09/17 14:22:52
----- 2024/09/17 12:56:27
10.0.1.50 Account(Consultant)
36C00549 10.0.1.50
36C00549

धारा 10 ए के तहत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शुल्क	40,358,839	57,269,500	लीज किराया और कर	2,653,356	
सीटों की वृद्धि के लिए शुल्क	532,666,097	109,509,153	जमा: धारा 194ग और 194ञ के तहत टीडीएस	-	-
अन्य पंजीकरण/प्रमाणपत्र के लिए शुल्क	2,889,491	691,442	घटा: खर्च में शामिल जीएसटी आईटीसी	-	-
निरीक्षण शुल्क (एच.सी.)	8,947,550	30,210,326	योग (3)	378,057,586	285,318,645
निरीक्षण शुल्क (सीटें)	-	-			
वैकल्पिक प्रशिक्षण	302,981	413,865	यात्रा भत्ता		
डिग्री/डिप्लोमा का पंजीकरण	113,546,517	161,807,962	सचिव और कर्मचारी		
अनुपालन/नवीनीकरण मान्यता के लिए शुल्क	707,309,425	-	-	74,237,590	118,668,967
आरटीआई शुल्क	11,963	14,597	पीजी समिति को टीए/डीए	-	-
आईएमआर शुल्क	924,660	529,287	उप समिति को टीए/डीए	1,561,000	3,483,749
प्रवासन शुल्क	-	-	यात्रा शुल्क	192,811,385	153,456,336
पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	8,201,954	14,266,690			
अच्छी स्थिति का प्रमाणपत्र	2,178,309	2,202,632	योग (4)	268,609,975	275,609,052
पंजीकरण शुल्क	4,314,418	5,111,985	योग (1+2+3+4)	674,612,244	568,153,046
अतिरिक्त योग्यता का प्रमाणपत्र	9,465,869	10,937,797			
योग (2)	1,625,159,085	893,287,017	अग्रिम शुल्क समायोजन		
योग (1+2)	1,625,159,085	893,287,017	निरीक्षण शुल्क-यूजी	-	-
			पंजीकरण शुल्क	-	-
अन्य प्राप्तियां			अतिरिक्त योग्यता का प्रमाणपत्र	-	-
पुराने सामान की बिक्री	-	147,883	अच्छी साख शुक्ल प्रमाणपत्र	-	-
क्वार्टर किराया	-	-	पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	-	-
विविध प्राप्ति	19,920	1,919,884	निरीक्षण शुल्क-पीजी	-	-
निविदा प्रपत्र की बिक्री	-	-	पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	-	-
भवन का किराया	-	-	योग	-	-
प्रकाशन की बिक्री	-	-			
प्रतिभूति जमा	15,000	-	अन्य भुगतान ऋण और कर्मचारियों को अग्रिम		
अन्य पंजीकरण/प्रमाणपत्र के लिए शुल्क	-	-	कार अग्रिम	-	-
सीजीएसटी	-	-	भवन निर्माण अग्रिम	-	-
एसजीएसटी	-	-	कंप्यूटर अग्रिम	-	-
इनपुट सेवाओं पर लिया गया जीएसटी क्रेडिट	-	-	स्कूटर अग्रिम	-	-
योग	34,920	2,067,767	परिनिर्धारित नुकसान	25,468,493	-
			अन्य		-
वसूली और वापसी			योग (1)	25,468,493	-
यात्रा भत्ता	-	-			
जनरल बॉडी विदेश यात्रा	-	-	अन्य अग्रिम और पूर्व-प्रदत्त खर्चे		
सचिव और कर्मचारी	-	-	विद्युत प्रभार	-	-
उप-समिति	-	-	विविध प्रभार	-	-
टिकट-निरीक्षक	-	-	योग (2)	-	-

20240917 14:23:27
Account(Consultant)
10.0.11.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50
2025/03/13 13:29:04

अन्य	244,992	-	योग (1+2)	25,468,493	-
सहायता अनुदान (भुगतान उलट)	-	-			
योग (1)	244,992	-	शुल्क की वापसी		
			वार्षिक निरीक्षण शुल्क	-	-
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम			धारा 10 ए के तहत नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए शुल्क	-	4,000,000
भवन निर्माण अग्रिम	-	-	डिप्लोमा/डिग्री का पंजीकरण	-	150,000
कार अग्रिम	-	-	धारा 10 ए के तहत पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शुल्क	-	-
कंप्यूटर अग्रिम	-	-	टीईक्यू के लिए शुल्क	-	-
त्योहार अग्रिम	-	-	अनुपालन/नवीनीकरण के सत्यापन के लिए शुल्क	-	-
स्कूटर अग्रिम	-	-	आरटीआई शुल्क	-	-
साइकिल अग्रिम	-	-	आईएमआर शुल्क	-	-
अधिक भुगतान	-	-	प्रवासन शुल्क	-	-
योग (2)	-	-	पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क	-	-
			अच्छी साख शुल्क प्रमाणपत्र	-	-
वसूली और समायोजन-अग्रिम			पंजीकरण शुल्क	-	-
सेवा कर वसूली	59,725,389	3,036,400	सीटों की वृद्धि के लिए शुल्क	-	-
ओएफएएमओएस शुल्क वसूली	-	-	अन्य पंजीकरण के लिए शुल्क	-	-
विगत वार्षिक लेखों में सावधि जमा का समायोजन नहीं किया गया	-	-	राज्य परिषदों को शेयर	-	-
एसपीएफ	1,411,864	-			
प्रतिभूति जमा	15,000				
योग (3)	61,152,253	3,036,400	सीजीएसटी		-
योग (1+2+3)	61,397,245	3,036,400	एसजीएसटी	-	-
			योग (1)	-	4,150,000
टीडीएस और एलआईसी					
ठेकेदारों और पेशेवरों पर टीडीएस	22,369,929	23,912,026	प्रतिदाय-अन्य		
वेतन पर टीडीएस	23,700,609	32,088,406	प्रतिभूति जमा	-	95,009,840
			विविध प्राप्ति	-	2,020,590
एलआईसी प्रीमियम	133,325	250,187	योग (2)	-	97,030,430
अन्य देय कटौती	-	184,840	योग (1+2)	-	101,180,430
योग	46,203,863	56,435,459			
			टीडीएस और एलआईसी		
			ठेकेदारों और पेशेवरों पर टीडीएस	23,140,096	24,192,201
			वेतन पर टीडीएस	24,686,791	32,387,029
			एलआईसी प्रीमियम	73,116	242,706
			अन्य प्राप्तनीय कटौतियां	143,822	-
			योग	48,043,825	56,821,936
			अन्य		

2024/09/17 14:26:27
Account(Consultant)
10.0.1.50
36C00549

			बयाना राशि जमा	-	
			जीपीएफ और एसपीएफ से प्राप्तनीय		
			वसूली योग्य अधिक भुगतान	-	-
			जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में वृद्धि	56,006,922	13,758,921
			स्रोत पर कर कटौती	2,367,720	2,603,136
			अन्य		
			योग	58,374,642	17,999,715
			इति शेष		
			हाथ-नगदी	-	-
			सहायता अनुदान		
			गैर योजना जीआरटी	8,435,714	8,196,328
			योग (1)	8,435,714	8,196,328
			स्वः संसाधन		
			स्वः संसाधन-बचत बैंक खाता	168,070,117	842,054,031
			स्वः संसाधन-सावधि जमा	7,446,793,802	5,681,031,309
			योग (2)	7,614,863,919	6,523,085,340
			भवन निधि और कार्यशाला निधि		
			कार्यशाला लेखा	-	-
			भवन निधि बचत बैंक खाता	10,744,654	10,438,640
			बैंक में सावधि जमा	-	-
			योग (3)	10,744,654	10,438,640
			योग (1+2+3)	7,634,044,287	6,541,720,308
कुल योग	8,690,998,989.48	7,544,261,029	कुल योग	8,690,998,989.48	7,544,261,029

2024/09/17 14:26:52
Account(Consultant)
10.0.11.50
36C00549

2025/03/13 13:29:04

10.0.1.50
36C00549

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी भविष्य निधि
तुलन-पत्र
अनुसूची-क3

देयताएं		वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत वर्ष 2022-23
कॉर्पस/पूंजी निधि	अनुसूची - I	129,722,269	101,529,067
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को देय	अनुसूची - II	(10,880,501)	(3,260,258)
योग		118,841,768	98,268,809
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां		-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	अनुसूची - III	118,841,768	98,268,809
योग		118,841,768	98,268,809

अरुणा वणीकर
सदस्य

अध्यक्ष

2024/09/17 14:32:52

Account(Consultant)
10.0.1.50
36C00549

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

कर्मचारी भविष्य निधि

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय और व्यय लेखा

अनुसूची-क 3

आय	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत अवधि 2022-23
अर्जित ब्याज	1,610,938	740,888
जमा: वर्ष का उपार्जित ब्याज	-	2,687,667
घटा: उपार्जित ब्याज-अथ शेष	-	-
जमा: उपार्जित ब्याज (निवल)	-	-
एनएमसी सब्सक्राइबर्स के लिए विभेदक ब्याज के लिए अंशदान	7,620,243	4,148,553
योग	9,231,181	7,577,108
व्यय		
बैंक प्रभार	5,178	27,130
सब्सक्राइबर को भुगतान किया गया ब्याज	119,457	-
एनएमसी लेखे में भुगतान/देय ब्याज	-	-
योग	124,635	27,130
व्यय पर आय का आधिक्य/(घाटा) जी.पी.एफ. लेखे में अंतरण	9,106,546	7,549,978

अरुणा वणीकर

सदस्य

अध्यक्ष

2024/09/17 14:27:37
Account(Consultant)
10.0.11.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

कर्मचारी भविष्य निधि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत वर्ष 2022-23
अनुसूची - I - जीपीएफ लेखा		
पीएफ-कॉर्पस निधि अप्रैल अथ शेष	101,529,067	78,935,734
जमा:		
अथ सावधि जमा का सुधार जिसकी सूचना नहीं दी गई	-	-
सदस्यता/अग्रिम वसूली	39,200,698	35,454,894
अभिदाता को भुगतान किया गया ब्याज	-	-
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य /(घाटा)	9,106,546	7,549,978
ऋण प्राप्तनीय	-	-
योग	149,836,311	121,940,606
घटा: निकासी	20,114,042	20,411,539
निवल कॉर्पस निधि	129,722,269	101,529,067
अनुसूची - 2		
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को देय (स्वः संसाधन)	(10,880,501)	(3,260,258)
योग	(10,880,501)	(3,260,258)
अनुसूची-3-चालू परिसंपत्तियां		
बैंक शेष	68,736,768	36,110,739
सावधि जमा	50,000,000	61,470,061
उपार्जित ब्याज	-	403,009
ऋण प्राप्तनीय	105,000.00	285,000.00
योग	118,841,768	98,268,809

2024/09/17 14:23:52

Account(Consultant)
10.0.1.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50
2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी भविष्य निधि
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	भुगतान	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
1 अप्रैल को अथ शेष			अग्रिम जीपी निधि	-	285,000
बैंक में सावधि जमा	61,470,061	59,063,935	निकासी/भुगतान	20,114,042	20,411,539
बचत बैंक खाता	36,110,739	20,512,055	बैंक प्रभार	5,178	27,130
			जीपीएफ पर ब्याज का भुगतान	119,457	
			एनएमसी को रिफंड	-	15,000.00
योग	97,580,800	79,575,990	योग	20,238,677	20,738,669
अथ-शेष का सुधार					
बैंक में सावधि जमा	-	-			
योग	-	-			
वसूली/सदस्यता					
अग्रिम की वसूली	180,000.00	-			
अंशदान	-	-			
एनएमसी से अंशदान	39,200,698	35,454,894			
योग	39,380,698	35,454,894			
			31 मार्च को इति शेष		
ब्याज					
सावधि जमा	568,121	2,547,697	बैंक में सावधि जमा	50,000,000	61,470,061
बचत बैंक खाता	1,445,826	740,888	बचत बैंक खाता	68,736,768	36,110,739
योग	2,013,947	3,288,585	योग	118,736,768	97,580,800
कुल योग	138,975,445	118,319,469	कुल योग	138,975,445	118,319,469

20240917142237537
Account(Consultant)
1000011500
36C00549

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी पेंशन निधि
31.03. 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
अनुसूची-क2

देयताएं	अनुसूची	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कॉर्पस/पूंजी निधि	I	937,209,630	905,421,657
वर्तमान देयताएं	II	716,501	2,202,205
योग		937,926,131	907,623,862
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां		-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	III	937,926,131	907,623,862
योग		937,926,131	907,623,862

सदस्य

अध्यक्ष

2024/09/17 14:28:52
Account(Consultant)
10.0.11.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50
2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
कर्मचारी पेंशन निधि
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय और व्यय लेखा
अनुसूची-क2

आय	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत वर्ष 2022-23
प्राप्त ब्याज	22,140,957	35,017,295
जमा: वर्ष का उपार्जित ब्याज	52,111,544	21,131,059
घटा: उपार्जित ब्याज-अथ शेष	21,131,059	15,289,136
एनएमसी से अंशदान	-	-
कम्यूटेशन पेंशन की वसूली	-	-
कुल आय (क)	53,121,442	40,859,218
व्यय		
(i) पेंशन का कम्यूटेशन	-	-
(ii) पेंशन वितरण	21,329,805	20,666,022
(iii) मार्च के लिए बकाया पेंशन	-	-
(iii) बैंक शुल्क	3,664	834
कुल व्यय (ख)	21,333,469	20,666,856
अधिक/(घाटा) पेंशन निधि लेखे में अंतरित (क-ख)	31,787,973	20,192,362

अरुणा वणीकर
सदस्य

गंगाधर
अध्यक्ष

2024/09/17 14:28:27
Account(Consultant)
10.0.11.50
36C00549

36C00549
10.0.1.50

2025/03/13 13:29:04

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

कर्मचारी पेंशन निधि

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र का अंग बनने वाली अनुसूची

अनुसूची-I (पेंशन निधि)	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत अवधि 2022-23
कॉर्पस निधि		
अथ शेष (कॉर्पस निधि)	905,421,657	886,500,158
जमा: व्यय से अधिक आय	31,787,973	20,192,362
जमा: मार्च की बकाया पेंशन	-	-
घटा: भुगतान की गई अथशेष राशि पर बकाया पेंशन	-	1,270,863
योग	937,209,630	905,421,657

अनुसूची - II (पेंशन निधि)	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत अवधि 2022-23
वर्तमान देयताएं		
स्रोत पर कर कटौती	-	73,840
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग को देय (स्वः संसाधन)	716,501	2,128,365
योग	716,501	2,202,205
अनुसूची- III (पेंशन निधि)		
बैंक में नगदी (बचत खाता)	35,814,587	59,652,985
सावधि जमा	850,000,000	826,839,818
उपार्जित ब्याज	52,111,544	21,131,059
योग	937,926,131	907,623,862

2024/09/17 14:22:52
24/09/17 12:58:47
count(Consultant)
10.0.1.50
36C00549
:00549

2025/03/13 13:29:04
10.0.1.50

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

कर्मचारी पेंशन निधि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रसीद और भुगतान लेखा

प्राप्ति	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत अवधि 2022-23	भुगतान	वर्तमान वर्ष 2023-24	विगत अवधि 2022-23
अथ शेष					
बैंक में सावधि जमा	826,839,818	811,228,510	पेंशन कम्यूटेशन	-	-
			पेंशन वितरण	21,329,805	21,936,885
बचत बैंक खाता	59,652,985	60,506,059	अन्य भत्ता और वेतन	-	-
			बैंक प्रभार	3,664	834
योग	886,492,803	871,734,569	योग	21,333,469	21,937,719
एनएमसी द्वारा भुगतान किया	-	-			
गया अंशदान	-	820,191	एनएमसी को भुगतान	1,485,704	-
योग	-	820,191	योग	1,485,704	-
आयकर	-	858,467			
योग	-	858,467			
ब्याज					
बचत बैंक खाता	1,500,734	1,692,075			
सावधि जमा	20,640,223	33,325,220			
अन्य प्राप्तियां					
जमा: सावधि जमा की परिपक्वता के लिए आय	-	-			
योग	22,140,957	35,017,295			
			31 मार्च को इति शेष		
			बैंक में सावधि जमा	850,000,000	826,839,818
			बचत बैंक खाता	35,814,587	59,652,985
			योग	885,814,587	886,492,803
कुल योग	908,633,760	908,430,522	कुल योग	908,633,760	908,430,522

Account(Consultant)
000011500

10.2.7 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की संलग्न बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता तथा प्राप्तियाँ और भुगतान खाते का लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण एनएमसी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक वरिष्ठ महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण के संबंध में लेखांकन उपचार पर टिप्पणियां, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियाँ, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूपता शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षण की योजना बनानी होगी और उसे निष्पादित करना होगा, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण किसी भौतिक त्रुटि से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षण में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित खातों के एकसमान प्रारूप में तैयार किया गया है;

iii. हमारी राय में, एनएमसी द्वारा उचित लेखा पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक अभिलेख बनाए रखे गए हैं, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सामान्य

क.1 31.03.2024 तक एनएमसी के पास 40.00 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी थी। इस तथ्य को लेखा-टिप्पणियों में उचित रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।

क.2 एनएमसी द्वारा प्रस्तुत किए गए खातों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई थी। चूंकि सीएजी आयोग का एकमात्र लेखा परीक्षक है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खातों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के हस्ताक्षर और मुहर न हों।

क.3 एनएमसी बहीखाता और ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जिसका उपयोग वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए किया जाता है। ट्रायल बैलेंस और आइटम के बहीखाता की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने राशि में कुछ विसंगति देखी। विवरण नीचे दिए गए हैं:

ट्रायल बैलेंस और वार्षिक खातों में अंतर

रुपए में राशि

क्र.सं	मद	ट्रायल बैलेंस के अनुसार शेष राशि	वार्षिक खातों के अनुसार शेष राशि	अंतर
1.	अन्य पंजीकरण/प्रमाणपत्रों के लिए शुल्क	180321	2889491	2709170

बहीखाता का समापन शेष और वार्षिक खातों में अंतर

रुपए में राशि

क्र.सं	मद	बहीखाता के अनुसार समापन शेष	वार्षिक लेखा के अनुसार शेष राशि	अंतर
1.	धारा 10ए के तहत पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शुल्क	127174271	125574271	1600000
2.	पात्रता प्रमाण पत्र	8284414	8296354	11940
3.	अच्छी स्थिति होने पर प्रमाणपत्र	2207808	2178309	29499
4.	वार्षिक योग्यता प्रमाणपत्र	9470869	9465869	5000

क.4 एनएमसी ने वार्षिक लेखा की बैलेंस शीट के परिसंपत्ति और देयता पक्ष पर क्रमशः कर्मचारी पेंशन निधि और कर्मचारी भविष्य निधि को दर्शाते हुए अनुसूची ए2 और ए3 दर्शाई है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखा के एकसमान प्रारूप में ऐसी कोई अनुसूची निर्धारित नहीं है। हालाँकि एनएमसी ने इन निधियों के खातों को अलग से बनाए रखा है, लेकिन इसने इन खातों को एनएमसी के खाते में मिला दिया है।

चूंकि कर्मचारी पेंशन निधि और कर्मचारी भविष्य निधि की देनदारियां और परिसंपत्तियां एनएमसी की देनदारियां और परिसंपत्तियां नहीं हैं, इसलिए इन्हें बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं होना चाहिए और इन्हें एनएमसी के खातों में अलग से रखा जाना चाहिए।

क.5 रजिस्टर का रखरखाव न करना

क. पूरे वित्तीय वर्ष के लिए चेक जारी करने वाले रजिस्टर का अनुचित रखरखाव
एनएमसी ने दिसंबर 2023 से चेक जारी करने वाले रजिस्टर का रख-रखाव शुरू किया।

हालाँकि, रजिस्टर को उचित प्रारूप (जी.ए.आर.4) में नहीं रखा जा रहा है।

ख. परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव न करना
एनएमसी परिसंपत्ति रजिस्टर का रख-रखाव नहीं कर रहा है। परिसंपत्ति रजिस्टर के अभाव में, परिसंपत्तियों के मूल्य और उनके भौतिक अस्तित्व को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

क.6 एनएमसी ने विविध देनदारों को दर्शाया है:- निरीक्षण शुल्क यूजी और पीजी की राशि क्रमशः 1.88 करोड़ रुपये और 19.50 लाख रुपये है। इन शेष राशियों को चार साल से अधिक समय के लिए आगे बढ़ाया गया है। चूंकि इन शेष राशियों का विवरण प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा उन्हें सत्यापित नहीं कर सकी।

ख. अनुदान सहायता

एनएमसी को वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई सहायता राशि नहीं मिली। इसके पास वर्ष 2020-21 के अनुदान सहायता की 84.36 लाख रुपये की राशि बची हुई थी। वर्ष के दौरान, एनएमसी ने अनुदान का उपयोग नहीं किया और यह 31.03.2024 तक अव्ययित रहा।

ग. **प्रबंधन पत्र**

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के तौर पर अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से परिषद के प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियां एवं भुगतान खाता, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़े गए हैं, तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

क. जहां तक यह 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की बैलेंस शीट की मामलों की स्थिति से संबंधित है और

ख. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(राजीव कुमार पांडे)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.10.2024

अनुलग्नक

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

   स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा 2021-22 की अवधि तक एनएमसी का आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

   आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से अपर्याप्त है:-

   क) वार्षिक लेखा में दर्शाए गए आंकड़े सॉफ्टवेयर के आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

   ख) महत्वपूर्ण लेखा रिकार्ड, रोकड़ बही जैसे बहुमूल्य रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

   ग) सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से सही प्रारंभिक शेष राशि का चयन नहीं करता है।

   घ) आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं थी, 31.03.2024 तक 42 पैरा लंबित थे।

   ङ) एनएमसी द्वारा निवेश रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

   च) एनएमसी द्वारा अचल सम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।

3. **परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

   मार्च 2019 से अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

4. **इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

   पुस्तकों, प्रकाशन, स्टेशनरी और उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन 31.03.21 तक (भौतिक सत्यापन की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई)।

5. **वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता**

   खातों के अनुसार, एनएमसी पर कोई वैधानिक बकाया लंबित नहीं था।